खण्ड–513, अंक–04
मंगलवार, 04 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(23 फरवरी, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2021)

(खण्ड-513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
जनपद जौनपुर में पुलिस की पिटाई से एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु विषयक सूचना को उठाने का प्रयास	9-14
प्रश्नोत्तर	14-159
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	159
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	159-161
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज अन्तर्गत ग्राम छोड़ा भीखमपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद अन्तर्गत ग्राम सुनपेड़ा में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161-162
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत जलालपुर में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	162-163
जनपद बरेली के नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	163
जनपद औरैया में नेशनल हाई-वे पर शहर में आने-जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद हरदोई के अन्तर्गत थाना अतरौली के ग्राम औना में अवैध कब्जा हटाकर मूल भूमिधरी को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई नगर में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत थानीदास मोड़ से अमिला होकर आजमगढ़ होते हुये सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	165
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा अन्तर्गत नारायणनपुर से प्राइमरी पाठशाला कमालपुर पहासू तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	165

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत अन्तर्गत गौहनियाँ तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	165-166
जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत कौशिकी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	166
जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत नगर पंचायत इल्तिफातगंज स्थित विद्युत केन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम कयामुद्दीन की सीमा तक माइनर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166-167
जनपद महराजगंज के अन्तर्गत दरझिनिया ताल का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत कस्बा म्याऊ में सुकटिया नरोसती देवी मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत प्राइवेट चीनी मिलों में विगत वर्षों में सी0एस0आर0 द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	168
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत लोकरिया व फरीदपुर के बीच पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से ग्राम कुम्हैडा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168-169
आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत झारखंडी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169-170

विषय	पृष्ठ-संख्या
पांच वर्षों से अधिक समय से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को नियमित करने तथा प्रशिक्षण कार्य साई की तर्ज पर 12 महीने लगातार चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यालयों में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170-171
प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत समूह-क व ख श्रेणी की नियमावली संशोधित कर निबन्धन सहायकों को उप-निबन्धक पद पर पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा से लखनऊ तक वातानुकूलित बस का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	171-172
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	172-198
अभिभाषण हेतु दलीय नेताओं की चर्चा हेतु समय का निर्धारण ...	198
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	198-212
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिये माननीय अध्यक्ष द्वारा समय निर्धारण की व्यवस्था ..	213
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	213-287
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-2019 (सदन के पटल पर रखा गया)	287
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	288
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	288
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	288
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पचासवां संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	288
उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	289

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ की तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	289
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ की इकत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	289
राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-446/ग्यारह-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (103)-2020, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	289
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-426/ग्यारह-2 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (104)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	289-290
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	290
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-661/ग्यारह-2-20-9 (42) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (128)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	290
राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-839/ग्यारह-2-20-9 (42) 17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (129)-2020, दिनांक 20 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	290
राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-869/ ग्यारह-2-20-9 (42) 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (130)-2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	290-291
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-790/ग्यारह-2-20-9 (42)17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (131)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	291
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-793/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (132)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	291
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-794/ग्यारह-2-20-9 (47)17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (133)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	291

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-795/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (134)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	291-292
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-840/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (135)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	292
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-841/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (136)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	292
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-842/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (137)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	292
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-882/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (138)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	292-293
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-883/ग्यारह-2-20-9 (47) 17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (139)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	293
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9 (46)-20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (140)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	293
भारत के महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2018-2019 तथा विनियोग लेखे 2018-2019 (सदन के पटल पर रखा गया)	293
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	294
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	294
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	294
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं	294

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 04 याचिकाएं	295
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 04 याचिकायें	295
श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका	295
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 09 याचिकायें	296
श्री विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से सम्बन्धित याचिका	297
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका	297
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकायें	297
श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकायें तथा जनपद बस्ती से सम्बन्धित 04 याचिकायें ...	297-298
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 03 याचिकायें, जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकायें, जनपद संतकबीर नगर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 01 याचिका	298-299
श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 04 याचिकायें	299-300
श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 04 याचिकायें	300
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 04 याचिकायें	300
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकायें तथा जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 02 याचिकायें ...	301

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 याचिकायें	301-302
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	302
उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	302
उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित)	302-303
भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम ''मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या'' किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	303
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना	303-304
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिए विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	304-306
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	306-310
आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ की कार्यकारिणी का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य	310-312

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय में कर्मचारियों को लैपटाप/आईपैड उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा का व्यवस्था का प्रश्न	312
मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराये गये आईपैड के उपयोगार्थ एक सी0यू0जी0 सिम उपलब्ध कराये जाने पर श्री मनोज कुमार पारस का व्यवस्था का प्रश्न	313-314
जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊँचाहार को आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	314-317
जनपद अयोध्या को पर्यटन नगरी घोषित करने के उपरान्त वहाँ की जमीनों के खरीद में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	317-319
ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर के द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	320-324
जनपद फिरोजाबाद में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाए जाने एवं कतिपय सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	324
जनपद कुशीनगर के कसया नगर में कच्चे नाले के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	324-325
जनपद शाहजहांपुर में खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम प्रभारी के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	325-327
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	327-328
सदन में कोरम के अभाव में श्री राकेश प्रताप सिंह का व्यवस्था का प्रश्न ...	328-330
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	330-347

विषय		पृष्ठ-संख्या
माननीय राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों के लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही में सम्मिलित करने का निर्देश	...	347
माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	...	347-350
नत्थी	...	351-388

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-369

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
17. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
18. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
19. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
27. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
29. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
30. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
31. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
32. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. अशोक कुमार राणा श्री, — बिजनौर
36. असलम अली, श्री — हापुड़
37. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
38. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
39. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
40. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
41. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
42. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
45. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ

46. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
47. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
48. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
49. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
50. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
51. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
53. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
54. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
55. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
56. उषा सिरोही, श्रीमती — बुलन्दशहर
57. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
58. ओम कुमार, श्री — बिजनौर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
60. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
61. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
62. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
63. कमलेश सैनी, श्री — बिजनौर
64. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
65. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
66. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा
67. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
68. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
69. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
70. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं
71. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
72. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
73. केसर सिंह, श्री — बरेली
74. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
75. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
76. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
77. गंगा, श्री — कुशीनगर
78. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
79. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
80. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
81. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
82. गौरी शंकर, श्री — जालौन
83. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
84. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
85. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
86. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
88. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
89. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
91. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
93. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
94. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री — मेरठ
95. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
96. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
97. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
98. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 — नाम-निर्देशित
99. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
100. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
101. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
102. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
103. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
104. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
105. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
106. दिनेश खटीक, श्री — मेरठ
107. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर

108. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
119. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
121. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
122. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
126. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
127. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
130. नाहिद हसन, श्री शामली
131. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
132. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
133. नीरज बोरा, डा0 लखनऊ
134. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
135. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
136. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
137. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
140. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
141. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
142. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
143. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
144. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
145. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
146. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
147. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
148. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
149. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
150. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
151. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
152. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
153. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
156. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
157. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
158. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
159. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
160. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
161. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
162. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
163. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
164. बावन सिंह, श्री गोण्डा
165. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
166. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
167. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
168. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा

169. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
170. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
171. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
172. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
173. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
174. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
178. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. मंजू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
183. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
184. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
187. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
189. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
192. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
193. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
194. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
195. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
196. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
197. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
198. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
201. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणवेन्द्र प्रताप सिंह धुन्नी भइया, श्री उर्फ फतेहपुर
208. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
209. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
210. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
211. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
213. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
214. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
215. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
216. रवि शर्मा, श्री झांसी
217. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
218. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
220. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
221. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
222. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
223. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
224. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
225. राजकरन कबीर, श्री बांदा
226. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
227. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
228. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
229. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
230. राजबाला, श्रीमती रामपुर
231. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
232. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
233. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं

234. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
235. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
236. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
237. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
238. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
239. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
240. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
241. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
242. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
243. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
244. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
245. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
246. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
247. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
248. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
249. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
250. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
251. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
252. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
253. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
254. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
255. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
256. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
257. लकी यादव, श्री जौनपुर
258. लाखन सिंह, श्री औरैया
259. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
260. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
261. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
262. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
263. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
264. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
265. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
266. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
267. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
268. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
269. विजयपाल आढ़ती, श्री हापुण
270. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
271. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
272. विनय शाक्य, श्री औरैया
273. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
274. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
275. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
276. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
277. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
278. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
279. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
280. वीरेन्द्र, श्री एटा
281. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
282. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
283. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
284. शशांक वर्मा, श्री खीरी
285. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
286. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
287. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
288. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
289. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
290. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
291. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
292. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
293. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
294. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
295. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
296. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
297. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव

298. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
299. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
300. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
301. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
302. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
303. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
304. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
305. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
306. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
307. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
308. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
309. संजय यादव, श्री बलिया
310. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
311. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
312. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
313. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
314. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
315. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
316. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
317. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
318. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
319. सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले, श्री मेरठ
320. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू डा0 देवरिया
321. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
322. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
323. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
324. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
325. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
326. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
327. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
328. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
329. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
330. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
331. सुचि, श्रीमती बिजनौर
332. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
333. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
334. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
335. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
336. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
337. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
338. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
339. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
340. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
341. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
342. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
343. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
344. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
345. सुरेश राही, श्री सीतापुर
346. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
347. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
348. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
349. सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
350. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
351. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
352. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
353. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
354. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
355. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
356. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
357. सौरभ सिंह, श्री खीरी
358. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
359. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
360. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर

361. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	365. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
362. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	366. हर्षवर्धन बाजपेयी श्री	इलाहाबाद
363. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	367. हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
364. हरीराम, श्री	सोनभद्र	368. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
		369. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

नोट :- मा0 मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र प्रसाद चौधरी), परिवहन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी विधान सभा सत्र में उपस्थित रहे।

[11:00 बजे] जनपद जौनपुर में पुलिस की पिटाई से एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु विषयक सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

(मा0 मंत्री जी के द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य मा0 सदस्य श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी बात रखने पर)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है। यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। बहुत ही गंभीर प्रकरण है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी नियम-311 में मैंने एक सूचना आपको दी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 की सूचना हमने निरस्त कर दी थी।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर प्रकरण है इस पर आप हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर काल को डिस्टर्ब न करिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, आप सुन लें बहुत गंभीर प्रकरण है। मा0 अध्यक्ष जी मेरे जनपद जौनपुर में पुलिस की पिटाई से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आपका लिखा नहीं जा रहा है। आप सदन को चलने दीजिए। रोज सदन में डिस्टर्बेन्स करते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो फिर हम लोग अपनी बात कहाँ कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

प्रतिदिन इसी तरह से प्रश्नकाल को बाधित करना ठीक नहीं है। आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, यदि हमारी सदन बाधित करने की मंशा होती तो वेल में पहुँच गये होते। हम यदि अपनी बात आपके सामने नहीं रखेंगे और आप संरक्षण नहीं देंगे तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर के बारे में आपकी क्या राय है, प्रश्नोत्तर चले या न चले ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, आप इस पर कुछ निर्णय दे दें तो हम लोग अभी बैठ जाएंगे। आपका आदेश सर्वोच्च है, आप कुछ कह दें तो हम बैठ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या तरीका है, प्रश्नोत्तर तो चलने दीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

तो प्रश्नोत्तर के बाद मा0 अध्यक्ष जी, आप हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर के बाद कैसे सुन लें आज मा0 नेता विरोधी दल को बोलना है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, उसके पहले हमारी बात सुन लें फिर नेता प्रतिपक्ष बोलें।

श्री अध्यक्ष-

यह संस्कृति ठीक नहीं है। आप हमारा वाक्य नहीं सुन रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, इतनी देर में मेरी बात आ गई होती।

श्री अध्यक्ष-

हम कह रहे हैं कि यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर प्रकरण है पुलिस की पिटाई से नौजवान की मृत्यु हो गयी है। पुलिस के खिलाफ एफ0आई0आर0 न की जाये और उनको बर्खास्त न किये जाये यह जौनपुर के बक्शा थाने की घटना है। माननीय अध्यक्ष जी हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठ जायें, यह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा। मा0 श्याम सुन्दर शर्मा जी, आप बोलें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 दो मिनट के लिए मेरी बात सुन लें, जो आपका निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हम अभी नियम-311 में नहीं सुनेंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्नोत्तर काल के बाद सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह तो रोज की बात है कि यही से चिल्ला दिया जाए कि इसको बाद में सुन लिया जाए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अनुरोध तो है लेकिन यह रोज की जबरदस्ती है रोज यह होता है कि पहले यहां से खड़े होकर कोई अपनी बात कह दे और बाद में सुन लिया जाए कहा जाता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, हम वेल में नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

वेल में नहीं गये तो ठीक किया। लेकिन आप सवाल नहीं होने दे रहे हैं

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मा0 अध्यक्ष जी, आप संरक्षण दें। यदि आप संरक्षण नहीं देंगे तो यहां आने का औचित्य क्या रह जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल नहीं होने दे रहे हैं।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 ललई जी, प्रश्नकाल के बाद आप इसको उठा लें।

श्री अध्यक्ष-

कभी कैसे मौका दे देंगे।

नियम-311 पर रोजाना एक-आध पर्ची लेकर आ जाना और सवेरे डिस्टर्ब करना, यह ठीक नहीं है ना।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात को सुन लें, फिर जो भी आपका निर्णय हो।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-311, नियम-56 सब आज के लिए पहले से ही कार्य-मंत्रणा समिति में तय हुआ है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, नियम-311 पहले भी लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 हमने कब लिया ? आप बता दें।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

अध्यक्ष जी, आप मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप जबरदस्ती कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

अध्यक्ष जी, मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह जबरदस्ती रोज क्यों होती है ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो कार्य-मंत्रणा समिति में जो नेता लोग बैठते हैं, उनके प्रति भी सम्मान प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे जो चाहे वह अपने तरीके से हाउस को हाईजैक करने की कोशिश करता है। मान्यवर, यह गलत परम्परा है और किसी भी हाल में इसको इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर जैसा भाव होता है, वह वैसा ही सोचता है। इनके अंदर यह भाव होगा और यह अपने नेता का सम्मान नहीं करते होंगे इसलिए यह आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, एक सदस्य होने के नाते, इस सदन में आने के नाते मेरा आपसे अनुरोध करने का अधिकार है और मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जब तक मैं इस सदन में रहूंगा, मैं लगातार आपसे अनुरोध करता रहूँगा। इस सदन में आने के लिए मुझे इनसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने कार्य-मंत्रणा समिति में बैठकर यह तय किया था और यह अपने नेता की अवहेलना है।

(श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' के अपने स्थान से अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह कार्यवाही का भाग नहीं है, जो आप कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपा करके जो कार्य-सूची है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। इसके अनुसार यह किसी भी हाल में उचित नहीं है। अपने तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह कार्य-मंत्रणा समिति में तय हो चुका है। कार्य-मंत्रणा समिति का प्रस्ताव यहां सर्वसम्मति से पारित हो चुका है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम इस हाउस में हैं, हम बीमार हुए तो एम्बुलेंस आएगी या नहीं आएगी। हमारी विनती है कि यह इमरजेंसी का विषय है, आप इस बात को एक मिनट में सुन लीजिए और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

यह क्वेश्चन आवर है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, क्वेश्चन आवर के बाद सुन लीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में क्वेश्चन आवर में बजट तक पास कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो हम इस पर तो डिबेट कर नहीं रहे हैं ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो क्वेश्चन आवर में बजट पास कर लेते हैं, वह किस मुँह से इस बात को कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग वरिष्ठ हैं, जैसे चलाते रहे हैं लेकिन मैं नियमों के अनुसार सदन चला रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे संरक्षण दीजिए। मेरी जो पीड़ा है, उसको आप सुन लें फिर जो आपका निर्णय होगा, वह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष-

इधर यह आदत बन गयी है। आज तो आपका नियम-311 में यह लिया नहीं गया ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, तो आप कुछ तो मेरी पीड़ा सुन लें, कभी तो सुन लें। आप बता दें, मैं बैठ जाता हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गाँव गये हुए थे। कार्य-मंत्रणा समिति में जो बातें तय हुईं, वह शायद इनको पता नहीं थीं लेकिन इनका मामला बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए यह उसे उठाना चाहते थे। कार्य-मंत्रणा में यह तय हुआ है आज और शायद कल भी नियम-56 नहीं लिया जायेगा। मैं भी जौनपुर उसके घर गया था, बहुत हृदय विदारक घटना है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि नियम-56 जिस दिन भी हो तो इनको प्राथमिकता पर लिया जाय, इनकी बात को सुना जाय और जो कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय है, मा0 सदस्य श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' जी उसको आप स्वीकार करें।

[11:10 बजे] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में दिनांक 01-02-21 तक ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को लाभान्वित किये जाने विषयक

****1श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01-02-2021 तक ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को उनके नुकसान की भरपाई हेतु सरकार ने कोई विशेष नीति बनाकर किसानों को लाभान्वित कराने की कोई योजना बनायी है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-327/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों/दरों में ओलावृष्टि एवं अन्य आपदाओं से हुई फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचक निधि से राहत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है :-

कृषि फसल का 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने पर 02 हे0 की सीमा तक असिंचित क्षेत्र में और बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 6800/-प्रति हे0 एवं सिंचित क्षेत्र हेतु बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 13,500/- प्रति हे0 तथा रु0 18000/-बहुवर्षीय फसलों हेतु परन्तु न्यूनतम सहायता राशि कम से कम रु0 1000/- होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

सरकार किसानों की मदद की दृष्टि से कार्य करती है और ओलावृष्टि में जो किसानों की मदद की बात इन्होंने की है। मेरी सोच यह है कि 31 मार्च तक जिनके प्रार्थना-पत्र सरकार को मिल गये और जिनके प्रार्थना-पत्र छूट गये या 31 मार्च के बाद जो प्रार्थना-पत्र आये उन पर सरकार ने विचार नहीं किया। मंत्री जी बड़े विशाल हृदय के हैं तो आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों की दुहाई देने वाली सरकार है, 31 मार्च या इसके बाद जितने किसानों के प्रार्थना-पत्र आये हैं क्या इस योजना के तहत सरकार उन सबको कवर करके लाभ देने पर विचार करेगी, यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष, 2020-21 में राज्य आपदा मोचक निधि से ओलावृष्टि या प्रभावित किसानों को जो सहायता दी गयी है उसमें जो शेष किसान बचे, उन शेष किसानों को लाभ देने पर क्या सरकार विचार करेगी ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 का जो नियम है उसके सुधार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करेगी या नहीं करेगी, जो फसल नुकसान की सीमा पर 33 प्रतिशत की व्यवस्था है तो क्या 33 प्रतिशत से घटाकर उसे 25 प्रतिशत लाने की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार करेगी या नहीं करेगी ये मैं जानना चाहूंगा।

जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह)-

हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम सुन्दर जी का मैं बहुत सम्मान भी करता हूं और मैं मानता हूं कि ये हमारे सदन के वरिष्ठ नेता हैं और इनकी जानकारियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं इनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन पेण्डिंग नहीं है, जिसका निस्तारण न कर दिया गया हो और पूरी सूचना अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़कर भी सुना सकता हूं। जहां कहीं भी ओलावृष्टि हुयी थी सरकार ने वहां तत्काल एक्शन लेते हुए जिन किसानों की फसलें नष्ट हुयी थी, उनमें से वर्ष, 2015 के भारत

सरकार के नियम से जो लोग भी आच्छादित होते थे उनको पूरी तरीके से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। ऐसा कोई भी केस पेण्डिंग नहीं है, नम्बर-1, नम्बर-2 मान्यवर, आपने कहा कि किसानों की हितैषी सरकार बनती है, मैं इनका सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से वर्ष 2015 से पहले के भारत में जो व्यवस्था थी और आज की जो व्यवस्था है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का अभिनन्दन करता हूं उनको बधाई देना चाहता हूं कि किसानों को 50 प्रतिशत फसल नष्ट होने पर जो लाभ मिलता था उसको घटाकर उन्होंने 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नष्ट होने पर पूरी तरीके से उनको राहत देने का काम किया है और मान्यवर किसानों के लिए एक बड़ा सुधार किया है, जितनी भी राशि थी उसको सबको बढ़ा करके वर्ष, 2015 भारत सरकार ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए जिन किसानों का पहले नुकसान 50 प्रतिशत होता था उसे घटाकर 33 प्रतिशत किया उसके बाद जिनको रु0 4,500 मिलता था उनको रु0 6,800 किया, जिनको रु0 9000 प्रति हेक्टेयर था उनको रु0 13,500 किया और न्यूनतम जो रु0 750 था उसको रु0 1000 करने का काम किया और जो बहुवर्षीय फसलें थीं उसमें रु0 12,000 से बढ़ा करके रु0 18,000 करने का काम किया गया। रु0 1500 को बढ़ा करके रु0 2000 किया गया। 3,200 को बढ़ा करके रेशम उत्पादन आदि में 4,800 किया गया। 4,000 को बढ़ाकर 6,000 किया गया। 4,500, जो 2 हेक्टेयर से अधिक का था, उसको बढ़ा करके 6,800 किया गया। 9,000 को बढ़ा करके 13,500 किया गया। मान्यवर, इस तरीके से सब चीजों को बढ़ाया गया। जो 50 परसेण्ट था, उसको घटा करके 33 परसेण्ट किया गया। इसके लिए मैं भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन और उनको बधाई देना चाहता हूँ और इस नियम के तहत् जितने लोगों को भी फसल का नुकसान हुआ था, अब तक सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है, कोई शेष नहीं है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से इसी से सम्बंधित एक सवाल का उत्तर चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, क्या ओलावृष्टि से जो नुकसान हुए हैं, उसके अलावा किसान के कुछ ऐसे भी नुकसान होते हैं, जैसे कोई नहर जा रही है, अचानक नहर टूट गई और नहर टूटने से किसान की पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है तो क्या ऐसे भी किसानों का जो नुकसान हुआ है, इसमें वह कवर होते हैं ? अगर कवर होते हैं, क्योंकि उनकी भी फसल का ही नुकसान हुआ। इसमें आपके उत्तर में लिखा हुआ है कि ओलावृष्टि एवं अन्य आपदाओं से हुई फसल क्षति/आपदा मतलब बाढ़ आ गई या अन्य ऐसी ही कोई विपदा आ गयी। लेकिन यह भी किसान के लिए अचानक आपदा आती है। मान्यवर, कई जगहों पर ऐसा होता है कि सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और नहर को बन्द होते-होते उनका काफी नुकसान हो जाया करता है। क्या ऐसे भी किसानों का समायोजन इस आपदा निधि में माननीय मंत्री जी करने पर विचार करेंगे ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नम्बर एक, जो हमारे माननीय सदस्य का प्रश्न था, उससे सम्बंधित आपका प्रश्न नहीं है। नम्बर दो, आपने कहा अन्य से, जो प्रश्न पूरी तरीके से अगर माननीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष होगा और अगर आप उसको देखेंगे तो उससे सम्बंधित आपका प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी आपने कहा है, इसलिए बड़े सम्मान के साथ अगर आप कहें तो मैं पूरी बुकलेट पढ़ कर इनको सुनाऊँ और इनको बताऊँ कि भारत सरकार ने किन-किन व्यवस्थाओं में क्या-क्या व्यवस्था किया है। राज्य आपदा निधि के तहत् कहाँ-कहाँ सहायता दी जा सकती है, इसका पूरा प्राविधान इसमें किया गया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ कर सुनाऊँ, वैसे यह इससे रिलेटेड नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूँ, माननीय श्री उमाशंकर सिंह ने स्पेस्फिक पूछा है कि जो नहर के कटान से फसल डूब जाती है और उससे फसलों का जो नुकसान होता है, उसको इस योजना में शामिल करने पर विचार करेंगे ? केवल इतना बता दीजिए।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह जो नीति है, वह भारत सरकार ने बनायी है और भारत सरकार पूरे देश का अध्ययन करके सबके लिए बनाती है, तो जो भी इसमें आच्छादित है, उसका पालन-अनुपालन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब नत्थी (ख), माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात ग्राम शिक्षा प्रेरकों की पुनः बहाली करने विषयक

***1-श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों पर तैनात ग्राम शिक्षा प्रेरकों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ग्राम शिक्षा प्रेरकों की बहाली कराते हुए इनके बकाये मानदेय का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन वर्ष 2009-10 से संचालित किया गया था, जिसमें 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरकों का मनोनयन किया गया था। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-3-2018 को योजना समाप्त कर दी गयी है। भारत सरकार से धनराशि मांगी जा रही है, प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री आजाद अरिमर्दन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से चार छोटे-छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ- पहला, प्राथमिक विद्यालय में तैनात ग्राम शिक्षा प्रेरकों की संख्या 2009-10 से लेकर 2018 तक कितनी थी ? ग्राम शिक्षा प्रेरकों को वेतन या मानदेय प्रतिमाह की दर से कितना दिया गया ? शिक्षा प्रेरकों की 2009 से 2018 तक अर्थात् 10 वर्ष तक कितनी धनराशि दी गई और कितनी धनराशि अवशेष रह गई ? भारत सरकार से कितनी धनराशि कब मांगी गई ? चौथा प्रश्न, इन 10 वर्षों में शिक्षा प्रेरकों से जो कार्य/सेवा ली गयी, क्या उनको अन्य विभागों में सेवा हेतु आयु में छूट दी जायेगी ? यह हमारे चार छोटे-छोटे सवाल हैं।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा 15 वर्ष से ऊपर के वयवर्ग के सभी निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से साक्षर भारत मिशन योजना वर्ष 2009-10 में संचालित की गई थी। योजना का शुभारम्भ दिनांक 01-10-2009 को किया गया था।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित 66 जनपदों (कानपुर नगर, औरैया, गाजियाबाद, हापुड़ एवं लखनऊ को छोड़कर) का चयन किया गया था, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 15 वयवर्ग में महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी। नवसृजित जनपद शामली, सम्भल, कासगंज एवं अमेठी अपने पूर्व के मूल जनपद के साथ स्वीकृत किये गये थे इस प्रकार प्रदेश में कुल 70 जनपदों में योजना संचालित की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के संचालन के लिए वर्ष 2009-10 के प्रथम चरण में 26 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ रायबरेली, संतकबीर नगर, उन्नाव एवं वाराणसी) को तथा वर्ष 2011-12 के द्वितीय चरण में 40 जनपदों (इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बुलन्दशहर, चन्दौली चित्रकूट, एटा, फैजाबाद फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद,

गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, जालौन, जे0पी0 नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर सीतापुर, सोनभद्र एवं सुल्तानपुर) को सम्मिलित किया गया था। सम्प्रति साक्षर भारत योजना की समयावृद्धि दिनांक 31-03-2018 के पश्चात को भारत सरकार द्वारा नहीं की गयी है। वर्तमान उक्त योजना का संचालन पूर्णतः बन्द है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद तथा विकास खण्ड स्तर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय धनराशि के ऑडिट कार्य कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेशों के अनुपालन में योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का ऑडिट कार्य सम्पन्न कराने के उपरान्त ऑडिट रिपोर्ट भारत सरकार को ईमेल/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित कर दी गयी है। साक्षर भारत योजना से आच्छादित जनपदों से प्राप्त जिला, ब्लॉक समन्वयकों एवं प्रेरकों के लम्बित मानदेय की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में अनपेड लायबिलिटी के रूप में लगभग रु0 401.25 करोड़ धनराशि दर्शायी गयी है। योजनान्तर्गत कार्यरत् रहे प्रेरकों के लम्बित मानदेय की अवशेष धनराशि रु0 394.30 करोड़ सम्मिलित है, जिसमें केन्द्रांश रु0 236.58 करोड़ एवं राज्यांश रु0 157.72 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में दर्शायी गयी अनपेड लायबिलिटी के रूप में लगभग रु0 401.25 करोड़ धनराशि की मांग भारत सरकार से इस कार्यालय के पत्रसं0-सा0एवंवै0शि0/850/2020-21 दिनांक 27 जुलाई, 2020, पत्र सं0-सा0एवंवै0शि0/1236-37/2020-21 दिनांक 10-09-2020 पत्र सं0-सा0एवंवै0शि0/1449-51/2020-21 दिनांक 04-11-2020, पत्र सं0-सा0एवंवै0शि0/2110-12/2020-21 दिनांक 03-12-2020 एवं पत्र सं0-सा0एवंवै0शि0/2972-75/2020-21 दिनांक 13-01-2021 द्वारा की गई है। भारत सरकार से मानदेय मद में उक्त धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रेरकों के लम्बित मानदेय के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

श्री आजाद अरिमर्दन-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैंने क्वैश्चन क्या पूछा था और आन्सर क्या आया। मैंने पूछा था कि 10 वर्ष में शिक्षा प्रेरकों की संख्या कितनी हो गई, जो बेरोजगार पड़े हुए हैं और कितना उनका भुगतान हुआ था और कितना बाकी है। मैंने यह भी पूछा था कि रोजगार अवसरों में क्या उन्हें रोजगार दिया जायेगा ? जो बेचारे 10 वर्ष तक सेवा किये उसके बाद उनकी आयु भी ऊपर हो गई होगी।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब भारत सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया तो हम उसको आगे संचालित नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट में दर्शायी गयी अनपेड

लायबिलिटी को भारत सरकार को भेज दिया है, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री उमा शंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने उत्तर के सेकेण्ड पैरा में उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-03-2018 को योजना समाप्त कर दी गई है। हमारे आजाद अरिमर्दन सिंह जी का सवाल है कि क्या सरकार ग्राम शिक्षा प्रेरकों की बहाली कराते हुए उनके बकाये मानदेय का भुगतान करेगी। इन्होंने लिखा है कि भारत सरकार से धनराशि मांगी जा रही है, प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, यह योजना 31-03-2018 को समाप्त हो गई है और आज हम 2021 में आ गये हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि लगभग 4 सौ करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है, लम्बा उत्तर था उसी में उन्होंने बताया है, जिसमें उन्होंने राज्यांश और केन्द्रांश का जिक्र किया है तो क्या हम कोई समय-सीमा देंगे या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार से यह धनराशि कब तक प्राप्त हो जायेगी ? क्योंकि इनका तो रोजगार चला गया और बकाये की धनराशि भी नहीं मिल रही है, हम भारत सरकार पर डिपेंड हैं तो भारत सरकार से सबसे लेटेस्ट पत्राचार कब हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

योजना भारत सरकार की है और भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है।

श्री उमा शंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर में लिखा है कि भारत सरकार से धनराशि मांगी जा रही है और धनराशि प्राप्त होते ही उनको भुगतान कर दिया जायेगा। हम जानना चाहते हैं कि वह धनराशि कब तक इन्हें प्राप्त हो जायेगी।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं और भारत सरकार, प्रदेश सरकार की समस्त प्रक्रियाओं को समझते हैं। हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह भारत सरकार की योजना थी और 31 मार्च, 2018 को भारत सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया है। उस बीच ऑडिट रिपोर्ट मांगी गयी थी और हमने ऑडिट रिपोर्ट भेज दी है। हमारे यहां से कितनी बार पत्र प्रेषित किया गया है, वह भी हमने बता दिया है बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि भारत सरकार से धन प्राप्त होते ही भुगतान कर देंगे। इससे अधिक इस योजना में हमारा कोई अधिकार नहीं है और भारत सरकार से सम्बंधित विषय में हम कोई वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से हमने अपने जवाब में कह दिया है।

श्री अध्यक्ष-

उमा शंकर जी, अब आपका प्रश्न हो गया।

श्री उमा शंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जो केन्द्रांश मांगना है, वह मा0 मंत्री जी मांग रहे हैं, लेकिन जो राज्यांश का हिस्सा है, कम से कम वह धनराशि ही अवमुक्त कर दें।

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो पहली बार सदन का सदस्य बना हूं। राज्यांश, केन्द्रांश मिलने के बाद ही दिया जाता है, अलग से राज्यांश का भुगतान किसी मद में नहीं होता है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाई)

जब केन्द्रांश आयेगा, तो तत्काल ही हमारी सरकार राज्यांश का अंश देकर इन प्रेरकों का पूरा भुगतान कर देगी।

श्री उमा शंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको बेहतर बताएंगे।

श्री अध्यक्ष-

उमा शंकर जी, अब आपका प्रश्न हो गया।

(प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विनय शंकर तिवारी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश में लगे हुये इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की संख्या, वर्तमान अवस्था व कुल लागत तथा उनकी मरम्मत हेतु किये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में

***2-श्री विनय शंकर तिवारी-**

(अनुपस्थित)

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापित है तथा उनमें से कितने हैण्डपम्प वर्तमान में जीर्ण शीर्ण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एक इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापित किये जाने की वर्तमान लागत कितनी है तथा हैण्डपम्प की औसत आयु कितनी है ? क्या सरकार जीर्ण-शीर्ण इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)-

प्रदेश में कुल 29,89,983 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 25,528 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य एवं 39,289 हैण्डपम्प सामान्य मरम्मत हेतु शेष हैं। एक इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प की वर्तमान में औसत लागत रु0 45,000/-तथा औसत आयु 10 वर्ष निर्धारित है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क।। हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य शासनादेश संख्या-434/अड़तीस-5-2017-21एम/2011, दिनांक 08-05-2017 की

व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग से संक्रमित धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने सम्बन्धी

***3-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती महगांई के दृष्टिगत प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के क्रम में शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर नियत रु0 10,000/-प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, इसमें तो स्पष्ट है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप आज्ञा दें, तो मेरी जो जिज्ञासा है, उसकी प्रतिपूर्ति कर लूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम पहले प्रश्न में भी देख रहे थे कि मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री जी बड़े विद्वान और प्रज्ञा के धरोहर भी हैं। ये मा0 सुप्रीम कोर्ट की बैशाखी से बैतरणी पार करने की बात कर रहे हैं। अब क्या शिक्षा मित्र, जो गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले हैं और शिक्षा मित्रों की सरकार वैसे भी बीच-बीच में दुहाई देती रही है। अगर शिक्षा मित्रों की सरकार वाकई हितैषी है, तो क्या शासनादेश को निरस्त करते हुए उनका मानदेय बढ़ाने हेतु कोई नया शासनादेश लाने पर सरकार विचार करेगी या नहीं ?

दूसरी जिज्ञासा मेरी यह है कि 39 (क) समान कार्य, समान वेतन की व्यवस्था इसमें है कि नही, यह जानने की मेरी इच्छा है और 39 (घ) के अनुच्छेद 14 एवं 16 के साथ मिलकर पढ़ने में, अगर दोनों को मिलाकर पढ़ा जाए, तो समान कार्य का समान अधिकार बन जाता है, तो क्या रु0 10,000/-पाने से गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले शिक्षा मित्रों का जीवनयापन कैसे होगा, इस पर क्या सरकार पुनर्विचार करेगी या नहीं ?

सरकार शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षा में भर्ती की छूट देती है। अगर शिक्षा मित्र प्राथमिक में नहीं आते हैं, तो क्या अन्य शिक्षक भर्ती में कोई लिबर्टी देने का प्रयास करेगी या नहीं, यह जानने की मेरी जिज्ञासा है ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। मा0 सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन आज कल एक चलन हो गया है कि कई बार टी0आर0पी0 बढ़ाने का भी इश्यू आ जाता है इसलिए सब बातें समझते हुए भी प्रश्न उठाना पड़ता है, तो मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की विवशता को समझ सकता हूं। (श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' के द्वारा टोका-टाकी करने पर) मैं आपसे छोटा हूं, धैर्य के साथ मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं नहीं चाहता था कि उस पुराने मुद्दे को कुरेदा जाए लेकिन आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ छलावा करते हुए नियम, परिनियम में आवश्यक संशोधन किए बगैर असंवैधानिक तरीके से उनको नियमित करने का चुनाव के पहले उनको एक लॉलीपॉप दिया और (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं) बहुत आपत्तिजनक बात हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बैसाखी नहीं होता है। भारत के संविधान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। भारत की कोई भी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का आदर करती है और करना भी चाहिए लेकिन माननीय सदस्य, यह पूरा सदन और पूरा प्रदेश यह जानता है कि जब रिवर्ट हुए थे लोग तो 3500 रु0 के मानदेय पर वापस हुए थे। लेकिन हमारी योगी सरकार की संवेदनशीलता और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी की व्यक्तिगत संवेदना के कारण तत्काल उन्होंने उनका मानदेय लगभग तीन गुना बढ़ाते हुए रु0 10,000/- का मानदेय नियत किया था। इतना सब जानते हुए भी माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार इस पर सवाल खड़ा करने का औचित्य नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह भी नहीं जानता कि टी.आर.पी. बढ़ती कैसे है ? शायद माननीय मंत्री जी टेलीविजन में सुन करके आये होंगे कि टी0आर0पी0 कैसे बढ़ती है ? वह अपने मुखारविन्द से खुद ही कह रहे हैं कि मैं पहली बार सदन में आया हूँ। हमने जिन्दगी में कभी यह नहीं किया कि हम टी0आर0पी0 की बात भी सोचें। इसमें मैंने कौन सी ऐसी चीज पूछी है जो टी0आर0पी0 बढ़ाने की बात है। मैंने 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की बात

पूछी और संगत धाराओं का भी उल्लेख किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको नियम बनाने के लिए कभी नहीं रोका है, न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट कभी रोक सकती है। हमने गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले शिक्षामित्रों के लिए जो रु0 10,000/- की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है उसको बढ़ाने का आग्रह मैंने किया है, क्या उस पर विचार करेंगे या नहीं ? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई सीमा रेखा नहीं खींची है कि आप मानदेय बढ़ा नहीं सकते। मैंने केवल रु0 10,000/- की सीमा को बढ़ाने पर विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि उस पर सरकार विचार करेगी या नहीं ? केवल इतनी बात पूछी, इसमें मेरी कौन सी टी0आर0पी0 बढ़ गयी ?

डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों और गरीब माँ की कोख से पैदा हुए बच्चों की कितनी चिंता, किस सरकार को है यह आज उत्तर प्रदेश बखूबी देख रहा है। गरीबों की बात करने वाली सरकारों के समय में लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटकर जो हवेलियाँ खड़ी की गयी थी, आज गरीबों का घर बनाने के लिए हवेलियाँ ध्वस्त की जा रही हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी) माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों की बात करना और वास्तव में गरीबों के लिए काम करना, इन दोनों में अन्तर है। आज योगी सरकार गरीबों के लिए हर क्षण, हर पल काम कर रही है।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, चाहे जो बोलते जाए, यह हम नहीं सुनेंगे। माननीय शर्मा जी ने एक स्पैसिफिक सवाल किया कि क्या सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शिक्षा मित्रों के मानदेय रु0 10,000/-की सीमा से बढ़ाने पर विचार करेगी ? यहाँ टी0आर0पी0 की बात कहाँ से आ गयी, पहले तो यह आपत्तिजनक है। फिर हवेली गिराने की बात आ गयी, यह भी आपत्तिजनक है। मान्यवर, पहले तो टी0आर0पी0 शब्द कार्यवाही से निकलवायें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रु0 10,000/- की सीमा रखने का प्रतिबन्ध नहीं लगाया हैं। आप 15 हजार 20 हजार, 25 हजार व 50 हजार भी कर सकते हो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो करना चाहें कर सकते हैं। हमारा प्रश्न केवल इतना है कि क्या सरकार उस सीमा को बढ़ाने पर विचार करेगी ? काबिल मंत्री जी अपनी विद्वता का परिचय देते हुए जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वह कतई सहनीय नहीं है, उसको कार्यवाही से निकालने की कृपा करें। हम यहाँ टी0आर0पी0 बढ़ाने आते हैं या जनता की आवाज उठाने आते हैं। हम अगर जनता की आवाज उठा रहे हैं तो हम टी0आर0पी0 नहीं बढ़ा रहे हैं। टी.आर.पी. बढ़ाने वाले लोग तो इनके साथ हैं जो अपनी बाँह चढ़ा-चढ़ाकर प्रश्न के माध्यम से बोलते हैं। हम टी0आर0पी0 वाले नहीं है इसलिए

पहला तो आपसे सादर अनुरोध है कि टी0आर0पी0 शब्द का जो उन्होंने उल्लेख करते हुए वरिष्ठ सदस्य मा0 श्याम सुन्दर शर्मा जी पर आक्षेप किया, माननीय शर्मा जी, आठवीं बार इस सदन में आये हैं, पहली बार नहीं आये हैं, उनके ऊपर इस तरह का आक्षेप किया है पहले तो उसको कार्यवाही से निकालने का कार्य करें।

श्री लाल जी वर्मा-

दूसरा मान्यवर, इसका उचित उत्तर दिला दें। केवल एक शब्द में उत्तर दें हां, या नहीं। इतना ही तो उत्तर होगा कि हम विचार नहीं करेंगें या विचार करेंगें। केवल इतना ही जवाब दे दीजिये हमें कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के लिखित उत्तर से स्पष्ट है और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 हजार रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई विषय मान्यवर, इस सम्बन्ध में विचारणीय नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

टी0आर0पी0 शब्द जो उन्होंने कहा है माननीय वरिष्ठ सदस्य को।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही दिखवा लूँगा।

श्री लाल जी वर्मा-

और माननीय अध्यक्ष जी, जो आपत्तिजनक है उसको कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मान्यवर, मेरी कोई मंशा ऐसी नहीं थी लेकिन अगर मेरे किसी शब्द से वरिष्ठ सदस्य को कोई कष्ट हुआ है तो मैं अपने उस शब्द को वापिस लेता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। वरिष्ठ सदस्य हमारे पितातुल्य हैं। पुत्र अगर काबिल होता है तो गर्व होना चाहिए उस पर टांट नहीं करना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

शर्मा जी, अब तो ठीक हो गया उत्तर।

प्रश्न संख्या-4 पुकारे जाने पर सदस्य बाला प्रसाद अवस्थी उपस्थित नहीं थे।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय 10000/-रु0 से 24000/- प्रतिमाह किये जाने पर विचार विषयक

***4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-** (अनुपस्थित)

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्या

सरकार जनहित में शिक्षा मित्रों के मानदेय दस हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 24,000/-रुपये प्रतिमाह करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव में पारित आदेश दिनांक 25-7-2017 के क्रम में शासनादेश संख्या-1928/79-5-2017-282/98 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 जारी किया गया है, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों का मानदेय बढाकर नियत रु0 10,000/-प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न संख्या 5 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री प्रभात कुमार वर्मा उपस्थित नहीं थे।

प्रदेश के विभागीय व वित्तपोषित हिन्दी माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की योजना बनाने विषयक

***5-श्री प्रभात कुमार वर्मा-** (अनुपस्थित)

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के छात्रों में हिन्दी भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का संतुलन बनाये रखने के लिये विभागीय एवं वित्त पोषित हिन्दी माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने की योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा उप मुख्य मंत्री, (डॉ0 दिनेश शर्मा)-

विभागीय एवं वित्तपोषित हिन्दी माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रजी माध्यम में परिवर्तित किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। हिन्दी भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का संतुलन बनाये रखने के लिये वर्ष 2019 में जनपद मुख्यालयों पर उपलब्ध संसाधनों से ही एक राजकीय इण्टर कालेज में अंग्रेजी माध्यम का एक अनुभाग संचालित किये जाने का प्रयास प्रारम्भ किया गया। सम्प्रति 18 राजकीय विद्यालयों तथा 1115 अनुदानित विद्यालयों में अंगेजी माध्यम का एक अनुभाग संचालित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***6-हाजी इरफान सोलंकी-**

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने के सम्बन्ध में

***7-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि पंचायत भवन हेतु भूमि चयन करने की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के बिना भूमि चयन कर पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुली बैठक अथवा भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर भूमि का चयन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायतीराज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

जी हां।

पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1594/33-3-2020 दिनांक 29 जून, 2020 द्वारा वित्त आयोग-मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से प्रदेश की समस्त पंचायत विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के शत प्रतिशत आच्छादन के निर्देश निर्गत किए गए हैं। पंचायत भवन हेतु भूमि का चयन भूमि प्रबन्धन समिति/लेखपाल द्वारा नियमानुसार किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सवाल के पार्ट-2 को आप देखें। मैंने स्पैसिफिक पूछा यदि हाँ तो क्या सरकार बतायेगी कि पंचायत भवन हेतु भूमि चयन करने की प्रक्रिया क्या है ? मान्यवर, आप स्वंय विद्वान सदस्य हैं। मान्यवर, ग्राम समाज की भूमि किसी विभाग को ग्राम प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त दी जाती है। बिना इस प्रक्रिया को अपनाये हुए। इन्होंने लिखा है कि प्रबन्ध समिति/लेखपाल। यानि लेखपाल सारा मालिक हो गया। वह जिस जमीन को बता दे उस जमीन पर बन जायेगा। न प्रस्ताव होगा, न अनुमोदन होगा, न पंचायत भवन के नाम वह जमीन दर्ज होगी। वह जमीन ग्राम समाज की बनी रहेगी। इसलिये मेरा प्रश्न केवल इस उद्देश्य से था क्योंकि चुनाव का वर्ष था प्रधान का। प्रधान का कार्य-काल समाप्त हो रहा था। अनर्गल जगह पर प्रधान जगह-जगह विवादित जमीन पर इस पंचायत भवन को बिना प्रस्ताव के बनाने लगे थे। इसलिये मेरा स्पैसिफिक प्रश्न था कि जब भूमि प्रबन्धन समिति है तो कोई भी प्रस्ताव सरकार का कोई भी कार्य, बिना नियमानुसार

आच्छादित हुए नहीं होना चाहिए। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव की प्रक्रिया है, जो ग्राम समाज की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया है, क्या उस प्रक्रिया को अपनाने की कार्यवाही की जायेगी। सक्षम स्तर और उप जिलाधिकारी के अनुमोदन से होता है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्यवाही की जायेगी ? और जहाँ पर बिना प्रक्रिया को अपनाये हुए बनाया गया है ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से क्या वसूली की कार्यवाही करने का काम करेंगें।

श्री अध्यक्ष-

आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर लिखित उत्तर के अंतिम में हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नहीं आया है। मेरा सिर्फ एक स्पैसिफिक प्रश्न है क्योंकि कई जगह बन तो ऐसे ही गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बिना प्रस्ताव के बन गया है, वह जमीन पंचायत भवन के नाम से दर्ज नहीं हुई है, वह ग्राम समाज की जमीन है, चाहे वह बंजर हो, चाहे नवीन परती के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, वह उसी रूप में बनी रह गयी। इस जमीन पर जब पंचायत भवन बन रहा है तो यह जमीन पंचायत भवन के नाम पर दर्ज होनी चाहिए, जमीन दर्ज कराये बिना यह पंचायत भवन बना दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उस प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम समाज की उक्त जमीन को पंचायत भवन के नाम दर्ज कराने की जो नियमानुसार प्रक्रिया है, उसको अपनाने की कार्यवाही की जायेगी ? जहां पर विवादित है, ऐसा संभव नहीं है, वहां पर उन अधिकारियों को जिन्होंने बिना प्रक्रिया अपनाये हुए पंचायत भवन बना दिया है, क्या उनसे वसूली की प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

पंचायती राज्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत भवन के लिए भूमि चयन की प्रबन्ध समिति होती है। उस समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है और सचिव लेखपाल होता है। इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं। यह राजस्व विभाग की समिति है और इसमें पूरी प्रक्रिया अपनाकर ही इसका चयन किया गया है। कुछ जिलों में 12-13 जगह से इस तरह की शिकायतें आयी हैं, उनके लिए सम्बंधित अधिकारी को जो नामित हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है, इसके अलावा इस तरह की सूचना और कहीं से नहीं आयी हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया अपनायी है उसमें स्वाभाविक है आप भी जानते हैं कि भूमि प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है और लेखपाल सचिव होता है। इनके द्वारा जो प्रस्ताव होता है, उसका अनुमोदन उप जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है फिर वह अभिलेखों में उस नाम से दर्ज कर दिया जाता है। उप जिलाधिकारी का आदेश अभिलेखों में दर्ज होता है।

इस प्रक्रिया की क्या मा0 मंत्री जी पुनः जांच कराकर इस बात को देखने का काम करेंगे कि कितने जिलों में इस प्रक्रिया को अपनाकर भू अभिलेखों में पंचायत भवन के नाम जमीन दर्ज कराने की कार्यवाही की गयी है ? क्या इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने अभी कहा है कि सरकार के संज्ञान में इस तरह के प्रकरण 12-13 जिलों में आये हैं। सक्षम स्तर पर उनके निस्तारण के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, जो प्रबन्ध समिति है, भूमि समिति है, उसके नियमानुसार ही कार्यवाही की गयी है। अगर आपके संज्ञान में कहीं है, तो आप सूचना दें, हम कार्यवाही करायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे अम्बेडकरनगर में एक भी जगह पर किसी प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव नहीं हुआ है और न उप जिलाधिकारी का अनुमोदन लिया गया है। मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। मा0 मंत्री जी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी जांच करा लेंगे।

***8-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू' के अनुपस्थित रहने पर)

भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण कतिपय जनपदों से संज्ञान में आये हैं, जिसको सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। प्रदेश में मुख्य मंत्री सिंचाई फण्ड के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में

***9-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

(अनुपस्थित)

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री सिंचाई फण्ड की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो इसमें जिलावार कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न नहीं था, लेकिन जो मा0 नेता विधान मण्डल दल बसपा ने मा0 मंत्री जी से प्रश्न किया था, यह सही है जब प्रधान लोगों का समय बीता है

उसके बाद से इस तरह की गड़बड़ियां हर जगह हुई हैं। हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरे ही क्षेत्र में एक चितरौली गांव है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार है, एक धुर उनके पास जमीन नहीं है। उनका केवल दो कमरे का एक घर है। उसके घर के सामने थोड़ी सी ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई है। उस गांव में ग्राम समाज का बहुत भू-खण्ड है। लेखपाल और कानूनगो ने वहां पर पंचायत भवन बनाने की संस्तुति की थी। उस गरीब व्यक्ति ने प्रधान जी को वोट नहीं दिया था, इसलिए वह जो थोड़ी सी जगह उनके घर के सामने है, वहीं पर पंचायत भवन बनाने की जिद कर रहे हैं। मैंने एस0डी0एम0 से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि जमीन उनकी है, जमीन ग्राम समाज की है, लेकिन उनके पास वही बैठने की जगह है, इसके अलावा एक धुर जमीन भी उनके पास नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसकी जांच कराकर जहां लेखपाल, कानूनगो ने जगह आवंटित की है, वहीं पर ग्राम सभा चितरौली में पंचायत भवन बनायें।

प्रदेश के जनपदों में बाढ़ व कोरोना महामारी के कारण खाद्य वितरण में हो रहे फर्जीवाड़े के विषय में

***10-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ एवं कोरोना वायरस जैसी महामारी से उत्पन्न स्थिति में सभी जनपदों में किन-किन फर्मों से खाद्यान सप्लाई किया गया है तथा उक्त फर्मों को कितना-कितना भुगतान किया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि कतिपय स्थानों पर तहसील स्तर से फर्जी प्रमाणित करा कर पात्र व्यक्तियों से अधिक का बिल लगाकर ठेकेदारों को भुगतान कर धन का बंदर-बांट करा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर विवरण सदन के पटल रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बाढ़ एवं कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में जनपदों में जिन-जिन फर्मों ने खाद्यान सप्लाई किया तथा उन फर्मों को भुगतान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

कोरोना वायरस के सम्बन्ध में		बाढ़ के सम्बन्ध में	
फर्मों की संख्या, जिनके द्वारा खाद्यान्न सप्लाई किया गया है।	भुगतानित धनराशि (लाख रु0 में)	फर्मों की संख्या, जिनके द्वारा खाद्यान्न सप्लाई किया गया है।	भुगतानित धनराशि (लाख रु0 में)
1063	22083.48	24	2277.94

कोरोना वायरस के सम्बन्ध में तथा बाढ़ के सम्बन्ध में जनपदवार, फर्मवार भुगतान का विवरण संलग्नक-1 एवं संलग्नक-2 के रूप संलग्न†है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से बहुत मोटा चिट्ठा मिला हुआ है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं और माननीय मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोनाकाल में जनमानस की बहुत हानि हुई है, कुछ लोगों ने सरकार को चूना भी लगाने का कार्य किया है। सरकार की छवि को धूमिल करने का भी कार्य किया है। मंत्री जी से मात्र दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी पहला प्रश्न यह है कि हजारों करोड़ रुपए के राशन पानी के वितरण में एक हजार 63 फर्मों ने खाद्यान्न को वितरित करने का काम किया है, मात्र 44 फर्मों ने करोड़ों रुपए का खाद्यान्न वितरित किया है तो क्या मंत्री जी मात्र 44 फर्मों ने जो खाद्यान्न वितरित किया है, उन फर्मों के प्रोपराइटर ने जो खाद्यान्न परचेज किया कहीं से भी लाए हों उनका खरीद का बिल जहाँ से उन्होंने खरीदा है उनका खरीद का बिल किसी रजिस्टर्ड सी0ए0 से जांच कराएंगे या 11 सदस्यों की टीम बनाकर उनकी जाँच कराएगी। दूसरा, अध्यक्ष जी मेरा विनम्रतापूर्वक माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे मण्डल श्रावस्ती, बहराइच और गोण्डा में यह तीनों जगह पर ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए का सप्लाई किया है, उन्होंने इससे पहले जो 44 फर्में हैं और हमारे तीन मण्डल की फर्में हैं इन्होंने पहली बार सप्लाई किया है या इनके पास कोई अनुभव है या इसमें नदी में नहाने का कार्य किया है बहती हुई गंगा में, यह प्रश्न मंत्री जी आपसे करना है। इसकी जांच आप किसी एजेंसी से कराएंगे या विधायकों की एक टीम बनाकर भेजेंगे।

श्री अध्यक्ष-

राइनी जी इसमें बड़ा लम्बा उत्तर है। आपने शायद पढ़ा नहीं। यह आपके दो चार दिन पढ़ने वाला है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सभी उत्तर को पढ़ा है। अध्यक्ष जी, 1063 फर्मों ने सप्लाई किया है, मैंने उसमें 1019 फर्मों पर तो उंगली नहीं उठाई है, मैंने मात्र 44 फर्मों पर अध्ययन किया है, उनके पूरे बायोडाटा को निकाला है, मैं एक सच्ची बात आपको बताना चाहता हूँ, इस समय तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला

† छापी नहीं गयी।

नहीं है। मैं इससे पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी को डंके की चोट पर भी कहा था, आज इस सदन में भी कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी 24 कैरेट खरा सोना हैं, तो हैं। उनकी ईमानदारी पर मुझे कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इन 44 फर्मों के विरुद्ध माननीय मंत्री जी जांच बिठाएंगे।

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन्होंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी के बारे में कहा मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना के दौरान जो मैनेजमेंट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है उसकी प्रसंशा डब्लू0एच0ओ0 भी कर रहा है, टाइम्स पत्रिका भी कर रही है, पूरा विश्व कर रहा है। खुशी की बात है कि दुनियाँ में जिनकी प्रसंशा चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की प्रसंशा पूरा विश्व कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रसंशा की है कि कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कार्य किया है अद्भुत है, दिव्य है, अनुकरणीय है, उसका दूसरा उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता है। जहाँ तक श्री राइनी जी ने कहा है 1063 फर्मों का बाकायदा हमने डिटेल दिया है, जिनकी कहीं से कोई शिकायत आई तत्काल उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया। योगी के राज में कोई भी गलत काम करने वाला बच नहीं सकता है, उसके ऊपर तत्काल कार्यवाही होती है। इसमें पूरा विस्तार से उत्तर दिया जा चुका है, बाढ़ और करोना वायरस महामारी के समय में व्यवस्था थी, इनका कहना है कि 1063 फर्मों को पहली बार दिया गया कि दूसरी बार दिया गया कोरोना तो पहली बार दुनियाँ में आया।

उत्तर प्रदेश में भी पहली बार आया और ऐसी आपदा की स्थिति में इतना बड़ा मैनेजमेंट करते हैं। मैं समझता हूं कि वैसे तो आपने सरकार की प्रशंसा की, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और विपक्ष, सत्ता पक्ष तथा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोग आज उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मेरा प्रश्न 44 फर्मों की जाँच के विषय में है।

(इसी मध्य सदस्य श्री श्याम सुन्दर शर्मा भी अपने स्थान पर खड़े रहे)

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, उसमें कोई औचित्य ही नहीं है। मैंने कहा कि कोई विषय, कोई चीज संज्ञान में नहीं आयी है और मान्यवर, एक विषय और भी है कि प्रतिदिन इसकी बैठक होती है। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं जो इलेवन की टीम की रोज की बैठक में भी रहते थे और एक-एक चीज के बारे में हर दिन इसकी समीक्षा, हर दिन इसकी मॉनीटरिंग, इतना

व्यवस्थित ढंग से अगर कहीं हुयी है तो उत्तर प्रदेश में हुयी है और यह जितना कुछ हुआ है इसकी भी बाकायदा नियमावली बनायी गयी है और मंत्रि-परिषद् से अप्रूव्ड होने के बाद और हर दिन समीक्षा के बाद इतनी बड़ी कार्यवाही की गयी है।

श्री मो0 असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, सी0बी0आई0 से न करायें, एस0आई0टी0 से न करायें, एस0टी0एफ0 से न करायें, लेकिन 11 सदस्यों की विधायकों की एक टीम बनाकर केवल मात्र 44 फर्मों की जाँच कराने का आश्वासन मा0 मंत्री जी दे दें तो दूध का दूध-पानी का पानी हो जायेगा। मा0 मंत्री जी, मैं 1019 की बात नहीं कर रहा हं, मात्र 44 फर्मों की जांच की बात कर रहा हूं। आप ही के सारे सदस्य हो जायें और विपक्ष के केवल 02 ही सदस्य को रख लीजिये, लेकिन 11 सदस्यों की एक टीम बनाकर क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब आप बैठें। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आन्तरिक लेखा परीक्षक से बाकायदा डिस्ट्रिक्टवार इसका ऑडिट भी कराया जा रहा है। इसका ऑडिट आन्तरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर जिले की अलग-अलग फर्म है, उसकी पूरी सूची मैंने आपको दी है और इसका ऑडिट भी कराया जा रहा है। इतनी पारदर्शिता के साथ, इतनी गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य हुआ है कि मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न संख्या-11 मा0 संजय गर्ग जी का है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संजय गर्ग जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश में कोविड के अन्तर्गत मुख्य मंत्री केयर फण्ड व जिलाधिकारी केयर फण्ड में प्राप्त हुई धनराशि व उक्त के व्यय के विवरण विषयक

***11-श्री संजय गर्ग-**

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण में दिनांक 01-01-2020 से 23-07-2020 तक मुख्य मंत्री केयर फण्ड एवं जिलाधिकारी केयर फण्ड में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा कितनी धनराशि किन-किन कामों में व्यय की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्य मंत्री का पीड़ित सहायता कोष-कोविड केयर फण्ड में समस्त स्रोतों जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त धनराशि भी सम्मिलित है, से कुल रु0 412.04 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। उक्त प्राप्त धनराशि में से रु0 252.82 करोड़ की धनराशि निम्न कार्यों में व्यय की गई है :-1-रु0 169.75 करोड़ की धनराशि औषधियों/मेडिकल उपकरणों के क्रय तथा अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार हेतु। 2-रु0 83.07 करोड़ की धनराशि 8,30,745 पात्र प्रवासी श्रमिकों को रु0 1000/-प्रति व्यक्ति/परिवार की दर से अहेतुक आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित करने हेतु।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मोहम्मद फईम इरफान जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना हेतु लागत वृद्धि व मानदेय सहित विभिन्न सुविधाएं बढ़ाने सम्बन्धी

***12-श्री मो0 फईम इरफान-**

(अनुपस्थित)

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना में परिवर्तन लागत में वृद्धि करने, रसोइयों का मानदेय बढ़ाने, बच्चों को खाने के लिए बर्तन व कक्ष उपलब्ध कराने तथा रसोई को अध्ययन कक्षों से सुरक्षित दूरी पर स्थापित करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत परिवर्तन लागत की दरों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर वृद्धि की जाती है।

प्रदेश सरकार द्वारा 29-03-2019 से रसोइया मानदेय में रु0 500/-की वृद्धि करते हुए रु0 1000/-के स्थान पर रु0 1500/-मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को खाने हेतु बर्तन उपलब्ध हैं। विद्यालयों हेतु रसोई घर का निर्माण कराया जा चुका है। यथासम्भव भूमि की उपलब्धतानुसार रसोई घर को कक्षा-कक्ष से पृथक निर्मित किये जाने का प्रयास किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में प्रजापति समाज हेतु कुम्हारीकला हेतु जनपदों में मिट्टी के निःशुल्क पट्टे आवंटित करने व दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने विषयक

***13-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रजापति समाज के लिए कुम्हारीकला हेतु किस-किस जनपद में कितने-कितने मिट्टी के निःशुल्क पट्टे दिनांक 13-02-2020 तक आवंटित किए गए है तथा कितने किये जाने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-02-2020 तक प्रजापति समाज के लिए कुम्हारीकला हेतु कुल 77869 पट्टे निःशुल्क आवंटित किये गये हैं तथा कोई पट्टे आवंटित किये जाने हेतु शेष नहीं हैं।

जनपदवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य हिन्दुस्तान का हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पर माटी कला बोर्ड का गठन मा0 मुख्य मंत्री योगी जी ने किया है और उससे खासतौर पर हमारे प्रजापति समाज के बहुत सारे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो जवाब मेरे पास आया है वह ऑनलाइन आया है, मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आयी है। मैंने उसका विस्तृत डाटा मांगा था और मेरे पास इसका विस्तृत डाटा उपलब्ध नहीं है। इसलिये इसका विस्तृत डाटा मुझे उपलब्ध कराया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपको जो भी कागज जरूरी हों, आप मा0 मंत्री जी से मिल लीजियेगा, वह आपको सभी कागज उपलब्ध करा देंगे।

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

मान्यवर, उत्तर में लिखा है कि जनपदवार विवरण संलग्न है, लेकिन अभी तक वह विवरण मुझे मिला नहीं है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं पूरा विवरण मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। अगर मा0 सदस्य का कोई और भी प्रश्न हो अथवा वह कोई और जानकारी भी चाहेंगे तो वह भी उपलब्ध करा देंगे।

---

† देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 351 पर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगला प्रश्न संख्या-14 मा0 नाहिद हसन जी का है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री नाहिद हसन जी उपस्थित नहीं हैं।

प्रदेश व जनपद शामली में कोरोना संकट में विधान मण्डल दल के सदस्यों द्वारा स्व-निधि से प्रदेश में कराए गए व्यय व ऑडिट किये जाने विषयक

***14-श्री नाहिद हसन-**

(अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना महामारी संकट से निपटने हेतु प्रदेश के विधान मण्डल दल के सदस्यों द्वारा प्रदेश में अपनी निधि से जिला प्रशासनों को कुल कितनी सहायता के प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं तथा उपरोक्त निधि का कुल कितना प्रतिशत दिनांक 27-10-2020 तक व्यय कर लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में जिला प्रशासन को उक्त हेतु प्राप्त धनराशि का व्यय कितनी मदों में किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती)-

कोरोना महामारी संकट से निपटने हेतु प्रदेश के विधान मण्डल दल के सदस्यों द्वारा प्रदेश में अपनी निधि से दिये गये सहायता प्रस्तावों के सापेक्ष जिला प्रशासनों को कुल रु0 4161.65 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उक्त अवमुक्त धनराशि का कुल रु0 3294.79 लाख दिनांक 27-10-2020 तक व्यय हुआ है, जिसका व्यय प्रतिशत 79.17 है। जनपद शामली में विधान मण्डल दल के मा0 सदस्यों द्वारा उक्त हेतु कुल रु0 60.00 लाख के प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये थे, जिनके सापेक्ष उक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शामली को अवमुक्त की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली द्वारा रु0 59.98 लाख धनराशि का व्यय कोरोना महामारी संकट से निपटने हेतु 11 मदों में किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-हैण्ड सैनिटाइजर

2-एन-95 मास्क

3-वी0टी0एम0 वायल

4-पी0पी0ई0 किट विद् स्वाब

5-थ्री लेयर मास्क

6-हास्पिटल आयरन बेड

7-सर्जिकल ग्लव्स

8-ब्लीचिंग पाउडर

9-हैण्ड डिस्पेंसर विद् ड्रायर

10-इन्फ्रा रेड थर्मामीटर

11-सोप डिस्पेंसर विद् ड्रायर

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक/इण्टर कालेजों में अस्थायी अध्यापकों का चयन करने का अधिकार दिये जाने पर विचार करने विषयक

***15-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक/इण्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी के दृष्टिगत उक्त कालेजों के प्रबन्ध समिति को अस्थायी अध्यापकों का चयन करने का अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डॉ0 दिनेश शर्मा)-

इस प्रकार की योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 16 में प्राविधानित है कि 'अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी'। इस आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा की जाती है।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूँ कि जो माध्यमिक और इण्टर कालेज हैं वह पूरे सत्र भर अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण खाली पड़े रहते हैं उन विद्यालयों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के अध्यापक नहीं होते हैं, जिसके कारण उस विद्यालय की पूरी शिक्षा व्यवस्था सत्र भर गड़बड़ बनी रहती है। पहले प्रबन्ध समिति को 18 (ख) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर अध्यापकों को रखने का अधिकार था तो क्या इन विषयों के अध्यापकों की कोई अस्थायी व्यवस्था के लिए सरकार पुनः प्रबन्ध समिति को अनुमति देगी ? विद्यालय में अगर किसी सम्बन्धित विषय का अध्यापक नहीं होता है तो उसकी वजह से

† छापी नहीं गयी।

छात्र-छात्राओं की पूरी शिक्षा व्यवस्था बाधित हो जाती है और दूसरा कोई अध्यापक सम्बन्धित विषय को पढ़ा नहीं सकता है। अगर चयन आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक, इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य या विशेषज्ञ अध्यापक उस विद्यालय में नहीं होता है तो उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है, इस सम्बन्ध में क्या सरकार इनकी नियुक्ति के लिए प्रबन्ध समितियों को अधिकार देगी ? यही जानकारी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्रीमती गुलाब देवी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह अवगत कराना चाह रही हूँ कि विद्यालय के लिए वहां के प्रबन्ध समिति को इस प्रकार का कोई भी अधिकार शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है।

श्री जवाहर लाल राजपूत-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है तो कम से कम विद्यालय का जो सत्र चलता है उसमें अस्थायी तौर पर सम्बन्धित विषय-विशेषज्ञ की व्यवस्था जोकि 18 (ख) के अन्तर्गत पहले भी थी, को लागू किया जाय। ऐसी व्यवस्था तो की ही जा सकती है, जिससे उस सत्र, उस छात्र का जो नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में पढ़ रहा है, उसका पूरा साल अध्यापक की अनुपस्थिति के कारण बेकार न जाय। इसकी कोई व्यवस्था कर दी जाय।

संसदीय कार्य, नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास उन्मूलन मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 जवाहर लाल राजपूत जी ने जो ध्यान आकर्षित किया है इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी दे दूँ कि यह व्यवस्था पिछले दो साल से लागू है, जो अनुदानित विद्यालय हैं वहां पर डी0आई0ओ0एस0 द्वारा सेवानिवृत अध्यापकों का एक पूल बनाया जाता है और उन अध्यापकों की जिस विद्यालय को आवश्यकता होती है वह डी0आई0ओ0एस0 को अप्लाई करते हैं और उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में वहां पर प्रवक्ता को रखने की व्यवस्था लागू की जाती है। मानदेय के ऊपर पिछले दो साल से यह व्यवस्था चल रही है। सेवानिवृत्त अध्यापकों के पूल से जो भी अध्यापक सम्बन्धित विषय के लिए उपयुक्त होगा उसके लिए वहां पर व्यवस्था की जाती है ताकि वह पूरे सत्र तक पढ़ा सके और उसके लिए शासन इसकी प्रतिपूर्ति भी करता है। इसलिए अब माननीय सदस्य की जिज्ञासा की शान्ति हो जानी चाहिए क्योंकि जो उनका मन्तव्य था कि अगर किसी विद्यालय में अध्यापक की कमी है तो उसकी अस्थायी व्यवस्था हो जाये तो इस प्रकार की व्यवस्था पहले से लागू है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या-16 लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकर्ता डा0 श्याम बिहारी लाल, मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों को ट्रेजरी से भुगतान किये जाने विषयक

***16-डा0 श्याम बिहारी लाल-**

(अनुपस्थित)

क्या उप मुख्य मंत्री बताने कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का भुगतान राजकीय कोषागार की बजाय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कब तक ट्रेजरी से पेंशन भुगतान करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

प्रदेश के 06 राज्य विश्वविद्यालयों-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी द्वारा अपने शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान स्वयं के स्रोतों से किया जा रहा है। उक्त राज्य विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण इन्हें राज्य सरकार द्वारा वेतन मद में कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

जी नहीं।

उक्त राज्य विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में सूखे की स्थिति एवं सिंचाई हेतु सरकारी टयूबवेल स्थापित कराने के सम्बन्ध में

***17-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे जनपदों में जहां सिंचाई की व्यवस्था न होने से सूखे के कारण फसल का समुचित उत्पादन नहीं हो पाता है, को चिन्हित कर सरकार सिंचाई हेतु सरकारी टयूबवेल स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

सिंचाई यांत्रिक विभाग द्वारा प्रदेश में राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों के माध्यम से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। दिनांक 01-04-2020 के अनुसार प्रदेश में 34401 राजकीय नलकूपों एवं 253 लघु डाल नहरों के माध्यम से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त 29 वृहद् एवं मध्यम पम्प नहरों के शीर्ष पर

स्थापित यॉंत्रिक उपकरणों का रख रखाव एवं सिविल संगठन की मांग के अनुरूप संचालन भी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रदेश में प्रचलित ''2000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में असिंचित भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 1960 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कर सिंचाईरत् कर दिया गया है, जिनके द्वारा कृषकों की मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त परियोजना द्वारा 98000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का नवसृजन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण हेतु'' 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की परियोजन प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 44 एवं 2019-20 में 325 असफल राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 421 असफल नलकूपों के पुनः निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उक्त परियोजना द्वारा कुल 1,10,100 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इस बात का उत्तर दिया है लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि हमारा आशय सिर्फ इस बात से है कि किसान बड़ी दैविक आपदाओं को झेलते हुए अपनी फसल उगाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां पर नहरों के साथ-साथ ट्यूबवेल भी नहीं हैं और केवल किसान पूर्ण रूप से ऊपर वाले भगवान की दैविक शक्तियों पर बरसात पर आश्रित रहता है। हमारा माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानने का आशय है कि बुन्देलखण्ड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बुन्देलखण्ड के बराबर में झांसी और हमारे जनपद में भी एक बढ़हापुर ब्लाक है, क्योंकि ऊंची नीची जमीने हैं और वहां पर नहर नहीं निकल सकती तो वो मात्र ट्यूबवेल पर डिपेन्ड करता है। कई साल से हम लोग उसके लिए कई सारे ट्यूबवेल की मांग की है, लेकिन वहां पर ट्यूबवेल नहीं बन पा रहे हैं, जिससे कि किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके, इसी बात के लिए मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि क्या आप हमारे ब्लाक बढ़हापुर में या बुन्देलखण्ड में या झांसी के ऐसी जगहों पर जहां पर नहरें नहीं हैं और पूर्ण रूप से जहां किसान केवल बरसात पर निर्भर करता है तो वहां क्या ट्यूबवेल बनवायेंगे और इस 2021-22 के बजट में कितने ट्यूब बेल बनाने का प्राविधान आपने किया है ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनन्दन और स्वागत करता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जबसे

आदरणीय मुख्य मंत्री जी बने हैं तबसे लेकर अभी तक लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का काम किया गया है और मान्यवर जो लक्ष्य रखा गया है, लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन इस साल के अन्त तक हम लोग एक्सट्रा सिंचित करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये आजादी से लेकर अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड होगा, माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सारे जनपद उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर नहरें नहीं हैं, मैं सदन को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में केवल 5 जनपद ऐसे हैं जहां पर नहर प्रणाली अभी संचालित नहीं है, लेकिन उसमें से चार जनपद ऐसे हैं जहां पर वृहद् स्तर पर आदरणीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से नहर की वृहद् प्रणाली बन रही है जो इसी साल भगवान चाहेगा तो सब लागू हो जायेंगी और चारों जनपद आच्छादित हो जायेंगे। केवल उत्तर प्रदेश में एक जनपद ऐसा है, जिस जनपद का नाम हैं, बदायूं जहां पर हमारी कोई नहर प्रणाली नहीं है और आज की तारीख में सम्भल जनपद, बहराइच, गोण्डा और बस्ती ऐसे जनपद थे जहां पर नहर प्रणाली का अभाव था लेकिन बहराइच, गोण्डा और बस्ती ये पूरी तरीके से सरयू परियोजना से आच्छादित हो रहा है और सम्भल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वह मध्य गंगा से आच्छादित हो रहा है। केवल एक जनपद बदायूं ऐसा है जहां पर हमारी कोई नहर प्रणाली नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपद नहर प्रणाली से पूरी तरह से आच्छादित हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य का है, मैं जनपद बदायूं के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर हमारे 1195 ट्यूबवेल सिंचन के लिए लगाये गये हैं। मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा है कि चार सालों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नये ट्यूबवेल लगाये गये हैं और उनके माध्यम से लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने अपने यहां की बात को मुख्य रूप से उठाया है तो मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझको बुलाकर कहा कि जितने भी ट्यूबवेल हैं और जितने भी काम सिंचाई विभाग के हो रहे हैं उनमें आप सत्ता पक्ष और विपक्ष मत देखना। यह 24 करोड़ जनता पूरी तरीके से हमारी अपनी है, इसलिये सबके लिए समान रूप से काम होना चाहिये। इसको ध्यान में रखते हुए जहां कहीं भी आवश्यकता होगी और अगर आपका प्रस्ताव आयेगा और वहां पर मानक के अनुरूप होगा तो निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश के मात्र चार जनपद छोड़कर सारे जनपदों में नहर प्रणाली विकसित कर दी गई है। नहर प्रणाली विकसित करने का मकसद केवल किसी नहर का जनपद से होकर गुजरना नहीं है। जनपद का एरिया बहुत बड़ा होता है और यदि उसके कोने के छोटे-मोटे एरिया से कोई नहर निकल जाये और कह दिया जाये कि पूरा जिला उससे सिंचित हो रहा है तो यह ठीक नहीं है। मैंने एक

छोटा सा उदाहरण अपने जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र बढ़ापुर और विकास खण्ड बढ़ापुर का दिया है। वहां के आपके सम्मानित विधायक जी भी यहां पर बैठे होंगे आप उनसे पता कर लीजिये कि वहां का क्षेत्र किस तरह का है, वहां पर चाहकर भी नहर प्रणाली विकसित नहीं हो सकती, वहां पर कितने नये ट्यूबवेल संचालित हैं और कितने नये ट्यूबवेल वहां पर बन रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने रि-बोर का बहुत अच्छा और डिटेल उदाहरण दिया इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे जनपद में बड़ापुर क्षेत्र ऐसा है जहां पर नहर प्रणाली नहीं बन सकती है तथा प्रदेश के जनपदों में ऐसे और भी कई क्षेत्र और जनपद होंगे जहां पर नहर तो गुजर रही होगी लेकिन वह पूरे क्षेत्र को आच्छादित नहीं कर रही होगी तो क्या उन जगहों पर आप नये ट्यूबवेल लगवायेंगे।

डा0 महेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे बिजनौर जिले में गंगा प्रणाली का वृहद् स्ट्रक्चर है। माननीय सदस्य ने जहां तक बड़ापुर ब्लाक की बात की है तो हमारा यह नियम है कि जो नहर का कमाण्ड एरिया होता है उसको छोड़ करके ट्यूबवेल लगाते हैं। निश्चित रूप से अगर बड़ापुर कमाण्ड एरिया में नहीं आता है तो अब तक पूरे बिजनौर जिले के अंदर हमारे कुल 713 ट्यूबवेल लग चुके हैं, जिनके माध्यम से हम 63000 हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर रहे हैं। मैंने पहले भी कह दिया है कि जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश में आवश्यकता होगी और यदि आपका प्रस्ताव मिलेगा तथा मानक के अनुरूप होगा क्योंकि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि किसान सिंचाई योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाया जाये और इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में निर्देशित किया है और निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में काम करेंगे।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

क्या आपका अनुपूरक प्रश्न किसी नहर से सम्बन्धित है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुपूरक प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है और यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो हमारा एक विकास खण्ड अछूता रह जायेगा। आप तो जान ही चुके हैं कि मैं तो 24 कैरेट सोना कह ही चुका हूं और हो सकता है कि इसके बदले में एक ट्यूबवेल मिल ही जाये। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद में एक विकास खण्ड सिरसिया है। माननीय

मुख्य मंत्री जी ने मात्र दो ट्यूबवेल दिये हैं और वह ट्यूबवेल 40 साल पहले वाला ट्यूबवेल नहीं है। मैंने इस ट्यूबवेल को अपनी आंखों से देखा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने नया वाला ट्यूबवेल दिया है या पुराना वाला ?

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, नया वाला ट्यूबवेल दिया है। इसकी खासियत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पहले वाला जो ट्यूबवेल होता था वह एक पाइप लाइन से जाता था लेकिन अब उसकी छह सब लाइनें बनती हैं और दो-दो सौ, तीन-तीन सौ मीटर पर लाइनें बनती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, लेकिन उसकी इतनी प्रशंसा होती है। अब अगर प्रशंसा करेंगे तो हमारे साथी नाराज होंगे लेकिन सत्यता यही है। अगर मैं सच बोलूं तब भी झूठ कहलायेगा और वह झूठ बोलेगा तो लाजवाब कर देगा।

मान्यवर, मैं केवल एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि हमारे जनपद श्रावस्ती में आपके द्वारा विकास खण्ड में सिरसिया में जो दो ट्यूबवेल दिये गये हैं, मात्र दो। क्या उसे 20 ट्यूबवेल में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

महेन्द्र सिंह जी ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मंत्री जी जवाब देने जा रहे थे। हमारे जिले का बहुत नुकसान हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने जवाब दे दिया है।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, इनकी इच्छा है तो मैं बता देता हूं। 1971 और 1972 में 79 करोड़ की बहुत बड़ी एक सरयू परियोजना बनी थी। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिनके कारण वह सरयू परियोजना पूर्ण होने जा रही है। पूरा श्रावस्ती, पूरा बहराइच, पूरा बलरामपुर, पूरा गोण्डा, देवीपाटन मण्डल को इतना पानी मिलेगा कि आप पानी-पानी हो जाएंगे। चिंता मत करिए आपको पानी-पानी कर दिया जाएगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

मनोज पाण्डेय जी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो कमाण्ड एरिया कलान्तर में निर्धारित की गयी थी जो बहुत पीछे है। एक बार इसी सदन में आपने कहा भी था कि इसको एक बार रि-चेक कराएंगे कि जो पीछे कमाण्ड एरिया में घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहां पर न नहर है और न ही राजकीय नलकूप है। उनका एक बार सर्वेक्षण करा लिया जाए। अगर वह कमाण्ड एरिया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार किया गया था, लेकिन आज आवश्यकता है कि उसको कमाण्ड एरिया से बाहर किया जाए तो सरकार इस पर एक बार विचार कर ले, यह मेरा आग्रह था।

श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी की हंसी को जान नहीं पाये हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी हंसते हैं तो वह कार्य जरूर पूरा होता है तो माननीय मंत्री जी ने आज यह पहला अवसर है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की हंसी को इन्होंने इग्नोर किया है, इसलिये हमको ट्यूबवेल मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाए कमाण्ड एरिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब इसमें क्या जवाब आयेगा। आपका विषय तो आ गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, विषय नहीं, जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ†।

प्रदेश में परिषदीय एवं अन्य विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफार्म दिये जाने में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की कार्य योजना बनाने विषयक

***18-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित परिषदीय एवं अन्य विद्यालय में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क

---

† आज की कार्य-सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-17 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने की सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त निःशुल्क यूनिफार्म वितरण में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों की संख्या फर्जी रूप से बढ़ाकर विभाग को प्रस्तुत कर विद्यार्थियों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेकर धन का बन्दर-बांट किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-1 से 8 तक सभी बालिकाओं (के0जी0बी0वी0 सहित), अनुसूचित जाति के बालकों, अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनीफार्म वितरण की व्यवस्था समग्र शिक्षा के अन्तर्गत की गयी है। परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् गरीबी रेखा के ऊपर (नान बी0पी0एल0), के केवल छात्र, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों के छात्र-छात्राओं को (कक्षा-1 से 8) निःशुल्क यूनीफार्म वितरण की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के बजट के अन्तर्गत की गयी है।

जी नहीं।

शासनादेश के प्रावधान के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निःशुल्क यूनीफार्म वितरण हेतु छात्र संख्या की सत्यापन रिपोर्ट जनपद स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित छात्र संख्या के अनुसार यूनीफार्म का वितरण किया जा रहा है।

उक्तवत् !

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क यूनीफार्म क्रय एवं वितरण हेतु प्रत्येक विद्यालय प्रबन्ध समिति एक पृथक इकाई है तथा वह अपने विद्यालय में यूनीफार्म के क्रय एवं वितरण के प्रति उत्तरदायी है। यदि किसी विद्यालय प्रबन्ध समिति के बारे में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जाँच करायी जाती है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर की कृषि भूमि को कृत्रिम झील के पानी से बचाने विषयक

1-श्री नाहिद हसन-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम पंजीठ व मामोर, ब्लाक कैराना में सीमांत पट्टाधारकों की भूमि में समीप के नगर का पानी भर जाने से

बनी कृत्रिम झील से पट्टाधारकों व अन्य ग्रामीणों की भूमि को बचाने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद शामली की नगर पालिका परिषद, कैराना का पानी ग्राम मामोर ब्लाक के कैराना में अवस्थित मामोर झील में जाता है, जो राजस्व अभिलेखों में झील के रूप में दर्ज है। नगर पालिका परिषद्, कैराना का पानी पट्टाधारकों या अन्य ग्रामीणों की भूमि में सीधे नहीं जाता है, बल्कि मामोर झील में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तब आस-पास के कुछ कृषकों (जो संक्रमणीय भूमिधर हैं) की भूमि पर पानी भर जाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कैराना नगर के जल के उत्प्रवाह को शोधित करके यमुना नदी में डाले जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा धनराशि रु0 78.42 करोड़ का प्राक्कलन दिनांक 07-12-2020 को स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में गरीब/पीड़ितों की क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास के लिए योजना बनाये जाने से सम्बन्धित

2-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अग्निकाण्डों में सब कुछ गवां देने वाले गरीबों/पीड़ितों के पुनर्वास के लिए क्या सहायता राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गरीब/पीड़ित नागरिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति आदि होने पर पीड़ितों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों/दरों के अनुसार राहत धनराशि प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 08-04-2015 में मुख्यतः निम्नानुसार राहत सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है :-

क्र0	मद	धनराशि (रु0 में)
1	जनहानि	4,00,000/-
2	किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर	40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक शारीरिक अक्षमता होने पर रु0 59,100/- 60 प्रतिशत से अधिक तक शारीरिक अक्षमता होने पर रु0 2,00000/-

क्र0	मद	धनराशि (रु0 में)
	गम्भीर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर	रु0 12,700/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने पर
		रु0 4,300/- प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम समय तक
3	मकान क्षति	अत्यधिक अथवा पूर्णतः पक्का/कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर रु0 95,100/-
		आंशिक रूप से पक्का एवं कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर रु0 52,200/-तथा 3,200/-
		क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी 4,100/-
4	प्राकृतिक आपदा के कारण मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर	रु0 1,800/- प्रति परिवार कपड़ों के नुकसान पर
		रु0 2,000/- प्रति परिवार बर्तन/घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे की जानकारी सम्बन्धी

3-श्री मौ0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजा धनराशि देने का प्रावधान सरकार ने किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 26-10-2020 तक कितने लोगों को उक्त मुआवजा राशि वितरित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/15-टी0सी0, दिनांक 11-04-2020 में प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत समस्त विभागों, निगमों, स्वायतशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी/अस्थायी कार्मिकों की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रु0 50.00 लाख की अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। दिनांक 26-10-2020 तक कुल 19 कार्मिकों के आश्रितों को प्रति आश्रित रु0 50.00 लाख की अनुग्रह धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली, सदर तहसील, ग्राम हरचन्दपुर के लोकइया तालाब भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने विषयक

4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की सदर तहसील के ग्राम हरचन्दपुर के लोकइया तालाब की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में जनसुनवाई संदर्भ संख्या-20015820005618 की जाँच उप जिलाधिकारी सदर, तहसील रायबरेली द्वारा की गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलबध करायी गई आख्यानुसार प्रकरण में जांचोपरान्त पाया गया कि राजस्व ग्राम हरचन्दपुर में लोकइया तालाब के नाम से प्रचलित तालाब गाटा संख्या-789 का कुल क्षेत्रफल 1.301 हे0 है, जिसके 0.168 हे0 क्षेत्रफल पर कुल 10 व्यक्तियों का आवासीय कब्जा है। इन अवैध काबिजदारों के विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा-67 (1) के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद योजित करा दिया गया है, जो तहसील न्यायिक के न्यायालय में विचाराधीन है। इस तालाब का शेष क्षेत्रफल 1.133 हे0 है, जो मौके पर अतिक्रमण मुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा जनपद झांसी के पत्र दिनांक 03-07-2019 कानूनगो/चकबन्दीकर्ता अयोध्या के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

5-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा जनपद झांसी का पत्र दिनांक 03-07-2019 जो कि पेशी कानूनगो/चकबन्दीकर्ता के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जाँच कराकर कार्रवाई कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील जयसिंहपुर में स्वीकृत अग्निशमन केंद्र का निर्माण/संचालन निर्धारित समय-सीमा में कराये जाने विषयक

6-श्री सीताराम वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील जयसिंहपुर में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र का निर्माण एवं संचालन निर्धारित समय पर सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु 18 माह की अवधि का लक्ष्य रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत, ब्लाक मुफ्तीगंज, ग्राम असवारा के रामआसरे यादव के घर से लल्ला यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कराने विषयक

7-श्री दिनेश चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में रामआसरे यादव के घर से सन्दीप यादव के घर तक, रामआसरे यादव के घर से लल्ला यादव के घर तक तथा पिच रोड से राय साहब यादव के घर तक के मार्गों पर इण्टरलाकिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज के पत्र दिनांक 25-1-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत तीनों मार्गों पर इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय माप अवर अभियन्ता से करायी गयी है। उक्त कार्य आगामी वर्ष की कार्य योजना में सम्मिलित कर धनराशि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, तहसील केराकत, ब्लाक मुफ्तीगंज, ग्राम असवारा में खसरा सं0-714 मि0 को कब्जामुक्त कराने विषयक

8-श्री दिनेश चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में खसरा संख्या-714 मि0 जो कि राजस्व अभिलेख में भीटे

के नाम पर दर्ज है पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम असवारा में आ0नं0-714/मि/0.093 हे0 भीटा खाते की भूमि है। इस पर 0.049 हे0 भूमि पर होरी लाल पुत्र स्व0 झिंगुरी लगभग 30 वर्षों से कच्चा फूस का मकान बना करके आवासित है। इस अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध ज0वि0भू0 अधि0 की धारा 122 बी के नियम-115 सी के अन्तर्गत होरीलाल पुत्र स्व0 झिंगुरी के विरुद्ध वाद संख्या-28/45 पर बेदखली का वाद सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/तहसीलदार केराकत द्वारा दिनांक 06-01-2014 को 3675.00 जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार केराकत के आदेश दिनांक 06-01-2014 के विरुद्ध होरीलाल पुत्र स्व0 झिंगुरी द्वारा तजवीजसानी/पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र तहसीलदार केराकत के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, विधान सभा क्षेत्र केराकत, ब्लाक मुफ्तीगंज, ग्राम असवारा में दिनेश सरोज के घर से इण्टरलाकिंग कार्य कराने विषयक

9-श्री दिनेश चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में दिनेश सरोज के घर के समीप काली रोड से बरगद के पेड़ से होते हुए महेन्द्र गुप्ता के घर तक पिच रोड से अभय (भानू) के पोखरा होते हुए अभय भानू के घर तक तथा कैलाश यादव के घर से सोड़ही प्रजापति के घर तक के मार्गों पर इण्टरलाकिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 11-2-2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रश्नगत मार्गों में क्रमांक-1 पर अंकित कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत इण्टरलॉकिंग कार्य प्रगति पर है। क्रमांक-2 पर अंकित इण्टरलॉकिंग का कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत पूर्ण करा दिया गया है। क्रमांक-3 पर अंकित कार्य योजना में सम्मिलित कर धनराशि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, ग्राम कटैया, पोस्ट रामकोट, ब्लाक खैराबाद में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगवाये जाने विषयक

10-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के ग्राम कटैया, पोस्ट रामकोट ब्लाक खैराबाद, तहसील सीतापुर में श्री आकाश कुमार वर्मा तथा आस-पास के खेतों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर ट्यूबवेल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जनपद सीतापुर के ग्राम कटैया, पोस्ट रामकोट, ब्लाक खैराबाद, तहसील सीतापुर में प्रस्तावित स्थल पर राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के अनुसार राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की कोई परियोजना प्रचलित न होने के कारण प्रस्तावित स्थल पर नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में सरयू की कतिपय सहायक नदियों के जीर्णोद्धार की योजना बनाये जाने विषयक

11-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद गोण्डा की सरयू की सहायक नदियाँ टेढ़ी, मनोरमा व पथरी एवं कोडर झील के जीर्णोद्धार की कोई योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड इटियाथोक, पण्डरीकृपाल, मुजेहना, मनकापुर एवं छपिया में सरयू की सहायक मनोरमा नदी का जीर्णोद्धार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा रहा है। सरयू की सहायक टेढ़ी नदी के दोनों किनारे के एक किमी0 के अन्तर्गत स्थित तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है तथा टेढ़ी नदी के जीर्णोद्धार हेतु डी0पी0आर0 सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया है। पथरी एवं कोडर झील के जीर्णोद्धार की अभी कोई कार्य योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में छात्रों के 2016 सत्र से परीक्षाफल, मार्कशीट/प्रमाण-पत्र जारी कराये जाने विषयक

12-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों (राजकीय एडेड एवं स्ववित्त पोषित) के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले कितने छात्र-छात्राओं के वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 सत्र के परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुये हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त के कारण इन प्रभावित छात्र-छात्राओं की आगामी शिक्षा, नौकरी अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रुके हुये परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण-पत्रों को जारी कराते हुये उक्त विलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

1-डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से समबद्ध समस्त महाविद्यालयों (राजकीय एडेड एवं स्ववित्त पोषित) के विभिन्न पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 सत्र के परीक्षाफल, मार्कशीट अथवा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	वर्ष	परीक्षा परिणाम की स्थिति	अंकतालिकाओं की स्थिति	प्रमाण-पत्र
1	2016-17	जारी	अंकतालिकायें महाविद्यालयों को भेज दी गयी हैं।	अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पर उसके घर के पते पर भेजी जाती हैं।
2	2017-18	जारी	तदैव	तदैव
3	2018-19	जारी	तदैव	तदैव
4	2019-20	जारी	अंकतालिकायें महाविद्यालय भेजी जा रही हैं।	तदैव

यदि नामांकन या अन्य कारण से मूल अंकतालिका जारी नहीं होती है तो भी Statement of Marks, ऑनलाइन विश्वविद्यालय की Website-www.dbrau.org.in पर

प्रदर्शित है। ऐसे समस्त सम्बन्धित परीक्षार्थियों से प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) या अन्य अभिलेख मंगाकर परीक्षा परिणाम सतत् पूरा कराया जाता है।

2- संख्यावार सूचना निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	सत्र	कुल छात्र संख्या	रोके गये परीक्षा परिणाम	रोकी गयी अंकतालिका	डिग्री (केवल अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को जारी)
1	2016-17	106546	8667	8667	2085
2	2017-18	90726	13384	13384	2704
3	2018-19	60137	7815	7815	2024
4	2019-20	48237	-	-	-

परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को अंकतालिका डिग्री, एवं अन्य प्रमाण-पत्र निरन्तर जारी कराये जा रहे हैं, विद्यार्थियों को समस्या न हो इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड भरावन, ग्राम पंचायत साण्डा दखिलौल में अंजली धर्मकांटा से गड़रिया खेड़ा तक उ0 प्रा0 विद्यालय साण्डा दखिलौल तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

13-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित मा0 धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 23-01-2020 का पत्र (आई0जी0आर0एस0 नं0-18157200007886) तथा श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा का पत्रांक-832 दिनांक 12-02-2020 जो कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड-भरावन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-साण्डा दखिलौल में स्थित अंजली धर्मकांटा से ग्राम गड़रिया खेड़ा होते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय साण्डा दखिलौल तक के कच्चे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो जनहित में उक्त कच्चे मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरदोई द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत-साण्डा दखिलौल, विकास खण्ड-भरावन, जनपद हरदोई में माल रोड पर स्थित अंजली धर्मकांटा से उच्चतर प्राथमिक विद्यालय एवं गड़रिया खेड़ा होते हुए साण्डा दखिलौल तक की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। उक्त मार्ग पर ईंट सोलिंग का कार्य लगभग 20 वर्ष पूर्व जिला पंचायत द्वारा कराया गया था। मार्ग पर छः ईंट भट्ठे हैं, जिससे मार्ग पर अधिक संख्या में भारी वाहन के गुजरने के कारण उक्त मार्ग का 800 मी0 भाग ध्वस्त तथा 200 मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। शेष 500 मी0 भाग ग्राम गड़रिया खेड़ा की आबादी के अन्दर क्षतिग्रस्त अवस्था में है। मार्ग के निर्माण/मरम्मत हेतु अनुमानित लागत रु0 75.00 लाख का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 11-09-2020 के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला पंचायत सदन द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका। अतः प्रश्नगत कार्य को कराया जाना सम्भव नहीं है।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश सं0-370/अरसठ-1-2019-21 (12)/2019, दिनांक 18-02-2020 द्वारा क्र0सं0-12 से 15 के अधिकारियों को रिक्त पदों पर स्थानान्तरित करने के आदेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में

14-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश संख्या-370/अरसठ-1-2019-21 (12)/2019, दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा क्रम संख्या-12 से 15 के अधिकारियों को रिक्त पद पर स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के क्रम में सम्बन्धित को कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-370/अरसठ-1-2019-21 (12)/2019, दिनांक 18 फरवरी, 2020 द्वारा उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-'ख' उच्चतर में कार्यरत कुल 19 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में 18 अधिकारियों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। उक्त आदेश के क्रम संख्या-14 पर अंकित केवल एक अधिकारी का शासकीय कार्यहित में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर किये गये स्थानान्तरण को कार्यालय आदेश संख्या-वि0स0-4/अरसठ-1-2020-24 (4)/2020, दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 में स्वीकृत धन व कराये गये कार्यों की टी0ए0सी0 जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

15-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी की ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर में ग्राम प्रधान को वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कितना धन किस-किस मद में मिला तथा स्वीकृत धन से कौन-कौन से कार्य पूर्ण कराये गये ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पूर्ण कराये गये कार्य मानक के अनुरूप नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के विपरीत कराये गये कार्यों कि टी0ए0सी0 जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम पंचायत को राज्य वित्त, 14वां वित्त आयोग एवं मनरेगा के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न† है।

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है कि कार्य मानक के अनुरूप नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा व स्वावलम्बन व सशक्तिकरण सहित अपराधों की रोकथाम हेतु योजना विषयक

16-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा, सम्मान, स्वालम्बन व सशक्तिकरण सहित महिला बाल अपराधों के रोकथाम हेतु सरकार के पास कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, आत्मरक्षा, सम्मान, स्वालम्बन व सशक्तिकरण तथा महिला बाल अपराधों को रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनाँक

---

† छापी नहीं गयी।

17-10-2020 से छः माह का विशेष अभियान 'मिशन शक्ति' चलाया जा रहा है। इस अभियान में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु प्रदेश सरकार की 24 विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के दिशा मे उ0प्र0 पुलिस तथा अन्य विभागों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उनका प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश में महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी। महिला उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाना तथा उसका नियमित अनुश्रवण के निर्देश दिये गये। महिला अपराधों/पाक्सो एक्ट से सम्बन्धी अभियोगों की प्रभावी पैरवी कराकर अपराधियों को सजा दिलायी गयी। भारत सरकार के सहयोग से संचालित लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु इण्टीग्रेटेड स्मार्ट कन्ट्रोल रूम का निर्माण, 100 पिंक बूथ का निर्माण, महिला पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 100 दो पहिया वाहन तथा 10 चार पहिया वाहन की व्यवस्था, चिन्हित हॉटस्पाट पर 1500 अतिरिक्त कैमरा लगाया जाना, 74 स्थानो पर पिंक टायलेट का निर्माण, 2830 स्थानो पर लाइटिंग की व्यवस्था, आशा ज्योति केन्द्र का विस्तार, लखनऊ की सिटी बसों में जीपीएस सीसीटीवी कैमरा व पैनिक बटन लगाया जाना तथा वूमेन पावर लाइन 1090 की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। महिला अपराध एवं अपराधियों पर अतिरिक्त निगरानी के लिए एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन, संवेदनशील स्थानो पर सादे कपड़ो मे चेकिंग, रात मे महिलाओं की सहायता हेतु सुरक्षा कवच योजना, एक्टिव स्टाकिंग आदि में कार्यवाही सम्बन्धी अभियान चलाये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्मिकों के हित में रोजगार अवकाश नियम को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में

17-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रचलित रोजगार अवकाश योजना वर्तमान में बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्मिकों के गुणोत्तर विकास, उद्यमशीलता, तरक्की के हित में रोजगार अवकाश का नियम पुनः लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं, कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/10/2002-का-1/2003, दिनांक 04 जनवरी, 2003 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली, 2003 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त नियमावली के नियम-1 के उप नियम-2 के अनुसार

प्रश्नगत व्यवस्था 31 मार्च, 2008 तक ही लागू थी। उक्त तिथि के उपरान्त प्रश्नगत नियमावली, 2003 स्वतः निष्प्रभावी हो गयी।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर, बरेली में बी0काम0 व बी0एस0सी0 के पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र प्रारम्भ किये जाने की योजना विषयक

18-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर जनपद बरेली में वर्ष 1992 से छात्रों के हितार्थ बी0 काम0 एवं बी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों को किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ? क्या सरकार उक्त पाठ्यक्रमों की कक्षायें प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

राजकीय महाविद्यालय, फरीदपुर, बरेली में कला संकाय स्थापित है, बी0 काम0 एवं बी0एस0सी0 संकाय हेतु प्रवक्ता का कोई पद सृजित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर में 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में बी0काम0 पाठ्यक्रम तथा 02 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में बी0एस0सी0 पाठ्यक्रम संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्रों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय, फरीदपुर, बरेली के उच्चीकरण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर में स्थित संतकबीर शंकरदास इण्टर कालेज मुहम्मदनगर में नियम विरुद्ध की गयी कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में

19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय नियमानुसार विद्यालय का प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य अपने विद्यालय में किसी भी पद पर पुत्र-पुत्री, रिश्तेदार अथवा सगे-सम्बन्धी की नियुक्ति नहीं कर सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ब्लाक रामनगर में

स्थित संतकबीर शंकरदास इण्टर कालेज मुहम्मदनगर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति दिनांक 01-07-1976 को उस समय की गई थी, जिस समय उनके पिता विद्यालय के प्रबन्धक थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

श्री राधेश्याम चौधरी तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अप्रशिक्षित सी0टी0 वेतनमान में तत्कालीन प्रबन्धक श्री राम शंकर दास द्वारा दिनांक 25 जून, 1976 को की गयी। श्री राम शंकर दास एवं श्री राधेश्याम चौधरी के मध्य कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती, ब्लाक रुधौली, ग्राम अठदमा में मेसर्स हिन्दुस्थान शुगर मिल इण्डस्ट्रीज से ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कार्रवाई करने विषयक

20-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रुधौली ब्लाक अन्तर्गत ग्राम अठदमा में स्थापित मेसर्स हिन्दुस्थान शुगर मिल इण्ट्रस्टीज द्वारा ग्राम समाज की बंजर भूमि व नवीन परती भूमि गाटा संख्या-141, 142, 152, 155 तथा 187, 196, 277 आदि पर मिल द्वारा अवैध कब्जा करा गया है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त भूमि को मिल के अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रुधौली ब्लाक अन्तर्गत ग्राम अठदमा में स्थापित मेसर्स हिन्दुस्थान शुगर मिल इण्डस्ट्रीज द्वारा ग्राम समाज की बंजर भूमि व नवीन परती भूमि गाटा संख्या-141, 142, 152, 155 तथा 187, 196, 277 आदि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

जनपद मऊ के ग्राम कासिमपुर, तहसील मधुबन के प्रार्थना-पत्र पर गाटा सं0-159, 152 पर अवैध कब्जे को हटाकर दोषियों पर कार्रवाई विषयक

21-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कासिमपुर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ के गाटा संख्या-159 चकमार्ग गाटा संख्या-152 का सीमांकन दिनांक 22-05-2020 को

किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त सीमांकन का उल्लंघन करते हुए कतिपय दंबंग व्यक्तियों द्वारा खूंटे को उखाड़ कर फेंक दिया गया, और स्थानीय लेखपाल को मिलाकर उस पर पुनः कब्जा कर लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर अवैध कब्जा को हटाते हुये दोषी लोगों व स्थानीय लेखपाल को दण्डित करने की कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ, तहसील मधुबन खतौनी खाता सं0-175 में खतौनी की प्रविष्टि में नाम गायब करने के दोषियों को दण्डित करने विषयक

22-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-परसिया जयरामगिरी, तहसीन मधुबन, जनपद मऊ नाम आधार वर्ष खतौनी का खाता संख्या-175 कायम है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान मे है कि स्थानीय लेखपाल ने साजिश के तहत नियम विरुद्ध उनका नाम खतौनी से गायब कर दिया है ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त की जाँच कराकर पुनः खतौनी में नाम दर्ज करने व दोषियों को दण्डित करने की कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम परसिया जयरामगिरी, परगना नत्थूपुर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत था। चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त च0जो0 अधि0 की धारा-52 के अन्तर्गत दिनांक 04-06-2020 को प्रकाशन हो चुका है। आधार वर्ष खतौनी फसली वर्ष 1411-1416 की खतौनी खाता संख्या-175 कायम है, जिसमें सहादुर, जयश्री, श्रीराम, जयराम पुत्रगण मनराज, पन्नालाल पुत्र बहादुर, श्रीकान्त पुत्र धनपाल, बुधिया बेवा धनपाल स्था0 के नाम अंकित है। उक्त खाते में खातेदारों के नाम नीचे की पंक्ति में काली स्याही से कटिंग है, जो अपठनीय है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन लेखपाल की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम परसिया जयरामगिरी, परगना नत्थूपुर, तहसील मधुबन, जनपद मऊ आधार वर्ष खतौनी फसली वर्ष 1411-1416 के खाता संख्या-175 में शारदा देवी पत्नी रामरज सा0

परसिया जयरामगिरी का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज होने के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान् चकबन्दी अधिकारी इमिलिया द्वितीय जनपद मऊ में सहादुर बनाम उ0प्र0 सरकार वाद सं0-263 अन्तर्गत धारा-9ए जो0च0अधि0 बावत मौजा परसिया जयरामगिरी लम्बित है। जिसमें अग्रिम सुनवाई तिथि दिनांक 20-02-2021 नियत है। प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है तथा अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त नियमानुसार अनुपालन करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला अन्तर्गत ग्राम सभा गौरीदायमपुर के कतिपय गाटा संख्याओं में स्थित तालाबों की खुदाई मनरेगा मजदूरों से न कराये जाने का प्रकरण

23-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील-सण्डीला अन्तर्गत ग्राम सभा-गौरीदायमपुर के गाटा सं0-417, 644, 645, 365, 558, 811, 822, 687ढ़, 518, 702, 691ख, 413 में स्थित तालाबों की खुदाई मनरेगा मजदूरों से न कराकर जे0सी0बी0 से कराई गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम प्रधान व उच्च अधिकारियों के मिलीभगत से यह कार्य कराया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों से धन की रिकवरी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार 12 खसरों की स्थिति निम्नवत् है :-

1-चार खसरा सं0-687ढ़, 518, 702, 691ख पर मौके पर तालाब नहीं है अर्थात् भूमि समतल है।

2-तीन खसरा सं0-417, 644, 645 पर तालाब है लेकिन मनरेगा द्वारा कभी कार्य नहीं कराया गया है।

3-पांच खसरा जिसमें खसरा सं0-558 पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में तथा खसरा सं0-811, 413, 822, 365 पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा श्रमिकों द्वारा कार्य कराया गया है, जे0सी0बी0 का प्रयोग नहीं किया गया।

जनपद झांसी में पारीछा बांध से निकली गुरसराय मुख्य नहर में साइफन को तोड़कर ऊपर नहर व नीचे नाला निकाले जाने के सम्बन्ध में

24-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में पारीछा बांध से निकली गुरसराय मुख्य नहर में दो साइफन बने होने के कारण पूरी क्षमता से पानी आगे नहीं बढ़ पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में उक्त साइफन को तोड़कर आधुनिक तकनीक से ऊपर नहर और नीचे नाला निकालने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

गुरसराय मुख्य नहर पर निर्मित दो साइफन के स्थान पर जल सेतु के निर्माण की परियोजना विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी, गरौठा तहसील में बेतवा और धसान नदियों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद स्थानीय किसानों को सिंचाई हेतु पानी न उपलब्ध हो पाने के सम्बन्ध में

25-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा कि जनपद झांसी की गरौठा तहसील के दोनों ओर बहती बेतवा और धसान नदियों में पर्याप्त पानी रहने के बावजूद स्थानीय किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई हेतु किसानों के खेतों तक पानी पहुचाने की कोई परियोजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी में बेतवा नदी पर निर्मित पारीक्षा बांध से निकली बेतवा नहर प्रणाली के माध्यम से बेतवा एवं धसान नदी के मध्य गरौठा तहसील क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद झांसी, तहसील मोंठ, ग्राम पंचायत बम्हरौली की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को भू-माफियाओं से मुक्त कराने विषयक

26-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की तहसील मोंठ की ग्राम पंचायत बम्हरौली की ग्राम समाज की सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध

कब्जे एण्टी भू-माफिया अभियान चलाकर सरकार हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद झांसी की ग्राम-बम्हरौली, तहसील-मोंठ में ग्राम सभा की भूमियों पर किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर कब्जा हटवाये जाने की कार्यवाही करते हुए यू0पी0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध वाद पूर्व में दर्ज किये जा चुके हैं तथा उक्त वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालयों के निर्माण में हुई अनियमितता के दोषी अधिकारियों को पुनः हटाये गये जनपदों में तैनाती दिये जाने का प्रकरण

27-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-138/33-1-2020-यू0ओ0-174/19, लखनऊ, दिनांक 16 जनवरी, 2020 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालयों को निर्मित कराये जाने में की गयी अनियमितताओं सम्बन्धी आरोपों के लिए शासन द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों को निदेशालय, पंचायती राज, उ0प्र0 से सम्बद्ध करते हुए उनके विरुद्ध जाँच संस्थित की गयी थी ? क्या यह सही है कि जाँच पूर्ण होने से पूर्व ही पुनः उन्हीं अधिकारियों को हटाये गये जनपदों में तैनाती कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारीगण के विरुद्ध जाँच प्रक्रिया को प्रभावित करने से रोकने के दृष्टिगत उक्त दोषियों को तैनात स्थान से हटाकर जाँच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पंचायती राज अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-138/33-1-2020-यू0ओ0-174/19, दिनांक 16-01-2020 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। पंचायती राज निदेशालय में सम्बद्ध किये जाने विषयक पंचायती राज अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16-12-2019 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-36715 (एस/एस)/2019 राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-01-2020 के क्रम में श्री राजेन्द्र प्रसाद जनपद उन्नाव में ही बने रहे। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16-01-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में यदि आरोप सिद्ध पाये जाते हैं, तो सक्षम स्तर से उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में दिनांक 16-12-2019 के बाद पंचायती राज अधिकारी का कार्यभार व वित्तीय अधिकार सौंपे गये अधिकारियों की जानकारी

28-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या-3016/33-1-2019-1940/2019, लखनऊ, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2019 को जिला पंचायत राज अधिकारी उन्नाव सहित कितने अधिकारियों को निदेशालय, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 के उपरान्त जनपद-उन्नाव में किस अधिकारी को कितने समय तक पंचायत राज अधिकारी का कार्यभार एवं वित्तीय अधिकार दिये गये ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पंचायती राज अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3016/33-1-2019-1940/2019, दिनांक 16-12-2019 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव को पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया। दिनांक 16-12-2019 को प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव सहित कुल 08 अधिकारियों को पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया। उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3016/33-1-2019-1940/2019, दिनांक 16-12-2019 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-36715 (एस/एस)/2019 राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-01-2020 के क्रम में श्री राजेन्द्र प्रसाद जनपद उन्नाव में ही बने रहे।

जनपद उन्नाव का वित्तीय अधिकार का कार्यभार मण्डलीय उप निदेशक (पं0) लखनऊ मण्डल, लखनऊ में निहित है।

आजमगढ़, तहसील फूलपुर, वि0ख0 फूलपुर, ग्राम सभा फूलपुर देहात में प्रधानमंत्री आवास दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

29-श्री राम अचल राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित धर्मवीर सिंह अशोक, सदस्य, विधान परिषद्, का दिनाँक 08-09-2020 का संलग्नकों सहित पत्र (आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-18191200048333), जोकि जिला आजमगढ़, तहसील फूलपुर, विकास खण्ड-फूलपुर के ग्राम सभा फूलपुर देहात में प्रधानमंत्री आवास दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

जी हां।

प्रकरण में श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी श्री परदेशी प्रजापति के पात्रता की जांच करायी गयी। जांच में पात्र पायी गयीं। यह मूलरूप से ग्राम पंचायत-यूसुफपुर सिकरौर की निवासी हैं, ग्राम पंचायत फूलपुर देहात की निवासी नहीं हैं, कुछ वर्षों से ग्राम पंचायत फूलपुर देहात में रह रही हैं। इनके द्वारा फूलपुर देहात में मकान हेतु दिनांक 13-12-2017 को भूमि क्रय किया गया है। इनको ग्राम पंचायत यूसुफपुर सिकरौर के परिवार रजिस्टर से नाम कटवाकर ग्राम पंचायत फूलपुर देहात में नाम दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी श्री परदेशी प्रजापति का आवास प्लस के सर्वेक्षण के समय ग्राम पंचायत फूलपुर देहात के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं था और न ही इनके पास भूमि उपलब्ध थी, श्रीमती प्रेमा देवी को आवास आवंटन इनका नाम ग्राम पंचायत फूलपुर देहात में दर्ज होने एवं भारत सरकार से आवास प्लस की वेबसाइट पर लाभार्थियों का नाम सम्मिलित होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव का कार्यालय दिनांक 24-09-2020 को बन्द पाये जाने के प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई विषयक

30-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, उन्नाव को सम्बोधित मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा प्रेषित रिपोर्ट संख्या-2158/वै0सहायक/जाँच0कै0 प0आँ0/विविध/2020-21, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 जो कि बिना किसी उच्च अधिकारियों की अनुमति के जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव का कार्यालय दिनाँक 24-09-2020 को पूर्ण रूप से बन्द पाया गया था, के विषयक है ? के प्रकरण में उक्त कार्यालय बन्द कर गायब रहने वाले के दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 से प्राप्त आख्यानुसार उपस्थिति पंजिका के आधार पर दिनांक 24-9-2020 को जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव का कार्यालय प्रातः 09:30 बजे से सायं तक प्रतिदिन की भाँति खुला रहा है। यदि दिनांक 24-09-2020 को कोई कर्मचारी बिना अवगत कराये अनुपस्थित पाया जाता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती। उक्त दिनांक 24-09-2020 को कार्यालय में कार्यरत किसी कर्मचारी के अनुपस्थित होने की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर, बभनजोत में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत स्कूलों में रंगाई-पुताई व शौचालय आदि का कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

31-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर व बभनजोत में कायाकल्प योजना के अन्तर्गत स्कूलों की रंगाई-पुताई व शौचालय आदि अधूरे कार्य को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, मनकापुर व बभनजोत में 'आपरेशन कायाकल्प' योजना के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों में पंचायती राज विभाग द्वारा शौचालय निर्माण तथा विद्यालय में रनिंग वॉटर आदि का कार्य कराया जा रहा है। रंगाई-पुताई का कार्य समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि से कराया जा रहा है। रंगाई-पुताई, बालक/बालिका शौचालय तथा रनिंग वॉटर के अपूर्ण कार्य 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के वि0स0क्षे0 गौरा में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण कराने विषयक

32-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु काफी दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहाँ छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में 01 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा 11 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया की ग्राम पंचायत में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

33-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया की ग्राम पंचायत में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में वित्तीय वर्ष 2014-15 से इस योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल-06 ग्राम पंचायतों में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिलाधिकारी, गोण्डा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय चयन समिति की स्वीकृति दिनांक 11-02-2021 द्वारा ग्राम पंचायत तालागंज ग्रन्ट, विकास खण्ड-छपिया में अन्त्येष्टि स्थल विकास हेतु चयन किया गया है।

शासनादेश संख्या-2/2105/33-3-2014-100(21), दिनांक 02-09-2014 के क्रम में जिलाधिकारी, गोण्डा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए गए जनपदीय बजट व लक्ष्य के सापेक्ष विकास खण्ड छपिया की अवशेष ग्राम पंचायतों के चयन किए जाने के उपरान्त ही इनका निर्माण किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की कतिपय ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनान्तर्गत पानी की टंकी से पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

34-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत घारीघाट कूकनगरग्रन्ट, केशवनगर ग्रन्ट, सकदरपुर, बखरौली, पायरखास व वासुदेवपुर ग्रन्ट में पाइप पेयजल योजना के तहत लगी पानी की टंकी से लोगों को पानी सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी टंकियों को समय-सीमा के अन्दर चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना (बैच 1) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सकदरपुर एवं ग्राम पंचायत

बखरौली में सोलर आधारित पेयजल योजना तथा वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत सकदरपुर एवं ग्राम पंचायत बखरौली में सोलर आधारित पेयजल योजना एवं वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत बासुदेवपुर ग्रन्ट एवं ग्राम पंचायत पायरखास में बिजली आधारित पेयजल योजनाएं निर्मित की गयी थीं। उक्त पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को पेयजल से संतृप्त कराते हुए इन योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को क्रमशः वर्ष 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 में ही हस्तान्तरित किया जा चुका है। उक्त पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत केशवनगर ग्रन्ट, कूकनगर ग्रन्ट एवं घारीघाट की योजनाओं में रिट्रोफिटिंग कराकर समस्त घरों को क्रियाशील गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति हेतु कार्य सितम्बर, 2020 में शुरू करा दिये गये हैं, जिन्हें मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ब्लाकों में उर्दू अनुवादक के सृजित पद व मानकानुसार लिपिक की तैनाती की जानकारी

35-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के ब्लाकों में ऊर्दू अनुवादक के कितने पद सृजित है ? क्या उक्त जनपद के सभी ब्लाकों में मानक के अनुरूप लिपिक की तैनाती नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सभी ब्लाकों में मानकानुरूप तैनाती करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती'-

जनपद-गोण्डा में 16 विकास खण्ड हैं। जनपद गोण्डा में 16 विकास खण्डों हेतु ऊर्दू अनुवादक सह0 कनिष्ठ सहायक के 16 पद एवं 01 पद जिला मुख्यालय हेतु सृजित है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्डों में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत 12 पदों के सापेक्ष 12 पद भरे हैं। वरिष्ठ सहायक के स्वीकृत 20 पदों के सापेक्ष 13 पद भरे तथा 07 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ सहायक का पद पदोन्नति का पद है। उक्त पदों पर चयन वर्ष में होने वाली पदोन्नति की कार्यवाही में अर्ह कार्मिक मिलने पर तैनाती सम्भव है। शेष पदों पर मानक के अनुरूप तैनाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की फरीदपुर वि0स0क्षे0 अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने विषयक

36-डा0 श्याम बिहारी लाल

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ककहरा कलां, रजऊ एवं मेहतरपुर करोड़ में सभी मानकों को पूरा करने के बावजूद वर्तमान तक राजकीय माध्यमिक स्कूलों को खोलने की घोषणा नहीं की गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ? उक्त स्थानों पर कब तक राजकीय माध्यमिक स्कूलों को खोला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम-रजऊ से 10 कि0मी0 की परिधि में 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 05 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं 06 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम ककहरा कलां से 10 कि0मी0 की परिधि में 03 माध्यमिक विद्यालय (वित्त विहीन) संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम मेहतरपुर करोड़ की 10 कि0मी0 की परिधि में 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 03 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। आवश्यकता के दृटिगत प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में घोषणा की जाती है। सम्प्रति प्रश्नगत स्थल संतृप्त है।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बरेली की फरीदपुर वि0स0क्षे0 अन्तर्गत भुता पुलिस स्टेशन के भवन निर्माण कराये जाने विषयक

37-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के भुता पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश दिनांक 20-01-2021 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रु0 142.80 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

38-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[01-बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया अन्तर्गत सोनाडीह मार्ग से निकली नहर की सफाई कराने विषयक

39-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया अन्तर्गत सोनाडीह रोड मार्ग से निकली नहर जो छोटका बहोरवाँ तक जाती है, की सफाई कई वर्षों से नहीं कराई गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नहर की सफाई करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

सोनाडीह रोड मार्ग से छोटका बहोरवाँ तक जाने वाली अखोप नहर (माइनर) की लम्बाई एल-सेक्सन के अनुसार किमी0 14.200 है, परन्तु वर्ष 1999 में चलित नहरों की लम्बाई मापी के अनुसार 11.500 किमी0 है। वर्ष 1999 से ही उक्त नहर की सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाता है। किमी0 11.500 से नीचे छोटका बहोरवां तक की रीच के पास बेल्थरा रोड कस्बा का शहरी विकास एवं घनी आबादी होने के कारण सिंचाई नहीं होती है। किमी0 11.500 से नीचे अनुरक्षण एवं सिल्ट सफाई से सम्बन्धित कार्य नहीं कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराये जाने हेतु अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

40-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा में सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिन्दी मीडियम के साथ-साथ अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई कराये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के अन्तर्गत किन विद्यालयों का चयन कर उक्त कार्य शुरू करा दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हेतु अध्यापकों की नियुक्ति हो गयी है ? यदि हाँ, तो किस स्कूल में कितने अध्यापक हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

सूची संलग्न है।[†]

[†] देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 352-354 पर।

जी हां।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा के ब्लाक मुख्यालय जसपुरा में अग्निशमन केंद्र की स्थापना के सम्बन्ध में

41-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाँदा के ब्लाक मुख्यालय जसपुरा जो जिला मुख्यालय से काफी दूर है, में सरकार अग्निशमन केंद्र का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र का निर्माण वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता के आधार पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-बाँदा के वि0ख0 तिंदवारी, जसपुरा व बडोरखुर्द के गांवों में नए इंडिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

42-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा में गर्मी के मौसम में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद-बाँदा के विकास खण्ड तिंदवारी, जसपुरा व बडोखरखुर्द के गांवों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु वर्तमान में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन कोई भी योजना संचालित नहीं है। सम्प्रति जनपद बांदा सहित प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र जल जीवन मिशन कार्यक्रम से आच्छादित हैं तथा मार्च, 2024 तक पाइप पेयजल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा के ब्लाक मुख्यालय तिंदवारी में सरकार द्वारा स्वीकृत अग्निशमन केंद्र के निर्माण हेतु शासन द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जनपद-बाँदा के ब्लाक मुख्यालय तिंदवारी में प्रदेश सरकार द्वारा अग्निशमन केंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या सरकार स्वीकृत कार्य के लिए धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्रारम्भिक आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में वित्तीय स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर, ब्लाक तेन्दुआईकला, ग्राम सर्वेपुर में दुवलिया खरहा के बीच से सर्वेपुर तक क्षतिग्रस्त डामर रोड का पुनर्निर्माण कराने विषयक

44-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के ब्लाक तेन्दुआईकला के ग्राम सर्वेपुर में दुवलिया खरहा के बीच से सर्वेपुर तक क्षतिग्रस्त डामर रोड की पुनर्निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद अम्बेडकरनगर, विकास खण्ड जहंगीरगंज में जहंगीरगंज-राजेसुल्तानपुर मुख्य मार्ग पर लाल खरहरा मोड़ से सर्वेपुर तक 376 मीटर लम्बाई एवं 3.00 मीटर चौड़ाई में लेपन कार्य जिला पंचायत द्वारा 10 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत करने योग्य है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना सदन द्वारा पारित किये जाने एवं कार्य योजना में उक्त मार्ग सम्मिलित न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि प्राप्त होने पर उक्त मार्ग पर लेपन कार्य कराये जाने हेतु जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त मार्ग का निर्माण कराया जाना संभव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर, तहसील केराकत, ब्लाक मुफ्तीगंज, ग्राम असवारा में निर्मित शारदा सहायक खण्ड-36 शाहगंज राजबाहा नहर निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा का भुगतान करने विषयक

45-श्री दिनेश चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा में निर्मित शारदा सहायक खण्ड-36 शाहगंज राजबाहा नहर के निर्माण में आराजी न0-885 से 21 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त जमीन के मुआवजा का भुगतान कर दिया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाटा सं0-885 तथा उसके साथ के अन्य गाटा संख्या जो सन् 1974 में ग्राम समाज/राजकीय भूमि थी, जिसमें नहर खुदाई का कार्य किया गया था, सरकारी भूमि होने के कारण उक्त भूमि का मुआवजा नहीं बनाया गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दि0 04-07-2020 के पत्र में निर्देशों के अनुरूप पदस्थापना/नवीन संविदा विस्तार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से सेवा समाप्ति व पदस्थापन किये जाने पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

46-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8/10/2020 जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में दिनांक 04/07/2020 के पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पदस्थापना/नवीन संविदा विस्तार कर तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला समन्वयक बालिका शिक्षा बस्ती द्वारा मनमाने ढंग से सेवा समाप्ति एवं पदस्थापन किये जाने विषयक है मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक के0जी0बी0वी0/2302/2020-21 दिनांक 14-7-2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य विकास

अधिकारी, बस्ती की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के परीक्षणोपरान्त संस्तुति पर दिनांक 26-09-2020 को जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों की नवीन संविदा/पदस्थापन की कार्रवाई नियमानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड फूलपुर ग्राम पंचायत शेखवलिया में सार्वजनिक मार्गों पर इण्टरलाकिंग किये जाने विषयक

47-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री सुखदेव राजभर सदस्य, विधान सभा का सन्दर्भ दिनांक 16-12-2020 का संलग्नकों सहित पत्र आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0 18191190132354 जो कि जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड फूलपुर ग्राम पंचायत शेखवलिया में सार्वजनिक रास्ते पर इण्टरलॉकिंग किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित जिलाधिकारी, उन्नाव का पत्र दि0 24-09-2020, जिला पंचायत राज अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई विषयक

48-श्री राम अचल राजभर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन को पृष्ठांकित जिला अधिकारी, उन्नाव का पत्र संख्या-271/जिला0पत्रा0/2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 जो कि कतिपय जिला पंचायत राज अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई कराये जाने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा महत्वपूर्ण सूचना समय से प्रेषित न करने के लिए

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अशासकीय पत्र दिनांक 19-2-2021 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्पष्टीकरण माँगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत कांथा में पानी की टंकी के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि एवं कार्यदायी संस्था की जानकारी

49-श्री राम अचल राजभर-

क्या जलशक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कांथा मोहल्ला रमना में स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण किस संस्था द्वारा कितनी धनराशि में कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी आदेशों एवं शासनादेश संख्या/650/एक-9-15-रा-9, राजस्व अनुभाग-9, दिनांक 16-09-2015 में दी गयी व्यवस्था एवं नियमों के विरुद्ध उक्त ग्राम पंचायत के संक्रमणीय भूमिधरी की निजी भूमि खाता संख्या-02325, खसरा संख्या-2288, 2292 पर पाईप लाईन डाली गयी है ? यदि हां, तो संक्रमणीय भूमिधरी की निजी भूमि से पाईप लाईन हटाते हुए उक्त पाईप लाईन डालने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हां, तो अब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा में कॉथा पेयजल योजना का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा रु0 436.06 लाख में कराया गया है। प्रश्नगत मामले की जांच जिलाधिकारी, उन्नाव से करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथास्थिति कार्रवाई की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल में उच्चीकृत किये जाने व नियमित शिक्षकों की तैनाती करने विषयक

50-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल में उच्चीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त उच्चीकृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल के परिसर/निकट राजकीय हाई स्कूल स्थापित किये जाने की योजना है। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2009 से अब तक 1470 विद्यालयों को राजकीय हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत किया गया है। उच्चीकृत किये गये 1470 विद्यालयों की सूची† संलग्न। उच्चीकृत किये गये विद्यालयों में विभाग द्वारा विशेष प्रयास करके विगत 04 माह में 2737 शिक्षकों को तैनात किया गया। वर्तमान में उच्चीकृत किये गये विद्यालयों में कुल 5132 शिक्षक तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', स0वि0प0 का पत्र दि0 04-10-2019 जो मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ द्वारा ग्रा0 गोधना, वि0ख0 बख्शी का तालाब, लखनऊ में वित्तीय व विकास सम्बन्धी गंभीर अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की जानकारी

51-श्री अवस्थी बाला प्रसाद

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त', स0वि0प0 का पत्र दिनाँक 04 अक्टूबर, 2019 जो मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा ग्राम-गोधना, विकास खण्ड-बख्शी का तालाब, लखनऊ में वित्तीय एवं विकास सम्बन्ध गम्भीर अनियमितताएं की जाँच विषयक है मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

ग्राम पंचायत गोधना, विकास खण्ड बी0के0टी0, लखनऊ की जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के पत्र दिनांक 16-11-2019 द्वारा उपायुक्त, श्रम रोजगार मनरेगा, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा ग्राम प्रधान, गोधना को तथा जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित सचिव को नोटिस निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापी नहीं गयी।

पूर्व मा0 वि0 ग्राम गोधना, वि0ख0 बख्शी का तालाब, लखनऊ में क्षतिग्रस्त निर्माण व गंभीर अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई विषयक

52-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम-गोधना विकास खण्ड बक्शी का तालाब लखनऊ में निर्माण क्षतिग्रस्त होने एवं गम्भीर अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही विषयक आईजीआरएस संख्या-4001519055257 के सन्दर्भ में पत्रांक-ख0शि0अ0बी0 के0टी0/236/2019-20 दिनाँक 17-09-2019 तथा आईजीआरएस संख्या-40015719070122 के सन्दर्भ में पत्रांक-ख0शि0अ0बी0के0टी0/मेमों/2019-20 दिनाँक 05-11-2019 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोधना के भवन की जाँच जिला समन्वयक (निर्माण), सर्व शिक्षा अभियान, लखनऊ एवं अवर अभियन्ता, विकास खण्ड बीकेटी द्वारा किया गया, जिसके क्रम में आईजीआरएस सन्दर्भ संख्या 4001519070122 में पत्रांक-ख0शि0अ0 बी0के0टी0/मेमो/2019-20, दिनांक 05-11-2019 में पी0डब्लू0डी0 से विस्तृत जांच कराने की अपेक्षा की गयी। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता (तकनीकी समिति) की जांच आख्या दिनांक 24-08-2020 द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोधना, विकास खण्ड बक्शी का तालाब को निष्प्रयोज्य/ध्वस्तीकरण योग्य घोषित कर दिया गया है। तकनीकी समिति की आख्या दिनांक 24-08-2020 के आधार पर श्रीमती सुमनलता, स0अ0 कन्या क्रमोत्तर कुम्हरावां, बक्शी का तालाब भवन निर्माण प्रभारी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोधना बी0के0टी0 को भवन निर्माण में अनियमितता, शासकीय धन के दुरुपयोग एवं निर्माण में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में शारदा नहर पर रम्पुरा प्रवीन की जर्जर पुलिया का नवनिर्माण कराने विषयक

53-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र स्थित शारदा नहर पर रम्पुरा प्रवीन की जर्जर पुलिया का नवनिर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित शारदा नहर पर रम्पुरा प्रवीन की जर्जर पुलिया का सम्बन्ध शाहजहांपुर शाखा पर स्थित पुलिया से है। उपरोक्त पुलिया का नवनिर्माण शाहजहांपुर शाखा के 12 अदद पुल/पुलियों के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजना में सम्मिलित है। प्रश्नगत पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत कतिपय गांवों में नदियों की कटान रोकने हेतु प्रबंध विषयक

54-डा0 श्याम बिहारी लाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गोमिदपुर, गजसिंहपुर, हसनगंज, चन्दोख टेढी, दौलतपुर करैना डडिया इत्यादि गांवों में नदियों के कटान को रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

बाढ़ के आँकड़ों का आंकलन उपरान्त परियोजना की सार्थकता, साध्यता एवं उपयोगिता सिद्ध होने के उपरान्त कटान रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम पंचायत महराज सिंहनगर में जूनियर विद्यालय से पिच रोड तक खड़ंजा निर्माण हेतु

55-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महराज सिंहनगर में जूनियर विद्यालय से पिच रोड तक खडन्जा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

उक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है। अवर अभियन्ता की आख्यानुसार कार्य की अनुमानित लागत रु0 8 लाख होगी। उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा सेमरी घटही में कतिपय मार्गों में इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

56-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा सेमरी घटही में संतोष वर्मा के मेडिकल से देवी जी मंदिर तक मार्ग लम्बाई लगभग 300 मीटर तथा पुत्ती घुरू के घर से पाल तिवारी के घर तक मार्ग लम्बाई लगभग 200 मीटर इण्टरलॉकिंग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा के विकास खण्ड तिंदवारी, जसपुरा व बडोखरखुर्द के गांवों में बारातघर बनवाने के सम्बन्ध में

54-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में बारात ठहराने में सरकार द्वारा रोक लगाने से गरीब तबके के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद-बाँदा के विकास खंड तिंदवारी, जसपुरा व बडोखरखुर्द के गांवों में बारातघरों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बारात ठहराने में रोक सम्बन्धी कोई आदेश पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

जी नहीं।

वर्तमान में बारातघर निर्माण की कोई योजना पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सिंचाई व पेयजल हेतु केन नदी पर बैराज बनाये जाने विषयक

58-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाँदा में किसान भाइयों को सिंचाई हेतु पानी का संकट है तथा पेयजल हेतु पानी का भीषण संकट है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद-बाँदा के केन नदी पर बैराज बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

केन नदी पर सिंचाई हेतु बरियारपुर वियर निर्मित है तथा वर्तमान में कोई नये बैराज का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बाँदा के विकास खण्ड तिंदवारी, जसपुरा व बडोखरखुर्द में सरकारी राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में

59-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाँदा के विकास खण्ड तिंदवारी, जसपुरा व बडोखरखुर्द में पर्याप्त सिंचाई के साधन न होने के कारण अधिकांश खेत परती रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाकों से सम्बन्धित गांवों में सरकारी राजकीय नलकूपों की स्थापना सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद-बांदा के विकास खण्ड-तिंदवारी, जसपुरा व बडोखरखुर्द में राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों के माध्यम से कृषकों को मांग के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। विकास खण्डवार राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों का विवरण निम्नानुसार है :-

कं0 सं0	विकास खण्ड	चलित राजकीय नलकूपों की संख्या	चलित लघु डाल नहरों की संख्या
1	तिन्दवारी	164	03
2	जसपुरा	131	00
3	बडोखरखुर्द	111	03

प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु प्रचलित 2000 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत विकास खण्ड-तिन्दवारी में 01, जसपुरा में 03 व बडोखरखुर्द में 06 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ तहसील सगड़ी ग्राम सभा अकबरपुर की सीमा निर्धारण हेतु पत्थर लगवाने विषयक

60-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम सभा अकबरपुर की सीमा निर्धारित करने वाले समस्त पत्थर यथा स्थान पर नहीं लगे होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्थर का निर्धारित स्थान पर लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-आजमगढ़ की तहसील सगड़ी की ग्राम सभा अकबरपुर में तीन राजस्व ग्राम अकबरपुर, चकगुलाल, देवरिया अबूसईद समाहित हैं। ग्राम सभा अकबरपुर में कुल 11 सीमाद्योतक चिन्ह हैं, जिसमें गाटा संख्या-58 व 25 के पास का सीमाद्योतक चिन्ह मौजूद नहीं है। ग्राम चकगुलाल में कुल 5 सीमाद्योतक चिन्ह हैं, जिसमें गाटा संख्या-45 के पास का सीमाद्योतक चिन्ह विद्यमान नहीं है। ग्राम देवरिया अबूसईद में कुल 5 सीमाद्योतक चिन्ह हैं। गाटा संख्या-2 के पास पत्थर मौजूद नहीं है। वर्तमान में, जो पत्थर अपने स्थान पर मौजूद नहीं है, उनके सम्बन्ध में परिषदादेश संख्या-606/9-50/2016, दिनांक 27-04-2018 एवं अनवर्ती परिषदादेश संख्या-916/9-50/2016, दिनांक 12-06-2018 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-546/एक-9-2019, दिनांक 26-04-2019 में प्राविधानित उपबन्धों के अधीन मानक के अनुसार निर्मित सीमाद्योतक चिन्ह यथा स्थान लगवाये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमेठी ब्लाक सिंहपुर ग्राम पूरे कैथन मजरे टेढ़ई में इंटरलॉकिंग कार्य व पक्की नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमेठी के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पूरे कैथन मजरे टेढ़ई में श्री सुशील श्रीवास्तव के घर से हरी प्रसाद व शिव प्रसाद के घर से होते हुए श्री कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य एवं कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर के पीछे पक्की नाली का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

जनपद अमेठी के ब्लाक सिंहपुर के ग्राम पूरे कैथन मजरे टेढ़ई में श्री सुशील श्रीवास्तव के घर से हरी प्रसाद व शिव प्रसाद के घर से होते हुए श्री कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलॅकिंग का कार्य एवं कैलाश बिहारी श्रीवास्तव के घर के पीछे पक्की नाली का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सम्मिलित है। धनराशि उपलब्ध होने पर उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की मनियर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी की आत्महत्या के प्रकरण की जांच विषयक

62-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी की दिनांक 06-07-2020 के आत्महत्या के प्रकरण में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बलिया के नगर पंचायत मनियर की अधिशासी अधिकारी मणि मंजरी राय (मृतका) की आत्महत्या के सम्बन्ध में मृतका के भाई श्री विजयानन्द राय पुत्र श्री जयठाकुर राय, निवासी-कनुआन, थाना-भांवरकोल, जनपद-गाजीपुर के लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना-स्थानीय पर मु0अ0सं0-215/20, धारा-306 भा0द0वि0, दिनांक 06-07-2020 को पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना के क्रम में अभियुक्त 1-चन्दन कुमार वर्मा पुत्र सूर्यनाथ वर्मा, निवासी-अमृतपाली, थाना-कोतवाली, जनपद-बलिया को दिनांक 16-07-2020 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप-पत्र संख्या-312/2020, दिनांक 13-09-2020 को प्रेषित किया गया तथा अभियुक्त 2- वनोद सिंह पुत्र स्व0 शिववचन सिंह, निवासी-पूरबटोला, वार्ड नं0-13, मनियर थाना-मनियर, हाल पता-नई बस्ती रामपुर महावल राजपूत, निवासी-चन्द्रशेखर नगर, थाना कोतवाली, जनपद-बलिया को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से गिरफ्तारी पर स्टे आदेश प्राप्त है तथा अभियुक्त 3-भीम गुप्ता (चेयरमैन) पुत्र गौतम प्रसाद, निवासी मनियर बाजार, वार्ड नं0-10, थाना-मनियर, जनपद-बलिया, अभियुक्त 4-अखिलेश कुमार पुत्र त्रिलोकी प्रसाद, निवासी-मनियर, वार्ड नं0-1, इन्द्रपुर, थाना-मनियर, जनपद-बलिया के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप-पत्र संख्या-312ए/2020, दिनांक 21-12-2020 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्रवाई की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् के संयुक्त सचिव श्री किशोर चन्द्र के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव को दिये गये पत्रांक-452/आ0स0/2020, दिनाँक 21/07/2020 पर कार्रवाई हेतु

63-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर मुख्य सचिव (प्राविधिक शिक्षा) को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक-452/आ0स0/2020, दिनांक 21-07-2020 जो संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा अनियमित रूप से ग्रेड-पे रु0-7600/- प्राप्त करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच कर वित्तीय अनियमितता की वसूली कराने से सम्बन्धित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 21-08-2020 द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर से आख्या मांगी गयी। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर के पत्र दिनांक 05-10-2020 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या-879/सोलह-2-2019, दिनांक 02-12-2019 द्वारा सहायक प्रवक्ताओं को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रेड-पे रु0 7600/-निरस्त करते हुए रिकवरी की कार्यवाही कराने के निर्देश निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर को दिये गये, जिसके क्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-45948-954/ई-स्था0 ए0 सी0 पी0, दिनांक 15-12-2019 द्वारा सम्बन्धित को तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है तथा कई रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेशों पर स्थगनादेश निर्गत कर दिये जाने के कारण वसूली/रिकवरी की कार्रवाई स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशुधन विभाग के टेंडर दिलाने के सम्बन्ध में कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स, लखनऊ के पत्रांक सी-आईजी-एसटीएफ-5 सी/2020 (1), दिनाँक 15-06-2020 पर कार्रवाई हेतु

64-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विभाग में 292 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने सम्बन्धी प्रकरण में कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, लखनऊ के पत्रांक सी-आईजी एसटीएफ-5सी/2020 (1), दिनांक 15 जून, 2020 की जांच आख्या में दोषी

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कारवाई की गयी है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में की गयी संस्तुति के क्रम में प्रधान निजी सचिव, श्री रजनीश दीक्षित को सचिवालय प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 15-06-2020 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है। साथ ही रजनीश दीक्षित के विरुद्ध मा0 न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने हेतु आदेश दिनांक 04-12-2020 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। अभियुक्त धीरज कुमार, निजी सचिव, पशुधन विभाग का कार्मिक होने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 19-06-2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग को निर्देशित किया गया है। उमेश कुमार मिश्रा, सहायक समीक्षा अधिकारी को सचिवालय प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 15-06-2020 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। राज्य सम्पत्ति विभाग की सूचनानुसार विजय कुमार नाम का कोई चालक राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत नहीं है, जिसके कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। होमगार्ड, रघुवीर को जिला कमाडेण्ट होमगार्ड, लखनऊ के आदेश दिनांक 24-09-2020 द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टय दोषी पाये गये अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र दुबे, तत्कालीन पुलिस उप महा निरीक्षक, रूल्स एवं मैनुअल, उ0प्र0 एवं श्री अरविन्द सेन, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी, उ0प्र0, लखनऊ के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (कार्य आचरण) नियमावली, 1968 के नियम-3 के अन्तर्गत उक्त दोनों अधिकारियों को आदेश दिनांक 22-08-2020 द्वारा निलम्बित करते हुए विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में जिलेवार ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन बनाने हेतु दी गई सहायता व मानकों की जानकारी सम्बन्धी

65-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 28-10-2020 तक जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण हेतु धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना में ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु किन्हीं मानकों का निर्धारण किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रमुख मानक क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 28-10-2020 तक 1304 ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

जी हां।

उक्त योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-4021/33-3-2019-182/2013, दिनांक 16-01-2020 द्वारा ग्राम पंचायत चयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

चयन हेतु प्रमुख मानक निम्नवत् हैं :-

1-ग्राम पंचायत में पूर्व से पंचायत भवन की अनुपलब्धता।

2-समस्त विकास खण्डों में यथासम्भव समान रूप से ग्राम पंचायतों का चयन।

3-नवसृजित ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नवीन जसराना नहर परियोजना का अवशेष कार्य पूर्ण कराकर देरी के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

66-श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नवीन जसराना नहर परियोजना का 95% के लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है, किन्तु अवशेष 5% कार्य पूर्ण न होने के कारण लगभग 200 करोड़ रुपये की धनराशि लगाने के बावजूद किसानों को उक्त परियोजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवशेष कार्य पूर्ण कराकर विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जसराना नवीन नहर परियोजना का कार्य 99.98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। दिनांक 18-08-2018 से परियोजना द्वारा जनपद फिरोजाबाद को पेयजल हेतु जसराना नवीन नहर से 50 क्यूसेक जल आपूर्ति की जा रही है एवं शेष जल से वर्ष 2018-19 रबी 1426 फसली में 50 हेक्टेयर, वर्ष 2019-20 खरीफ 1427 फसली में 500 हेक्टेयर एवं वर्ष 2020-21 खरीफ 1428 फसली में 1228 हेक्टेयर कृषकों द्वारा सिंचाई की गयी है। मात्र 0.02 प्रतिशत

(50 मीटर लाइनिंग कार्य) कार्य ही शेष है। अवशेष कार्य 20 फरवरी, 2021 से नहर क्लोजर में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास निधि तथा 14वें वित्त आयोग से मतदान केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या व व्यय धन के विवरण तथा उक्त में नियमों एवं प्राविधानों की अनदेखी कर कराये गए कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

श्री मनीष असीजा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा-2019 के चुनावों के दौरान जनपद फिरोजाबाद में ग्राम्य विकास निधि तथा 14वें वित्त आयोग से मतदान केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे ? यदि हाँ, तो इनकी संख्या कितनी थी एवं इस पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त में नियमों एवं प्राविधानों की अनदेखी कर कार्य कराये गए ? यदि हाँ, तो उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

560 ग्राम पंचायतों द्वारा नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए विभिन्न फर्मों से विभिन्न दरों पर 1042 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये गए हैं, जिन पर कुल धनराशि रु0 2,27,65,204/- का व्यय ग्राम पंचायतों द्वारा 14वां वित्त/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया गया है। यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, ग्राम सभा की बैठक आदि में शान्ति व्यवस्था एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु शासकीय एवं जनहित में 14वां, वित्त/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-8/3248/2018-8/30/2019-20, दिनांक 17-01-2020 के माध्यम से टीम गठित कर जांच कराई गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी की संयुक्त टीम से प्राथमिक जांच कराई गई। जांच के आधार पर 25 ग्राम पंचायतों में क्रय नियमों की अनदेखी किया जाना संज्ञान में आया। जिन ग्राम पंचायतों में क्रय नियमों की अनदेखी की जांच वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद से कराई गई। वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत जांच आख्या के आधार पर 20 ग्राम पंचायत सचिव शासकीय नियमों का उल्लंघन करने तथा वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के नाम पर भूमि एवं आस-पास की भूमि पर अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण, स्थाई एवं अस्थाई दुकानें/मार्केट आदि बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह, गोपन, बीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सर्तकता विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र संख्या-1467/न्याय अनु0/2019, दिनांक, 01/09/2019 पर कार्रवाई विषयक

68-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में 1947 के पूर्व से नगर के मध्य पर उपलब्ध ऊसर, तालाब तथा जमींदारी मुहाल के कुछ गाटा भाग में रामलीला मंचन के कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के नाम पर इस भूमि एवं आस-पास की भूमि पर अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण, स्थाई एवं अस्थाई दुकानें/मार्केट आदि बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह, गोपन, बीजा, पासपोर्ट, कारागार एवं सर्तकता विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित पत्र संख्या-1467/न्याय अनु0/2019, दिनांक, 01/09/2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में किन पर आरोप सिद्ध हुये तथा उक्त पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रकरण में रिट याचिका संख्या-23879/2019 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-07-2019 के द्वारा श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के पदाधिकारियों के निर्वाचन दिनांक 01-09-2018 को अवैध घोषित करने विषयक विधिक प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 03-06-2019 को निरस्त कर डिप्टी रजिस्ट्रार, आगरा को निर्देशित किया गया है कि 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करते हुए उक्त समिति की प्रबन्ध समिति का नवीन निर्वाचन नियमों/उप नियमों के अन्तर्गत सम्पन्न कराये, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार, आगरा द्वारा कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ थाना आशियाना अन्तर्गत रतन खण्ड कालोनी पार्क सं0-9, 10 व अन्य के पास असामाजिक तत्वों, जुआरियों, स्मैकियों का जमावड़ा लगने के कारण पुलिस गश्त व कार्रवाई करने विषयक

69-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के धाना आशियाना अन्तर्गत रतन खण्ड कालोनी के पार्क संख्या-9, 10 व क्षेत्रों के पास के पार्कों में असामाजिक तत्वों,

जुवारियों, स्मैकियों का जमावड़ा की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पुलिस गश्त कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रकरण के सम्बन्ध में थाना आशियाना अन्तर्गत रतन खण्ड कालोनी के पार्क संख्या-9 व 10 एवं थाना क्षेत्र में अवस्थित पार्कों एवं सामाजिक स्थलों पर खुलेआम असामाजिक तत्वों, जुवारियों एवं स्मैकियों के जमावड़े आदि की कोई शिकायत किसी भी नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से थाना स्तर पर नहीं दी गयी है और न ही थाना क्षेत्र में उपरोक्त अवांछित तत्वों के जमावड़े की बात स्थानीय पुलिस के क्षेत्र भ्रमण एवं गश्त के दौरान प्रकाश में आयी है। प्रभारी मोबाइल एवं पालीगान मोबाइल द्वारा निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में आती है तो उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। पुलिस द्वारा उक्त क्षेत्र में दिन-रात लगातार पालीगान मोबाइल द्वारा गश्त की जाती है।

संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र आई0जी0आर0एस-74/ सत्तर-06-2019, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के आधार पर कतिपय महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति के दुरुपयोग किये जाने के सन्दर्भ में

70-श्री लाल जी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-आई0जी0आर0एस-74/ सत्तर-06-2019, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के सन्दर्भ में शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा प्रेषित जांच आख्या पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/3788/2019-20, दिनांक 15-01-2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य, प्रबन्ध समिति तथा कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति की उपेक्षा कर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

निदेशक उच्च शिक्षा के कार्यालय आदेश संख्या-डिग्री अर्थ-1/48/2020-21, दिनांक 17-02-2021 द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर डा0 अजीत कुमार सारस्वत, सेवानिवृत्त प्राचार्य, बी0एन0के0बी0पी0जी0 कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितता, शासकीय धन का नियमानुसार रख-रखाव न किये जाने का दोषी पाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनके पेंशन से 01 वर्ष तक 5% धनराशि प्रतिमाह की दर से कटौती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है

प्रश्न नहीं उठता।

आईजीआरएस-79/सत्तर-06-2019, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के संदर्भ में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

71-श्री लाल जी वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा), लखनऊ को श्री संजय टण्डन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 02-06-2020 विषयः-आई0जी0आर0एस0 संख्या-15178190072947 के अनुपालन में उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-आई0जी0आर0एस0-79/सत्तर-6-2019, दिनांक 26 जुलाई, 2019 के सन्दर्भ में शिक्षा निदेशक (उच शिक्षा) उ0प्र0 द्वारा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक-डिग्री अर्थ-1/3788/2019-20, दिनांक 15-01-2020 उन्हे प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

निदेशक उच्च शिक्षा के कार्यालय आदेश संख्या-डिग्री अर्थ-1/48/2020-21, दिनांक 17-02-2021 द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर डा0 अजीत कुमार सारस्वत, सेवानिवृत्त प्राचार्य बी0एन0के0बी0पी0जी0 कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर द्वारा की गयी वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितता, शासकीय धन का नियमानुसार रख-रखाव न किये जाने का दोषी पाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनके पेंशन से 01 वर्ष तक 5% धनराशि प्रतिमाह की दर से कटौती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज ग्राम माधोपुर खुर्द, ब्लाक सेवरही व ग्राम सभा कोइन्दी गोसाई पट्टी, ब्लाक तमकुहीराज में पंचायत भवन निर्माण के सम्बन्ध में

72-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-तमकुहीराज में ग्राम पंचायत-माधोपुर खुर्द, ब्लाक सेवरही व ग्राम सभा-कोइन्दी गोसाई पट्टी, ब्लाक तमकुहीराज में पंचायत भवन बनाये जाने विषयक पंचायती राज मंत्री उ0प्र0 सरकार को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-304/नेता का0वि0म0द0 दिनांक 16-11-2018 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा निटावली, वि0ख0 बरनाहल, तहसील करहल, जिला मैनपुरी में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 में अवैध हुये पट्टों को निरस्त कराने विषयक

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा निटावली, विकास खण्ड बरनाहल तहसील करहल, जिला मैनपुरी में वर्ष 2007, 2008 एवं 2009 के दौरान तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा गलत तरीके से बिना औपचारिकता पूर्ण किये बड़े पैमाने पर पट्टों द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी। क्षेत्रीय निवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा जाँचोपरान्त जुलाई, 2013 में कुछ पट्टों को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो कब तक शेष पट्टों के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम सभा निटावली, विकास खण्डी बरनाहल, तहसील करहल में भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में दिनांक 23-09-2007 को कुल 188 व्यक्तियों को तथा दिनांक 19-09-2008 को कुल 73 व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित की गयी, जबकि 2009 में कोई कृषि भूमि आवंटन प्रस्तावित नहीं किया गया। न्यायालय अपर कलेक्टर, मैनपुरी द्वारा वाद संख्या-568 वर्ष 2012-13 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-डी201314900411 सरकार बनाम नीरज कुमार आदि में दिनांक 28-09-2018 को पारित आदेश के द्वारा दिनांक 23-09-2007 में किये गये कुल 188 पट्टों में से 05 पट्टे निरस्त कर 0.401 हे0 भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गयी है तथा वाद सं0-418 वर्ष 2019 कम्प्यूटरीकृत वाद सं0-डी201901490000448 सरकार बनाम नीरज कुमार वाद में दिनांक 24-02-2020 को आदेश पारित करते हुए 2008 में किये गये कुल 73 पट्टों में से अपात्र आवंटियों के 07 पट्टे निरस्त कर 1.410 हे0 भूमि ग्राम सभा में निहित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र में फायर स्टेशन की स्थापना हेतु

74-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ट्रांसगोमती क्षेत्र के अलीगंज, जानकीपुरम आदि क्षेत्र में फायर स्टेशन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में फायर स्टेशन बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं।

जनपद लखनऊ के अलीगंज, जानकीपुरम में वर्तमान में कोई फायर स्टेशन नहीं है, किन्तु ट्रांसगोमती क्षेत्र के अलीगंज एवं जानकीपुरम के निकटतम फायर स्टेशन बक्शी का तालाब (बीकेटी) व फायर स्टेशन इन्दिरानगर पूर्व से संचालित है, जिनकी अलीगंज एवं जानकीपुरम से दूरी निम्नवत् है :-

(1) फायर स्टेशन बीकेटी से अलीगंज की दूरी 8-10 किमी0 तथा जानकीपुरम की दूरी 4-5 किमी0।

(2) फायर स्टेशन इन्दिरानगर से अलीगंज की दूरी 7-8 किमी0 एवं जानकीपुरम की दूरी 8-9 किमी0।

उपर्युक्त दोनो केन्द्रों से उक्त क्षेत्र की अग्निशमन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड छठा मील स्थित फायर स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति हेतु

75-डॉ0 नीरज बोरा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड, छठां मील स्थित फायर स्टेशन जो वर्ष 1974 से संचालन में नहीं है ? यदि हां, तो क्या उक्त फायर स्टेशन को संचालित सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड छठा मील स्थित फायर स्टेशन बक्शी का तालाब के नाम से पूर्व से संचालित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पुरनियां से पक्के पुल तक जर्जर व क्षतिग्रस्त बन्धा मार्ग का जीर्णोद्धार व चौड़ीकरण कार्य कराने विषयक

76-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में पुरनियां से पक्के पुल तक निर्मित बन्धा मार्ग जर्जर व क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्धा मार्ग का जीर्णोद्धार व चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर के प्रखण्ड शारदा नहर के कर्मी श्री राम प्रसाद बेलदार की मृत्यु के पश्चात् उनके परिजनों को भुगतान व नौकरी देने हेतु

77-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर के कर्मी श्री राम प्रसाद, बेलदार की मृत्यु दिनांक 31-01-2012 के उपरान्त उनके आश्रितों को उनके देयकों के भुगतान एवं नौकरी दिये जाने हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-मुख्यालय आदेश विधिक राय आदि पूर्ण होने के बाद भी दिनांक 24-07-2020 तक न तो देयकों का भुगतान किया गया और न ही आश्रितों को नौकरी दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक के परिजनों को देयकों का भुगतान व आश्रित को नौकरी देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा लौकाही में 200 मी0 आर0सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु

78-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा लौकाही में जोगराज के घर से गुलाम के घर तक लम्बाई लगभग 200 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच के पत्र दिनांक 03-2-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में शासन की उच्च प्राथमिकता वाले कार्य यथा-सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण, आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों का कायाकल्प, हैण्डपम्प मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि से उक्त कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद बहराइच वि0स0क्षे0 बलहा ग्राम सभा निधिपुरवा में 200 मी0 आर0सी0सी0 निर्माण हेतु

79-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा निधिपुरवा में मंदिर से प्रभावती बेवा के घर तक लम्बाई लगभग 200 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते में पंचम वित्त एवं केन्द्रीय वित्त दोनों मिलाकर लगभग रु0-165000/-अवशेष है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक शौचालय, आंगनबाडी, कायाकल्प, हैण्डपम्प आदि के कार्य कराये जाने हैं। उपरोक्त कार्य पर व्यय होने वाली सम्भावित धनराशि रु0 11.76 लाख है। दिनांक 31-3-2021 तक ग्राम पंचायत को पंचम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली आय लगभग रु0-639600/-है। अतः उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बहराइच वि0स0क्षे0 बलहा, ग्राम सभा गौरा पिपरा में 500 मी0 इंटरलाकिंग सड़क निर्माण हेतु

80-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गौरा पिपरा में जंगल से गौरा गांव तक लम्बाई लगभग 500 मीटर इंटरलाकिंग रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास अधिकारी मिहीपुरवा द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा गौरा पिपरा जंगल से गौरा गाँव तक लम्बाई 500 मीटर इंटरलाकिंग रोड के निर्माण की अनुमानित लागत 25.00 लाख रुपये है। उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान समय में शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्य सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण एवं आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों का कायाकल्प तथा हैण्डपम्प मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराये जाने के

पश्चात् अवशेष धनराशि से उक्त कार्य पर अनुमानित व्यय अधिक होने के कारण सम्बन्धित कार्य ग्राम पंचायत स्तर से कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत ग्राम सभा चौधरीगांव में 1 कि0मी0 आर0सी0सी0 रोड के निर्माण हेतु

81-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा चौधरीगांव में हृदय नारायण के घर से सम्पर्क मार्ग खड़ैचा तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा चौधरीगांव में हृदय नारायण के घर से सम्पर्क मार्ग खड़ैचा तक लम्बाई लगभग 1.00 कि0मी0 तथा चौड़ाई 4.00 मीटर है, जो कच्चा मार्ग है। आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण जिला पंचायतों से कराये जाने की नियमों में व्यवस्था न होने तथा ग्राम पंचायत की आय/बजट से बाहर होने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना जिला/ग्राम पंचायत स्तर से संभव नहीं है।

जनपद बहराइच से वि0स0क्षे0 बलहा अन्तर्गत ग्राम घुमनाभारू में बसंत के खेत से देवीदीन के घर तक रोड का डामरीकरण कराने हेतु

82-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा घुमनाभारू के मजरा लालबिहारी पुरवा में बसंत के खेत से देवीदीन के घर तक 1.5 किलोमीटर खड़न्जा का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खण्ड विकास अधिकारी मिहीपुरवा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य का स्थलीय सत्यापन अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। अवर अभियन्ता की आख्या के अनुसार उक्त कार्य की अनुमानित लागत 23 लाख रुपये होगी। वर्तमान समय में शासन के उच्च प्राथमिकता वाले कार्य सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण एवं आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालयों का कायाकल्प तथा हैण्डपम्प मरम्मत एवं रि-बोर का कार्य कराये जाने हैं, उक्त कार्य ग्राम पंचायत से कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई, तहसील सदर, ग्राम अंटवा मजरा/ग्राम सभा सरसैया के लेखपाल द्वारा घूस न देने पर आवासीय जंगल श्रेणी में दर्ज पैतृक निवास कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई रोके जाने विषयक

83-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई की सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम अंटवा मजरा/ग्राम सभा सरसैया के लेखपाल को घूस न देने पर लेखपाल द्वारा जबरन राजस्व की धारा-67 (2) 67 (5) के अन्तर्गत गाटा संख्या-981 आवासीय जंगल श्रेणी में दर्ज पैतृक रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को रोके जाने विषयक आनलाइन जन सुनवाई सन्दर्भ संख्या-15155190116886, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा उपलबध करायी गयी आख्यानुसार जन-सुनवाई प्रार्थना-पत्र के निस्तारण में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गाटा सं0-1077 रकबा 0.7800 हे0 (बंजर श्रेणी-5) में से 0.01300 पर अवैध अध्यासी बाबा श्री हरिश्चन्द्र पुत्र हजारीलाल, निवासी अंटवा मजरा सरसैया के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मु0 26000/- रु0 आरोपित की गयी है। गाटा संख्या-981 क्षेत्रफल 2.0970 हे0 (जंगल श्रेणी-6) पर अवैध अध्यासी गजराज पुत्र भूधर, नि0 अंटवा मजरा सरसैया के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मु0 42500/- रु0 आरोपित की गयी है। गाटा संख्या-981 रकबा 2.0970 हे0 पर अवैध अध्यासी श्री चन्द्रपाल व भारत पुत्रगण रग्घा, विश्राम पुत्र मोहन, नि0 अंटवा मजरा सरसैया के विरुद्ध राजस्व संहिता-2006 यथासंशोधित, 2016 की धारा-67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) सदर हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है। जन-सुनवाई सन्दर्भ संख्या-15155190116886, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 में उल्लिखित अन्य अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-67 की कार्रवाई न करने पर क्षेत्रीय लेखपाल से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कठोर चेतावनी निर्गत की गयी। प्रकरण की पुनः जाँच करायी गयी। जांच में गाटा संख्या-981 में कुल 37 अवैध कब्जेदार पाये गये, जिनके विरुद्ध धारा-67 (1) के अन्तर्गत वाद योजित कर नोटिस प्रपत्र-20 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बभनजोत वि0ख0 के 2019-20 में मानकानुसार सी0सी0 रोड बनाये जाने विषयक

84-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड में तेरहवाँ वित्त की धनराशि वर्ष 2019-20 में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के

रोकने के बाद ब्लाक प्रमुख व बी0डी0ओ0 द्वारा मनमानी तरीके से खर्च कर सी0सी0 रोड का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं कराये जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जाँच करवाकर कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती' सिंह-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा, वि0ख0 छपिया बभनजोत व मनकापुर में प्रधानमंत्री आवास प्लस की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने व अपात्रों का नाम हटाने पर विचार करने विषयक

85-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया-बभनजोत व मनकापुर में प्रधानमंत्री आवास प्लस की बनी सूची में कुछ पात्रों का नाम छोड़ दिया गया है तथा अपात्रों का जोड़ दिया गया है ? क्या सरकार पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ने व अपात्र का नाम हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

जी नहीं।

आवास प्लस की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पूर्व में बनी सूची में विकास खण्ड-छपिया में 2354, बभनजोत में 5023 एवं मनकापुर में 4568 परिवारों के नाम प्रदर्शित हो रहे थे। उक्त परिवारों के स्थलीय जाँच/सत्यापन के उपरान्त विकास खण्ड-छपिया के 1027, बभनजोत के 1760 एवं मनकापुर के 2237 परिवार अपात्र पाये जाने पर सूची से नाम हटा दिया गया है। इस प्रकार आवास प्लस की वर्तमान सूची में पात्रों का नाम छोड़ा नहीं गया है एवं अपात्रों का नाम जोड़ा नहीं गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के छपिया/बभनजोत/मनकापुर के ग्राम पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत पशु शेड व सोकपिट बनाये जाने विषयक

86-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया-बभनजोत मनकापुर ब्लाक की कितने ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना अर्न्तगत कितने पशु शेड एवं

सोकपिट बनाये गये हैं ? क्या सरकार शत-प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवारों को पशु शेड व सोकपिट योजना से लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह'-

मनरेगा योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-छपिया, बभनजोत, मनकापुर की 74 ग्राम पंचायतों में 260 पशु शेड एवं 103 ग्राम पंचायतों में 163 सोकपिट बनाये गये हैं। मनरेगा योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के लाभार्थियों का व्यक्तिगत पशु शेड और सोकपिट निर्माण कार्य मनरेगा गाइड लाइन के अनुसार श्रम-सामग्री 60:40 के अनुपात में ग्राम पंचायतों की कार्य योजना में मांग के अनुसार सम्मिलित कर कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, तहसील बिलसण्डा, ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान तक कच्चे व क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

87-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, तहसील-बिलसण्डा के ग्राम-बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाला मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रद्धालुओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बांदा, तहसील बिलसण्डा के ग्राम-बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान मार्ग की कुल लम्बाई 1620.00 मीटर है। उक्त मार्ग में 660 मीटर सोलिंग का कार्य एवं शेष 960 मीटर रोड कच्ची है। उक्त मार्ग के शून्य से डामरीकरण कार्य कराये जाने हेतु कुल रु0 93.30 लाख का व्ययभार अनुमानित है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 10-09-2020 में उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या-4 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चर्चा के उपरान्त मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। मार्ग के निर्माण हेतु पुनः प्रस्ताव आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला पंचायत मथुरा के मांट में सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने विषयक

88-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र मांट अन्तर्गत 06 सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने हेतु दिनांक 16-02-2019 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को कब तक गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

सभी 06 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मांट में ग्राम पंचायत मथुरा के ईखू से दहोड़ा मार्ग व ग्राम भालई से डेटा जमालपुर मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

89-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में जिला पंचायत मथुरा के अन्तर्गत ईखू से दहोड़ा मार्ग तथा ग्राम भालई से डेटा जमालपुर मार्ग जोकि आंशिक क्षतिग्रस्त/क्षतिग्रस्त क्षेणी का मार्ग है, की मरम्मत/चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत दोनो मार्गों का निर्माण/मरम्मत/लेपन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मांट में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण व साफ-सफाई की व्यवस्था कराने विषयक

90-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-1810/68-5-2018, दिनांक 15-11-2018 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में स्थापित समस्त परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जर्जर शौचालयों का पुनर्निर्माण कराते हुये साफ-सफाई की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

पंचायती राज विभाग के शासनादेश दिनांक 15-11-2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के क्षेत्रान्तर्गत स्थापित परिषदीय प्राथमिकता/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जर्जर शौचालयों एवं सफाई व्यवस्था को ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए समस्त 552 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मांट में ग्राम सभा के मजरों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रि-बोर कराकर चालू कराने व खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कराने विषयक

91-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत किस-किस ग्राम सभा के मजरों में किस-किस के घर के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रि-बोर हुए तथा किस-किस ग्राम व मजरे में खराब हैण्डपम्प अभी चालू नहीं हैं ? क्या सरकार ग्राम सभा वार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में स्थित ग्राम सभाओं तथा उनके मजरों में संलग्न† सूची के अनुसार 243 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रि-बोर कराये गये हैं। पूर्व में कराये गये त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम सभा मजरों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब पाये जाने पर सम्बन्धित हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर सही करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के सेनवा परिक्रमा मार्ग, नगला बिन्दा से पीलीमढ़ी मार्ग, जंघावती परिक्रमा मार्ग व कौलाहर से विजयगढ़ी तक मरम्मत/चौड़ीकरण कराने विषयक

92-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के सेनवा परिक्रमा मार्ग, नगला बिन्दा से पीलीमढ़ी मार्ग, जंघावती परिक्रमा मार्ग एवं कौलाहर से विजयगढ़ी मार्ग का

---

† छापी नहीं गयी।

सरकार मरम्मत/चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

1-सैनवा परिक्रमा मार्ग वित्तीय वर्ष 2020-21 की गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए मरम्मत/लेपन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

2-ग्राम नगला बिन्दा से पीरीमढ़ी (जावरा) मार्ग जिसकी लम्बाई 1.700 कि0मी0 है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का ग्रामीण मार्ग है। उक्त मार्ग 0.150 कि0मी0 लम्बाई में पी0एम0जी0एस0वाई0 मथुरा द्वारा नवीनीकरण का कार्य कराया गया है, शेष 1.550 कि0मी0 लम्बाई में वर्ष 2020-21 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मार्ग की स्थिति सन्तोषजनक है।

3-जंघावली परिक्रमा मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में न होकर ग्राम पंचायत जंघावली के स्वामित्व के अन्तर्गत आता है, जिसकी लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। उक्त मार्ग पर ग्राम पंचायत जंघावली द्वारा ईंट/खड़न्जा/इंटरलॉकिंग आदि निर्माण कार्य कराया गया है, इसके अतिरिक्त शेष भाग पर जिला पंचायत मथुरा द्वारा शेरगढ़-अकबरपुर मार्ग से जंघावली की ओर लेपन/मरम्मत कार्य कराया जाना है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है, अनुदान की धनराशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जाएगा।

4-कोलाहर से विजयगढ़ी मार्ग की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। जिला पंचायत मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत इस कार्य को सम्मिलित किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद अयोध्या, तहसील मिल्कीपुर में तैनात राजस्व कर्मियों का नीति अनुसार अन्य जनपदों में स्थानांतरण करने विषयक

93-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर में कितने राजस्व कर्मी स्थानान्तरण की नीति के विपरीत विगत पाँच वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से तहसील मल्कीपुर में तैनात हैं ? क्या सरकार उक्त सभी कर्मियों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार अन्य तहसीलों में स्थानांतरण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर में कोई कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के विपरीत कार्यरत नहीं है। नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत लिपिक पद के लिए एक तहसील में न्यायालय पर 3 वर्ष एवं अन्य पदों पर 5 वर्ष तक की अवधि निर्धारित है।

वर्तमान समय में उक्त समय-सीमा से अधिक कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। भू-लेख अधिष्ठान के अन्तर्गत लेखपाल एक तहसील में 10 वर्ष व राजस्व निरीक्षक 6 वर्ष कार्यरत रह सकते हैं। लेखपाल संवर्ग में 02 लेखपाल श्री उमेश यादव एवं श्री अंकित कुमार श्रीवास्तव की सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गई थी, परन्तु गत वर्ष कोविड-19 के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र शून्य होने के कारण इनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सका। वर्तमान में दोनों लेखपालों का स्थानान्तरण जनपद की अन्य तहसील में किया जा चुका है। स्थानान्तरण के पश्चात् अन्य कोई कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के विपरीत कार्यरत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद के थाना उत्तर एवं थाना दक्षिण के पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण हालत वाले भवनों के स्थानों पर नवी/मल्टी स्टोरी आधुनिक भवनों को बनाये जाने विषयक

94-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के थाना उत्तर एवं थाना दक्षिण के पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थानों पर नवी/मल्टी स्टोरी आधुनिक भवनों को बनाये जाने के लिये गृह सचिव, उ0प्र0 सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद/पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को निर्देशित किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के सम्बध में लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अत्यन्त पुराने भवनों में संचालित थानों में कार्यरत/आने वाले नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कार्य को कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-291/2020/2385/6-पु-7-2019-135/2015 दिनांक 17-01-2020 द्वारा जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर एवं दक्षिण के जर्जर आवासीय/अनावासीय भवनों के ध्वस्तीकरण कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर एवं दक्षिण के जर्जर आवासीय/अनावासीय भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नारखी ग्राम समूह (नारखी धौंकल, नारखी ताल्लुका) के जल नमूनों के परीक्षण में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के चलते पेयजल योजनाओं को स्वीकृत कराने विषयक

95-श्री मनीष असीजा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद नारखी ग्राम समूह (नारखी धौंकल, नारखी ताल्लुका) के जल नमूनों के परीक्षण में फ्लोराइड की मात्रा

1.5 पी0पी0एम0 से 2.00 पी0पी0एम0 पायी जाने से यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को उक्त के सम्बन्ध में तीनों ग्राम पंचायतों के लिये पृथक-पृथक एकल पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त परियोजनाओं को स्वीकृत कराते हुये कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर में क्रियाशील साइबर थानों की भांति जनपद फिरोजाबाद में साइबर थाने की स्थापना कराये जाने विषयक

96-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर में क्रियाशील साइबर थानों की भांति जनपद फिरोजाबाद में भी साइबर थाने की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अधिसूचना संख्या-25/2020/32पी/छः-पु-6-2020-300 (13)/2014, दिनांक 06-02-2020 द्वारा उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना की गयी है, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस थाना आगरा से आगरा परिक्षेत्र के समस्त जिले (आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी व मथुरा) आच्छादित हैं। जनपद स्तर पर साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर सेल क्रियाशील है।

प्रदेश में दिनांक 24-07-2020 में सी0एम0 पोर्टल पर दर्ज सन्दर्भ सं0-40014020023273 पर कार्रवाई विषयक

97-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-07-2020 सी0एम0 पोर्टल पर दर्ज सन्दर्भ संख्या-40014020023273 पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सी0एम0 पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या-40014020023273 के माध्यम से आवेदक श्री संजीव कुमार पुत्र श्री विश्वनाथ, थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 27-07-2020 को कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को प्राप्त हुआ था, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, जनपद गाजियाबाद से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्राधिकारी की आख्या के अनुसार श्री संजीव कुमार उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-1706/2019 धारा-498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधि0 दिनांक 19-08-2019 को थाना कविनगर पर बनाम अरूण वर्मा, आर0एन0 वर्मा, तारा वर्मा पंजीकृत होकर विवेचना करायी गयी। अभियोग की विवेचना में सभी अभियुक्तगणों के विरुद्ध दिनांक 30-11-2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में वापस लिये गये जघन्य आपराधिक मुकदमों के विवरण विषयक

98-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों (2018, 2019 तथा 2020) में सरकार द्वारा कितने जघन्य अपराधिक मुकदमें किस धरा के अन्तर्गत किन कारणों से वापस लिये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

भारतीय दण्ड संहिता में जघन्य अपराध परिभाषित नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018, 2019 तथा 2020 में कुल 836 मुकदमें विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जनहित में वापस लिये जाने की संस्तुति की गयी है। सरकार द्वारा सामान्यतः राजनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं जन-सामान्य पर दर्ज किये गये मुकदमें जनहित में वापस लिये गये हैं।

जी नहीं।

भारतीय दण्ड संहिता में जघन्य अपराध परिभाषित न होने के कारण ऐसा कोई विवरण सदन के पटल पर रखे जाने का अवसर नहीं है।

प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत प्रवासियों को रोजगार दिये जाने हेतु सरकार द्वारा लॉकडाउन में विशेष प्राविधान के विवरण विषयक

99-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लाकडाउन में मनरेगा के अन्तर्गत प्रवासी महिलाओं व पुरुषों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण व प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती' सिंह-

जी हाँ।

मनरेगा योजनानतर्गत प्रदेश में 19.09 लाख प्रवासी श्रमिक आये, जिनमें से 9.21 लाख नवीन जॉब कार्ड प्रवासियों के लिए बनाये गये एवं 2.71 लाख श्रमिकों को पूर्व में निर्गत जॉब कार्ड से जोड़ा गया तथा 12.52 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। मनरेगा वेबसाइट पर प्रवासी श्रमिक (महिला/पुरुष) की सूचना पृथक से उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीब छात्रों को सस्ती व अच्छी शिक्षा दिये जाने की योजना बनाये जाने विषयक

100-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब छात्रों को सस्ती और गुणवत्तापरक् शिक्षा देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वहनीय शिक्षा देने के लिये प्रदेश के सहायता प्राप्त एवं राजकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है तथा प्राइवेट/निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापरक् शिक्षा प्रदान करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिये उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली का पाठ्यक्रम लागू किया गया है तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप सस्ती पाठय पुस्तकों की व्यवस्था की गई है। यू0पी0) बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु प्रश्न बैंक तैयार कर परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और पठन-पाठन को सुव्यवस्थित करने के लिये शैक्षिक पंचांग लागू किया गया है। विद्यालयी गतिविधियों के सुचारु क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, छात्र/छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिये जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आदि गतिविधियां सम्पन्न करायी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-18191200041241 जनपद आजमगढ़, त0-निजामाबाद, वि0ख0 तहबरपुर, ग्राम व पो0 ओरा में प्रधानमंत्री आवास दिये जाने पर कार्रवाई विषयक

101-श्री राम अचल राजभर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 27-07-2020 का संलग्नकों सहित पत्र आई0जी0 आर0एस0 सन्दर्भ सं0-18191200041241 जोकि जनपद आजमगढ़ की तहसील-निजामाबाद विकास खण्ड तहबरपुर के ग्राम व पो0-ओरा में प्रधानमंत्री आवास दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती' सिंह-

जी हां।

श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री रामकरन के पात्रता के सत्यापन में 3 पक्के कमरे पाये गये हैं। अतः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार अपात्र है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जनपद बाराबंकी, ग्राम युवराज का पुरवा, मजरे बबुआपुर, तहसील हैदरगढ़ में सार्वजनिक खड़न्जा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने विषयक

102-श्री राम नरेश रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा केरंगे कि श्री श्रीराम सोनकर, स0वि0स0, 355, मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ के पत्र दिनांक 29-09-2020 के क्रम में विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्य मंत्री का आदेश दिनांक 29-09-2020 जो ग्राम युवराज का पुरवा, मजरे बबुआपुर, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में श्री रमेश चन्द्र उर्फ पप्पू द्वारा सार्वजनिक खडंजा मार्ग पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्यानुसार ग्राम-बबुआपुर, तहसील-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। प्रकरण का सम्बन्ध पुरानी आबादी व संक्रमणीय भूमिधरी में बने खड़ंजे को लेकर है। आवेदक द्वारा खड़ंजा मार्ग के किनारे बनी विपक्षी की नॉद हटवाना चाहता है। नॉद के आंशिक

भाग को पूर्व में उभय पक्षों की आपसी सहमति से हटवा दिया गया था। वर्तमान जांच में स्थल पर उक्त बने खड़ंजे मार्ग पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

103-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 सितम्बर, 2020 तक कितने लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी करते हुए चिन्हित किये गए ? क्या सरकार उक्त दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुल 2340 फर्जी/अनियमित शिक्षक चिन्हित किये गए।

जी हां।

एस0आई0टी0 एवं एस0टी0एफ0 की जांच में 2340 फर्जी/अनियमित शिक्षकों को चिन्हित किया गया, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 1155 फर्जी शिक्षकों की सेवायें समाप्त की गयी हैं, जिसमें से 995 फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। 1140 अध्यापकों का वेतन अवरुद्ध किया गया है। शेष अध्यापकों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश के कारण कार्यवाही बाधित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़, विधान सभा क्षेत्र लोधा, ग्राम बडौली फतेहखान के समीप गांवों में दूषित पेयजल की समस्या के निदान हेतु ओवरहेड टैंक बनाये जाने हेतु पत्र दि0 25-10-2020 पर कार्रवाई विषयक

104-श्री अनिल पाराशर-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के विकास खण्ड लोधा अन्तर्गत ग्राम बढौली फतेहखान के आस-पास के गाँवों में दूषित पेयजल समस्या के निदान हेतु शुद्ध पेयजल पूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक बनाये जाने हेतु श्रीमती मिथलेश देवी, ग्राम प्रधान बढ़ौली फतेहखान के पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-4300/ पीआरओ/2020, दिनांक 25-10-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता द्वारा इंगित दूषित पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्रीमती मिथलेश देवी, ग्राम प्रधान, बढौली फतेहखा द्वारा बताये गये बढौली फतेहखान के तीन स्थलों पर अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के पेयजल नमूनों की जांच विभागीय प्रयोगशाला में दिनांक 14-12-2020 को करायी गयी। उक्त जाँच में टी0डी0एस0, कठोरता, अम्लीयता एवं आयरन मानक से अधिक पाये गये हैं। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अधीन ग्राम बढौली फतेहखान के आस-पास के गांवों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हेतु न्यूनतम योग्यता व न्यूनतम मानदेय आदि निर्धारित करने सम्बन्धी नियमावली लागू होने के विवरण विषयक

105-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हेतु न्यूनतम योग्यता व मानदेय आदि निर्धारित करने सम्बन्धी कोई नियमावली लागू है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु मानक/योग्यता निर्धारित करने हेतु उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली, 1975 तथा उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 यथा संशोधित नियमावली, 2019 प्रख्यापित की गयी है। उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज द्वारा अशासकीय मान्यता प्राप्त निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय का भुगतान प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में जिला अम्बेडकरनगर विकास खण्ड कटेहरी ग्राम पंचायत यरकी, सुबेदार का पुरा पर मार्ग का निर्माण कराये जाने के विषयक

106-श्री लाल जी वर्मा-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुबेदार का पूरा से प्रा0पा0 मार्ग ग्राम पंचायत यरकी, विकास खण्ड कटेहरी, जिला अम्बेडकरनगर पर पंचायत द्वारा 2001 तथा क्षेत्र पंचायत द्वारा 2011-12 में मिट्टी का कार्य कराया गया था, पर पूर्वांचल निधि जिलांश द्वारा लग रहे खड़न्जे कार्य को जिलाधिकारी द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हाँ, तो

क्यों ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हाँ, उक्त मार्ग पर मिट्टी का कार्य अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व से कराया गया था, जिस पर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अम्बेडकरनगर द्वारा खड़न्जा लगाने का कार्य कराया जा रहा था, परन्तु लगभग 95 मीटर लम्बाई में भूमि विवाद के कारण विभाग द्वारा कार्य को रोक दिया गया है। कार्य स्थल पर भूमि विवाद के फलस्वरूप विभाग द्वारा ही कार्य को रोक दिया गया है। उक्त विवादित कार्य स्थल की पैमाइश ग्राम प्रधान ने अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दिनांक 02-06-2020 को की गयी पैमाइश के उपरान्त सम्बन्धित लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक 02-06-2020 में उल्लिखित किया गया कि मार्ग निर्माण का विवादित प्रभाग गाटा संख्या-174410202 है, 1747/0.382 हे0 व 1757/0.455 हे0 में स्थित है, जो श्री राकेश चन्द्र शुक्ल आदि की संयुक्त यह संक्रमणीय भूमिधरी बाग है, जिस पर भू-स्वामियों द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आपत्ति की जा रही है एवं खड़न्जा निर्माण हेतु सहमत नहीं है। उक्त मार्ग का विवादित प्रभाग श्री राकेश चन्द्र शुक्ल आदि की संयुक्त सह संक्रमणीय भूमिधरी बाग है। ऐसी स्थिति में खड़न्जा कार्य आवेदकगण के खतौनी की भूमि में होने के कारण उनके द्वारा आपत्ति की गयी है तथा खड़न्जा निर्माण हेतु सहमत नहीं है, जिसके कारण विवादित भाग में कार्य होना संभव नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम के सिकन्दरपुर प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

107-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के जानकीपुरम क्षेत्र स्थित सिकन्दरपुर प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि कब्जा मुक्त कराकर भू-मफिया के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद में पक्का पुल के बगल में नवीन सेतु के पास गोमती नदी पर अस्थाई निर्माण को हटाये जाने विषयक

108-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में पक्का पुल के बगल में नवीन सेतु के पास विविध निर्माण के लिए गोमती नदी की धारा को अस्थाई निर्माण द्वारा अवरुद्ध किया गया था, को अभी तक नहीं हटाया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त अस्थाई निर्माण न हटने से फैजुल्लागंज क्षेत्र में जलभराव व कुड़ियाघाट पर भारी पैमानों पर जलकुम्भी एकत्र हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अस्थाई निर्माण हटाकर गोमती नदी का प्रवाह अविरल करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

विविध निर्माण के लिए कुड़ियाघाट पर अस्थाई बन्धे का निर्माण कराया गया था, जिसमें धारा पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं है। उक्त अस्थाई निर्माण का कार्य जांच से आच्छादित है। गोमती नदी में पीक डिस्चार्ज के दौरान कुछ दिनों के लिये फैजुल्लागंज क्षेत्र में जलभराव की समस्या हो जाती है। कुड़ियाघाट पर आंशिक रूप से जलकुम्भी एकत्र होती है, लेकिन समय-समय पर जलकुम्भी हटाने का कार्य कराया जाता है। जांच एजेन्सी से उक्त अस्थाई निर्माण को हटाने हेतु अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के उपरान्त अस्थाई निर्माण को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

109-डॉ0 नीरज बोरा-

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद गोण्डा के गौरा में छपिया व बभनजोत वि0ख0 में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कराने विषयक

110-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र के छपिया व बभनजोत विकास खण्ड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया व बभनजोत में 01 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा 11 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा उक्त विकास खण्ड के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र के छपिया व बभनजोत विकास खण्ड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद गोण्डा के छपिया वि0ख0 बखरौली व वासुदेवपुर ग्रन्ट व पायरखास में पानी की टंकी से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने विषयक

111-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया विकास खण्ड के बखरौली, वासुदेवपुर ग्रन्ट तथा पायरखास मे लगी पानी की टंकी से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियो से पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना (बैच-I) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत बखरौली में सोलर आधारित पेयजल योजना तथा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में ग्राम पंचायत वासुदेवपुर ग्रन्ट एवं पायरखास में बिजली आधारित पेयजल योजनाएं निर्मित की गयी थीं। उक्त पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को पेयजल से संतृप्त कराते हुए इन योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को क्रमशः वर्ष 2018-19, 2019-20 में ही किया जा चुका है। उक्त पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के केशवनगर ग्रन्ट व कूकनगर ग्रन्ट व घारीघाट में घरों में पानी सप्लाई की व्यवस्था कराने विषयक

112-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के केशवनगर ग्रन्ट, कूकनगर ग्रन्ट व धारीघाट से लगी पानी की टंकी से लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियो से पानी सप्लाई की व्यवस्था करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के अन्तर्गत केशवनगर ग्रन्ट पेयजल योजना, कूकनगर ग्रन्ट पेयजल योजना एवं धारीघाट पेयजल योजना के माध्यम से आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। कूकनगर ग्रन्ट पेयजल योजना को मार्च, 2018 में सम्बन्धित ग्राम पंचायत को चालू हालत में हस्तान्तरित किया जा चुका है। 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत केशवनगर ग्रन्ट, कूकनगर ग्रन्ट एवं धारीघाट की योजनाओं में रेट्रोफिटिंग कराकर समस्त घरों को क्रियाशील गृह जल संयोजन के माध्यम से जलापूर्ति हेतु कार्य सितम्बर, 2020 में शुरू करा दिये गये हैं, जिन्हें मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्रयागराज, तहसील हण्डिया ,परगना केवाई, ग्राम रामनगर में राममनोहर लोहिया योजनान्तर्गत बिन्द पुत्र स्व0 तेरसनाथ बिन्द के घर तक बनी आर0सी0सी0 सड़क दबंग व्यक्तियों द्वारा तोड़ कर अवैध रूप से कब्जा मुक्त कराने विषयक

113-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-रामनगर (सुरजी कतारा) परगना केवाई, तहसील-हण्डिया, जिला-प्रयागराज में राममनोहर लोहिया (समग्र) योजनान्तर्गत काली रोड से रमेश बिन्द पुत्र स्व0 तेरसनाथ बिन्द के घर तक बनी आर0सी0सी0 सड़क दबंग व्यक्तियों द्वारा तोड़ कर अवैध रूप से कब्जा कर लिये जाने से ग्रामवासियों का आवागमन पूर्णतया बाधित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये रोड को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

काली रोड से रमेश बिन्द पुत्र स्व0 तेरसनाथ बिन्द के घर तक बनी आर0सी0सी0 सड़क को दबंगों द्वारा तोड़ा गया है, जिसके क्रम में सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत, रामनगर द्वारा प्रकरण की जांचोपरान्त थाना हण्डिया, तहसील हण्डिया में जीत नारायन व 09 अन्य कुल 10 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

जनपद महोबा के जैतपुर वि0ख0 ग्राम रजपुरा में नाले रपटा का निर्माण किये जाने के विषयक

114-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के जैतपुर विकासखण्ड के ग्राम रजपुरा में स्थित नाले पर रपटा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

तदैव।

तदैव।

प्रश्नकर्ता व उनके परिवार को सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक

115-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-16 द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या 100 आईजीआरएस/छः-पु-16-2017-01 आईजीआरएस/17, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 में प्रश्नकर्ता के पुनः आग्रह पर जिला प्रशासन व खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रश्नकर्ता व उसके परिवार की जान को खतरा को देखते हुये वाई श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने की संस्तुति की है ? यदि हाँ, तो कब तक उक्त सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्न में अंकित पत्र के क्रम में शासन के पत्र संख्या-135 सीएम (एन)/छः-पु-16-2018-700(8)/2019, दिनांक 17-07-2019 द्वारा अद्यतन जीवनभय आख्या/स्टेटस पेपर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 से की गयी थी, जिसके अनुक्रम में सुरक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या-सुरक्षा-प्राट/सं0श्रे0-78/05, दिनांक 20-09-2019 के माध्यम से जीवनभय आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। तत्पश्चात् शासन स्तर पर गठित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की दिनांक 02-11-2019 को आयोजित बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त महानुभाव को पदेन रूप से निःशुल्क प्रदत्त 01 सुरक्षा कर्मी के अलावा निःशुल्क प्रदत्त कराये गये प्रथम अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी (दूसरा सुरक्षा कर्मी) एवं 25 प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदत्त कराये गये द्वितीय अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी (तीसरा सुरक्षा कर्मी) को यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-158 श्रेणी/6-पु-16-2016-700 (14)/2013, दिनांक 07-11-2019 निर्गत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा विधान सभा क्षेत्रवार हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु बजट जारी करने बिषयक

116-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में विधान सभा क्षेत्रवार हैण्डपम्प लगाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट सरकार जारी करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महोबा सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों में चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से पट्टा कर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई विषयक

117-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी की ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से पट्टा करके कब्जा करने का प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर में वर्ष 1976 में 108 व्यक्तियों, दिनांक 30-03-2001 को 32 व्यक्तियों तथा दिनांक 28-03-2003 को 77 व्यक्तियों के पक्ष में कृषि आवंटन स्वीकृत है जबकि दिनांक 30-03-2001 को 26 व्यक्तियों, दिनांक 26-03-2003 को 14 व्यक्तियों तथा दिनांक 28-10-2016 को 22 व्यक्तियों के पक्ष में आवास आवंटन स्वीकृत हुआ है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर में कोई अवैध पट्टा नहीं किया गया है।

जनपद आजमगढ़, तहसील सगड़ी, ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर प्रधान द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कराये विकास कार्यों का सत्यापन कराने विषयक

118-श्री श्याम सुन्दर शर्मा

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी की ग्राम पंचायत अमुवारी नरायनपुर प्रधान द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के कराये गये विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

जी हाँ।

शिकायतों की जांच खण्ड विकास अधिकारी, अजमतगढ़ द्वारा की गयी। जांच में कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खण्ड शिक्षा अधिकारी से बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु नियमावली बनाने विषयक

117श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग में खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत कर्मी की पदोन्नति सम्बन्धी नियमावली नहीं होने के कारण उनका बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विसंगति को दूर करने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी ए0बी0एस0ए0 की पदोन्नति हेतु नियमावली बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के अनुसार समूह 'ख' उच्चतर के 50 प्रतिशत पद को सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत तीन स्रोत संवर्ग शिक्षण पुरुष शाखा, महिला शाखा तथा निरीक्षण शाखा के अधिकारियों से वरिष्ठता के आधार पर क्रमशः 61 प्रतिशत, 22 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत के अनुपात के भरे जाने की व्यवस्था है। पदोन्नति का कोटा बढ़ाने के सम्बंध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-1617/2018 उ0प्र0 विद्यालय निरीक्षक संघ एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित है, जो सम्प्रति मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में यू0पी0एस0एस0एस0सी0 द्वारा आयोजित लम्बित परीक्षाएं कराकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने विषयक

120-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सब-ऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन (यू0पी0एस0एस0एस0सी0) द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0-28-एक्जाम/2016, विज्ञापन

सं0-04/2018 तथा विज्ञापन सं0-।-5/ई-1/2019 के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त लम्बित परिक्षाएं कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विज्ञापन संख्या-28-एक्जाम/2016 एवं विज्ञापन संख्या-04/2018 के अन्तर्गत विज्ञापित पदों पर कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा का आयोजन तत्समय नहीं किया जा सका तथा अधिसूचना दिनांक 31-08-2020 से प्रवृत्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2020 के उपबन्धों के आलोक में उक्त विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु उत्पन्न कतिपय कठिनाइयों के निवारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के विज्ञापन संख्या-5/ई-1/2019 से आच्छादित पदों हेतु चयन की परीक्षा दिनांक 31-12-2020 को सम्पन्न करायी जा चुकी है तथा उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 05-02-2021 को घोषित किया जा चुका है। साक्षात्कार दिनांक 22-02-2021 से प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों एवं लेखाधिकारियों के कार्यालयों में कई वर्षों से कार्यरत समूह ख, ग एवं घ वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं लेखाधिकारी कार्यालयों में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध वर्षों से एक ही पटल पर कार्य कर रहे समूह ख, ग एवं घ वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों का पटल परिवर्तन अथवा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

121-डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हाँ।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/2020/1/96-का-4-2020, दिनांक 12-05-2020 द्वारा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है। बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-204/अरसठ-1-2021-33(06)/2021, दिनांक 10-02-2021 द्वारा आगामी स्थानान्तरण सत्र 2021-22 में कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत की जाने वाली स्थानान्तरण नीति के आलोक में नियमानुसार स्थानान्तरण किये जाने हेतु महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की सभी तहसीलों में वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 तक राजस्व सम्बन्धी लंबित वादों का निस्तारण कराये जाने विषयक

122-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की समस्त तहसीलों में वर्ष 2016-17,2017-18,2018-19 एवं 2019-20 में राजस्व सम्बन्धी कितने वादों का निस्तारण किया गया व कितने वाद लम्बित है ? क्या सरकार उक्त लम्बित वादों का निस्तारण करने की कोई समय सीमा निर्धारित करते हुए उक्त का तहसीलवार सूची का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

वर्षवार निस्तारित/लम्बित राजस्व वादों की संख्या निम्नवत है :-

वर्ष	निस्तारित वाद	लम्बित वाद
2016-17	27204	21975
2017-18	34351	23807
2018-19	36255	25948
2019-20	34983	30276

जी हाँ।

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की विभिन्न धाराओं (धारा-24, 32, 34, 35, 38, 67 एवं 80) के अन्तर्गत दायर किये जाने वाले राजस्व वादों के निस्तारण हेतु संगत धाराओं में समय-सीमा का प्राविधान है। लम्बित वादों के निस्तारण के लिये पृथक से कोई नीति नहीं है। राजस्व संहिता की उक्त धाराओं एवं समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेश/परिषदादेश के तहत ही राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाता है। तहसीलवार निस्तारित एवं लम्बित वादों का विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव के ग्राम पंचायत मंछना की ग्राम सभा की जमीन कतिपय रकबा नं0 को भूमाफियाओं से मुक्त कराने विषयक

123-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील भोगाँव अन्तर्गत ग्राम पंचायत मंछना की ग्राम सभा की जमीन रकबा नं0-3949/0.397 हे0, 4719/0.028 +

---

† देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 355 पर।

0.023, 4191/0.174, 4182/0.280, 4170/0.194 3738/2.123, 3763/0.142, 2392/0.255, 2390/0.243, 2391/0.081, 2297/0.146, 2257/0.33 6781/0.121, 41/0.032, 779/एन0जेड0ए0, 506/0.227 पर किये गये अवैध कब्जा को भू-माफियाओं से सरकार मुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम मंछना के गाटा संख्या-3949/0.397, 4719मि./0.024, 4182/0.174, 4170/0.0194, 3763/0.142, 2297/0.146, 2257/0.336, 781/0.121, 41/0.032 हे0 ग्राम सभा की बंजर भूमि के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। उक्त सभी गाटे मौके पर खाली व सुरक्षित है। गाटा संख्या-4719मि0/0.28 हे0, 4191/0.174, 2391/0.081 हे0 ऊसर के रूप में खतौनी में दर्ज है। यह भूमि मौके पर रिक्त एवं सुरक्षित है। गाटा संख्या-2392/0.255 हे0 2390/0.243, 779 एन0जेड0ए0 दर्ज है तथा वर्तमान में गाटा संख्या-729 मैनपुरी किशन मार्ग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है तथा गाटा संख्या-2390/0.243 हे0 व 2392/0. 255 हे0 भी मैनपुरी किशनी मार्ग सड़क हक में आते है। वर्तमान में वन विभाग द्वारा मैनपुरी किशनी मार्ग के किनारे वृक्ष लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। गाटा संख्या-506/0.227 हे0 नाली अंकित है, जिसमें से 0.002 हे0 पर अमित पुत्र सुरेश चन्द्र का कब्जा है, जिसके विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, भोगांव में उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है तथा शेष रकवा मौके पर खाली व सुरक्षित है। ग्राम मंछना की वर्तमान खतौनी सन फसली 1424-29 के गाटा संख्या-3738/2.123 हे0 का रकवा 2.123 हे0 का कोई भी खाता नहीं है। जो0च0आ0प0-41 के अनुसार गाटा संख्या-3738 का रकवा 11.20 एकड़ बंजर में दर्ज है। परन्तु उक्त गाटा में से वर्तमान खतौनी 1424-1429 में विभिन्न काश्तकारों के नाम कुल 4.127 हे0 कृषि हेतु पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं। ग्राम सभा मंछना के नाम वर्तमान खतौनी में गाटा संख्या-3738 मि0 रकवा 0.161 हे0 बंजर दर्ज है, जो मौके पर खाली व सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील टाण्डा जिला अम्बेडकर नगर में ग्राम हसनपुर सुन्थर, जनार्दनपुर, चकजल्ला एवं दौलतपुर हाजल पट्टी के कृषकों के फसल की क्षतिपूर्ति दिलाने के सम्बन्ध में

124-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में जहांगीर गंज रजवाहा की पटरी दिनांक 27-03-2017 को ग्राम जनार्दनपुर में टूट जाने के कारण ग्राम हसनपुर सुन्थर, जनार्दनपुर, चकजल्ला एवं दौलतपुर हाजल पट्टी के कृषकों के फसल की क्षति हुई थी ? यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्रफल एवं कितने रुपये की फसल की छति हुई थी ? क्या सरकार उक्त फसल छति का भुगतान कृषकों को करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-अम्बेडकरनगर की तहसील-टाण्डा में जहांगीर गंज रजवाहा की पटरी दिनांक 27-03-2017 को ग्राम-जनार्दनपुर में टूट जाने के कारण ग्राम-हसनपुर सुन्थर, जनार्दनपुर, चकजल्ला एवं दौलतपुर हाजल पट्टी के कृषकों की फसल क्षति हुई थी। कुल 2.73 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं रु0 1,35, 898/-की फसल क्षति हुई थी। नहर से हुई क्षति के भुगतान के सम्बंध अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग में नहरों से हुई क्षति के सम्बन्ध में आई0एम0ओ0 के प्रस्तर-316 के विभिन्न उप प्रस्तर के अनुसार फसल क्षति प्रतिशत के आधार पर सिंचाई कर में छूट का प्राविधान है, जो कि निम्नवत है :-

फसल क्षति का प्रतिशत	सींच कर में छूट
50 प्रतिशत तक	शून्य
50 से 75 प्रतिशत तक	50 प्रतिशत सिंचाई कर
75 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत सिंचाई कर

चूँकि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा कृषकों से किसी भी प्रकार का सिंचाई कर नहीं वसूला जा रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार कृषकों को क्षति का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तहसील टाण्डा जिला अम्बेडकरनगर में ग्राम हसनपुर सुन्थर, जनार्दनपुर, चकजल्ला एवं दौलतपुर हाजल पट्टी के कृषकों के फसल की क्षतिपूर्ति दिलाने के सम्बन्ध में

125-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में जहांगीर गंज रजवाहा की पटरी दिनांक 27-03-2017 को ग्राम जनार्दनपुर में टूट जाने के कारण ग्राम हसनपुर सुन्थर, जनार्दनपुर, चकजल्ला एवं दौलतपुर हाजल पट्टी के कृषकों के फसल की क्षति हुई थी ? यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्रफल एवं कितने रुपये की फसल की छति हुई थी ? क्या सरकार उक्त फसल छति का भुगतान कृषकों को करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-अम्बेडकरनगर की तहसील-टाण्डा में जहांगीर गंज रजवाहा की पटरी दिनांक 27-03-2017 को ग्राम-जनार्दनपुर में टूट जाने के कारण ग्राम-हसनपुर सुन्थर, जनार्दनपुर चकजल्ला एवं दौलतपुर हाजल पट्टी के कृषकों के फसल की क्षति हुई थी। कुल 2.73 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं रु0 1,35,898/-की फसल क्षति हुई थी।

नहर से हुई क्षति के भुगतान के सम्बन्ध अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग में नहरों से हुई क्षति के सम्बंध में आई0एम0ओ0 के प्रस्तर-316 के विभिन्न उप प्रस्तर के अनुसार फसल क्षति प्रतिशत के आधार पर सिंचाई कर में छूट का प्राविधान है, जो कि निम्नवत है :-

फसल क्षति का प्रतिशत	सींच कर में छूट
50 प्रतिशत तक	शून्य
50 से 75 प्रतिशत तक	50 प्रतिशत सिंचाई कर
75 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत सिंचाई कर

चूँकि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है तथा कृषकों से किसी भी प्रकार का सिंचाई कर नहीं वसूला जा रहा है। अतः उपरोक्तानुसार कृषकों को क्षति का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड लोधा के गाँव बढ़ौली फतेहखान के शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक बनाने के सम्बन्ध में

126-श्री अनिल पाराशर-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत विकास खण्ड लोधा के गांव बढौली फतेहखान के साथ आस-पास के गांव में दूषित पेयजल के कारण फैल रही बीमारियों को देखते हुए शुद्ध पेयजलापूर्ति हेतु ओवरहेड टैंक बनाये जाने विषयक श्रीमती मिथलेश देवी ग्राम प्रधान बढौली के पत्र संलग्न का प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4216/पी0आर0ओ0/2020 दिनांक 18-08-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता द्वारा इंगित दूषित पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में श्रीमती मिथलेश देवी, ग्राम प्रधान, बढौली फतेहखान द्वारा बताये गये बढौली फतेहखान के तीन स्थलों पर अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के पेयजल नमूनों की जांच विभागीय प्रयोगशाला में दिनांक 14-12-2020 को करायी गयी। उक्त जाँच में टी0डी0एस0, कठोरता, अम्लीयता एवं आयरन मानक से अधिक पाये गये हैं।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम बढ़ौली फतेहखान के आस-पास के गांवों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के जानकीपुरम-मड़ियांव में अभिनव माडल स्कूल को उपयोग करने हेतु

127-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जानकीपुरम-मड़ियांव में अभिनव माडल स्कूल का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें अध्ययन कार्य चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

विद्यालय में अध्ययन कार्य संचालित है।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पत्रकारिता हेतु विश्वविद्यालय बनाने विषयक

128-श्री देवमणि द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु आगामी बजट में धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के राजकीय इंटर कालेज इस्सेपुर खुरगान में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक

129श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में राजकीय इंटर कालेज इस्सोपुर खुरगान में वर्तमान में कुल कितने शिक्षकों का अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा किया गया है तथा इंटर कालेज में मानक अनुसार कुल कितने शिक्षक होने चाहिए ? क्या सरकार उक्त कालेज में वर्तमान छात्रों की संख्या ढाई सौ के अनुपात में मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

राजकीय इण्टर कालेज इस्सोपुर खुरगान में पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है। इण्टर कालेज स्तर के विद्यालयों में 01 प्रधानाचार्य, 09 प्रवक्ता एवं 07 सहायक अध्यापक का मानक

निर्धारित है। इस मध्य जिलाधिकारी, शामली के निर्देशानुसार छात्रहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में श्री धनवीर, सहायक अध्यापक, राजकीय यमुना खादर इण्टर कालेज, कामलपुर को प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में सम्बद्ध कर तथा प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से 02 शिक्षकों की व्यवस्था कर छात्रों के हित में शिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। पद सृजन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात नियुक्ति/पद स्थापन सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कोविड-19 से बचाव हेतु शैक्षिक धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों की निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों की तैनाती करने के सम्बन्ध में

130-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोविड-19 से बचाव हेतु सतर्कता और सावधानी बरतने के उद्देश्य से शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक आयोजनों की निगरानी हेतु क्षेत्रवार नोडल अधिकारियों की तैनाती सरकार द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

सार्वजनिक आयोजनों की निगरानी हेतु क्षेत्रवार नोडल अधिकारियों की तैनाती सरकार द्वारा नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस महानिदेशक स्तर से कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु शासन के आदेशों को क्रियान्वित करने हेतु जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में कोविड हेल्प डेस्क तथा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम भी बनाये गये जिससे अपेक्षित नियंत्रण व सामन्जस्य बनाए रखा गया। पृथक से शैक्षिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नहीं बनाये गये है। वर्तमान में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में प्राप्त महत्वपूर्ण सफलता के दृष्टिगत अब अन्य कोई विशेष योजना बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में कोविड-19 के विषय में प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने हेतु अपेक्षित सावधानियां बरते जाने के निर्देश पूर्व से ही प्रभावी हैं।

प्रदेश में पैगंबरे इस्लाम के शांति सम्बन्धित संदेशों को परिषदीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने विषयक

131-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैगंबरे इस्लाम के शांति सम्बन्धित संदेशों को परिषदीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

पैगंबरे इस्लाम के शांति सम्बन्धित सन्देश परिषदीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पूर्व से ही समाहित हैं। कक्षा-4 की पाठ्यपुस्तक उर्दू जबाँ तथा कक्षा 7 की पुस्तक 'हमारा इतिहास और नागरिक जीवन' में पैगंबर साहब की शिक्षाओं को सम्मिलित कर पढ़ाया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के किसानों को आर्थिक सहायता दिए जाने विषयक

132-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत किन श्रेणियों के कृषकों को व्यक्तिगत आधार पर सहायता दिए जाने का प्रावधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत तीन वर्षों में किस श्रेणी के कितने लोगों को मनरेगा योजना में उक्त सहायता प्रदान की गई है ? क्या लघु और सीमांत समस्त कृषकों को मनरेगा में सहायता का पात्र बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती'-

मनरेगा योजनान्तर्गत मास्टर सर्कुलर के पैरा-7.4.12 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के चयन हेतु अनुसूची-1 के पैरा-5 के अन्तर्गत व्यक्तिगत परिसम्पत्ति का सृजन करने वाले कार्यों हेतु स्वयं की जमीन व घर वाले निम्न श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख किया गया है :-

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचति जनजाति
- खानाबदोश जनजाति
- गैर-अधिसूचित जनजातियां
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अन्य परिवार

- महिला प्रधान परिवार
- शारीरिक रूप से दिव्यांग परिवार
- भूमि सुधारों के लाभार्थी
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थी
- अनुसूची जनजाति तथा अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 02) के अधीन लाभार्थी और इस शर्त के अधीन रहते हुए कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित लघु या सीमान्त किसानों की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात की परिवारों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास जॉब कार्ड होगा।

मनरेगा योजनान्तर्गत विगत 03 वर्षों में व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य श्रेणी के अन्तर्गत प्रगति विवरण निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति श्रेणी के परिवार जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के परिवार जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया	अन्य श्रेणी के परिवार जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया	कुल परिवार जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया
2019-20	3.92 लाख	20213	9.89 लाख	14.02 लाख
2018-19	4.31 लाख	16795	8.84 लाख	13.32 लाख
2017-18	4.99 लाख	17392	7.80 लाख	12.96 लाख

उक्त के अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों के अन्तर्गत प्रगति विवरण निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	कुल व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य
2017-18	16.56 लाख
2018-19	3.96 लाख
2019-20	3.50 लाख

यह भी उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणीवार सूचना मनरेगा वेबसाइट पर पृथक से उपलब्ध नहीं है।

मनरेगा योजनान्तर्गत मास्टर सर्कुलर के पैरा-7.4.12 के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के चयन हेतु अनुसूची-1 के पैरा-5 के अन्तर्गत व्यक्तिगत परिसम्पत्ति का सृजन करने वाले कार्यों हेतु स्वयं की जमीन व घर वाले उपरोक्त वर्णित श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता दिये जाने के उपरान्त मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों को व्यक्तिगत कार्यो से आच्छादित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेती में रासायनिक खाद कीटनाशक व दैनिक जीवन में प्लास्टिक के प्रयोग के विरुद्ध शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने के सम्बन्ध में

133-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार में खाद्यान्नों, फलों व सब्जियों आदि की खेती में रासायनिक खादों व कीटनाशकों और दैनिक कार्यों में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग से मानव जीवन पर हो रहे दुष्प्रभाव के प्रति छात्रों को जागरूक करने का विषय शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

प्रदेश में खाद्यान्नों, फलों व सब्जियों आदि की खेती में रासायनिक खादों व कीटनाशकों और दैनिक कार्यों में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के प्रयोग से मानव जीवन पर हो रहे दुष्प्रभाव के प्रति छात्रों को जागरूक करने का विषय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरीय शैक्षिक पाठ्यक्रम में पूर्व से ही समाहित है। कक्षा 3, 4, 5 में हमारा परिवेश तथा कक्षा 6, 7, 8 में गृहशिल्प, हमारा पर्यावरण व कक्षा-6 में कृषि विज्ञान विषय, कक्षा 8 आओ समझे विज्ञान, कक्षा 6, 7 एवं 8 कृषि/विज्ञान, कक्षा 4 व 7 की अंग्रेजी विषय की पाठ्यपुस्तकों में रासायनिक खादों, कीटनाशकों व प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के दुष्प्रभावों पर आधारित विषयवस्तु को पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित कर छात्र-छात्राओं को पढ़ाया व जागरूक किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ग्राम बिसावर में कानून व्यवस्था हेतु पुलिस थाना स्थापित कराने के सम्बन्ध में

134-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में गाँव बिसावर में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने हेतु पुलिस थाने की स्थापना सरकार कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, हाथरस की आख्या दिनांक 05-02-2021 के अनुसार क्षेत्रफल व जनसंख्या का मानक पूर्ण नहीं करने के कारण थाना सादाबाद के अन्तर्गत स्थापित

पुलिस चौकी बिसावर को थाना बनाया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त जिन थानों से क्षेत्रफल व जनसंख्या काटकर ली जानी होगी उनका भी क्षेत्रफल व जनसंख्या मानक से कम हो जा रहा है। इसके अतिरिक्त थाना बनाये जाने हेतु भूमि भी उपलब्ध नहीं है।

अतः क्षेत्रफल व जनसंख्या के मानक पूर्ण न होने तथा भूमि उपलब्ध न होने आदि कारणों से बिसावर में पुलिस थाना नियमानुसार स्थापित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक अकराबाद के गांव बादरी से गोपी विजयगढ़ मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

135-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद में गाँव बादरी से गोपी विजयगढ़ मार्ग कच्चा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के कच्चे मार्ग का पक्का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिला पंचायत अलीगढ़ की वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में प्रश्नगत मार्ग सम्मिलित नहीं है। जिला पंचायत अलीगढ़ की आगामी बोर्ड बैठक में प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा जाएगा। जिला पंचायत बोर्ड के निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद हाथरस ग्राम समदपुर में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण सम्बन्धित

136-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के ग्राम समदपुर ग्राम दोहई तथा ग्राम छोटी बहरदोई में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बंधों पर पिचिंग कार्य हेतु प्रस्तावित/आवंटित धनराशि के विषय में

137-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बंधों पर पीचिंग का कार्य कराये जाने हेतु मद में धनराशि है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित बन्धों के रख-रखाव हेतु चिन्हित सीमित धनराशि में पिंचिग के कार्य का कोई विशिष्ट मद नहीं है।

प्रदेश में बंधों के अनुरक्षण हेतु गोरखपुर मंडल हेतु आवंटित धनराशि के विषय में

138-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बंधों के अनुरक्षण हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बंधो के अनुरक्षण हेतु गोरखपुर मण्डल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में तटबंधों के अनुरक्षण हेतु रु0 130.005 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी। जी हाँ। गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत 04 जनपदों गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया को कुल रु0 37.40 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रदेश के समस्त प्रा0 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई सुनिश्चित करने विषयक

139-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराये जाने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

प्रदेश के 15000 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम के द्वारा करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा गोपिया में 400 मी0 सड़क निर्माण हेतु

140-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा बोटानिया गोपिया में राम गुलाम के घर से पेशकार के घर तक दूरी लगभग 400 मीटर सड़क निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा झाला में 1500 मीटर सड़क निर्माण हेतु

141-श्रीमती सरोज सोनकर

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 282 बलहा के अर्न्तगत ग्राम सभा झाला में अशोक मौर्या के घर से हनुमान मन्दिर के आगे पुलिया तक दूरी लगभग 1500 मीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक मौर्या के घर से हनुमान मन्दिर के आगे पुलिया तक लम्बाई लगभग 1500 मी0 आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लगभग रु0-6400000.00/-है। ग्राम पंचायत की राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त की बजट लगभग रु0-3500000.00 है, जिससे यह निर्माण कार्य ग्राम पंचायत से कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा निद्धिपुरवा द्वितीय में 1 कि0मी0 सी0सी0 रोड निर्माण हेतु

142-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा निद्धिपुरवा द्वितीय में जूनियर स्कूल से पिच रोड तक लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर आर0सी0सी0 रोड का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

ग्राम सभा निद्धिपुरवा द्वितीय में जूनियर स्कूल से पिच रोड तक मौके पर मार्ग की कुल लम्बाई 700 मीटर है। जिस पर 3.0 मीटर की चौड़ाई में खण्ड़जा लगा है तथा मार्ग की कुल चौड़ाई 4.00 मीटर है। उक्त मार्ग गांव की सीमा के अन्दर है। आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत की आय/बजट से बाहर होने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना ग्राम पंचायत स्तर से संभव नहीं है।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा गंगापुर में 500 मी0 इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु

143श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गंगापुर में सज्जन यादव के घर से राम रतन के खेत तक लम्बाई लगभग 500 मीटर इंटरलॉकिंग का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सज्जन यादव के घर से श्री राम रतन के खेत तक लम्बाई लगभग 500 मीटर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत लगभग 19.20 लाख खर्च होगा। चूंकि इतनी धनराशि ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल में करहल-किशनी मार्ग पर कैटल घाट/रिटर्निंग वाल बनाये जाने विषयक

144-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल में करहल-किशनी मार्ग पर कुशे में गागसी रजवाह पर पुल से नगला मोती तक रजवाह की पटरी पर जल कटाव के कारण सी0सी0 मार्ग के नीचे की मिट्टी ढह गयी है ? यदि हाँ, तो पुल के दोनों तरफ कैटल घाट अथवा रिटर्निंग वाल सरकार बनवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

उक्त स्थल बॉसक रजबहा पर स्थित है। बॉसक रजबहा के कि0मी0 20.473 की दायीं पटरी पर बाथिंग घाट/ रिटेनिंग वाल तथा बायीं पटरी पर रिटेनिंग वाल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सर्वेक्षण उपरान्त तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर परियोजना की स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा विधान सभा मांट में जिला पंचायत मथुरा अन्तर्गत नौहझील ग्राम तिलकागढ़ी से खाजपुर आदि क्षतिग्रस्त मार्गों का मरम्मतीकरण/चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

145-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में जिला पंचायत मथुरा के अन्तर्गत नौहझील के ग्राम तिलकागढ़ी से खाजपुर ग्राम न0 बिन्दा से पीरीमढ़ी (जावरा) ग्राम नगला हरिया से नगला गड़रिया (औहवा) ग्राम अहमदपुर से घसिया गढ़ी तथा ग्राम रूपनगर से बरचावली मार्ग जो कि अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, का पुनर्निर्माण/मरम्मत/चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

1-नौहझील के ग्राम तिलकागढ़ी से खाजपुर मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.00 कि0मी0 है। उक्त मार्ग को गड्ढामुक्त करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

2-ग्राम नगला बिन्दा से पीरीमढ़ी (जावरा) मार्ग जिसकी लम्बाई 1.700 कि0मी0 है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का ग्रामीण मार्ग है। उक्त मार्ग 0.150 कि0मी0 लम्बाई में पी0एम0जी0एस0वाई0 मथुरा द्वारा नवीनीकरण का कार्य कराया गया है, शेष 1.550 कि0मी0 लम्बाई में वर्ष 2020-21 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मार्ग की स्थिति सन्तोषजनक है।

3-ग्राम नगला हरिया से नगला गड़रियों (औहावा) मार्ग पर जिला पंचायत मथुरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

4-ग्राम अहमदपुर से घसिया गढ़ी मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है, जिसमें से 1200 मी0 लम्बाई में गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में मरम्मत/लेपन कार्य करा दिया गया है, शेष 800.00 मी0 मार्ग को हाट मिक्स प्लाण्ट से निर्मित कराये जाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

5-ग्राम रूपनगर से बरचावली मार्ग को हॉट मिक्स प्लाण्ट से निर्मित कराये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वंचित पात्रों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु

146-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न-177 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना

ग्रामीण के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से वंचित किन्तु अर्ह व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती'-

जी हां।

भारत सरकार के आदेशों के क्रम में सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना (सेक)-2011 से छूटे हुए आवासहीन परिवारों का डेटा आवास प्लस एप के माध्यम से फीड कराया गया है, जिसमें जनपद-मथुरा के 6324 परिवार सम्मिलित थे। उक्त डेटा बेस में विधान सभा क्षेत्र मांट के 1162 नाम सम्मिलित थे, परन्तु आधार सीडिंग के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा में जनपद के कुल 954 नाम प्रदर्शित हो रहे थे, जिनमें मांट विधान सभा क्षेत्र के 234 नाम थे। उक्त डेटा बेस से अपात्र परिवारों का नाम हटाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में खण्ड विकास अधिकारियों तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा की गयी जांच के उपरान्त उक्त डेटा बेस में जनपद-मथुरा के कुल 299 परिवार पात्र पाये गये, जिनमें विधान सभा क्षेत्र मांट के 31 परिवारों के नाम सम्मिलित हैं। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार से जनपद को प्राप्त कुल 83 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष सभी 83 आवासों को स्वीकृत कर दिया गया है, जिनमें विधान सभा क्षेत्र मांट के 07 परिवारों के नाम सम्मिलित हैं। अवशेष लाभार्थियों को आवास दिया जाना भारत सरकार से निर्देश/लक्ष्य प्राप्त होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद मथुरा के शेष स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किये जाने विषयक

147-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

विधान सभा के चतुर्थ सत्र, 2019 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न-175 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को जनपद मथुरा के तीन विकास खण्ड में मिशन द्वारा इंटेसिव रूप में कार्य करने हेतु प्रेषित प्रस्ताव की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार जनपद मथुरा के अवशेष स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद मथुरा, इंटेसिव जनपद के तहत चयनित किया जा चुका है। चयनित विकास खण्ड बल्देव, मथुरा एवं राया है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय के पत्र संख्या-5284/1706/आजीविका/एम0 एण्ड ई0/2020-21/लखनऊ दिनांक 28-04-2020 के माध्यम से जनपद मथुरा को वार्षिक लक्ष्य प्रेषित किया जा चुका है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के मांट में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कक्षाओं में पंखों हेतु सोलर व पेयजल हेतु आर0ओ0 वाटर संयंत्र की स्थापना कराये जाने हेतु

148-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कक्षाओं में पंखों की व्यवस्था हेतु सोलर लाइट तथा पीने के पानी हेतु आर0ओ0 संयंत्र की स्थापना किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में कुल कितने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त सुविधायें प्रदत्त करा दी गयी है ? क्या सरकार शेष विद्यालयों में उक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है।

उक्तवत।

उक्तवत।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम अन्तर्गत तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार विषयक

149-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम, अन्तर्गत जनपद मथुरा में तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु कितने तालाबों का चयन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने तालाबों का कार्य पूर्ण

है तथा कितने तालाबों का कार्य अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि, नहीं तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती'-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजनान्तर्गत जनपद-मथुरा में 396 तालाबों का चयन निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु किया गया है। चयनित 396 तालाबों के सापेक्ष 396 तालाबों पर कार्य प्रगति पर है। 396 तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार का कार्य 31-03-2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल के संचालन के सम्बन्ध में

150-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल भिटहरा, बाबूपुर, विलासपुर, भिटकुरा तथा राजकीय इण्टर कालेज लैलखुर्द का संचालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई निर्धारित समय-सीमा में उक्त विद्यालयों को संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

1-जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल भिटकुरा तथा राजकीय हाईस्कूल विलासपुर का संचालन हाई स्कूल स्तर तक किया जा रहा है।

2-राजकीय इण्टर कालेज, लैलखुर्द विद्यालय का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व नाम (एम0एस0डी0पी0) द्वारा कराया गया है, विद्यालय भवन पूर्ण हो गया है। उक्त विद्यालय विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण/जांच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त संचालन सम्भव होगा।

3-महमूदाबाद तहसील के बाबूपुर में निर्माणाधीन राजकीय हाई स्कूल का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व नाम (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। हाई स्कूल का निर्माण खलिहान की भूमि गाटा संख्या-602 रकबा 0.506 हेक्टेयर में होने के कारण तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13-03-2018 में निर्माण कार्य रुकवा दिया गया था। उक्त विद्यालय की भूमि के चयन/निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा पत्र दिनांक 09-12-2020 के माध्यम से विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को अवगत कराया जा चुका है। विद्यालय निर्मित होने के उपरान्त संचालन कार्य सम्भव हो सकेगा।

4-महमूदाबाद तहसील में भिटहरा नाम से कोई भी विद्यालय स्वीकृत एवं संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ग्राम धौरूआ परगना-अकबरपुर तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर में खतौनी में दर्ज भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज करने पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

151-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खतौनी में दर्ज जंगल झाड़ की भूमि को किसी व्यक्ति के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ? यदि नहीं तो क्या ग्राम-धौरूआ परगना-अकबरपुर तहसील-जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर में फसली वर्ष 1369 एवं 1370 में खतौनी खाता संख्या-380 के गाटा संख्या-422 जो कि दीगर जंगल एवं झाड़ी दर्ज था को संक्रमणीय भूमिधर कतिपय व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? क्या सरकार उक्त भूमि को पुनः जंगल एवं झाड़ के रूप में दर्ज कराने की कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

ग्राम-धवरूआ, परगना-अकबरपुर, तहसील-जलालपुर, जिला-अम्बेडकरनगर की खतौनी फसली वर्ष 1369 से 1371 के खाता संख्या-576 में गाटा संख्या-422/00-08-15 दीगर झाडियों के जंगल के नाम दर्ज था। उ0प्र0जो0च0 अधि0 1953 की धारा-48 (3) के अन्तर्गत संदर्भ संख्या-5060/43/1312 अनुमोदित दिनांक 20-12-1986 द्वारा उदयनरायन व देवनरायन पुत्र झिन्कू के चक में प्रस्तावित किया गया था। उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 14-08-2020 को आदेश पारित कर आदेश दिनांक 20-12-1986 निरस्त करके गाटा संख्या-422 पूर्ववत दीगर झाड़ियों के जंगल के खाते में दर्ज कर दिया गया है।

जी नहीं।

उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 14-08-2020 को आदेश पारित कर त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 20-12-1986 निरस्त करके गाटा संख्या-422 पूर्ववत दीगर झाड़ियों के जंगल के खाते में दर्ज कर दिया गया है। सम्बन्धित दोषी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रताप शर्मा, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री प्रेमसरन श्रीवास्तव, तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी व श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, तत्कालीन उप संचालक चकबन्दी क्रमशः दिनांक-31-10-1987,

30-06-1988 व दिनांक-31-07-1989 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री राजेन्द्र प्रताप शर्मा तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी की दिनांक-15/16-04-2005 को व श्री प्रेमसरन श्रीवास्तव, तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी की दिनांक 27-07-2016 को मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में कोई शासकीय क्षति नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हाँ।

गाटा संख्या-422/00-08-15 से बने नये गाटा संख्या-442, 443, 444 को उप संचालक चकबन्दी, अम्बेडकरनगर द्वारा दिनांक 14-08-2020 को आदेश पारित कर त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 20-12-1986 निरस्त करके गाटा संख्या-422 पूर्ववत दीगर झाड़ियों के जंगल के खाते में दर्ज कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अलीगढ़ अन्तर्गत सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति प्रकरण की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई विषयक

152-श्री अनिल पाराशर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ अन्तर्गत सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के प्ररण में श्री महाउरू पू0मा0वि0 अलीगढ़ की 16 बिन्दुओं की जांच आख्या 13 जुलाई, 2020 को पत्र सं0-जि0बे0शि0अ0/3755 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ को भेजी गयी है ? क्या उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6/284219 दिनांक 20-08-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी हां।

जी हाँ।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 12-02-2021 द्वारा आख्या प्राप्त हुई है, जो परीक्षणाधीन है।

जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र कोल अन्तर्गत विकास खण्ड लोधा के ग्राम मडराक में पाइप पेयजल योजना की स्वीकृति विषयक पत्र सं 599 दि0 05-02-2018 पर कार्रवाई विषयक

153-श्री अनिल पाराशर-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत विकास खण्ड लोधा के ग्राम मडराक में पाइप पेयजल योजना की स्वीकृति

विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 599 दिनांक 05-02-2018 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-599, दिनांक 05-02-2018 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या ब्लाक सोहावल मौजा रामनगर धौरहरा व सीवार के मध्य राजकीय नलकूप लगाने विषयक पत्र पर कार्रवाई विषयक

154-श्री राम नरेश रावत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर लाल राजपूत सदस्य विधान सभा का दिनांक 03-03-2020 का संलग्नक सहित पत्र जो जनपद अयोध्या के ब्लाक सोहावल मौजा रामनगर धौरहरा व सीवर के मध्य राजकीय नलकूप लगाये जाने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जनपद-अयोध्या के ब्लाक-सोहावल मौजा-रामनगर, धौरहरा व सीवर के मध्य प्रस्तावित स्थल पर नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के अनुसार उक्त स्थल पर नवीन राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की कोई परियोजना प्रचलित नहीं है।

अतः प्रस्तावित स्थल पर नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में टीटीएसपी के तहत पानी की टंकियों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने व दोषियों पर कार्रवाई विषयक

155-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में टी0टी0एस0पी0 के तहत पानी टंकी स्थापित की गयी हैं किन्तु अभी तक पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हाँ, तो उक्त पानी की टंकियों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुए उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत कुल 70 टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) निर्मित की जा चुकी है। उक्त निर्मित सभी टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) के माध्यम से सुचारू रूप से जलापूर्ति किये जाने के उपरान्त वर्ष 2014-15 में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। टी0टी0एस0पी0 के रख-रखाव एवं संचालन का कार्य पंचायती राज विभाग के अधीन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के हाटा में अग्निशमन केंद्र की स्थापना कराने व इसमें विलम्ब का कारण सहित विवरण दिये जाने विषयक

156-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृत तथा टेण्डर की कार्यवाही होने के उपरान्त भी उक्त केन्द्र का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अग्निशमन केन्द्र की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कुल धनराशि रु0 1,10,00,000/-व्यय हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद कुशीनगर के हाटा वि0स0क्षे0 में सरकारी हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने विषयक

157-श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित सरकारी हैण्डपम्पों में से अधिकांश वर्तमान में खराब हैं ? यदि हां, तो जनहित में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु खराब हैण्डपम्पों को सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

जो हैण्डपम्प खराब होते हैं उन्हें ग्राम पंचायत ठीक कराती है।

हैण्ड पम्प के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर अविलम्ब ठीक करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने सम्बन्धी

158-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 31-10-2020 तक प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतें, पंचायत भवन की सुविधा से वंचित हैं ? क्या सरकार अवशेष ग्राम पंचायतों में किसी निश्चित समय सीमा तक पंचायत भवन उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

दिनांक 31-10-2020 तक कुल 24116 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन की सुविधा से वंचित है।

जी हां।

शासनादेश दिनांक 29-06-2020 द्वारा आर0जी0एस0ए0 योजना एवं वित्त आयोग की धनराशि तथा मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रदेश की समस्त पंचायत विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का शत-प्रतिशत निर्माण किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता व मानक परखने हेतु राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन करने सम्बन्धी

159-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और मानक आदि परखने हेतु राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत।

160-श्री मो0 फईम इरफान-

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम नवादा रूद्रपुर, विकास खण्ड कांट तहसील सदर जनपद शाहजहांपुर में 300 मी0 मार्ग का निर्माण कराने विषयक

161-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्रांक-विधायक(द.)/11108/2019, दिनांक 17-08-2019 जोकि ग्राम-नवादा रूद्रपुर, विकास खण्ड कांट, तहसील सदर, जनपद शाहजहांपुर में बुधपाल पुत्र लीला के मकान से वागेश पुत्र मथुरा के मकान तक लगभग 300 मीटर मार्ग पर आर0सी0सी0 कार्य करवाये जाने विषयक है, खण्ड विकास अधिकारी, कांट, शाहजहांपुर को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर विकास खण्ड डुमरियागंज ग्राम रेहरा से नहर के गांव के बांई ओर के खेतों की ऊंचाई नहर से अधिक होने के कारण उक्त गांव के चौराहे पर पुल पर ठोकर लगवाये जाने विषयक

162-श्री संजय गर्ग-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के गांव रेहरा से निकलने वाली नहर से गांव के बांई ओर के खेतों की ऊँचाई नहर से अधिक होने के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खेतों की सिंचाई हेतु उक्त क्षेत्र में नहर पर ठोकर बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी रूप से साध्य/उचित न होने के कारण परिकल्पित/अनुमोदित लम्बछिन्नक में ठोकर बनाने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती ब्लाक रूधौली ग्राम अठदमा में मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल इंडस्ट्रीज से ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कार्रवाई करने विषयक

163-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली ब्लाक अन्तर्गत ग्राम अठदमा में स्थापित मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल इन्डस्ट्रीज द्वारा ग्राम समाज की बंजर भूमि व नवीन परती भूमि गाटा संख्या-141, 142, 152, 155 तथा 187, 196, 277 आदि पर मिल द्वारा अवैध कब्जा करा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर कब्जेदारों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रूधौली ब्लाक अन्तर्गत ग्राम अठदमा में स्थापित मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल इन्डस्ट्रीज द्वारा ग्राम समाज की बंजर भूमि व नवीन परती भूमि गाटा संख्या-141, 142, 152, 155 तथा 187, 196, 277 आदि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

जनपद झांसी गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बड़वार झील/भस्नेह बांध हेतु गुरसराय मुख्य नहर से पानी छोड़ने हेतु नहर का निर्माण विषयक

164-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु बड़वार झील/भस्नेह बांध को भरने के लिए गुरसराय मुख्य नहर से जोड़ने के लिए पोषक नहर का निर्माणाधीन कार्य को सरकार निश्चित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जनपद-झांसी में गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई हेतु बडवार झील को भरने हेतु बडवार पोषक नहर के निर्माण का कार्य प्रगति में है। इस परियोजना का कार्य जून, 2021 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारी पद पर व्यक्ति का स्थायीकरण/प्रथम वेतन वृद्धि हेतु हिंदी टाइपिंग को नियम विपरीत मानकर कार्रवाई करने विषयक

165-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में सीधी भर्ती के समीक्षा अधिकारी पद पर नियुक्ति पाये व्यक्ति के स्थायीकरण प्रथम वेतन वृद्धि हेतु हिन्दी टाइपिंग की अनिवार्यता न होने के बाद भी हिन्दी टाइपिंग कराये जाने का प्राविधान क्यों है ? क्या सरकार सचिवालय प्रशासन अनु-5 (अधि0)) की अधिसूचना सं0-325/बीस ई-5-2013-67 (अधियाचन)/2008, दिनांक 12 फरवरी 2013 की नियमावली के विपरीत सीधी भर्ती समीक्षा अधिकारी पद के स्थायीकरण/प्रथम वेतन वृद्धि हेतु करायी गयी हिन्दी टाइपिंग को नियम विपरीत मानते हुये कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा (दसवा संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम-21 व नियम-24 में समीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति के स्थायीकरण व प्रथम वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में मुख्य रूप से अस्सी घंटे की अवधि का कम्प्यूटर ट्रेनिंग कोर्स (''सी0सी0सी0'' स्तर के समकक्ष) को पूरा करने एवं हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति प्राप्त किये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र कोल गांव केशोपुर गडराना में राजकीय कन्या इंटर कालेज खोले जाने विषयक

166-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के गांव केशोपुर गडराना में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की स्वीकृति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2786 दिनांक 03-12-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 03-12-2019 के सन्दर्भ में शासन के पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध शिक्षा निदेशक (मा0) से किया गया।

प्रकरण में शिक्षा निदेशक (मा0) से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल से 10 कि0मी0 की परिधि में 01 राजकीय विद्यालय, 04 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं 05 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय स्थापित हैं। शासनादेश संख्या-612/पन्द्रह-2-2017 दिनांक 14 जून, 2017 द्वारा सभी राजकीय बालक विद्यालयों में सह शिक्षा की नीति लागू है। अतः बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में प्रश्नगत स्थल संतृप्त है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र कोल विकास क्षेत्र लोधा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मडराक को राजकीय हाई स्कूल तक उच्चीकृत किये जाने विषयक

167-श्री अनिल पाराशर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के विकास खण्ड लोधा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मडराक को राजकीय हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1343 दिनांक 31-10-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

संदर्भित पत्र संख्या-1343, दिनांक 31-10-2018 अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, विधान सभा का एक अन्य पत्र संख्या 1343, दिनांक 15-11-2018 प्राप्त हुआ है। जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के विकास खण्ड लोधा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मडराक को राजकीय हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र पुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में नियमानुसार प्रस्तावित किया गया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा इस विद्यालय के उच्चीकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

कैराना देहात (आर्यपुरी) ब्लॉक कैराना, जनपद शामली में ग्राम समाज श्रेणी, राज्य सरकार श्रेणी भूमियों का विवरण व अवैध कब्जा मुक्त कराने विषयक

168-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैराना देहात (आर्यपुरी) ब्लॉक कैराना जनपद शामली में ग्राम समाज श्रेणी व राज्य सरकार श्रेणी सार्वजनिक प्रयोजन श्रेणी की कुल कितनी भूमि स्थित है तथा उक्त का खसरा नंबर व क्षेत्रफल का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त श्रेणियों की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार वर्तमान में उक्त श्रेणियों की भूमि की मौके पर स्थिति निर्माण कार्य, बाउंड्रीवाल सहित का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद शामली के तहसील-कैराना में ग्राम-कैराना देहात (आर्यपुरी) बाहरहदूद (सीमा) नं0-1 के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में ग्राम समाज श्रेणी व राज्य सरकार श्रेणी, सार्वजनिक प्रयोजन श्रेणी की भूमि का खसरा नंबर व क्षेत्रफल तथा उक्त श्रेणी की भूमि पर अवैध कब्जे का विवरण संलग्न† है। संलग्न सूची के क्रमांक 5 से 10 एवं क्रमांक 12 व 13 में अंकित विवरण के आधार पर अवैध कब्जा करने वालो के विरुद्ध धारा-67 (1) की कार्यवाही की गयी है। संलग्न सूची के क्रमांक 5 से 10 एवं क्रमांक 12 व 13 में अंकित विवरण के आधार पर उक्त भूमियों पर आबादी बनी है, जिसमें निर्माण कार्य हुआ है।

प्रश्न नही उठता।

मोहल्ला कुमारपुरम, पारा कालोनी थाना-पारा, लखनऊ में किराये पर निवास कर रहे अवांछित सदस्यों के सत्यापन व ध्वनि प्रदूषण व गंदगी फैलाने की समस्या से निजात दिलाने के सम्बन्ध में

169-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस आयुक्त जनपद लखनऊ को सम्बोधित श्री श्रीराम सोनकर स0वि0स0 355, मौहम्मदाबाद जनपद मऊ के पत्रांक 2615/वि0ज0पा0/वि0म0द0/2020 दिनांक 22-07-2020 एवं तत्सम्बन्धी अनुस्मारक पत्र सं0 754/भा0ज0पा0/बि0त0द0/दिनांक 04-08-2020 जो कि मोहल्ला कुमारपुरम् पारा कालोनी थाना पारा जनपद लखनऊ में श्री शराफत अली द्वारा 1200 वर्ग फुट में निर्मित भवन में किराये पर रह रहे 10 परिवारों के अवांछित सदस्यों के सत्यापन एवं अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण तथा गन्दगी फैलाने की समस्या से स्थानीया निवासियों को निजात दिलाने के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

हां।

थाना पारा द्वारा पुलिस बल भेजकर शराफत अली के मकान कुमारपुरम थाना पारा, लखनऊ की जांच करायी गयी। जांच से उक्त मकान में निम्नलिखित किरायेदार आवासित हैं-

1-पूनम पत्नी विजय कुमार, निवासिनी कुमारपुरम राजाजीपुरम, थाना पारा, लखनऊ।

2-शाहीन पत्नी स्व0 अली अहमद निवासी हैदर कैनाल कालोनी, तालकटोरा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ।

3-महादेव यादव पुत्र बनवारी लाल निवासी 133 सी दरियाना, थाना विसवां खुर्द, जनपद सीतापुर।

4-साजिदा पत्नी अब्दुल गफ्फार, निवासी सुजावलपुर गंजडुडवारा, कासगंज।

---

† देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 356 पर।

5-रहमत अली पुत्र हिम्मत अली, निवासी एचएन-53, आसरोदा आंशिक मुरवागंज जैली, उन्नाव।

उक्त पते पर निवासित उपरोक्त व्यक्तियों का सत्यापन कराया गया तो कोई अवांछनीय तथ्य अथवा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाला कोई यंत्र नहीं पाया गया। बगल में खाली प्लाट पड़ा है, जिसमें मोहल्ले के लोग कचरा डालते हैं। सफाई कर्मियों द्वारा उक्त प्लाट की सफाई कर दी गयी है। मोहल्ले के निवासियों को गंदगी न फैलाये जाने हेतु हिदायत दी गयी है

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकर नगर विकास खण्ड भीटी ग्राम सभा पैकौली में चकबन्दी कराये जाने विषयक

170-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-07-2019 का पत्र, जो कि जिला अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के अन्तर्गत ग्राम सभा बाला पैकौली में चकबन्दी कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन करते हुए उक्त ग्राम सभा में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी, हां।

वर्तमान में प्रदेश के कुल 3215 ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं। उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा बाला पैकोली सहित प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में प्रथम चक्र/द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी 592 ग्रामों का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा विकास खण्ड बरौली अहीर ग्राम पंचायत नगला कली के अन्तर्गत रजरई रोड पर श्री बन्टी व घूरेलाल के घर से श्री बी0आर0 स्कूल तक नाली निर्माण विषयक

171-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर ग्राम पंचायत नगला कली अन्तर्गत रजरई रोड पर श्री बन्टी व घूरेलाल के घर से श्री बी0आर0 स्कूल के आगे तक ग्राम पंचायत द्वारा नाले का निर्माण अधूरा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधूरे नाले का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

विकास खण्ड बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नगला कली के अन्तर्गत रजरई रोड पर श्री बन्टी व घूरे लाल के घर से श्री बी0आर0 स्कूल के आगे तक ग्राम पंचायत द्वारा नाले का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा विकास खण्ड बरौली अहीर ग्राम पंचायत नगला कली के अन्तर्गत के0सी0एस0 स्कूल की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हेतु

172-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बरौली अहीर ग्राम पंचायत नगला कली के अन्तर्गत के0सी0एस0 स्कूल के सामने मेन रोड पोखर के सामने वर्ष 2009-10 में जिला पंचायत आगरा द्वारा निर्मित बाउण्ड्रीवाल (रिटार्निंग वाल) टूट गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बाउण्ड्रीवाल (रिटार्निंग वाल) को बनवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-(PIL) 1609 OF 2019 Bhupal Das Soni Vs State of U.P. and others में पारित आदेश दिनांक 26-08-2019 के क्रम में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि ख0सं0-83/0.1610 हे0 स्थित ग्राम नगला कली, तहसील-सदर, जनपद आगरा राजस्व अभिलेख उद्धरण खतौनी फ01425-1430 में श्रेणी 6-1/अकृषिक भूमि-जलमग्न भूमि, 'पोखर' अंकित है। उक्त पोखर में पक्की दीवार बनाई गयी थी, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2001 के अन्तर्गत नदी, नाले, झील, तालाब/पोखर आदि को पूर्व प्राकृतिक अवस्था में बनाये रखने के लिए आदेशित किया गया है। तद्नुसार पोखर में निर्मित बाउण्ड्रीवाल को हटाया गया है। उक्त स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराते हुए जनहित याचिका संख्या-1609/19 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम चंदवारा, चैबारा व नगला खेरिया लाइन में शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी के निर्माण से सम्बन्धित

173-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ के ग्राम चंदवारा, ग्राम चैबारा तथा ग्राम नगला खेरिया लाइन में ग्रामवासियों को शुद्ध जल/मीठे पानी हेतु पानी की टंकी का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ के ग्राम चंदवारा, ग्राम चैबारा तथा ग्राम नगला खेरिया लाइन सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों में चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना के माध्यम से वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बोटानिया गोपिया में 400 मी0 सड़क निर्माण हेतु

174-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-282, बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा बोटानिया गोपिया में राम गुलाम के घर से रामदीन के घर तक दूरी लगभग 400 मीटर सड़क निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण ग्राम पंचायत में धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सेक्टर-8 इंदिरानगर चौराहे से दून वैली हाई स्कूल जाने वाली सड़क पर चोरी की घटनाओं के कारण पुलिस गश्त बढ़ाये जाने विषयक

175-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सेक्टर-8 इंदिरानगर चौराहे से दून वैली हाई स्कूल की ओर जाने वाली सड़क पर बढ़ती चोरी की घटनाओं के

दृष्टिगत मध्य रात्रि के बाद उक्त क्षेत्र में पुलिस गश्त सरकार बढ़ाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद लखनऊ नगर के सेक्टर-8 इन्दिरानगर चौराहे से दून वैली हाई स्कूल की ओर जाने वाली सड़क पर मध्य रात्रि के बाद उक्त क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गयी है, थाना गाजीपुर क्षेत्र में पीआरवी वाहन, मोबाइल वाहन तथा डायल 112 की गाड़ियां सतत् रूप से भ्रमणशील रहती हैं। क्षेत्र में थाना स्थानीय द्वारा पैदल गश्त की जाती है। थाना क्षेत्र में नियमित रूप से पुलिस चेकिंग की जाती है। सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों को भ्रमणशील रह कर सतर्क दृष्टि रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में कोरोना के कारण शादी-विवाह व धार्मिक/सामाजिक आयोजनों में शामिल होने वालों की अधिकतम सीमा में बैंडवादक, घोड़ी वाले, लाइट वालों को नहीं गिनने हेतु निर्देश जारी करने विषयक

176-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति में शादी-विवाह व धार्मिक/सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित होने वाले की शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यक्तियों की सीमा वर्तमान में क्या है ? क्या सरकार उक्त में बैंडवादक, घोड़ी वाले, लाइट वालों को न गिनने हेतु निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020 डी0 एम0-1 (ए), दिनांक 27-01-2021 के दृष्टिगत कोविड-19 के सम्बन्ध में अपेक्षित सावधानियाँ, कन्टेनमेंट जोन एवं निगरानी (सर्विलांस) के विषय में दिशा निर्देश गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-198/2021-सीएक्स-3, दिनांक 29-01-2021 द्वारा निर्गत किये गये हैं, जिसके द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था निम्नवत् दी गयी है :-

(क) किसी भी बन्द स्थान यथा-हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(ख) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में प्राप्त महत्वपूर्ण सफलता के दृष्टिगत अब इस आशय का पृथक से निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में कोविड-19 के विषय में प्रोटोकॉल का अनुपालन किये जाने हेतु अपेक्षित सावधानियाँ बरते जाने के निर्देश पूर्व से ही प्रभावी हैं।

प्रदेश के कोविड के दृष्टिगत पल्स ऑक्सीमीटर व इन्फ्रारेड थर्मामीटर क्रय में धांधली के दृष्टिगत प्रदेश में उपकरणों की खरीद की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

177-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोबिड-19 की स्क्रीनिंग एवं सर्विलांस हेतु पल्स ऑक्सीमीटर एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर का क्रय ग्राम पंचायतों द्वारा बाजार मूल्य (रु0 2800.00 मार्केट में उपलब्ध) से अधिक के दाम में क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपकरणों की खरीद की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर का बाजार दर से अधिक पर क्रय किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर शासन के पत्र दिनांक 10-09-2020 द्वारा एस0आई0टी0 का गठन किया गया।

जी हां।

एस0आई0टी0 की रिपोर्ट पर समुचित कार्यवाही करते हुए पल्स ऑक्सीमीटर एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर के क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र, 2020-21 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु

178-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में शैक्षणिक सत्र, 2020-21 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम

वर्ष में प्रवेश के लिये अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु कुल सचिव डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या-सा40/830/2020, दिनांक 22/10/2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुसार शैक्षणिक सत्र, 2020-21 एवं सत्र, 2021-22 में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रम के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सीट वृद्धि के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

हाथरस ब्राँच से निकलने वाले फीरोजाबाद राजवाह में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न हो पाने की समस्या के निदान हेतु उक्त परियोजना को एक मुश्त योजना में रखते हुये शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने विषयक

श्री मनीष असीजा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस शाखा के किलोमीटर 0.000 से 74.400 तक आंतरिक भाग की पुनर्स्थापना एवं हाथरस ब्रांच की पुरानी/क्षतिग्रस्त पुल एवं पुलियों आदि के पुनर्निर्माण की परियोजनाएं पूर्ण न होने के कारण हाथरस ब्राँच से निकलने वाले फिरोजाबाद रजवहा में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

सिंचाई खण्ड हाथरस के अन्तर्गत हाथरस शाखा के किमी0 0.000 से किमी0 74.400 तक आंतरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना की परियोजना रु0 1320.00 लाख अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष उक्त परियोजना में धनराशि रु0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई एवं निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

हाथरस शाखा की पुल/पुलियों की परियोजना में जनपद अलीगढ़, आगरा, एटा एवं फिरोजाबाद के अन्तर्गत हाथरस शाखा प्रणाली के किमी0 0.000 से 38.000 एवं किमी0 71.800 से किमी0 74.400 तक धनराशि रु0 416.89 लाख एवं जनपद हाथरस के अन्तर्गत हाथरस प्रणाली के किमी0 38.000 से किमी0 71.800 तक धनराशि रु0 333.72 लाख की

वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निविदायें आमंत्रित की थीं, जिसमें से कुछ निविदायें स्वीकृत हो गयी हैं तथा कुछ पुनः आमंत्रित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के शामली डिस्टिलरी एवं केमिकल वर्क्स की जहरीली गैस से बीमार स्कूली बच्चों के सम्बन्ध में हुई प्राथमिकी व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक

180-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-10-2017 को शामली डिस्टिलरी एवं केमिकल वर्क्स शामली से जहरीली गैस रिसाव के कारण 150-200 बच्चों के बीमार पड़ जाने के प्रकरण में प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्यालय मंदिर इण्टर कालेज शामली द्वारा दिनांक 10-10-2017 को प्राथमिकी नंबर 1059/10-10-2017 की धारा-338, 308, 284, 278 थाना कोतवाली शामली में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो दर्ज प्राथमिकी में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शामली डिस्टिलरी एवं केमिकल वर्क्स शामली से जहरीली गैस रिसाव के कारण 150-200 बच्चों के बीमार पड़ जाने के प्रकरण में प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्यालय मंदिर इण्टर कालेज, शामली द्वारा दिनाँक 10-10-2017 को थाना कोतवाली-शामली में श्री रतन लाल, सुगर मिल मालिक एवं श्री सुबोध कुमार सिंह, मिल प्रबन्धक के विरुद्ध प्राथमिकी नंबर 1059/2017 धारा-338, 308, 284, 278 भादवि पंजीकृत करायी गयी। विवेचना के दौरान घटना की पुष्टि न होने पर विवेचक द्वारा दिनाँक 06-05-2018 को अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा मा0 न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सांसद व विधायकों के विरुद्ध 01-01-2018 से उत्तर प्रदेश पुलिस के धारा-153A व 295 अथवा आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गई प्राथमिकी विषयक

181-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 2018 से दिनाँक 05-11-2020 तक प्रदेश पुलिस द्वारा माननीय सांसदों व विधायकों के प्रेस में छपे बयानों अथवा सोशल मीडिया में दिए गए बयानों अथवा पोस्टों अथवा वायरल क्लिप के बयान के आधार पर धारा-153A अथवा धारा-295 अथवा आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत कुल कितनी प्राथमिकी स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई है ? क्या सरकार उक्त पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में दिनांक 01-01-2018 से 05-11-2020 तक प्रदेश पुलिस द्वारा माननीय सांसदों व विधायकों के प्रेस में छपे बयानों अथवा सोशल मीडिया में दिए गए बयानों अथवा पोस्टों अथवा वायरल क्लिप के बयान के आधार पर धारा-153ए अथवा धारा-295 अथवा आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत कुल 73 अभियोग स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत किये गये हैं।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज मसकनवां में बाउण्ड्रीवाल बनवाने विषयक

182-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज मसकनवां में बाउन्ड्रीवाल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज की बाअन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है। संगत मद में बजट उपलब्ध होने पर निर्माण सम्भव होगा।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद गोण्डा के कूकनगर ग्रन्ट में 3 एकड़ भूमि पर राजकीय महिला महाविद्यालय हेतु आगणन मंगा कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक

183-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति सरकार प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कूकनगर ग्रन्ट जनपद गोण्डा के विकासखण्ड बभनजोत में स्थित है। विकास खण्ड बभनजोत में 03 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहत् वित्तीय एवं

---

† देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ सं0 357 पर।

आधारभूत संशाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद गोण्डा के कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के ब्लाक अकराबाद के अन्तर्गत विजयगढ़ मार्ग से गुजरने वाले रजवहा का पुल निर्माण कराने हेतु

184-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लाक अकराबाद के अन्तर्गत गाँव सिंहपुर से नगर पंचायत विजयगढ़ मार्ग से गुजरने वाले रजवहा का पुल टूटा है, जिसके कारण ग्रामवासियों का आवागमन पूर्णतः बन्द है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

सप्लाई चैनल पर क्षतिग्रसत पुल/पुलियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की परियोजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत उक्त पुल का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। नहर बन्दी के दौरान उक्त पुल का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद में घूंचा से मई मार्ग पर पड़ने वाला राजवाहा पर पुल बनाने विषयक

185-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद में घूँचा से मई मार्ग पर पड़ने वाले राजवाहा पर पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामवासियों का आवागमन बाधित है ? यदि हाँ, तो उक्त पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण निचली मांट शाखा खण्ड गंगा नहर मथुरा के अन्तर्गत राजवाहों/अल्पिकाओं पर अवशेष 100 नं0 पुराने क्षतिग्रस्त पुल/पुलियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण की परियोजना में सम्मिलित है, जो मुख्य अभियंता समिति की बैठक दिनांक 24-12-2020 में अनुमोदित है। उक्त कार्य की निविदा आमंत्रण की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

186-श्री मनीष असीजा-

[1-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लाक-पिहानी, जनपद-हरदोई का दिनांक 04 अप्रैल, 2020 को देहान्त के बाद देयकों के भुगतान के विवरण व विलंब के दोषियों पर कार्रवाई विषयक

श्री संजय गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लाक-पिहानी, जनपद-हरदोई का दिनांक 04 अप्रैल, 2020 को देहान्त हो गया है, की पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, जी0पी0एफ0 एवं वेतन इन्क्रीमेन्ट एरियर का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस तिथि को ? यदि नहीं, तो बिलम्ब के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, जी0पी0एफ0 एवं वेतन इन्क्रीमेन्ट एरियर का भुगतान मृतक के आश्रितों को कराते हुए विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती' सिंह-

श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खण्ड पिहानी, जनपद-हरदोई का देहान्त दिनांक 04-04-2020 को न होकर दिनांक 02-04-2020 को हुआ था। श्रीमती शिखा श्रीवास्तव पत्नी स्व0 मनीष कुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी की पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी पेंशन निदेशालय के पत्रांक-1/040/832202 (डी0आई0वी0 एम0आई0एन0ओ0 01012400) ई0एम0पी0 आई0डी0 सी0पी0यू0-53999, दिनांक 06-02-2021 द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। स्व0 मनीष कुमार श्रीवास्तव, ग्राम विकास अधिकारी के बीमा का भुगतान दिनांक 06-02-2021 को कर दिया गया है तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद से मिलान पत्र प्राप्त होने के पश्चात् 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का भुगतान दिनांक 06-02-2021 को कर दिया गया है। स्व0 मनीष कुमार श्रीवास्तव के वेतन इन्क्रीमेन्ट एरियर का कोई भुगतान लम्बित नहीं है। दिनांक 06-02-2021 को।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पशुपालन विभाग के टेंडर घोटाले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई व पुनरावृत्ति रोके जाने के विवरण विषयक

187-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीते दिनों उजागर हुए पशुपालन विभाग के टेंडर घोटाले से सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध दिनांक 30-09-2020 तक की गई

कार्रवाई तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उक्त के सम्बन्ध में कि थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0-160/2020, धारा-406/419/467/468/471/120बी व 7/13 भ्र0नि0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान उपलब्ध हुए साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा-167/170/201/364A/506 भादवि व 7क/8 (1) भ्र0नि0 अधि0 व 5 शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 तथा 26 भारतीय तार अधिनियम, 1885 की बढ़ोत्तरी की गयी है।

उक्त अभियोग में 13 अभियुक्त नामजद थे, जिसमें 11 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया व उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है। विवेचना के दौरान 04 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिसमें 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया व उनके विरुद्ध भी मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दिनांक 27-01-2021 को 01 अभियुक्त ने मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जिसका मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अन्य के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में प्रवासी मजदूरों को दिये जाने वाले आर्थिक सहायता के विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में

189-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कितने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहयोग राशि एक हजार रुपये हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 07-08-2020 तक किया गया है तथा कितने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता की राशि उनके खातों में भेजी गई है एवं कितने शेष हैं, क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत कुल 38,535 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत किये गये हैं। कुल 18,872 पात्र प्रवासी श्रमिक परिवारों को रु0 1000/-प्रति प्रवासी श्रमिक परिवार की दर से रु0 1,88,72,000/-(एक करोड़ अट्ठासी लाख बहत्तर हजार रुपये)

की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में अन्तरित की गयी है। कोई पात्र प्रवासी श्रमिक परिवार, जिनका सत्यापन तहसील से प्राप्त हुआ है, भुगतान हेतु अवशेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में लाकडाउन से प्रभावित मजदूरों को दी गई आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में

190-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये लाकडाउन से प्रभावित होकर कितने प्रवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों से आये थे, में से कितने मजदूरों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई और कितनों को दिया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लाकडाउन अवधि में जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कुल 3767 प्रवासी श्रमिक/मजदूर अन्य प्रदेशों से आए थे, जिन्हें रु0 1000/-प्रति परिवार की दर से उनके बैंक खाते में भारतीय स्टेट बैंक के सी0एम0पी0 पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के किसी भी पात्र प्रवासी श्रमिक/मजदूर को आर्थिक सहायता दिया जाना शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत नैनिहा हाई-वे से अड़गोड़वा तक 5 किमी0 सड़क की मरम्मत कराने हेतु

191-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत नैनिहा हाई-वे से अड़गोड़वा तक लम्बाई लगभग 5 किलोमीटर जर्जर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी हाँ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग पर पीरियाडिक रिन्यूवल कार्य स्वीकृत है, जिस हेतु अनुबन्ध गठन किया जा चुका है। अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 12-04-2021 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ अन्तर्गत ग्राम पचोखर से बालगोबिन्द का पुरवा मार्ग का निर्माण कराने विषयक

192-श्री संजय गर्ग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अर्न्तगत ग्राम पचोखर से बालगोबिन्द का पुरवा मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढेयुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम पचोखर से बालगोविन्द का पुरवा मार्ग की कुल लम्बाई 2.050 कि0मी0 है, जिसमें पहले 0.800 कि0मी0 लम्बाई का भाग जिला पंचायत के अधीन है, जो क्षतिग्रस्त है। शेष 1.00 कि0मी0 लम्बाई का भाग, लोक निर्माण विभाग के अधीन है तथा यह भाग यातायात हेतु सुलभ है। इसके अतिरिक्त 0.250 कि0मी0 भाग कच्चा मार्ग है। लोक निर्माण विभाग के अधीन 1.00 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग को छोड़कर शेष 1.050 किमी0 मार्ग के निर्माण हेतु आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृत होने के उपरान्त प्रश्नगत मार्ग के निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा ग्राम सभा लालपुर चांदाझार में 200 मी0 सड़क के डामरीकरण हेतु

193-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा लालपुर चांदाझार में कालका नाऊ के खेत से पक्की रोड साधुराम के खेत तक लम्बाई लगभग 200 मीटर रोड का डामरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा लालपुर चांदाझार में कालका नाऊ के खेत से पक्की रोड साधुराम के खेत तक 200 मीटर रोड के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 किमी0 एवं मार्ग की औसत चौड़ाई 6.00 मीटर पाई गई है। उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण हेतु नवीन जिला पंचायत बोर्ड के गठन के पश्चात् प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखा जाएगा एवं तत्पश्चात् सदन के निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश के देवीपाटन मण्डल के मुख्यालय पर 2012 से निर्माणाधीन लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण हेतु धनावंटन की योजना विषयक

194-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवीपाटन मण्डल मुख्यालय पर वर्ष 2012 से निर्माणाधीन लेखपाल ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु धन आवंटन सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

धन आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वाहनों के आनलाइन चालान में बड़ी संख्या में गलत चालान की शिकायतों पर लापरवाही के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

195-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वहनों के आनलाइन चालान में बहुत बड़ी संख्या में गलत चालान की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? क्या यह भी सही है कि लखनऊ में दिनांक 07 जून, 2019 को समय 10:47:49 बजे चालान संख्या-यू0पी011282190607104749 गलत इमेज के आधार पर वाहन संख्या यू0पी0 के0पी03061 का गलत ई-चालान किया गया और बाद में शिकायत करने पर निरस्त भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त वाहन का लखनऊ में पुनः दिनांक 18 सितम्बर, 2020 समय 17:18:00 बजे चालान संख्या-यू0पी0424614200918051865 गलत इमेज के आधार पर ई-चालान किया गया है ? यदि हां, तो क्या बार-बार इस लापरवाही के लिए दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कतिपय वाहन स्वामी/चालकों की गलत आनलाइन चालान होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्रदेश के सम्पूर्ण जनपद में ई-चालान की व्यवस्था 15 जून, 2020 से लागू की गयी है तथा पेपर/मैनुअल चालान प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं का नियमानुसार यातायात/नागरिक पुलिस कर्मियों द्वारा चालान किया जाता है तथा वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर शमन शुल्क जमा करने का मैसेज भेजा जाता है। यद्यपि कुछ मामलों में वाहन स्वामी/चालक द्वारा गलत ई-चालान किये जाने की शिकायत की जाती है तथापि प्राप्त शिकायत की सम्बन्धित जनपदों से चालान में प्रदर्शित फोटो, नम्बर प्लेट एवं शिकायती तथ्यों/प्रमाण के आधार पर जांच कराते हुए निस्तारण कराया जाता है तथा शिकायतकर्ता की शिकायत सही पाये जाने पर नियमानुसार गलत चालान निरस्त किया जाता है। पुलिस आयुक्त, लखनऊ की आख्या के अनुसार वाहन सं0-यू0पी0-32 के0पी0 3061 चालान संख्या यू0पी0 11282190607104749, दिनांक 07 जून, 2019 के चालान को वेबसाइड पर चेक कर वाहन का फोटो से मिलान करने के उपरान्त शिकायतकर्ता की शिकायत सही पाये जाने पर चालान निरस्त किया गया है। चालान सं0-यूपी-424614200918051865 दिनांक 18-09-2020 को समय 17:18 बजे सी0सी0टी0वी0 टीम द्वारा 'ड्राइविंग टू व्हीलर विदाउट हेलमेट' की धारा में किया गया है, त्रुटिपूर्ण नम्बर प्लेट व तकनीकी कारणों से वाहन सं0-यू0पी0-32 के0पी0-3016 के स्थान पर सहवन वाहन सं0-यू0पी0-32-के0पी0-3061 का त्रुणिपूर्ण चालान हो गया था। वाहन स्वामी द्वारा यातायात लखनऊ हेल्पलाइन नम्बर-9454405155 से शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त उक्त त्रुटिपूर्ण वाहन नम्बर को संशोधित करके वाहन सं0-यू0पी0-32-के0पी0 3016 का चालान किया गया है।

उक्त त्रुटि चालानकर्ता अधिकारी की मानवीय त्रुटि है, फिर भी पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा चालानकर्ता अधिकारी को कठोर चेतावनी देते हुये भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त चालानकर्ता अधिकारियों को समय-समय पर ई-चालान सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि त्रुटिपूर्ण चालान न होने पाये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हसुलिया में हसुलिया बैरियर से बोझिया गांव तक 9 किमी0 सड़क की मरम्मत कराने हेतु

196-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हसुलिया में हसुलिया बैरियर से बोझिया गाँव तक दूरी लगभग 9 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हसुलिया बैरियर से बोझिया गाँव मार्ग का 9.059 किमी0 भाग सरयू योजक नहर का नहर सेवा मार्ग है। यह मार्ग वर्तमान में आवागमन हेतु उपयुक्त है और इस पर कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बहराइच के वि0स0क्षे0 बलहा अन्तर्गत हसुलिया पुल से हरखापुर मार्ग की मरम्मत कार्य कराने हेतु

197-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हसुलिया पुल से हरखापुर संपर्क मार्ग लम्बाई लगभग 13 किलोमीटर रोड का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में सरयू योजक नहर पर विधान सभा क्षेत्र बलहा अन्तर्गत हसुलिया पुल से हरखापुर सम्पर्क मार्ग तक 11.192 किमी0 नहर सेवा मार्ग है, जिसमें से 9.592 किमी0 पर पक्की सड़क एवं 1.600 किमी0 में खड़न्जा निर्मित है। वर्तमान में उक्त मार्ग आवागमन हेतु उपयुक्त है तथा इसकी मरम्मत का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी ब्लाक हरैया में महुला गड़वल बंधा के पास बेलहिया ढाला पर पुल के स्थान पर पुनः पुल का निर्माण कराने विषयक

198-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के अन्तर्गत ब्लाक हरैया में महुला गड़वल बन्धा के पास बेलहिया ढाला पर बना पुल घाघरा नदी के तेज बहाव से बह जाने से लगलभ बीस हजार की आबादी प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में निर्मित पुल की जगह पर पुनः नया पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नगत पुल का निर्माण पूर्व में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आजमगढ़ द्वारा कराया गया था। यह पुल घाघरा नदी के डूब क्षेत्र में है। उ0प्र0 सेतु निगम से एस0आर0एम0डी0 के

अन्तर्गत नये पुल निर्माण हेतु धनराशि की मांग की गयी है। सेतु निगम से धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम पंचायत शंकरपुर के क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा तहसील सदर, जनपद फिरोजाबाद में उप जिलाधिकारी द्वारा अवैध रूप से पट्टों का आवंटन किये जाने पर कार्रवाई विषयक

199-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, सदर तहसील जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से पट्टों का आवंटन कर दिये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत शंकरपुर के क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार को प्रेषित शिकायतों के क्रम में अवैधानिक रूप से आवंटित उक्त पट्टों को निरस्त कराये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक-ख-6 725359, दिनांक 07-12-2020 एवं मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक-क-6452210 दिनांक 02-01-2021 प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार अवगत कराना है कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 विधायक का पत्र दिनांक 02-01-2021, दिनांक 30-01-2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें जांच करायी जा रही है। प्रकरण में पूर्व में प्राप्त शिकायत पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी, सदर, फिरोजाबाद को दिनांक 16-01-2021 को स्थानान्तरण करते हुए जिला मुख्यालय पर सम्बद्ध कर दिया गया है तथा सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई हेतु उप जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राम मन्दिर आन्दोलन में प्रदेश के बलिदान हुए कारसेवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी/पेंशन देने विषयक

200-श्री देवमणि द्विवेदी-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राममन्दिर आन्दोलन में मारे गये कारसेवकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी/पेंशन दिये जाने तथा रामजन्म भूमि प्रांगण में भी कोई स्मारक स्थल बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री देवमणि द्विवेदी द्वारा प्रथम सत्र, 2021 के प्रथम मंगलवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-200 का उत्तर :-

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 09-11-2019 के आलोक में नियमानुसार विचार किया जाना संभव नहीं है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09-11-2019 के क्रम में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-530, दिनांक 05-02-2020 द्वारा 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' का गठन करते हुए अयोध्या एक्ट-1993 की अनुसूची के अधीन अर्जित सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में सभी अधिकार, हक और हित, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' न्यास में निहित कर दिया गया है।

इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 09-11-2019 के क्रम में सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में सभी अधिकार, हक और हित 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' न्यास में निहित हो गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

[12:13] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास नियम-300 की 02 सूचनायें आयी हैं। पहली सूचना श्री उमाशंकर सिंह जी की उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में लगाये गये माइक्रोफोन की सम्यक् ऊँचाई न होने से माननीय विधायकगणों को बोलते समय हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है। यह तकनीकी मामला है। यह सदन की कार्यवाही से बहुत सम्बंधित नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक होगा सम्बंधित अधिकारियों को कह दिया जायेगा। आपका 300 अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री लालजी वर्मा जी की वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में ग्राम्य विकास विभाग में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का उल्लेख होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि क्षेत्र विकास निधि अधिनियम के अन्तर्गत जारी न किये जाने के सम्बन्ध में है। चूंकि आज आप लोगों को बोलना है, इसलिए हम इसे कल ले लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है। कल ले लीजिए। कोई बात नहीं।

[12:15] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनायें पढ़ दूं, उसके बाद नेता विरोधी दल।

अब नियम-301 की सूचनायें लेते हैं। आज दिनांक 23-02-2021 को कुल 49 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जो स्वीकृत हैं, उनको मैं पढ़ रहा हूँ।

1वीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज अन्तर्गत ग्राम छोड़ा भीखमपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 2वीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद अन्तर्गत ग्राम सुनपेड़ा में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3वीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम पंचायत जलालपुर में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 4वीं सूचना प्रो0 डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 5वीं सूचना श्री रमेश चन्द्र दिवाकर की जनपद औरैया में नेशनल हाई-वे पर शहर में आने-जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 6वीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद हरदोई के अन्तर्गत थाना अतरौली के ग्राम औना में अवैध कब्जा हटाकर मूल भूमिधारी को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 7वीं सूचना डॉ0 अनीता लोधी राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई नगर में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 8वीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत थानीदास मोड़ से अमिला होकर आजमगढ़ होते हुये सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 9वीं सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा अन्तर्गत नारायणपुर से प्राइमरी पाठशाला कमालपुर पहासू तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 10वीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत अन्तर्गत गौहनियाँ तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 11वीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत कौशिकी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 12वीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत नगर पंचायत इल्तिफातगंज स्थित विद्युत केन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 13वीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम कयामुद्दीन की सीमा तक माइनर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 14वीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महराजगंज के अन्तर्गत दरझिनिया ताल का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध मे है, 15वीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत कस्बा म्याऊ में सुकटिया नरोसती देवी मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 16वीं सूचना 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत प्राइवेट चीनी मिलों में विगत 4 वर्षों में सी0एस0आर0 द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 17वीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत ग्राम लोकरिया व फरीदपुर के बीच पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 18वीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से

ग्राम कुम्हैडा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 19वीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में हैं, 20वीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 21वीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की पाँच वर्षों से अधिक समय से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को नियमित करने तथा प्रशिक्षण कार्य साई की तर्ज पर 12 महीने लगातार चलाये जाने के सम्बन्ध में है, 22वीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यालयों में की जा रही अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 23वीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत समूह क व ख श्रेणी की नियमावली संशोधित कर निबन्धन सहायकों को उप-निबन्धक पद पर पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 24वीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा से लखनऊ तक वातानुकूलित बस का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज अन्तर्गत ग्राम छोड़ा भीखमपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-401, राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-चतरा नगवा एवं विकास खण्ड कोन जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिसमें ग्रामीणांचल के खिलाड़ी वालीबाल, कबड्डी, तीरंदाजी आदि खेलों में रुचि रखते हैं। यहां पर कोई स्टेडियम न होने के कारण क्षेत्र के खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में विकास खण्ड चतरा के ग्राम छोड़ा भीखमपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड चतरा के ग्राम छोड़ा भीखमपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद अन्तर्गत ग्राम सुनपेड़ा में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड-सिकन्दराबाद में गांव सुनपेड़ा में बुढ़ा बाबू के पर्व पर विशाल कुश्ती प्रतियोगिता एवं मेले का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयोजन होता है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भाग लेते हैं। लेकिन वहाँ स्टेडियम की व्यवस्था न होने के कारण पहलवानों, दर्शकों तथा गांव वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेलकूद का कोई भी स्टेडियम नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जनहित में गांव सुनपेड़ा, विकास खण्ड- सिकन्दराबाद स्टेडियम बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत जलालपुर में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत-जलालपुर, विकास खण्ड-बंडा, तहसील-पुवायां, जिला-शाहजहांपुर में मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर ने दिनांक 05-02-2021 को उक्त ग्राम पंचायत में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत-जलालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया, जिनकी प्रथम किस्त 40,000/-रुपये लाभार्थियों के खाते में आ गयी थी तथा इस धनराशि से लाभार्थियों द्वारा अपना-अपना आवास बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कराया जा चुका है। इतना ही नहीं खण्ड विकास अधिकारी बंडा, जनपद-शाहजहांपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-सी-906, दिनांक 12-02-2021 के द्वारा प्रत्येक लाभार्थियों से 40,000/-(चालीस हजार रुपये) की वसूली हेतु भी आदेश जारी कर दिये गये हैं जबकि 1-चमेली पत्नी भाईलाल, निवासी गाम-जलालपुर, वि0ख0-बंडा, 2-जगदेई पत्नी मंगू लाल, निवासी ग्राम-जलालपुर वि0ख0-बंडा, 3-सुधा पत्नी भगवानदास, निवासी ग्राम-जलालपुर वि0ख0-बंडा, 4-श्यामाचरन पुत्र परागू, निवासी ग्राम जलालपुर वि0ख0-बंडा लाभार्थियों को मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा अपात्र घोषित किया गया और 5-शान्ति पत्नी अहिवरन, निवासी ग्राम-कूरा वि0ख0-बंडा 6-झलकतारा पत्नी धर्मेन्द्र, निवासी ग्राम-कूरा, वि0ख0-बंडा लाभार्थी को खण्ड विकास अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर के मौखिक आदेश पर जांच कर अपात्र घोषित कर दिया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच कमेटी गठित किये ही उक्त गांव के सचिव पर थाना-पुवायां में दिनांक 08-02-2021 को एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी। सभी लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्र हैं। लाभार्थियों के अनुरोध पर मेरे द्वारा स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया और पाया कि पात्र लाभार्थियों को निहित स्वार्थों के वशीभूत अपात्र घोषित किया गया है (मौके की फोटोग्राफ्स की छायाप्रति संलग्न)। सरकार का उद्देश्य व लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ अंतिम पायदान का व्यक्ति भी पा सके, परन्तु मुख्य

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकास अधिकारी, शाहजहांपुर व खण्ड-विकास अधिकारी-बण्डा, शाहजहांपुर सरकार की मंशा के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अपने निहित स्वार्थों के लिए अपात्र घोषित कर रहे हैं। जनहित में शासन स्तर की कमेटी गठित करके जांच करवाकर लाभार्थियों को न्याय दिलाकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया लाना आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली की नगर पालिका परिषद् फरीदपुर के अन्तर्गत प्रयुक्त दूषित जल की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में इस नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत फरीदपुर, नगर की जनसंख्या लगभग 50 हजार से ऊपर है। फरीदपुर नगर में दूषित जलभराव की समस्या निरन्तर बनी रहती है। बरसात होने पर जलभराव विकराल रूप धारण कर लेता है। जनहित में नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में दूषित जलभराव की समस्या का निदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में दूषित जलभराव की समस्या का निदान किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद औरैया में नेशनल हाई-वे पर शहर में आने-जाने वाले मार्ग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-204, औरैया में औरैया नगर में शहर के अन्दर आने के लिए व शहर से बाहर जाने के लिए दो छोटे फ्लाई ओवरब्रिज बनना है। पहला फ्लाई ओवरब्रिज कानपुर से आने वाले वाहन एन0एच0-2 रोड दयालपुर से शहर के अन्दर आने के लिए एवं दूसरा फ्लाई ओवरब्रिज शहर से बाहर एन0एच0-2 पर पहुँचने के लिए मण्डी समिति गेट से पहले बनना है। ये दोनों फ्लाई ओवर ब्रिज बन जाने से एक तो दुर्घटनायें नहीं होंगी व ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों हाई-वे पर फ्लाई ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत थाना अतरौली के ग्राम औना में अवैध कब्जा हटाकर मूल भूमिधारी को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल कुमार मौर्य-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 21-8-2020 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के क्रम में श्री घनश्याम चतुर्वेदी, अनु सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1331/एक-9-2020, दिनांक 24-11-2020 द्वारा भ्रामक एवं तथ्यहीन आख्या उपलब्ध कराते हुये सदन को गुमराह करने का कार्य किया गया है। स्थानीय स्तर पर कच्ची शराब के अवैध निर्माण व बिक्री के सम्बन्ध में तथ्यों को छुपाते हुये आख्या उपलब्ध कराई है, जबकि इसके विपरीत दिनांक 21-11-2020 को आबकारी एवं पुलिस विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी में कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं तथा राजेश पुत्र कढ़िले के विरुद्ध अभियोग मु0अ0सं0-0560/2020 पंजीकृत करते हुये जेल भेजा गया है। इसी प्रकार आख्या में विभाग द्वारा गाटा संख्या-784 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराई गई है, परन्तु गाटा संख्या-806 के सम्बन्ध में कुछ भी उल्लिखित नहीं है।

अतएव कृपया नियम-51 के माध्यम से प्रश्नगत ग्राम औना, थाना अतरौली के गाटा संख्या-806 में किये गये अवैध कब्जे को हटाकर मूल भूमिधारी को हस्तगत कर कब्जा दिलाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई नगर में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनीता लोधी राजपूत-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत डिबाई नगर जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-509 आगरा-मुरादाबाद पर स्थित है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग डिबाई नगर के बीच से होकर गुजरता है, क्योंकि डिबाई नगर 3 किमी0 तक फैला हुआ है। जिस पर अधिकतर समय भीषण जाम रहता है। दोनों तरफ घनी आबादी है तथा दो इण्टर कालेज, एक डिग्री कालेज, दो जूनियर हाई स्कूल एवं दो कस्तूरबा बालिका विद्यालय उक्त पर स्थित है। डिबाई नगर में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जिसमें कई लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुके है। डिबाई नगर में एक बाईपास की जनहित में अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनहित में डिबाई नगर में एक बाईपास बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र घोसी अन्तर्गत थानीदास मोड़ से अमिला होकर आजमगढ़ होते हुये सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र घोसी, जनपद मऊ के विकास खण्ड-बड़रावं के अन्तर्गत स्थित (थानीदास मोड़ से अमिला होकर अजमतगढ़ होते हुए जनपद आजमगढ़ को जोड़ने वाली) सड़क का निर्माण लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी चौड़ाई बहुत सकरी होने के कारण स्थानीय जनता को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन दुर्घटना व जाम लगा रहता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा अन्तर्गत नारायणपुर से प्राइमरी पाठशाला कमालपुर पहासू तक मार्ग का निमार्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खुर्जा, वि0खं0 अरनिया के ग्राम नारायणपुर से प्राइमरी स्कूल पाठशाला कमालपुर पहासू तक मार्ग अति जर्जर है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 03 कि0मी0 है। इस मार्ग के जर्जर होने के कारण राहगीरों को आवागमन में और क्षेत्र के किसानों को मण्डी तक अपनी फसल पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग के खराब होने की वजह से हमेशा किसी अनहोनी के होने की संभावना बनी रहती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोकमहत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत अन्तर्गत गौहनियाँ तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि नगर पीलीभीत में गौहनियाँ चौराहे पर गौहनियां तालाब स्थित है जिस पर भू-माफियाओं द्वारा आये दिन पटान कराकर अवैध कब्जे की शिकायते आती रहती हैं। नगर पीलीभीत में आमजन के मनोरंजन हेतु बहुत ही नाम मात्र के साधन उपलब्ध हैं। गौहनियां तालाब का सौन्दर्यीकरण कराकर इसमें नौका विहार विकसित किया जाये तो यह जिला पीलीभीत के लिए मनोरजंन के साधन के रूप में मील का पत्थर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साबित होगा। पूर्व में मेरे प्रयासों से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने इस योजना को स्वीकृत भी कर दिया था, परन्तु कुछ अधिकारियों की कार्य के प्रति लापरवाही के कारण इय योजना को मूर्त रूप नहीं मिल पाया है।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि उक्त गौहनियां तालाब का सौन्दर्यीकरण कराकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर नौका विहार विकसित कराये जाने हेतु सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।]

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत कौशिकी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द शुक्ला-

[मान्यवर, जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-237, मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मवईकला, विकास खण्ड मऊ, बरवार रोड में सिंघानियां ढलान के पास कौशिकी नदी में बड़ा पुल न होने के कारण बरसात के दिनों में लगभग 25 गांव प्रभावित रहते हैं। ग्रामीण इधर-उधर जाने के लिये नावों का सहारा लेते हैं और दुर्घटना भी होती रहती है। जनहित में उक्त नदी पर बड़ा पुल का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत नगर पंचायत इल्तिफातगंज स्थित विद्युत केन्द्र का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा

[मान्यवर, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, जिला-अम्बेडकरनगर में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की गयी है, उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भी उक्त विद्युत उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत नहीं किया गया। जिसके कारण आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के तात्कालिक, अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृर्षित कराते हुए उक्त विद्युत उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत ग्राम क्यामुद्दीन की सीमा तक माइनर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत दाउदपुर माइनर जो ग्राम सभा हासिमपुर बरसावाँ होते हुए ग्राम सभा क्यामुद्दीनपुर (शेखपुरा) तक जाती है, उक्त माइनर अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, आये

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिन टूट जाती है, जिसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त माइनर का सीमेन्टेड पक्की निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त माइनर का सीमेन्टेड पक्का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए उक्त माइनर को ग्राम कयामुद्दीन की सीमा तक पक्की कराये जाने की मांग करना हूँ।]

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत दरझिनिया ताल का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमसागर पटेल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिसवा बाजार जनपद महराजगंज पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दरझिनियां ताल है। जो सोहगीबरवा वन रेन्ज में आता है। यहां पर घड़ियाल बड़े पैमाने पर हैं। यहाँ पर भारत-नेपाल के लोग इसे देखने हेतु बड़े पैमाने पर आते हैं। इस दरझिनिया ताल का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिये जाने से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दरझिनिया ताल का सौन्दर्यीकरण करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत कस्बा म्याऊ में सुकटिया नरोसती देवी मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूँ के अन्तर्गत कस्बा म्या0 में सुकटिया से नरोसती देवी मन्दिर तक मार्ग कच्चा होने के कारण श्रद्धालुओं के आवागमन में काफी कठिनाई होती है। मार्ग कच्चा होने के कारण जगह-जगह जलभराव से गड्ढे होने के कारण श्रद्धालु एवं आम नागरिक गिरकर चोटिल होते रहते हैं। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। सरकार की धार्मिक स्थलों के मार्ग निर्माण एवं जीर्णोद्धार की योजना भी है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कस्बा म्याऊ में सुकटिया नरोसती देवी मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत प्राइवेट चीनी मिलों में विगत वर्षों में सी0एस0आर0 द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-शाहजहाँपुर के 131, कटरा के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित कर गन्ना खरीदने वाली प्राइवेट चीनी मिलें जैसे डालमियां शुगर मिल निगोहीं, शाहजहाँपुर एवं द्वारिकेश शुगर मिल फरीदपुर, बरेली द्वारा सी0एस0आर0 फण्ड का फर्जी तरीके से उपयोग होना दर्शाया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त दोनों प्राइवेट चीनी मिलों द्वारा विगत चार वर्षो में मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा में सी0एस0आर0 द्वारा कोई कार्य कराया ही नहीं गया है। जिसकी शिकायत जिले स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों से कर चुका हूँ, परन्तु अभी तक उक्त दोनों प्राइवेट चीनी मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ तथा विगत चार वर्षों में सी0एस0आर0 द्वारा कराए गए कार्यों के गुणवत्ता की जांच कराने का कष्ट करें।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत ग्राम लोकरिया व फरीदपुर के बीच पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर (एडवोकेट)-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के निर्माण खण्ड-1 के अन्तर्गत ग्राम लोकरिया व फरीदपुर के बीच स्थित नाले की पुलिया विगत 8 महीने से टूटी पड़ी है। कई बार अधिकारियों से कहने पर भी पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। लोगों को कई किलोमीटर दूर से आना-जाना पड़ रहा है। जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना अन्तर्गत ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से ग्राम कुम्हैडा तक मार्ग का निमार्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से ग्राम कुम्हैडा तक 1.00 किमी0 नहर की पटरी को डामर रोड बनवाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में शासन व प्रशासन स्तर पर कई बार पत्राचार भी किया गया। परन्तु आज तक इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नहर की पटरी को डामर रोड बनवाने की लोक निर्माण विभाग से की माँग करता हूँ।]

उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बनाये गये नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन न होने व उनमें पारदर्शिता न होने के कारण प्रदेश में अराजकता का माहौल अपने चरम पर है। आम आदमी की सबसे जरूरी चीजों में से एक उसका मकान जिसके लिए वह अपने जीवन की मेहनत की जमा पूंजी लगाता है और वही पूंजी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा फंसा दी जा रही है। प्रयागराज में 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद', विभाग के ऐसे ही दो प्रकरण आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद (प्रयागराज) विभाग द्वारा संचालित झूंसी, आवास योजना संख्या-02 में भू-खण्ड-345 तथा 48/10/5 क्रमशः श्री गिरजा शंकर पुत्र स्व0 मूलराज यादव, ग्राम मुडेला, पो0 लपरी, जनपद जौनपुर एवं श्री सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री मधुबन यादव, ग्राम रसूलपुर, पो0 शाहगंज, जनपद जौनपुर को आवंटित कर दोनों की रजिष्ट्री के बाद कागजों पर कब्जा दे दिया गया, परन्तु आज तक भौतिक रूप से कब्जा की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त व्यक्तियों द्वारा जब सम्बन्धित भू-खण्ड पर निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही की जाने लगी तो पता चला कि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से फर्जी कागजात उपलब्ध कराके वहाँ भू-माफियाओं द्वारा पहले से ही कब्जा किया हुआ है। विभाग के अधिकारियों की अकर्मष्यता का आलम यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से मांग करता हूं कि उक्त पीड़ित लोगों को उनका वास्तविक कब्जा दिलाते हुये सम्बन्धी अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य-प्रणाली का संज्ञान लिया जाय।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निमार्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बलरामपुर सदर के अन्तर्गत झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण शहर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवागमन अवरुद्ध रहता है। वहाँ की जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए झारखण्डी रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

पांच वर्षों से अधिक समय से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को नियमित करने तथा प्रशिक्षण कार्य साई की तर्ज पर 12 महीने लगातार चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग में पिछले 20 से 25 वर्षों से वास्तविक प्रशिक्षण का कार्य अंशकालिक मानदेय खेल प्रशिक्षक ही करा रहे हैं व प्रशिक्षक नियमित होने की आश लगाये बैठे हैं अंशकालिक प्रशिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी काल में 01 अप्रैल, 2020 से प्रशिक्षकों का नवीनीकरण न कराकर उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी, जिससे प्रशिक्षक का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि प्रशिक्षकों को नियमित करने तथा प्रशिक्षण कार्य साई की तर्ज पर 12 महीने लगातार कराये जाने तथा 01 अप्रैल, 2020 से अभी तक के वेतन का भुगतान शीघ्र कराने का कष्ट करें।]

जनपद आजनगढ़ के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यालयों में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ में कुल 48 विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। परन्तु विभागीय भ्रष्टाचार के चलते अध्यापकों को समय से प्रति माह वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। इनके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को सूचना दिया गया। लेकिन अभी तक इन अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिससे इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गये है। इन अध्यापकों का सातवें वेतन आयोग का एरियर भी नहीं दिया जा रहा है। निदेशालय द्वारा बार-बार एरियर भुगतान हेतु निदेशालय को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराये हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अध्यापकों के सर्विस बुक, जी0पी0एफ0 पास बुक भी नहीं बनाया गया है और इन अध्यापकों से शिक्षण कार्य से अतिरिक्त कार्य लिया जाता है। यह सब समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनियमितता की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत समूह-क व ख श्रेणी की नियमावली संशोधित कर निबन्धन सहायकों को उप-निबन्धक पद पर पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, संस्थागत वित्त विभाग से पृथक किये गये स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में पदोन्नति का विभागीय कोटा 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थागत वित्त विभाग में 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। उत्तराखण्ड में निबन्धन सहायक से उप निबन्धक पद पर विधि स्नातक के लिए भी 10 प्रतिशत का कोटा निर्धारित है। विभाग अलग होने के बाद से इन कर्मियों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं, जिसका प्रभाव इनकी कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। इन कर्मियों में काफी असंतोष है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सकार से मांग करता हूं कि संस्थागत वित्त विभाग की भाँति स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में भी समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी की नियमावली संशोधित कर निबन्धन सहायकों को उप निबन्धक पद पर पदोन्नत कराने का कष्ट करें।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा से लखनऊ तक वतानुकूलित बस का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[मान्यवर, आशा है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे आपको उपरोक्त विषय में निवेदन के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र में जो नेपाल और बिहार की सीमा से सटे हैं इस क्षेत्र में लोगों के आवागमन के लिए संसाधनों का अभाव है, लोगों को खड्डा से लखनऊ की यात्रा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे द्वारा पत्रांक-एम0एल0ए0-खड्डा/क6-174138/20192/02, दिनांक 28-02-2019 पत्रांक-एम0एल0ए0-खड्डा/क6-174139/20192802, दिनांक 28-02-2019, पत्रांक-एम0एल0ए0-खड्डा/क6-174140/20192802,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 28-02-2019 पत्राचार किया जा रहा है। परन्तु अभी तक न तो सरकार द्वारा न ही शासन द्वारा समस्या समाधान के लिए सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहां के लोगों को लम्बी यात्रा के लिए काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इसके समाधान के लिए क्या योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या कारण है।]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा†

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। मेरा संशोधन है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाय :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि संशोधन प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संशोधन प्रस्तुत किया हुआ माना जाता है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसी के साथ सबका संशोधन भी प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपके संशोधनों के साथ जो अन्य प्रतिपक्षी नेताओं के संशोधन हैं वह भी प्रस्तुत किये हुये माने जाते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा वह सरकार द्वारा भ्रमित करने का एक प्रयास था। केवल भाजपा के भ्रमित करने वाले विचारों का पुलिन्दा मात्र यह अभिभाषण है। यह जनता को निराश करने वाला है। उनके अपेक्षाओं को ठेंस पहुंचाने वाला है। किसान, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, मजदूर, लघु उद्यमियों को, मध्यम वर्ग और राज्य कर्मियों को इससे बड़ी निराशा हुयी है। भाजपा सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास की लेकिन कार्य करती है कुछ का साथ और कुछ का विकास। इसमें किसान, गरीब, नौजवान, वृद्ध, ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, लघु उद्यमियों, व्यवसायियों, वकीलों, कर्मचारियों के उत्थान एवं कल्याण की किसी ठोस योजना का उल्लेख नहीं है। आज जनता महंगाई से त्रस्त

† दिनांक 22 फरवरी, 2021 की कार्यवाही से।

है। (इसी मध्य 12 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए।) देश और प्रदेश में आर्थिक मंदी जोरों पर है। आर्थिक मंदी के दौर से देश और प्रदेश गुजर रहा है। विकास कार्य ठप्प पड़े हुये हैं। इसमें ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं है, जिससे जनता को उनकी समस्याओं से राहत मिल सके। केवल पुरानी योजनाओं को ही परोसा गया है। राहत देने वाली कोई योजना का वर्णन नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव कल मा0 उपाध्याय जी ने इस सदन में रखा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अच्छे से रखा, जो साथी समर्थन किये, विक्रम सिंह जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी बात अच्छे से रखी। कुछ कमेन्ट के साथ। उपाध्याय जी ने एक सवाल उठाया कि हम इस सदन में आए हैं तो अभिभाषण के समय विपक्ष ने मांग की कि इस अभिभाषण को खारिज किया जाए और दोबारा इस सदन में महामहिम राज्यपाल अभिभाषण दें। इसमें उन्होंने विपक्ष की आलोचना भी की है। आप भी संसदीय मामलों के ज्ञाता हैं, मा0 अध्यक्ष जी का कुछ पूछना ही नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी का भी कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि वह संसदीय मामलों के ज्ञाता हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण और बजट का प्रस्तुतिकरण महामहिम राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होता है और यह नियम भी है, परंपरा भी है कि जो महामहिम राज्यपाल समय निर्धारित करें, उससे एक सेकेण्ड भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। आपने देखा है कि संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, उन्होंने ठीक 11 बजे पढ़ना शुरू कर दिया और महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने अभिभाषण पढ़ने के लिए 11 बजे का समय निर्धारित किया था, वह साढ़े सात मिनट विलम्ब से अभिभाषण पढ़ने के लिए सदन में पहुंचीं, इसलिए हम लोगों को इस बात की शंका हुई कि आखिर इतना बड़ा नेता जो गुजरात में कई बार मंत्री रहा हो, मुख्य मंत्री रहा हो, मा0 प्रधानमंत्री जी के सबसे नजदीक रहा हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का राज्य हो, अपने निर्धारित समय से ही सात, साढ़े सात मिनट विलम्ब से क्यों आया ? हम लोगों को आशंका हुई और बात सही भी है कि इतनी योग्य नेता जो आज महामहिम राज्यपाल हैं और उन्होंने जब सरकार का दिया हुआ अभिभाषण देखा और पढ़ा तो वह बहुत निराश हुईं और वह सोचने लगीं कि यह अभिभाषण हमारे पढ़ने लायक है या नहीं है। हमको लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी रिक्वेस्ट की होगी कि हमारी प्रतिष्ठा रखिए, सरकार की इज्जत रखिए, हमारे नेता सदन ने तो नहीं कहा होगा क्योंकि यह खुद स्वाभिमानी हैं, इसलिए वह सदन में विलम्ब से आईं। वह निराश थीं, चूंकि अभिभाषण पढ़ने की परंपरा है और हमने पांच वर्ष में किया है और इस बार जो हम करने जा रहे हैं, इसका लेखा-जोखा अभिभाषण में होता है, इससे कुछ हुआ ही नहीं था, सरकार ने आगे भी उनको पुलिन्दा लिखकर दिया था, उसमें जनता के लिए कोई भी आश्वासन हीं नहीं था। उपाध्याय जी इसलिए हम लोगों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया, यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप था, यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप था, यह अभिभाषण बजट प्रस्तुत करने के तरीकों के अनुकूल था। कोरोना काल प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक भयंकर महामारी के रूप में आया। यह कोई

पहली भयंकर महामारी नहीं है, इस देश में प्लेग भी बहुत भयंकर महामारी के रूप में आया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसमें लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी। इस देश में चेचक की बीमारी भी आई थी, उसमें लाखों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसमें लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी। अंग्रेजों के जमाने में भी एक जबरदस्त बीमारी आई थी, उसमें भी करोड़ों लोगों की मौत हुई थी लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा था। हिंदुस्तान में यह महामारी आई, बहुत कहा गया कि मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यों की देश में, प्रदेश में, दुनिया में प्रशंसा हुई। इसके लिए इनको धन्यवाद, इन्होंने मेहनत की, इसके लिए धन्यवाद। इसका दूसरा पहलू क्या रहा, विपक्षी दलों से कोई राय नहीं ली गयी कि इसमें क्या करना चाहिए, न सहयोग मांगा गया। यह पहली दफा हुआ, संकट के समय हमेशा सरकारें सर्वदलीय बैठक बुलाकर कैसे ऐसी समस्याओं से लड़ा जाये, इस पर बात एवं विचार करती थीं, लेकिन इस बार नहीं हुआ। लेकिन जब तरह-तरह की बातें सामने आईं, अखबारों में, चैनेलों में, सोशल मीडिया में तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत मानता हं, ये भले हमको गाली दें। मैंने इनको डेढ़ पृष्ठ का एक पत्र लिखा, उसका पूरा डिटेल मैं नहीं कहूंगा, मैं कहा कि इधर-उधर जो बातें हो रही हैं, वह अच्छा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से आप इसमें रुचि लें, केवल अधिकारियों के जिम्मे इस बात को न छोड़ें। पता नहीं मुख्य मंत्री जी को वह पत्र पढ़ाया गया या नहीं, उसका उत्तर हमारे पास साढ़े सात पृष्ठ का आया। हमने लिखा डेढ़ पृष्ठ का और उत्तर आया साढ़े सात पृष्ठ का और ये कहा गया कि आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना ठीक नहीं है। मा0 नेता सदन, उस चिट्ठी में मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था, मैं केवल आपको सुझाव दिया था कि अगर ये बातें सामने आ रही हैं तो इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए था। लॉकडाउन हुआ, देश में अफरा-तफरी मच गयी। 8 बजे रात प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा। यह फैसला अनियोजित था। जो जहां है वह वहीं रुक जायेगा, केवल अपने घर में काम कर सकता है और सारी चीजें बंद हो जायेंगी। उसका नतीजा क्या हुआ कि लोग डर गये, देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी मा0 प्रधानमंत्री की बात सुनकर कि केवल अपने घर में रहेंगे, निकलेंगे नहीं, वो घबरा गया कि ये कैसी बीमारी आ गयी, लगता है कि हमारी जान नहीं बचेगी। ट्रेन बंद, बसें बंद, सड़क बंद, आवागमन बंद और जहां मजदूर/कर्मचारी काम करता था, उस घर के लोग उससे भाड़ा मांगने लगे, घर से निकालने लगे, कोई साधन था ही नहीं। श्रीमन्, ऐसी त्रासदी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, छोटे दिमाग से मैं जितनी बीमारियों के बारे में पढ़ा भी हं, अंग्रेजों के जमाने में जो बीमारी आई थी, प्लेग आया था, चेचक आया था, हैजा आया था, जिसमें लाखों-करोड़ों लोग मरे थे, उसका इतिहास मैंने पढ़ा लेकिन ऐसी भयंकर स्थिति कभी देश में सामने नहीं आई, लोग घरों से पैदल निकल पड़े, हजारों-हजार किलोमीटर उनका घर था, उनकी सोच थी कि हम मरें तो अपने घर पर मरें क्योंकि सबको लग गया कि कोरोना आ गया तो हम मर जाएंगे, यह दहशत लोगों में फैल गयी, पैदल निकल

पड़े, कोई बीच में ही मर गया। मान्यवर, कोई मां अपने दुधमुहे बच्चे को टांग करके चल रही थी, कुछ बच्चे तो गोद में मर गए और जब उत्तर प्रदेश की सीमा में आए तो पुलिस उनको लाठियों से मार करके फिर वापस करने लगी।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य झूठ-झूठ कहने लगे)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह मानवता का प्रश्न है। आप भी अखबार में पढ़े होंगे, आप भी चैनल में देखे होंगे, आप भी सोशल मीडिया पर पढ़े होंगे कि केमिकल का छिड़काव किया गया। बरेली में दिल्ली के बार्डर पर उन्हें रोका गया, लाठी जब चली तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली के बार्डर पर कुछ बसों का प्रबन्ध किया।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य कहने लगे कि हजारों बसों का प्रबन्ध किया गया)

ठीक है, हम कई हजार, दस हजार बस कह दे रहे हैं। आप एक लाख बस कहेंगे तो मैं एक लाख बस कह दे रहा हूं। लेकिन माननीय सदस्य जी, 10 हजार बसें कितनी दूर में खड़ी होंगी ? आप बता दीजिए। 10 हजार बस, आप बैठ जाइये, आप हमारे माननीय हैं। लेकिन अखबारों में क्या छपा, चैनलों में क्या दिखाया गया कि उन प्रवासी लोगों ने कहा कि बस वालों ने हमसे जबरदस्ती पैसा लिया।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा कि गलत-गलत)

आप सुनिए, सुनिए, जब भाषण की आपकी बारी आयेगी तो इसका उत्तर दीजिएगा। लेकिन उन अखबारों का खण्डन किसी ने नहीं किया। श्रीमन्, हर जगह से फोन आने लगे। बलिया जनपद एक गरीब जनपद है, दक्षिण में गंगा, उत्तर में घाघरा, बीच में कई नाले, खेत कम आबादी अधिक, देश के हर हिस्से में बलिया के लोग काम करने के लिए जाते हैं। श्रीमन्, लोगों के फोन आने लगे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। हमको घर वाला निकाल रहा है। मैंने मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी और श्रीमन्, मैंने देश के हर मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी, यह पुलिंदा है और मैंने उनसे आग्रह किया, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हों, उत्तराखण्ड के मुख्य मंत्री हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, तमिलनाडु के हों, केरल के हों, गोवा के हों, दमन द्वीप के हों, असम के हों, कलकत्ता के हों, बिहार के हों, सभी माननीय मुख्य मंत्री जी लोगों को मैंने चिट्ठी लिखी कि हमारे जनपद के लोग आपके प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था कराइये और हो सके तो उनको अपने साधन से उनके घर तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। किसी का कोई उत्तर नहीं आया, केवल महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री का मेरे पास फोन आया और दिल्ली के मुख्य मंत्री का मेरे पास फोन आया कि उनका नम्बर केवल हमको बता दीजिए। फिर मैंने माननीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप पूरे देश के माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि जो भी प्रवासी लोग आपके स्टेट में फॅसे हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करें और आवश्यकता हो तो उनको

घर तक पहुंचाने की कृपा करें। श्रीमन्, मैंने मुख्य विकास अधिकारी, बलिया को चिट्ठी लिखी। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए साबुन, सेनेटाइजर, मास्क और कोरोना वायरस से बचने के और जो साधन हो सकते थे, उनको खरीदने के लिए 01 लाख रुपया अपनी निधि से देने की व्यवस्था की। मैंने अपने जिले के, क्षेत्र के प्रेस के लोगों के लिए 01 लाख दिया, सफाई कर्मियों के लिए भी 01 लाख दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा। मुख्य विकास अधिकारी ने ही कहा था कि गरीब लोगों को भी एक लाख रुपये दे दें। बाद में उन्होंने कहा कि निधि की कोई व्यवस्था नहीं है हम देने में असमर्थ हैं। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को उस पर भी एक चिट्ठी लिखा और कहा मा0 मुख्य मंत्री जी से कि अगर गाइड लाइन बाधित करती है पत्रकारों को, सफाई-कर्मियों को, क्षेत्र के लोगों को विधायक निधि से देने के लिए तो उसमें आप चेंज करवा दें, और सभी मा0 विधायक लोगों को आप निर्देशित करें कि अपने-अपने विधायक निधि से अपने क्षेत्र के लोगों को, सफाई कर्मियों को, पत्रकार बन्धुओं को कोविड-19 से बचने के लिए सारा सामान खरीदने के लिए व्यवस्था की जाए। जबकि व्यवस्था नहीं की गई। मैंने यह भी कहा कि जिस तरह से डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी इस कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं, उसी तरह से प्रदेश का पत्रकार भी रात-दिन जनता के बीच में घूम करके जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक पहुंचाने का काम करता है। गांव से ले करके शहर तक अपनी कलम और अपने चैनल वाला सामान कांधे पर लाद करके कोरोना वारियर्स की घोषणा कर रहे हैं। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, और मैंने उनसे आग्रह किया कि देश का पत्रकार चौथा स्तभमाना गया है और जो डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी और जो सरकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना वह बधाई के पात्र हैं, उनका हम नमन करते हैं, अभिनन्दन करते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना जो पत्रकार चाहे वह प्रिंट मीडिया का हो, चाहे चैनल का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे प्रमाणिकता प्राप्त हो या न हो उसको भी कोरोना वारियर्स घोषित कराने की कृपा करें। मैंने मा0 प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना किया कि इनकी कच्ची नौकरी है कभी किसी को तनख्वाह मिलती है और कभी नहीं मिलती है जब चाहे तब निकाल दिए जाते हैं। बिना पैसे के जो पत्रकार काम करते हैं अपने स्वाभिमान के लिए इनको सरकार अपनी तरफ से मा0 प्रधानमंत्री जी 50 लाख रुपये का बीमा करने की और अगर इस कोरोना वायरस में किसी पत्रकार साथी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को चलाने लिए कम से कम 25 लाख रुपये की व्यवस्था करिए। लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी विधायिका को पेंशन, कार्यपालिका को पेंशन, न्यायपालिका को पेंशन तो फिर चौथे स्तम्भ को पेंशन क्यों नहीं ? कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनको भी पेंशन की व्यवस्था कराई जाए। कोई नहीं सुना अधिष्ठाता महोदय, कोई नहीं सुना। एक दिन हमारे यहां फोन आया पूर्वांचल के कुछ लोगों का और बिहार के अधिकांश लोग और हमारे जनपद के लोग, महाराष्ट्र से दो बस, दो ट्रक भाड़े पर करके महाराष्ट्र

गौरमेण्ट से परमीशन ले करके चले और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर दो दिन पुलिस ने अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने फोन किया कि दो दिन से हम लोग बिना खाए हुए हैं। महाराष्ट्र गुजर गए, मध्य प्रदेश गुजर गए और आपके प्रदेश में हम लोग अपने घर नहीं जा सकते। मैंने मुख्य मंत्री जी को ट्वीट किया और मैंने अपर मुख्य सचिव, गृह जी को फोन मिलाया, वह फोन पर नहीं मिले लेकिन जो फोन पर थे मैंने उनसे कहा कि ऐसी-ऐसी विकट परिस्थिति है, लोग वहां बिना खाने के दो दिन से रुके हुए हैं तो उनको अपने घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है ? आप अपर मुख्य सचिव, गृह से कहिए और हमारी बात मा0 मुख्य मंत्री जी के वहां पहुंचवाइए अगर आपके पास कुछ जरिया हो तो। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि किन्हीं कारण से दो दिन के बाद वे लोग भूखे-प्यासे किसी तरह से अपने घर गए। टी0वी0 चैनल के लोगों ने लोगों के मुंह से सुनवाया कि वे पैदल आ रहे हैं और पुलिस ने उनको लाठी से मारा, पानी तो नहीं पूछा। फिर वे लोग पगडण्डी से चलने लगे और घूमते-घूमते फिर उसी जगह पर आ गए। लेकिन उनको फिर लौटा दिया गया और वे चक्कर काटते रहे, चक्कर पर चक्कर काटते रहे। वे भूखे, प्यासे, नंगे चलते रहे लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनसे किसी पुलिसवाले ने यह नहीं पूछा कि तुम कितने दिन से भूखे हो, तुमको प्यास लगी है कि नहीं लगी है। उनसे यह सब किसी ने नहीं पूछा लेकिन अगर उन्होंने यह कहा कि हमको पानी दे दो तो लो लाठी। किसी ने कहा कि साहब हम दो दिन से भूखे हैं तो उससे कहा गया कि हमारे पास रोटी नहीं है, लाठी है तो लो लाठी। आपकी बड़ाई हुई मुख्य मंत्री जी लेकिन यह दूसरा पक्ष है। जितने लोग ट्रेन से गए तो केन्द्र सरकार ने कहा कि ये लोग फ्री में जा रहे हैं, लेकिन जब अखबार और टी0वी0 चैनल के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी पॉकेट से निकाल करके टिकट दिखलाए कि हम टिकट लेकर आए हैं, मैं टिकट लेकर आया हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जब पैदल चलने वाले लोग यह कहने लगें कि इससे अच्छा तो हम मर गए होते तो कम से कम हमारी यह दुर्दशा न होती, हम लाठी-डण्डा, भूख-प्यास न झेलते और तड़प-तड़प कर हमारे बच्चे तो न मरे होते। एक मां अपनी ट्रॉली पर अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, एक लड़की दिल्ली से अपने बाप को साइकिल पर लेकर बिहार पहुंचा रही है। कितने लोगों के पैर पैदल चलते-चलते सूज गए, पैरों से खून आने लगा फिर भी उनका चलना बन्द नहीं हुआ क्योंकि लोग यह सोच रहे थे कि हम मरें तो अपने घर में मरें, मरें तो कम से कम अपने घर में मरें। क्या इसके लिए कोई व्यवस्था हुई ? इसमें लिखा गया है कि हजारों बसों से हम लोगों ने सबको पहुंचाया। अरे! क्या महामारी में भी असत्य प्रलाप होगा, जो सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है ? जिस तरह से लोग चल रहे थे, उसे जनता ने देखा है, टी0वी0 चैनल के लोगों ने दिखाया है, अखबार के लोगों ने लिखा है तो क्या हम अब उसको उड़वा देंगे ? लेकिन उसके बावजूद भी अगर मा0 मुख्य मंत्री जी की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई है तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी तो और ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपका उपचार तो ये ही कराए थे, आप इनको धन्यवाद दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं, हमारा उपचार तो आप भी कराए थे और इसीलिए हमको इतने दिन लग गए। (सदन में जोर की हंसी) आप दोनों के कारण से हमको इतने दिन वहां रहना पड़ा। (सदन में जोर की हंसी) मा0 अधिष्ठाता महोदय, अब आप इसकी भी कहानी सुन लीजिए। मैं गया था हॉस्पिटल में अपना हार्ट चेक कराने और वह बोल दिए कि अब तुमको कोरोना हो गया है। (सदन में जोर की हंसी) और हमको उन्होंने पी0जी0आई0 भेज दिया। जैसे ही हम पी0जी0आई0 पहुंचते हैं, तब तक मा0 मुख्य मंत्री जी का फोन आ गया, थोड़ी देर बाद वहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का फोन गया। अरे आपका क्या हाल है ? हमने कहा कि हम तो टकाटक हैं वह तो भेज दिया गया और हमको मोस्ट वी0आई0पी0 वार्ड में ले जाकर रख दिया गया क्योंकि मुख्य मंत्री जी का फोन था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का फोन था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दो-तीन बार फोन आया था। चालीस दिन तक हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती रही। (सदन में हंसी) अधिष्ठाता महोदय, एक दिन गुप्ता जी, जो हमारे मुख्य डॉक्टर थे वह हमारे पास आये और उन्होंने कहा कि आपमें कोरोना का कोई गुण है ही नहीं, फिर निगेटिव क्यों नहीं आ रहा है (सदन में हंसी) इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एम्स में बात कर ली, एयर एम्बुलेन्स की बात कर ली। मुझसे कहा कि आप एम्स में चले जाओ, मेदान्ता में चले जाओ, कल जहाज भी आ जायेगा और डॉक्टर्स से भी मेरी बात हो गयी है, लेकिन अधीक्षक और डॉक्टर्स कहने लगे कि बिना आपको ठीक किये हम लोग छोड़ेंगे नहीं (सदन में हंसी)। हमने समझा कि या तो मर के जाएंगे या ठीक होकर जाएंगे (सदन में हंसी) तब डॉक्टर ने हमसे कहा कि चूंकि मा0 मुख्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और अखिलेश जी का बार-बार फोन आ रहा है, इसलिए आपको मोस्ट वी0आई0पी0 वार्ड में जहां गंभीर मरीज रखे जाते हैं, रखा गया है और हमको लगता है कि उन्हीं का कोई वायरस आपको पकड़ ले रहा है और रिपोर्ट निगेटिव नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप गुस्सा न करें तो एक बात कहूं यदि मैं आपको जनरल वार्ड में भेज दूं तो कैसा रहेगा, मैंने कहा अभी भेज दो, आठ बजे रात को जनरल वार्ड में भेजा गया, सवेरे जांच हुई और दूसरे दिन सवेरे रिपोर्ट निगेटिव आ गई (सदन में हंसी)। मैं जो 40 दिन वहां रहा वह मान्यवर, आपके और आपके (मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ इशारा करते हुए) कारण से रहा, अगर आप फोन नहीं किये होते तो मैं जनरल वार्ड में रहता, फिर भी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अखिलेश यादव जी को और पी0जी0आई0 के डॉक्टर्स और उनके कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको सकुशल आपके बीच में बोलने के लिए वापस किया (मेजों की थपथपाहट)।

आपने पैसा भी दिया उसका खर्च क्या हुआ आपके ही विधायक लोगों ने आपको चिट्ठी लिखी कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और हुआ भी है श्रीमन्, आप ईमानदार हैं तो आपको सब ईमानदार ही दिखायी देते हैं। कोरोना के नाम पर करोड़ों के घोटाले भी किये गये। लगभग 65 जिलों में पी0पी0ई0 किट घोटाला हुआ, करोड़ों का खेल खेला गया। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर 5 गुना दामों में खरीदे गये। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी पत्र लिखकर मा0 मुख्य मंत्री जी को सूचित किया। कोविड किट 2800/- के बदले 9500/- में खरीदी गयी। आपने कमेटी भी बनायी और इसकी जांच भी कराई। आपने जो गांवों में पैसा दिया, क्या इसकी जांच करायी कि उन गांवों में कुछ बांटा गया अथवा नहीं बांटा गया, तो फिर आपके दिये गये पैसे का बंदर-बांट हुआ।

(इसी मध्य 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

मान्यवर, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सितम्बर आते-आते इस योजना के तहत आवंटित किये गये 8 लाख किलोग्राम अनाज में से सिर्फ 33 प्रतिशत अनाज प्रवासी मजदूर परिवारों में वितरित हो सका और क्या हुआ, अगर विपक्ष के लोग उस दुर्दिन में, जिसमें गांव में भी लोग भूखे मर रहे थे, मजदूर किस्म के लोग, खेतिहर-मजदूर जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उनको आपने अनाज दिया। किसी भी तरह 2-3 दिन घूम-घूम कर, बांट कर काम खत्म किया तो विपक्ष के लोग बांटने चले। पता लगवाइये, आपके पास एजेंसी है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि 2-3 दिन अनाज बांटने के बाद उनको कहा गया कि आप नहीं बांटेगे, जो आप बांट रहे हैं, वह हमको दे दीजिए, हम बांटेगें। जब विपक्ष के लोग अनाज बांटने गये तो उनको मारा गया, जेल भेजा गया और उनके खिलाफ कोविड-19 का मुकदमा लिखा गया। यह आपके राज में हुआ है। आपने सुना कि ट्रेन से कटकर कुछ मजदूर मर गये, क्यों मर गये ? वह आपके प्रदेश के नहीं थे, मध्य प्रदेश के थे। वह क्यों मर गये ? जब मेन रोड से जाने पर पुलिस लाठी मारती थी तो ट्रेन की पटरी पकड़कर जा रहे थे। जब मेन रोड पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मारने लगी तो पगडण्डी पकड़कर मजदूर जाने लगे। आपके पास कोई आंकड़ा है कि पैदल चलने वाले, रिक्शे से चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, बीमारी से, एक्सीडेण्ट से कितने लोगों की मृत्यु हुई ? केन्द्र सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि कोरोना काल में जिन प्रवासी लोगों ने पैदल, साइकिल से चल करके दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में, पानी के अभाव में दम तोड़ दिया उनकी संख्या क्या है, यह सरकार बताने का काम करे। ऐसी कभी आफत नहीं आयी। हमको लगता है कि मरने वालों की संख्या हजारों में है। केवल 24 मार्च से 1 जून तक वर्ष 2020 में बी0बी0सी0 ने कहा कि 300-400 से अधिक लोगों की मौत हो गयी। इतने दिन तक कोरोना महामारी में कम लोग मरे हैं, जैसा सरकार

कहती है लेकिन सरकार की तरफ से कोरोना महामारी का जो प्रबंधन हुआ, उसके कारण हजारों लोग मरे। किसी आदमी की माँ बीमार पड़ी है, कराह रही है तो बेटा अगर दवा के लिए मोटर साइकिल से चला तो वह गया तो था माँ की दवा लेने के लिए परंतु वह खुद इतना पीटा गया कि दवा लेने लायक वह खुद हो गया। वह घर लूट गया और उसकी माँ मर गयी। हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं कर रहा था। कोरोना मरीज तो छोड़िए, हार्ट का मरीज, किडनी का मरीज, लीवर का मरीज ऐसा भी कोई बीमार आदमी था परंतु हॉस्पिटल बन्द, ओ0पी0डी0 बन्द। आपदा में डॉक्टर भगवान के रूप में काम करते हैं लेकिन असली सत्ता एक ईश्वर की भी है परंतु ईश्वर का भी दरवाजा बन्द। देवी शक्ति होती है परंतु देवी का दरवाजा भी बंद। कोई आफत, विपदा आती है तो यज्ञ होता है, वर्षा के लिए, आपदा को हटाने के लिए, आपदा को समाप्त करने के लिए परंतु यज्ञ भी बन्द। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भूखे पेट तमतमाने लगे। उनको कोई काम ही नहीं था, न पूजा कराने का न यज्ञ करने का। मन्दिर के गेट पर फूल बेचने वाला असहाय हो गया। देश में नाम हो रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, यह क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की मजदूरों के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी। लॉकडाउन ठीक था, बुरा था इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन लॉकडाउन करने के पहले देश के सर्वोच्च नेता मा0 प्रधानमंत्री जी को एक हफ्ते पहले यह घोषणा करनी चाहिए थी उस समय ट्रेन चल रही थी, सब चीज ठीक थी कि जो अपने घर जाना चाहे तुरंत, एक हफ्ते के अन्दर घर चला जाये नहीं तो एक हफ्ते बाद हम लॉकडाउन लगायेंगे कोई जा नहीं पायेगा। कोई कठिनाई हुई होती लेकिन जैसे एक-ब-एक नोटबंदी वैसे ही हुआ एक-ब-एक लॉकडाउन। ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने कोरोना के चैनल को समाप्त करने के लिए घोषणा की, लोगों की जान बचाने के लिए घोषणा की, लेकिन कितने लोगों की जान चली गयी। कोरोना से भी गयी और जितना कोरोना से नहीं गयी उतना अन्य बीमारियों से लोगों की जान चली गयी। उसमें ये भी नहीं लिखा है सरकार ने कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर तड़पते हुए मर गये, उनके दुधमुँहे बच्चे मर गये, हजारों की संख्या में लोग मर गये उनको महामहिम राज्यपाल से श्रद्धांजली अर्पित करा दिया जाय, इसमें लिखा ही नहीं गया था। इसलिए तो वह टाईम से नहीं आना चाहती थीं, पढ़ना नहीं चाहती थीं।

माननीय अध्यक्ष जी, किसान की बड़ी चर्चा की गयी है। हमने ये किया किसान के लिए, वो किया किसान के लिए, ऐसा किया किसान के लिए तो कैसा किया किसान के लिए ? अगर आप किये होते, सरकार की होती चाहे केन्द्र की हो चाहे प्रदेश की हो तो आज तीन महीने से भी ऊपर होने जा रहा है, पूरा ठण्ड बीत गया चूंकि डाक्टरों की सलाह थी कि हम लोग जाड़े से बचे तो आदमी घर से जल्दी नहीं निकलता था और कड़ाके की ठण्ड में हमारा अन्नदाता ने ट्रैक्टर के नीचे सो कर रात बीताया और क्या कह रहे हैं सरकार के लोग, अरे ये तो पिज्जा खा रहा है, ये तो खीर खा रहा है, ये तो जलेबी खा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस चीज से पिज्जा पैदा होता है, जिस चीज से जलेबी पैदा होती है, जिस चीज से खीर पैदा

होती है, वह किसान पैदा करता है, चाहे बने किसी भी तरह से, वह नहीं खा सकता है, खा सकता है घर में बैठने वाला आदमी, मैं इसकी निदा करता हूं। आतंकवादी हैं, आम आदमी आतंकवादी, खालिस्तानी हैं, मुट्ठी भर हैं, लोकतंत्र है इस देश में श्रीमन् और यह लोकतंत्र हमारे पुरखों ने बड़ी कुर्बानी दिया उसके बाद आया। इसको हमको-आपको सहेजना है, रखना है इसको तार-तार नहीं करना है, कहा था उपाध्याय जी ने सहमत-असहमत। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके विरोधी पक्ष के लोग आपके सहयोगी हैं, आप क्यों हमें अपना दुश्मन मान लेते हैं, हम केवल आपको सुझाव ही तो देते हैं। आप हमारा सुझाव भी मानने के लिए तैयार नहीं। हमारा सुझाव सही हो तो उस पर अमल करिये न सही हो तो हमको बता दीजिये कि आपने जो सुझाव दिया था वह गलत था, हम मान लेंगे उसको। हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मानने में दिक्कत है। किसान क्या कह रहा है श्रीमन् जो 03 कृषि कानून हैं, 01 संशोधित है, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में पास हुआ था, उसमें संशोधन किया गया और 02 कृषि कानून नये बने। किसान कह रहा है कि ये तीनों हमारे लिए डेथ वारेंट है, मौत के समान है। आप इसको वापस ले लीजिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दे दीजिए, इसमें क्या कठिनाई है ? कानूनी रूप देने में कौन सी कठिनाई है ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने 18 या 19 को सदन में कहा, मुझे याद नहीं है कि एम0एस0पी0 तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। श्रीमन्, एम0एस0पी0 1966-67 में पहली दफा हिन्दुस्तान में लागू हुई। एम0एस0पी0 1966-67 में आई थी। वर्ष 1965 में एम0एस0पी0 तय करने के लिए कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई, जिसका 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी0ए0सी0पी0 रखा गया। 1966-67 में एम0एस0 स्वामीनाथन, जो हरित क्रान्ति के जनक माने जाते हैं, उनकी कमेटी ने सिफारिश किया था कि कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। आप करते हैं कि उनका दूना करेंगे, कैसे दूना करेंगे ? डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, इस समय डीजल किसानों के लिए सबसे आवश्यक चीज हो गया है। ट्रैक्टर से, खेती की जुताई है, मड़ाई है, जहां बिजली के कनेक्शन नहीं है, उसे ट्यूबवेल चालू करना है। बिजली का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। 50 किलो यूरिया को 45 किलो कर दिया। अध्यक्ष जी, अभी मैं बलिया गया था, किसान का खेती-बाड़ी, पशु, यह इनकम के साधन हैं। दो साल तक दुग्ध समितियों को किसानों ने दूध दिया, आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला, उनकी आमदनी कैसे दूना होगी, उनके बेटे की शादी कैसे होगी, उनकी बेटी की शादी कैसे होगी ? वह अपने लड़के की फीस कैसे देगा, उसकी मां बीमार होगी तो दवा कैसे करेगा ? यह तो बता ही नहीं रहे हैं, आप कैसे दूना कर देंगे ? हम दूना करेंगे और आपकी बात अखबार प्रथम पृष्ठ पर छाप दे रहा है। चैनल धड़ाधड़-धड़ाधड़ दिखा रहा है तो लोग समझ रहे हैं कि यह जरूर हो रहा है। श्रीमन्, लेकिन धरती पर तो कुछ है ही नहीं। हमारे देश का किसान दुश्मन हो गया है ? पूरा घेराबन्दी, जैसे पाकिस्तान और चीन का बार्डर हो, सड़कों पर कील। अध्यक्ष जी, यह अन्नदाता है, अन्नदाता

तीन माने गये हैं, किसान, राजा और ईश्वर। राजा हमारे सामने बैठे हैं और ईश्वर भी सामने हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इनका काम है और किसान जाड़े में मर रहा है। 200 से अधिक किसान शहीद हो गये, जिसमें रामपुर के उत्तर प्रदेश के दो हैं, नवरीत सिंह और काश्मीर सिंह हैं।

महामहिम राज्यपाल ने उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं किया और यह भी अभिभाषण में नहीं कहा कि उनके परिवारों को जीवनयापन के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा करते हैं। अध्यक्ष जी, यह सरकार जिन पूँजीपतियों के हाथ में खेल रही है। कोई लोहा पैदा करता है, कोई मोबाइल पैदा करता है, कोई सीमेंट पैदा करता है, कोई सोने का उत्पादन करता है, कोई हीरे का करता है। क्या इसको कोई खायेगा ? खाना क्या है, अन्न, अन्न कौन पैदा करता है, किसान सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कौम है तो वह किसान है और किसान हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और यह विधान सभा यह प्रस्ताव पास करे क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है हिन्दुस्तान में सबसे अधिक अन्न का उत्पादन बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश करता है अगर किसान कानून नहीं चाहता है तो केन्द्र सरकार इन कानूनों को वापस ले ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बना दे। इस प्रकार का आप प्रस्ताव ले आइये, हम सारे लोग हाथ उठाकर उसका समर्थन कर देंगे। 1965 में सबसे पहले केवल गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया गया था उसके बाद धीरे-धीरे धान और अन्य चीजों का समर्थन मूल्य घोषित किया गया।

मान्यवर, जो कारखाने में पैदा होता है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है उसका तो मैक्जिमम होता है और किसान जो पैदा करता है उसका न्यूनतम होता है। कारखाने में काम करने वाला 8 घंटे काम करता है, मालिक चैन से अपने घर में रहता है जबकि किसान जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, ओला पड़े, 24 घण्टे में 18 घंटा खेत-खलिहानों और पशुओं में अपना काम करता है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जबकि पूरा परिवार खेत में काम करता है और उसकी मजदूरी तक नहीं जोड़ी जाती है। कारखानों में जो उत्पादन होता है उसका दाम कारखाने का मालिक तय करता है किसान के उत्पादन का दाम तय करने वाली सरकार है तो सरकार को तो किसान को अधिक मूल्य देना चाहिए ताकि वह भी मालामाल हो जाय। लेकिन यह सरकार किसान को फटेहाल देखना चाहती है, किसान के शरीर पर वस्त्र नहीं देखना चाहती है, उसके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ते देखना नहीं चाहती, उसके लड़के को आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 बनते नहीं देखना चाहती, वह केवल काम करे खेत में और पेट पाले हम लोगों का। साहब, बड़े-बड़े गोदाम बन गये प्राईवेट लोगों के, ऐसा क्यों। कुछ लोगों का यह मानना है कि सरकार बिल नहीं लायी है बल्कि कारपोरेट घरानों ने जो बिल बना करके

सरकार को दिया है, वही बिल हाउस में पास कराया गया है। आखिर कारपोरेट को कितना चाहिए, सब चीज उसी को चाहिए। सीमेंटे वही बनायेगा, लोहा वही बनायेगा, मोबाइल वही बनायेगा, टॉवर वही बनायेगा, बिजली वही चलायेगा, क्या सब कुछ वही करेगा, केवल चार-पॉच लोग ही। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में हम लोग जा रहे हैं अगर कोई किसान गलती से ही ट्यूबवेल लगाया है, कनेक्शन लिया है, एक छोटी सी झोपड़ी में पांच मुर्गी पाल दिया है तो सरकार ने एक विजिलेंस टीम बनायी है जो कहती है कि अरे तुम इसका तो पैसा दिये नहीं हो और जब किसान कहता है कि अरे! साहब इसमें एक बल्ब जल रहा है तो वह टीम कहती है कि 50 हजार रुपए दो। किसान कहता है कि साहब कहां से 50 हजार दें तो वह कहता है कि अच्छा, थाने में रिपोर्ट और 5 लाख रुपए फाइन। मान्यवर, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए तक पड़ रहे हैं। गांव के किसानों के ऊपर विजिलेंस टीम छापा मार-मार करके अवैध कनेक्शन के नाम पर 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए गांव में रहने वालों और किसानों पर फाइन कर रही है और आप किसानों की आमदनी को दूना करेंगे आखिर कैसे दूना करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों को चुनाव में जाना है, सबको जाना है। हमसे लोग पूछेंगे, तो क्या जवाब देंगे ? हम लोग जो हो-हो, हो-हो, गलत-गलत कहते हैं, यहां पर तो ठीक है। वह तो आपका कर्तव्य है। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक दिन और कहा था और आज भी इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारा मुख्य कर्तव्य हमारा क्षेत्र है। हम अपने क्षेत्र के लोगों का कैसे आर्थिक उन्नति कर सकें, उनकी जो असुविधा है, उसको कैसे सुविधा में बदल सकें ? हम जनता की बातों को सदन में रखने से क्यों सकुचाते हैं ? हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता की बात हम सदन में कह देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी कान खुजला रहे हैं।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

(हास्य विनोद के वातावरण में) मा0 अध्यक्ष जी, हमारा अनुरोध है कि विधान सभा में किसी को एक-दो डमरू लाने की इजाजत जरूर होनी चाहिए। मान्यवर, अगर डमरू हो, तो यहां पर रिहर्सल बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और ज्यादा मनोरंजन हो सकता है। अगर डमरू मंगाने की इजाजत दे दें, तो और ज्यादा रोचक हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(हास्य विनोद के साथ) मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसीलिए तो बैठ गया कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहें, जिससे दिमाग का मामला कुछ ढील हो।

मा0 अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की शुरूआत इस देश में 1767-68 में शमशेर गाजी विद्रोह से प्रारम्भ हुआ और धीरे-धीरे किसान जागरूक हुए। अपने समय में गांधी जी आंदोलन करने व कराने के कारण ही मशहूर हुए। गांधी जो को पूरा देश जान नहीं रहा था, लेकिन जब नील के किसानों की दुर्दशा को सुना, तो वह वहां गये और नील आंदोलन के किसानों की अगुवाई की। वहां पर किसानों से जबरन नील की खेती करवायी जाती थी और

करारनामा करा लिया जाता था, जिसको आप कांट्रेक्ट फार्मिंग नाम दिये हैं। इंग्लिश के शब्द बड़े अच्छे लगते हैं ''कांट्रेक्ट फार्मिंग''। अंग्रेज सस्ते दाम पर नील खरीद करके इंग्लैण्ड लेकर चले जाते थे। वहां के किसान भुखमरी के शिकार होने लगे। जब गांधी जो को पता चला, तो वह वहां गये और नील किसानों के आंदोलन की अगुवाई की। चंपारण आंदोलन, पावना आंदोलन/विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और वारदोली जैसे आंदोलनों की अगुवाई की और इसमें कई जगह सरदार पटेल ने भी भाग लिया था।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी शायद यहां पर मौजूद है, रायबरेली में हजारों किसानों का जमावड़ा अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुआ था। उसमें पंडित नेहरू जी को आना था। कोई विदेशी पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने आनंद भवन आ गया, जिसके कारण उनको आने में विलम्ब हो गया, तब तक किसानों को चारों तरफ से घेर करके इतनी गोली बरसाई गयी, जिसमें हजारों किसान मौत के घाट उतर गये। लोग यह कहते हैं कि वह तो नाला है, वह लाशों से पट गया। क्या यह सरकार वही चाहती है ?

शुरूआत तो हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच गया। 26 जनवरी, 2021 को किसानों की ट्रैक्टर रैली थी और सरकार ने रैली का रूट तय किया था। रूट पर भी अवरोध पैदा कर दिया था तो वह लाल किले पर कैसे पहुंच गये ? मेरा दावा है कि जो रूट दिया गया था उसी रूट पर किसान गये। आप वीडियो में देखे होंगे कि पुलिस वहां पर बैठी है और लाल किला में लोग घुस गये हैं। एक व्यक्ति एक गुम्बद पर झंडा बांध रहा है। वहां लोग कैसे पहुंचे, इसका सरकार के पास कोई जवाब है ? कई सोशल मीडिया चैनलों में यह बात आयी कि किसान आन्दोलन को बदनाम करने के लिए यह एक साजिश थी। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम कहा।) यह भी पहचान हो गयी कि वह कौन था लेकिन इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने कहा कि गिरफ्तारी हो गयी।) गिरफ्तारी हो गयी तो धन्यवाद। लेकिन वह कौन है, पूरा देश और दुनिया जान गयी। अगर दुनिया का कोई व्यक्ति किसान आन्दोलन का समर्थन कर दे तो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप! माननीय अध्यक्ष जी, एम0एस0पी0 छोटे किसानों के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि उनके छोटे-छोटे खेत हैं, उसकी उपज छोटी है अगर उसको एम0एस0पी0 नहीं मिलेगी तो क्या होगा ? मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हमने इतना धान खरीद लिया है। अध्यक्ष जी, मैं सदन में बोल रहा हूं, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, सदन में असत्य प्रलाप नहीं किया जा सकता। पहले कोई मंत्री उत्तर देने में हिचकता था तो अगर विपक्ष का या सत्ता पक्ष का कोई सदस्य इस बात का जिक्र कर देता था कि क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सही मान करके आप इसकी जांच करायेंगे तो माननीय मंत्री जी के सामने कोई विकल्प नहीं रहता था क्योंकि सदन में बैठा हुआ विधायक असत्य नहीं बोलेगा। एम0एस0पी0 पर धान बहुत कम लोगों का खरीदा गया है, बिचौलियों ने 9 रुपये, 10 रुपये व 11 रुपये किलोग्राम के हिसाब से धान खरीदा है, यह सही बात है और माननीय मुख्य मंत्री जी

चाहें तो निष्पक्ष होकर किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। कुछ न हो तो एम0एस0पी0 तो किसानों को मिलना चाहिए। पूर्वान्चल में छोटा किसान है। अध्यक्ष जी, 40 साल हो गया केवल 10 रुपये गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ा और इस साल भी कुछ नहीं बढ़ा फिर किस तरह से किसानों की आय दोगुनी होगी। कहा गया कि किसान निधि में पैसा भेज रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के खाते में 1000-1000 रुपया भेजा गया, माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी भी जांच करवा लीजिए कि कितने मजदूरों के घर में पैसा गया। माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी भी जांच करवा लीजिए कि कितने किसानों का और कितना कर्जा माफ हुआ ? क्या आप किसानों को कंगाल मान रहे हैं कि हमने दो हजार रुपया दे दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2 हजार रुपया किसी आदमी के लिए कितने दिन का खर्च है ? माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो बेरोजगारों को 500 रुपया महीना देते थे, वह काम हम भी करते थे। आप कह रहे हैं कि हम दो हजार रुपया दे रहे हैं, चार भाई के नाम खाता है एक भाई के खाते में पैसा जा रहा है, बाकी को कहा जा रहा है कि अगली बार आपको मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह हिन्दुस्तान का लोकतंत्र है, जर्मनी का लोकतंत्र नहीं है, यह दाना फेंकने से किसान, गरीब व मजदूर की स्थिति नहीं बदलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार हिटलर सदन में हाथ में मुर्गा लेकर गया और उस मुर्गे का एक-एक पंख नोचकर फेंकने लगा। जब पूरा पंख नोच दिया, मुर्गा को वेल में फेंक दिया। अपने कोट के पॉकेट में हाथ लगाया थोड़ा दाना निकाला मुर्गा के पास फेंका। पंख तो उसके थे नहीं कराहता हुआ वह दाने के पास आया और दाना चुगने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने पॉकेट में हाथ लगाया थोड़ा इधर दाना फेंका। मुर्गा किसी तरह से कराहता हुआ चलता हुआ वहां दाना चुगने लगा। माननीय अध्यक्ष जी, तीसरी बार फिर उसने पॉकेट में हाथ लगाया और अपने पैरों के पास दाने को फेंक दिया। वह मुर्गा कराहता हुआ आया हिटलर के पैर के पास पड़े हुए दाने को चुगने लगा। तब हिटलर ने अध्यक्ष के सामने जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, हिटलर ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश की जनता की यही हालत है कि उसका सारा पंख नोच लो, इतना असहाय कर दो, दाना छिड़क दो, चुगने लगेगा और राजा की जय बोलने लगेगा। आप दाना फेंक रहे हैं, 2 हजार रुपया ये लो, एक हजार रुपया ले लो। पंख तो नोच दिया। देश की आत्मा को बेच दिया। ट्रेन स्टेशन बिका, एल0आई0सी0 बिक गई। 8000 करोड़ से अधिक के लाभ में भारत पेट्रोलियम है उसको भी बेचने का मन बना लिया। देश की आत्मा तो है ही नहीं केवल उसका यह जर्जर शरीर है। निर्जीव शरीर पड़ा हुआ है। क्या नहीं बेचा। देश की आत्मा को बेच दिया। आज किसान, उद्योगपतियों को दिखाई दे रहा है कि अरे हम सब ले लिये इसकी जमीन तो बाकी है। तो यह पाया कि इसकी जमीन भी लो और जमीन लेने की साजिश में यह कानून बना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो उत्तर प्रदेश के दो लोग शहीद हुए हैं किसान आन्दोलन में नवप्रीत सिंह और काश्मीर सिंह उनको शहीद का दर्जा दें और उनके परिवार को जिलाने के लिये आर्थिक मदद करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

कुछ संक्षेप कर दीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संक्षेप कर दूंगा। आधा एक घंटा और। यह क्या कहते हैं कि कुछ आन्दोलनजीवी हैं कुछ परिजीवी हैं। आन्दोलनजीवी तो ठीक है। आन्दोलनजीवी तो पार्टियां भी होती हैं, किसान भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, कर्मचारी भी होता है, अधिकारी भी होता है। परिजीवी, परिजीवी वह है जो किसी पेड़ पर लता पड़ जाती है उसी से चूस कर जीती है। या शरीर में कोई क्षुद्र जन्तु पैदा हो करके शरीर के खून से वह जीता है। किसान परिजीवी नहीं है, आन्दोलनजीवी नहीं है। वह देश और दुनिया को जिलाने वाला जीवी है। (मेजों की थपथपाहट) अब उस पर हम कटाक्ष करते हैं। जो रूई की खेती की बात मैं आपसे कही वह परम गूढ़ की बात कही। वह ददरी प्रथा कहलाती थी। मामूली पैसा में करारनामा लिखवा लिया जाता था। ददरी प्रथा या तीन कटीय पद्धति और हम गये हैं वहां। हमारे गुरू, देश के महान समाजवादी चिन्तक नेता, परम आदरणीय चन्द्रशेखर जी वहीं से पटना से पदयात्रा शुरू किया था उसमें मैं भी शामिल हुआ था। आज किसानों की हालत सुधरी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों की वजह से आज किसानों की हालत वहां सुधरी नहीं है। देश में किसानों के आन्दोलन के बलिदान जवान पुरुषों की शहादत का ही परिणाम है कि आज हिन्दुस्तान आजाद हुआ है। किसान अगर गांधी के आन्दोलन में शामिल नहीं हुए होते केवल नेता-नेता करते रहते, देश आजाद नहीं हुआ होता। जब आजादी की लड़ाई में किसान, नौजवान, छात्र, मजदूर सब साथ खड़े हुए तो देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान में हमको अधिकार मिला, लोकतंत्र मिला, आप अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं, मैं नेता विरोधी दल की कुर्सी पर विराजमान हूं। अगर यह नहीं रहता तो हम लोग अपने घर पर होते। गांधी जी ने मरने के एक दिन पहले कहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री किसी किसान को होना चाहिए। किसान आन्दोलनों के प्रणेता एन0जी0 रंगा साहब ने 1944 में गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि आपका देश जब आजाद होगा तो कहीं सोवियत रूस की हालत न हो जाए। सोवियत रूस में सरकार तो मजदूरों की है, एकाधिकार है, किसानों का खेत छीन लिया गया है। गांधी जी ने कहा कि अगर हमारा आन्दोलन अहिंसात्मक तरीके से हुआ तो यहां पर किसान अपनी जमीन का मालिक होगा और किसान का ही राज होगा। इतने दिन के बाद यह षडयंत्र रचा गया कि किसान अपने खेत पर ही मजदूर होकर जीने का काम करे। वह कह रहे हैं कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है यह खेत कहां जायेगा, खेत तो जायेगा। अब उसमें बहस नहीं होनी है, फिर कभी होगी तो मैं बताऊंगा। अभी वित्त मंत्री जी का भाषण होगा तो जो कुछ बचा है, उसमें बोला जायेगा। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि किसानों को अन्नदाता के रूप में, भगवान के रूप में माना जाए, उसकी मांगों को माना जाए।

एम0एस0पी0 को कानून के रूप का दर्जा दिया जाए। मा0 राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कहा गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शायद यह होनी भी चाहिए, किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई गई है। मा0 मुख्य मंत्री जी भी कहते रहते हैं कि अपराध के आंकड़े बहुत कम हुए हैं। अभिभाषण में भी यह कहा गया है कि अपराधों में कमी आयी है, लेकिन कहना और दिखना दोनों में अन्तर है। एन0सी0आर0बी0 ने 2019 तक के जो आंकड़े दिये हैं, इधर आंकड़े मिले नहीं हैं। आंकड़े भी नहीं मिलते हैं। एक-एक हफ्ते पहले मैं चिट्ठी लिखता हूं। यह इसी काल में हो रहा है। मौर्या जी नहीं हैं। विधान सभा का नेता विरोधी दल विधान सभा चलने से पहले चिट्ठी लिख करके आंकड़े मांगता है और वह मिलता है। चार वर्ष हो गये हैं, चिट्ठी लिखने के बाद भी हमको कोई आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन आदमी मरता नहीं तो क्या करता, जुगाड़ करके निकालता है। एन0सी0आर0बी0 ने आंकड़े दिये हैं 2019 में उत्तर प्रदेश अपराधों में प्रथम स्थान पर है, आई0पी0सी0 तथा सी0एल0एल0 क्राइम में प्रथम स्थान पर है, अपहरण में प्रथम स्थान पर है, महिलाओं के खिलाफ आई0पी0सी0 और सी0एल0ल0 क्राइम में प्रथम स्थान पर है। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और अत्याचार में प्रथम स्थान पर है, राज्य के खिलाफ अपराध में प्रथम स्थान पर है। हत्या में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, साइबर अपराध में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अक्षमता के कारण अपराधी निरंकुश हो गए हैं। आज महिलाएं, छात्र, व्यापारी, कर्मचारी कोई सुरक्षित नहीं रह गया है। आम जनमानस त्रस्त है ओर भय के साए में जी रहा है, बैंक लूटी जा रही हैं, लोग ए0टी0एम0 काटकर लेकर भाग रहे हैं। दिन दहाड़े डकैती हो रही है। हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। छेड़खानी हो रही है। माताएं, बहनें मारकर जला दी जा रही हैं। यह सब घटनाएं आम हो रही हैं। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि लोगों को हैकर्स का शिकार होने से बचाया जा सके। सरकार के पास ऐसा कोई कानून और तकनीकी नहीं है जिससे लोगों को हैकर्स से बचाया जाए। एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2017 में 4971, वर्ष 2018 में 6280, वर्ष 2019 में 11, 416 साइबर अपराध हुए हैं जो देश में हुए कुल साइबर अपराधों का 25.6 प्रतिशत है। यह वह आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्टिंग हुई है तमाम अपराध की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। वर्ष 2002 से अपराध तीन गुना बढ़ गए हैं सरकार को जनता के धन की चिन्ता नहीं है उसे केवल अपनी और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की जेबें भरने की चिन्ता सताती है। जनता से कैसे पैसा वसूलें कि उसको पता भी न चले महिला अपराध राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है पूरे देश के अपराधों में 14.7 प्रतिशत अपराध केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कोरोना काल में 21 मार्च से 20 सितम्बर, 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश में 5470 महिला अत्याचार की शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज कराई गई हैं, मार्च में

699, अप्रैल में 190, मई में 503, जून में 876, जुलाई में 1451, अगस्त में 466, सितम्बर में 600 शिकायतें हुई हैं इनमें थानों में दर्ज मामले शामिल नहीं हैं केवल वह शिकायतें हैं जहां महिलाएं थाने से भगा दी गई हैं। वह मामले हैं। यह हालत है महिला अपराध की। दलित उत्पीड़न एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2019 के मध्य दलित उत्पीड़न के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। 2019 में पूरे देश में जितने दलित उत्पीड़न के मामले हुए उसमें 25.8 प्रतिशत मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं।

दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख की दलित आबादी पर अपराध की दर 22.8 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह दर 28.6 प्रतिशत रही है। जो राष्ट्रीय दर से 6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यह दर 20.3 प्रतिशत थी, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में दलित की हत्या का प्रतिशत 24 प्रतिशत है हत्या का प्रयास 14 प्रतिशत 506 आई0पी0सी0 अपराध 36 प्रतिशत अन्य आई0पी0सी0 अपराध 31 प्रतिशत, दलितों को अपमानित करने का अपराध 54 प्रतिशत दलित महिलाओं की लज्जा भंग और परेशान करने के इरादे से किए गए हमले 23 प्रतिशत, महिलाओं को वस्त्रहीन करने के इरादे से बल प्रयोग का अपराध 39 प्रतिशत, विवाह के लिए विवश करने और अपहरण करने के अपराध 68 प्रतिशत रहे हैं। दलित महिलाओं से बलात्कार के मामलों में से 15.4 प्रतिशत मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे बलात्कार, लज्जाभंग का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न तथा विवाह के लिये अपहरण आदि की दर राष्ट्रीय दर से काफी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली दलित महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। मान्यवर, आई0पी0सी0 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के वर्ष 2017 से 2019 के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में पूरे देश के अपराधों में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 10.9 है, जो देश में प्रथम है। विशिष्ट अधिनियम एवं स्थानीय कानून, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध तथा अत्याचार में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। राज्य के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। हत्या में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम। अभी बहुत हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि यह कितना गिना रहे हैं। अभिभाषण में क्या कहा गया है कि हर चीज में अपराध में कमी आयी है तो फिर प्रथम कहां से हो गया, क्योंकि यह तो केन्द्र सरकार की रिपोर्ट है। मा0 अध्यक्ष जी, और तो और इसी अभिभाषण में राम मन्दिर के सम्बन्ध में कहा गया है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं। हम लोग भी आभारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कौन आभारी नहीं होगा। वही सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल का राज कायम हो गया है। क्या मैं यह भी झूठ कह रहा हूं। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, छिनैती आए दिन बढ़ रही है। ठीक है कि अपराधी बन्द हैं। मा0 उपाध्याय जी ने 'हमारे मुख्य मंत्री जी की ठोको नीति' कहा था। यह बात उनको नहीं कहनी चाहिये थी, ठोको नीति नहीं कहनी चाहिये थी।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैंने कहा था कि कानून को चुनौती देंगे तो ठोकेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, क्योंकि मुख्य मंत्री की एक गरिमा है, इस कुर्सी की एक गरिमा है। हम मानते हैं कि जेल में हैं, हम मानते हैं कि कुछ अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि 80 प्रतिशत इनकाउन्टर फेक हुये हैं, गलत हुये हैं। हम मानते हैं अपराधी मुख्य मंत्री की सरकार के डर के मारे, भय के मारे प्रदेश छोड़ करके चले गये हैं तो फिर यह अपराध हो कहां से रहे हैं। किसी भी सरकार की खूबसूरती कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने में ही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये और भी ताकत लगायें। ताकत माने केवल इनकाउन्टर नहीं होता है। सरकार का काम किसी की जान लेना नहीं है बल्कि किसी की जान बचाना है। न्यायालय सजा देता है, फांसी की दे, आजीवन कारावास की सजा दे। अपराधियों पर मुकदमा चला करके उनको सजा दिलाने का काम मा0 मुख्य मंत्री जी करें। एक नया आया है। भूत का नाम तो सबने सुना है, लेकिन इस प्रदेश में एक जिन्दा भूत आया है। प्रदेश में भूत-भूत-भूत है। भूत है कि नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और उत्तर प्रदेश में एक जीवित भूत आ गया। हम जिन्दा हैं, लेकिन हमको मृत घोषित करके हमारा सारा खेत लिखा लिया गया, ऐसे कम से कम सैकड़ों उदाहरण उत्तर प्रदेश में हैं। वह व्यक्ति घूम रहा है कि अरे साहब हम तो जिन्दा हैं यह हमारा प्रमाण है। तुम जिन्दा नहीं हो, तुम तो मरे हुये हो, रिकार्ड में यही लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे बहुत से मामले हैं आप कहें तो पढ़ दें। नहीं तो आप इस तरह के जो भी मामले हैं, कि आदमी जिन्दा है लेकिन उसको मृत दिखला कर उसकी पूरी खेती-बाड़ी, घर-द्वार लिखवा लिया गया है, वह न्याय के चक्कर में दौड़ते-दौड़ते थक गया है, मरने की कगार पर है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप संत हैं, दयावान हैं ऐसे मामलों को गंभीरतापूर्वक लें और जो जीवित लोग हैं, जिनके आगे भूत शब्द लगा हुआ है उनके आगे से भूत शब्द हटवा दीजिए, उस व्यक्ति को जीवित रहने दीजिए। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से मामले हैं अगर आप कहें तो पढ़ दें नहीं तो छोड़ दें। छोड़े दे रहे हैं लेकिन आप इन मामलों का पूरे प्रदेश से रिकॉर्ड मंगवा लें और उनका संज्ञान ले लें। बहुत सारे ऐसे लोग मुकदमा लड़ रहे हैं जो जीवित हैं लेकिन उनको मृत दिखाकर उनकी सारी सम्पत्ति किन्हीं लोगों द्वारा लिखवा ली गयी है। (सत्ता पक्ष द्वारा किसी सदस्य के बीच में बोलने पर) मा0 अध्यक्ष जी, अब मैं बैठना चाहता था, लेकिन किसी ने टोक दिया है, इसलिए मैं फिर से बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका सब पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यह अभिभाषण ढपोरसंखी है, यह एक झुनझुना है, यह बच्चों के मुँह में काठ के लोला जैसा है **(सदन में हंसी)** मा0 मुख्य मंत्री जी आप काठ का लोला नहीं जानते होंगे हम जानते हैं क्योंकि हम पूरब के रहने वाले हैं। अगर मां चूल्हा-चौका कर रही है और बच्चे को दूध पिलाना हो और घर में दूध न हो तो काठ का लोला जो बाजार में मिलता है उसे मां बच्चे के मुँह में लगा देती है और लड़का खुश होकर चूसने लगता है और थोड़ी देर चूसने के बाद जब उसमें से दूध नहीं निकलता है तो बच्चा फिर से रोने लगता है, मां फिर से परेशान हो जाती है वह फिर आती है और दूसरा काठ का लोला मुँह में लगा देती है **(पूरे सदन में हंसी)** बच्चा हंस-हंस कर दूसरे लोला को चूसने लगता है लेकिन उसमें से भी कुछ नहीं निकलता है तो बच्चा दहाड़े मार कर रोने लगता है तब मां दौड़कर किसी दूसरे के घर से दूध लाती है और बच्चे को पिलाती है। यही काठ का लोला यह अभिभाषण है, इसे चाहे जितना चूसिये लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। इसमें बेरोजगार, किसान, नौजवान, पत्रकार, कर्मचारी, मजदूर और कृषि के हित में एक भी शब्द नहीं कहा गया है, इसलिए मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के लिए कह रहा हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय और पुनः इस संशोधन को समायोजित करते हुए एक दूसरा अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदया से पढ़वाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी मा0 नेतागण कितना-कितना समय लेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, नेतागण बस 30-30 मिनट लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मा0 नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के पक्ष में आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने भी भाषण कई बार पढ़ा है, सुना तो था ही लेकिन कई बार पढ़ा भी है। पढ़ने के उपरान्त मुझे लगा कि यह अभिभाषण प्रदेश की जनता के लिए धोखा है। सरकार के पास कोई नीतियां नहीं हैं, केवल जनता को गुमराह करने का एक दस्तावेज है और मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी इस बात को महसूस किया कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो भाषण तैयार किया गया है, उसमें जनता के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि उसी कारण वे यहां आने से हिचक रही थीं पर सरकार के दबाव के

बाद आग्रह के बाद उनसे आग्रह करने के बाद साढ़े सात मिनट विलम्ब से और प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महामहिम राज्यपाल निर्धारित समय से साढ़े सात मिनट विलम्ब से आया हो। यह इस बात को साबित करता है कि इस भाषण में कुछ भी नहीं है। मान्यवर, मैं बहुत लम्बा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बहुत सी बातें रखने का काम किया गया है, मैं उसको दोहराने का भी काम नहीं करूंगा। प्रस्तावक महोदय माननीय श्री उपाध्याय जी द्वारा जब धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने भी जो अपना भाषण दिया धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में उसमें भी प्रदेश सरकार के कार्यों का उल्लेख न करते हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बातों को रखने का काम किया। 90 प्रतिशत समय उन्होंने जैसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सदन में कोई बोल रहे हों, उस तरह से बात रखने का काम किया और मैंने पहली बार यह भी देखा कि प्रदेश के बारे में चर्चा कम और देश के प्रधानमंत्री की केवल तारीफ करने में पूरा समय उन्होंने बिताने का काम किया। माननीय मुख्य मंत्री जी की भी तारीफ में बहुत कम बोलने का काम किया, उन्होंने अपना ज्यादा समय इसलिए कि उनको भी लग रहा है कि प्रदेश में तो कुछ हुआ ही नहीं और हमें चुनाव में जाना है तो हमें किसका यशगान करना है, केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने भाषण को रखने का काम किया।

मान्यवर, एक बात उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेन्ट के मास्टर हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी कोराना के प्रबन्ध के बारे में चर्चा करने का काम किया गया, मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे घोषणा किया और 12 बजे लॉकडाउन कर दिया। हम बम्बई गये हों, दिल्ली गये हों, किसी दूसरी जगह गये हों, अपने घर में न हों दूसरे के घर में अतिथि बनकर गये हों, लॉकडाउन हो गया, चार घण्टे में नहीं आ सकते तो महीना दो महीना वहां बिताना कठिन होगा, बम्बई में रहने वाला मजदूर एक-एक घर में खोली में 50-50 मजदूर रहता है, पालीवाइज उसकी शिफ्ट रहती है कोई किसी समय गया, और कोई किसी समय काम पर गया एक साथ उसमें रहना नहीं होता, इसलिए रह लेता है। जब लॉकडाउन लग गया, उसको आने को नहीं मिला, खाने को नहीं मिला तो विद्रोह पैदा हो गया और वह अपने घर की तरफ भागने का काम किया और जिस तरह से रास्ते में जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह मैनेजमेन्ट का उदाहरण नहीं है। जिस तरह से सीमेन्ट के मिक्स्चर मशीन के अन्दर बैठकर उसको मजबूरन चलना पड़ा, जिस तरह से मालगाड़ियों में माल ढोने वाले ट्रकों के माल के बीच में बैठकर उसको आना पड़ा, यह मैनेजमेन्ट का कौन सा रूप है, माननीय उपाध्याय जी जरा इसको भी इंगित करने का काम करें। प्रदेश का प्रवासी मजदूर जो दूसरे प्रान्तों में था वह किस तरह से प्रताड़ित किया गया। मान्यवर, जगह-जगह से फोन आते थे और हमने लोगों के खातों में पैसा डालने का काम भी किया। अनेक मजदूरों के खातों में पैसा डालने का काम किया गया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के 10-12 मजदूर थे जो किसी तरह से ट्रक

के माल के बीच में बैठकर आये। प्रतापगढ़ में उनको जंगल में किसी जगह पर छोड़ दिया गया और वह बेचारे चार दिन भूखे-प्यासे बिलखते रहे। अन्त में उन्होंने मुझे फोन किया और हमने खाने का कुछ प्रबन्ध कराया। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी लाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर उनकी न तो कोई व्यवस्था की गई और न ही वहां से लाने की कोई व्यवस्था की गई। उनको रेल की पटरियों पर 40-50 किमी0 पैदल चलना पड़ा। मान्यवर, इस तरह का मैनेजमेण्ट किया गया है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ी चर्चा करते हैं और यूरोप और अमेरिका का उदाहरण देने लगते हैं कि हमने मैनेजमेण्ट किया जिसके कारण कोरोना की बीमारी से हम उतने प्रभावित नहीं हुये और हमारे यहां मरने वालों की संख्या उस तरह की नहीं रही जो अमेरिका और यूरोप की रही। अमेरिका और यूरोप का उदाहरण तो देते हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण नहीं देते। चीन में केवल 89000 लोग पाजिटिव हुये जबकि हमारे देश से डेढ़ गुना आबादी वाला चीन 89000 मरीजों के पाजिटिव होने पर संक्रमण रोक लेता है, वहीं हम एक करोड़ दस लाख के ऊपर पहुंच जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 8000 लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं और पाकिस्तान में भी लगभग इतनी ही मृत्यु होती है। उन्होंने कोई इस ढंग से लाक डाउन नहीं किया। हमने लॉकडाउन किया जिससे लोग प्रताड़ित हुये और जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे कई गुना ज्यादा लोग प्रापर इलाज न होने के कारण अन्य बीमारियों से मर गये, जिसका उल्लेख आपने नहीं किया। यह कौन सा मैनेजमेण्ट था कि जो मरीज हार्ट की बीमारी से ग्रसित है, किडनी की बीमारी से ग्रसित है, लीवर की बीमारी से ग्रसित है, पेट की बीमारी से ग्रसित हैं जिसका इलाज हो सकता था उसका इलाज न हो पाने के कारण वह हमारे बीच में नहीं रहा। आपके अच्छे मैनेजमेण्ट के चलते हमने अपने दो मंत्रियों को खोने का काम किया और हमे इसी सदन में उनके लिए शोक प्रस्ताव लाने के लिए विवश होना पड़ा। यह कौन सा डिजास्टर मैनेजमेण्ट है, इसे मैं नहीं समझ पाया। मान्यवर, आज किसान की बात आती है, मेरा मानना है कि कोरोना के मैनेजमेण्ट में हमने ठीक से काम नहीं किया। आप चाहे चैनल के माध्यम से जितनी वाहवाही लूटने की ख्याति प्राप्त कर लें, लेकिन वास्तव में आपने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। बिहार में चुनाव चल रहा था और भारी संख्या में भीड़ जुट रही थी, लेकिन बिहार में लोग कम पाजिटिव रहे और मृत्यु कम हुई। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारी इम्युनिटी ताकत है उसके कारण यह रुका और यह आपके मैनेजमेण्ट के कारण नहीं हुआ। हमारी जो इम्युनिटी ताकत है उसके कारण हमारे यहां लोग कम प्रभावित हुये और कम पाजिटिव हुये। गांव में जहां कोई प्रतिबन्ध नहीं था और एक-दूसरे के खेत-खलिहान में सब झुण्ड के रूप में काम करते थे वहां भी पाजिटिव नहीं हुये। यह आपके मैनेजमेण्ट का परिणाम नहीं था, बल्कि उनकी इम्युनिटी ताकत का परिणाम था। मान्यवर, इस तरह से झूठी वाहवाही लेने का काम किया गया। निश्चित रूप से इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। मान्यवर, दूसरी

तरफ मैं दो-तीन मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। एक कानून-व्यवस्था की बात की जाती है।

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि प्रदेश के विकास में और लोकतंत्र की हिफाजत में कानून की व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कानून व्यवस्था का मतलब कानून के द्वारा कानून का राज, ठोक के नहीं, मारकर नहीं, कानून के द्वारा। हमारा किसान आंदोलन कर रहा है। गाजीपुर बार्डर पर पुलिस रोकने का काम नहीं करती है। कुछ अराजक तत्व जाकर उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। यह कानून का राज नहीं है, यह कानून का जंगलराज है और उन जंगलराज फैलाने वाले लोगों के खिलाफ यह सरकार कार्य नहीं करती है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून का राज या अपराध नियंत्रण का इच्छाशक्ति से है, केवल ठोकने से नहीं है। हमारे मन में कानून के प्रति वफादारी से होगा और कानून का राज स्थापित तब होगा जब पक्षपातपूर्ण तथा पक्षपातविहीन कार्य करेंगे। पक्षपातपूर्ण ढंग से अगर आप कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो कानून का राज स्थापित नहीं होगा। यह सरकार लगातार जबसे सत्ता में आई है कानून का राज स्थापित करने के मामले में पक्षपातपूर्ण निर्णय करने का काम करती है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या होती है, हत्यारों को माला पहनाई जाती है। हाथरस में बाल्मीकी समाज की बच्ची के साथ बलात्कार और उसका उत्पीड़न कर हत्या होती है और हत्यारों के पक्ष में पंचायत होती है। बलिया में पाल की हत्या होती है, हत्यारों के पक्ष में पंचायत की जाती है। मान्यवर, इसी तरह से एक उदाहरण नहीं हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आंकड़ा देकर। अनेकों उदाहरण हैं। इस सरकार के आने के बाद कानून ध्वस्त हुआ है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है और महिलाओं का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर बढ़ गया है।

मान्यवर, आज कानून राज की जगह पर एक नई संस्कृति पैदा हो गई है। पहले अपराध होता था तो उनको अपराधियों के पक्ष में नहीं कानून के आधार पर सजा देने का काम होता था। आज अपराधियों का हौसला इतना अधिक बढ़ गया है कि अपराध करते हैं, विशेषकर महिलाओं के प्रति। बलात्कार होता है और बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करने का काम एक नया चलन पैदा हो गया है। अभी शाहजहांपुर जहां से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आते हैं वहां पर एक बी0ए0 की छात्रा कॉलेज से गायब होती है और अर्धनग्न अवस्था में उसका अधजला शरीर मिलता है। दो मासूम बच्चियां पढ़ने जाती हैं अन्त में उसमें से एक मृत पायी जाती है और एक को घायल अवस्था में उसको एडमिट करने का काम किया जाता है। कौशाम्बी में गैंगरेप होता है। उन्नाव की घटना का जिक्र मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने इसी सदन में उठाने का काम किया है। हमारी सरकार बहुत बढ़-चढ़कर और माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत बढ़-चढ़कर इस बात का आंकड़ा देते हैं कि हमने अपराध पर इतना नियंत्रण किया है। मान्यवर, मेरे पास नेशलन क्राइम इन इण्डिया-2019, नेशनल क्राइम

ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत के गृह मंत्रालय का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका मेरे पास आंकड़ा है। जिस आंकड़े में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध 2017 में 56 हजार 11 था, 2018 में 59 हजार 445 हुआ और 2019 में 59 हजार 853 हुआ। मान्यवर, अपराध दर के लिहाज से महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें हमारा स्थान 16वां है। यानी हमसे 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें अपराध दर हमसे कम है। मैं अपराध की संख्या नहीं बता रहा हूं। अपराध की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश तो पहला स्थान रखेगा ही इसलिए कि हमारी आबादी ज्यादा है। आबादी की दृष्टि से हम ज्यादा हैं, लेकिन अपराध दर पर एक लाख पर जो प्रति आंकड़ा निकाला जाता है उसके हिसाब से 20 राज्यों में हमसे कम 36 राज्यों में से 20 राज्यों में अपराध दर हमसे कम है, महिलाओं के प्रति। मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आंकड़ा दिया कि हमने कत्ल में इतना कम कर लिया, इसमें इतना कम कर लिया। लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का कुल अपराध का जो आंकड़ा है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 में 02 लाख 82 हजार 171 था, वर्ष 2017 में 03 लाख 10 हजार 84 हुआ। वर्ष 2018 में 03 लाख 42 हजार 355 हुआ और वर्ष 2019 में बढ़कर 03 लाख 53 हजार 131 हुआ। यह हमारा अपराध का आंकड़ा है।और फिर भी कहते हैं कि अपराध कम हो रहा है। हमने कानून व्यवव्स्था का राज स्थापित किया है। कानून व्यवस्था का राज स्थापित नहीं होगा, यदि आप सिर्फ अधिकारियों के भरोसे रहेंगे। आज थानों में क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी अब समाप्त करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपसे आधा घण्टा समय लिया था अभी तो 10 या 12 मिनट हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान्यवर, आज थानों में जिस तरह के इंस्पेक्टर पोस्ट किये गये हैं। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं अपने स्तर से पता करने का काम करें कि किस तरह से वहां पर उगाही का काम चल रहा है, इस पर भी जब तक आप नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक अपराध को रोकने का काम नहीं हो सकता। आपने नारा दिया था कि न गुण्डाराज न भ्रष्टाचार। उस नारे को आपने किस स्तर पर पहुंचाया है, मैं इसके बारे में आपसे स्वयं चाहूंगा कि आप स्वयं अपने स्तर से पता करने का काम करें। मैं उसका उदाहरण नहीं दूंगा। दूसरा मान्यवर, किसान की बात आती है। किसानों के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा की जाती है कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। चार साल से लगातार सुन रहा हूं। 2017 से मा0 अग्रवाल जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तबसे सुन रहा हूं कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। 2017 में कह रहे थे 2021 में भी कह रहे हैं। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई उसकी जो उत्पादन लागत थी वह दोगुनी हो गया। डीजल का दाम जो 60 रुपये के लगभग था 2017 के पहले, वह बढ़कर 81 रुपये से ज्यादा

हो गया है। किसानों को पम्पिंगसेट में और साथ-साथ ट्रैक्टर में डीजल की जरूरत पड़ती है। दूसरा रसायनिक उर्वरक जो डी0ए0पी0 खाद 800 रुपये में था वह बढ़कर 1400 रुपये में हो गया, लगभग डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़ गया। एन0पी0के0 खाद जो 600 रुपये में था वह बढ़कर 1000 के लगभग हो गया। निश्चित रूप से आपने दोगुना उत्पादन लागत बढ़ाने का काम किया। इसके साथ-साथ बिजली का दर बढ़ाने का काम किया गया। मान्यवर, मैं भी किसान हूं और मुझे गर्व है कि मैंने अपने हाथ से गन्ने की कटाई भी किया है, लदायी भी किया है। मान्यवर, हमने 5 हार्सपावर का ट्यूबवेल लगवाया है उस समय हमने बिजली का 11000 रुपये के लगभग जमा किया था और उसमें हमारा कनेक्शन हो गया। 3-4 खम्भा बिजली का भी लग गया और उस समय हमें 55 रुपये प्रति हार्सपावर बिजली का बिल देना था। आज अगर आप एक ट्यूबवेल लगवायें तो मान्यवर, डेढ़ लाख रुपये से कम नहीं लगेगा। 68 हजार रुपया सरकारी छूट भी मान लिया जाये तो भी 70-75 हजार रुपये से कम 5 हार्सपावर का ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने में नहीं लगेगा। इसके साथ-साथ जो 55 रुपये प्रति हार्सपावर था वह बढ़कर 255 रुपया हो गया और आप कह रहे हैं कि हम किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं। यह किसान की आमदनी बढ़ाना हुआ कि किसान की उत्पादन लागत बढ़ाना हुआ।

मान्यवर, मैं भी कृषि का विद्यार्थी रहा हूं, हमने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला है। हमने वही पढ़ाई की है और हम खेती करते रहे तो उसमें भी देखने का काम किया है। मा0 कृषि मंत्री जी के कमाने के लिए कृषि फार्म हैं। आप निकाल लीजिए कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार किसान को उसकी लागत का मूल्य मिल रहा है, उसके उत्पादन का मूल्य मिल रहा है ? वह नहीं मिल रहा है। दूसरी बात हमारे गन्ना मंत्री बहादुर साथी हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनके वक्ता होने में कोई कमी नहीं है और यशगान करते हैं कि हमने किसानों के गन्ने का मूल्य एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। आपने खैरात में भुगतान नहीं किया है। दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा गन्ने का मूल्य बकाया है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो, हमने चार साल पहले माल दिया, आप हमारे उत्पादन का दाम नहीं दे रहे हो, हम दिन-रात मेहनत करके खेतों में पैदावार करते हैं और हमारे उत्पादन का मूल्य चार-चार साल तक बकाया रहेगा, तीन-तीन साल बकाया रहेगा, दो-दो साल बकाया रहेगा ? आप कौन-सा खैरात में दे रहे हो या फिर किसान को बोनस दे रहे हो। अगर आपने मूल्य से ज्यादा दिया है तो अपनी पीठ थपथपाइए। पहली बार इस देश के इतिहास में, इस प्रदेश के इतिहास में ब्याज सहित भुगतान कराने का काम आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में वर्ष 2010-2011 में कराया गया था। इसके बाद ब्याज सहित भुगतान कभी-कभी नहीं हुआ है, 14 दिनों में ब्याज सहित भुगतान कराने का काम सिर्फ एक वर्ष हुआ था। कहते हैं कि हमने 05 वर्ष में सौ रुपये से ज्यादा गन्ना मूल्य का दाम बढ़ाने का काम किया है।

हमारी सरकार वर्ष 2007 में आई थी तो उस समय गन्ने का मूल्य 125 रुपये घोषित था, लेकिन जब मिल मालिक हाई कोर्ट गये तो गन्ने का मूल्य 119 रुपये हो गया, हाई कोर्ट ने कहा कि 119 रुपये लिया जा सकता है और हमारी सरकार गयी तो हमारी सरकार ने गन्ने मूल्य के दाम को 240 रुपये तक पहुंचाने का काम किया है यानी पहली बार पूरे प्रदेश में सौ रुपये से ज्यादा गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया है। आज इस सरकार को लगभग पांच वर्ष होने जा रहे हैं, मा0 खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है, चार वर्ष में सिर्फ 10 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ाने का काम किया है और उसके बाद कहते हैं कि हमने एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपया, अरे आप यह बताओ कि आपका भुगतान बाकी कितना है। यह आपने कोई उपकार नहीं किया है, उनका बकाया मूल्य था जिसको आपने दिलाया है, उस बकाये को दिलाने में आपको पसीना आ गया और आप ऐसे बता रहे हैं कि जैसे किसान के ऊपर एहसान कर दिया हो। किसानों का पाई-पाई भुगतान होना चाहिए और यदि 14 दिनों के बाद भुगतान होता है तो ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। आपकी सरकार ने पडरौना में किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया था और आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से किसान की दुर्दशा है और उसी दुर्दशा के कारण कृषि कानून बिल भी किसान को बंधक बनाने का एक पैगाम है और विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल से शुरू हुआ था, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने का एक नया तरीका अपनाने का काम किया गया है। जिस तरह से एल0आई0सी0 को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से रेलवे को प्राइवेट करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से संचार व्यवस्था का निजीकरण करने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से निजीकरण की तरफ बढ़ने का काम किया जा रहा है। जिससे किसान को मजबूर होकर अपना उत्पादन बेचने का काम करना पड़े। इस तरह से सरकार वाह-वाही लूटने का काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी अपने भाषण में जवाब दें कि हमने किसान को अतिरिक्त क्या दे दिया है जो एक लाख पच्चीस हजार का यशगान करते हैं। दूसरी तरफ धान क्रय की बात की जाती है। आपने भाषण में कहा कि तब तक धान क्रय होता रहेगा जब तक किसान का धान क्रय केन्द्र पर आते रहेंगे। मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में धान का क्रय हो रहा था, जैसा मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा धान बिचौलियों के द्वारा खरीदा, मिल मालिकों के द्वारा खरीदा गया और उस धान को मिल पर पहुंचा दिया गया। 5 से 10 रुपये किलो एक क्विंटल में कटौती करा दी और वहीं पर उनका कागज बन गया और उनके बैंक खाते में पैसा चला गया, पैसा किसान के खाते में गया, किसी बिचौलिये के खाते में नहीं गया, आपकी नजर में तो किसान के खाते में गया, आपकी बात सही है। आप जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं उससे मैं सहमत हूं कि वह किसान के खाते में गया, लेकिन खरीदवाने का काम दूसरे ने किया और उसके बदले 10 किलो कमी किया गया कि परता नहीं आ रहा है।

आपने निर्धारित किया है कि चावल के उत्पादन में 65 प्रतिशत परता होना चाहिए, और इस आधार पर वह परता यंत्र रखा है और देखता है कि 65 प्रतिशत नहीं है तो वह कटौती कर लेता है, इसका विकल्प क्या है, सभी मा0 सदस्य इस बात को देखते होंगे, केवल मेरे ही स्तर का नहीं है। दूसरी बात, जो किसान का मोटा धान है, 30 जनवरी को हमारे क्षेत्र का एक भगवानदीन किसान था सन ऑफ राम आसरे वर्मा, टेकनपुर गांव है, कटेहरी ब्लाक है, इसको तौल के लिए टोकन मिला था, रामसागर मौर्य, रामनायक मौर्य इनको टोकन मिला था और जब अपना धान लेकर खरीद केंद्र पर गये तो कहा गया कि अब आपका धान टोकन रहने के बाद भी नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि मोटे धान का पोर्टल बंद हो गया है, हम आपका भुगतान नहीं कर पाएंगे। 30 जनवरी की यह घटना है, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। यह बात मैं उदाहरण के साथ कह रहा हं, 30 जनवरी को बंद कर मोटे धान की खरीद को बंद कर दिया गया, मैंने 3 उदाहरण दिया है आप इसकी जांच करा लें, मैंने स्वयं फोन करके उस अधिकारी से बात की थी, उसने कहा सर, मोटे धान का पोर्टल बंद हो गया है, महीन धान तो हम खरीद रहे हैं लेकिन मोटा धान नहीं खरीदा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसको भी दिखवाने का काम करें। मान्यवर, इसी तरह से अनेक किसानों से ज्यादती हो रही है। आपने कहा साढ़े छः सौ लाख मीट्रिक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है और निश्चित रूप से साढ़े छः सौ लाख मीट्रिक टन है और खरीद की आप वाह-वाही लूट रहे हो कि 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। अब ढाई सौ-तीन सौ लाख मीट्रिक टन धान पैदा हो रहा है और आप खरीद रहे हो 66 लाख तो कौन सा बड़ा कार्य हो रहा है ? कितने प्रतिशत किसानों को उसका लाभ मिल रहा है ? किसान आन्दोलन का परिणाम है कि थोड़ा धान का दाम बढ़ गया है। जब तक किसान आन्दोलन चरम पर नहीं था तो धान नौ सौ और दस सौ रुपये प्रति कुंटल में पूर्वांचल में बिका है, इस बात को सारे लोग स्वतः स्वीकार करेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

लगभग 13 लाख किसानों के धान की खरीददारी हमने की है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने बोलना बंद नहीं किया है, आप बैठिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आप आंकड़ों को ठीक प्रकार से रखिए। ये खरीददारी का परिणाम है कि बाजार आज हाई हो गया है और ऊपर जाकर बिक्री हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ये सब कारण खरीददारी के नहीं हैं। गेंहू की खरीददारी केवल 35 लाख मीट्रिक टन हुआ जो 2009-10 के मुकाबले, 2010-11 के मुकाबले भी ज्यादा नहीं था। ये

किसान आंदोलन का ही परिणाम है कि आपको मजबूर होकर खरीदना पड़ा, इसका श्रेय उस ठिठुरन में बैठे हुए किसनों को है, ये आपका नहीं है (विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो किसान के प्रति घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, निश्चित रूप से उसके साथ ज्यादती हो रही है और जिस दिन ये कानून पूरी तरह से लागू हो गया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को खत्म करने के लिए यह कानून लाया गया है। ऊपर से चाहे जितनी बातें आप कह लें लेकिन वास्तविकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना न पड़े, सरकार की जवाबदेही न हो, इसलिए उस कानून को लाया गया है। मान्यवर, दुनिया का कोई भी देश, अमेरिका जैसा विकसित देश में भी किसान को सब्सिडी दी जाती है, प्रति एक हेक्टेयर किसान को 24-25 हजार से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है और इसलिए सब्सिडी दी जाती है कि किसान का जो रोजगार है वह लाभकारी नहीं है, वह दैवीय आपदाओं का भी परिणाम भी झेलता है, कभी फसल तैयार हो जाती है, ओला पड़ जाता है वह खराब हो जाती है। फसल बीमा के नाम पर उसको मिल नहीं पा रहा है। हमने आज ही प्रश्न लगाया था। हमारे क्षेत्र में नहर कट गयी, किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन पूरी तरह से नष्ट हो गयी।

आज ही मैंने इसका प्रश्न लगाया था। हमारे क्षेत्र में जनार्दनपुर गांव है, शारदा सहायक नहर कट गयी, उसके कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो गयी। मैंने सवाल पूछा था कि क्या उनका मुआवजा दिया जायेगा ? जो अतारांकित प्रश्न था, माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि यह व्यवस्था नहीं है, नहर की सिंचाई की लागत के समतुल्य हम उसको राहत देते हैं चूंकि अब नहर की सिंचाई निःशुल्क है, इसलिए उसके मुआवजे का कोई प्रॉविजन नहीं है। तो फसल बीमा किसलिए है ? अगर उस फसल बीमा का लाभ उसको नहीं मिल सकता तो फसल बीमा का ढिंढोरा पीटने का मतलब क्या है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। निश्चित रूप से यह केवल वाहवाही का और मीडिया में, चूँकि आज ज्यादातर प्राइवेट मीडिया हैं और ज्यादातर बड़े उद्योगपतियों की मीडिया हैं। अकेले एक उद्योगपति जिसको लाभ पहुंचाने के लिए किसान कानून, लोग कहते हैं, बना है, उसकी अकेले 27 मीडिया हैं तो निश्चित रूप से वह आपका ढिंढोरा तो पीटेगा ही, लेकिन कुल मिलाकर मान्यवर, यह जो कानून है, किसानों के हित में यह काम नहीं हो रहा है, किसानों के अहित में हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न बड़ी चरम सीमा पर है, बेरोजगार नौजवानों का इसमें कोई उल्लेख करने का काम नहीं किया गया है। बेरोजगार नौजवानों के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है और इस तरह से मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में जो संशोधन हम लोगों ने लाने का काम किया है, उस संशोधन सहित इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास करने की आवश्यकता है। इस पर बल देते हुए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

[01:55] अभिभाषण हेतु दलीय नेताओं की चर्चा हेतु समय का निर्धारण

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सभी माननीय सदस्यों को बोलना है। मान्यवर, आपने सभी दलीय नेताओं के लिए कितना-कितना समय निर्धारित किया है ?

श्री अध्यक्ष-

मेरे ख्याल से 15 मिनट बहुत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, मान्यवर।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे भी अभिभाषण में बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं सोचती हूं कि 15 मिनट भी समय बहुत ज्यादा होगा इस पर बोलने के लिए, पर्याप्त समय है। बहुत ज्यादा इसमें बोलने के लिए कुछ नहीं है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का प्रतिविम्ब होता है। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की इच्छा-शक्ति और संवेदनशीलता को दर्शाता है। पर अफसोस की बात है कि जब उस दिन महामहिम के अभिभाषण के बाद हम लोगों ने इस अभिभाषण का अध्ययन किया और इस बात की चिन्ता थी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में पहली बार ऐसा हुआ कि महामहिम ने 07 मिनट विलम्ब से अपना अभिभाषण पढ़ा तो आखिर इसकी वजह क्या है ? तो अभिभाषण पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बसपा ने कहा। मान्यवर, मैं कहूंगी कि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थीं, अधिकतर चीजें उसमें ऐसी थीं, जिससे महामहिम राज्यपाल महोदया खुद आहत थीं और वह उसको सदन में पढ़ना नहीं चाहती थीं। इस अभिभाषण की अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो शुरू का पन्ना है, उसमें कोरोना के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। एक वैश्विक महामारी थी, हम सब लोगों ने देखा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में इस महामारी की त्रासदी रही। हमने अपने बहुत सारे प्रिय लोगों को इस महामारी में खोया है। हम सबकी संवेदना इस महामारी में रही। नेता प्रतिपक्ष, सभी दलीय नेताओं ने, मैंने स्वयं भी माननीय मुख्य मंत्री जी से बात की और उनको यह विश्वास दिलाया कि इस संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ खड़े हैं, प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं। पर मैं कुछ तथ्य इस सदन में आपके माध्यम से रखना चाहती हूं कि कोरोना देश में आया कैसे, अपने आप चलकर नहीं आया था, कोरोना इस देश में लाया गया था। अगर इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो विश्व का पहला केस कोरोना का

वुहान चीन में पाया गया था, वह पहली नवम्बर, 2019 में पाया गया था। भारत में पहला केस 31 जनवरी, 2020 में केरल में रिपोर्ट किया गया। यह वह लोग थे जो विदेश से भारत आए। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि 19 फरवरी को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह भी किया था। जब मा0 प्रधानमंत्री जी हुनरहाट में बैठे थे कि कोरोना की दस्तक देश में आ चुकी है, कृपया इसका संज्ञान लें और सरकार उचित कार्यवाही करे।

उत्तर प्रदेश में पहला केस 3 मार्च को रिपोर्ट हुआ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर यह जितने भी कोरोना के केस आए। यह विदेश से आए तो यह हवाई सेवाएं बंद क्यों नहीं कर दी गई थीं, जिन देशों ने हवाई सेवाएं बंद कर दी थीं उन देशों ने अपने देश की जनता को इस संक्रमण से काफी हद तक बचाया था। वजह क्या थी नमस्ते ट्रंप पांच हजार से ज्यादा विदेश से लोग आए थे नमस्ते ट्रंप के आयोजन में और यह आंकड़े मेरे नहीं हैं, केंद्र सरकार के हैं कि अहमदाबाद, आगरा और मुम्बई जहां पर नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम आयोजित किए गए या जहां पर उनके लोगों का स्वागत किया गया, वहां पर एल स्ट्रेन था जो अमेरिका और वुहान में पाया गया था। इन शहरों में वह स्ट्रेन पाया गया जो घातक था। लॉकडाउन की चर्चा की गई। मेरे एक साथी ने कल जब धन्यवाद प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने कहा था कि मा0 प्रधानमंत्री जी डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर हैं। जरा इस पर ध्यान दें कि जिस वक्त लॉकडाउन लगा था, उस वक्त भारत में कोरोना के कुल 470 केस आइडेन्टिफाइड थे और केवल आठ मौतें हुई थीं। लॉक डाउन लगा दिया गया और लॉकडाउन खोला कब गया। जब लाखों लोग संक्रमित हुए और कई हजार मौतें हुईं, तब लॉकडाउन खोल दिया गया तो मैं तो यही कहूंगी कि वह डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर नहीं थे, उन्होंने डिजास्टर को मैनेज किया। पूरी तरह से यह डिजास्टर उनका मिस मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से हमारे देश ने और हमारे उत्तर प्रदेश ने इतने बड़ी संख्या में अपने लोगों को खोया और कोरोना से संक्रमित हुए। प्रवासी मजदूरों की बदहाली का जिक्र किया गया। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा और इसमें लिखा भी कि 40 लाख प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों ने उनके घर पर भेजा। मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं। बड़ा अच्छा प्रयास था पर मैं एक सवाल भी पूछना चाहती हूं कि आखिर हर प्रवासी मजदूर को अगर सरकार ने घर भेज दिया था तो जो सड़कों पर जो चल रहे थे वह कौन थे, वह कहां से आए थे। जो ट्रेन की पटरी पर चल रहे थे, जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, कई महिलाओं के प्रसव तक सड़क पर हो गए थे वह कौन हैं, क्या इसका जवाब सरकार के पास है ? हम सब लोगों ने प्रयास किया, किसी ने खाना खिलाया, हमने एक हजार बसें देने का प्रस्ताव भी किया। हर किसी ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन प्रवासी मजदूरों की मदद करने का प्रयास किया। हमने कोई अहसान नहीं किया, यह हमारा कर्तव्य था, अपने प्रदेश की जनता के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं और मैं पूरी तरह से उन बातों को दोहराना चाहती हूं। पर इसमें पूरी तरह से, जिस तरह से घोटाले हुए, चाहे पी0पी0ई0 किट को लेकर हुए, चाहे थर्मामीटर को ले करके

हुए, मैं उनके विषय पर नहीं जाना चाहती, वे सदन में पहले ही आ चुके हैं। पर सरकार द्वारा इससे बेहतर मैनेजमेण्ट किया जा सकता था, कोरोना की रोकथाम की जा सकती थी। हां, यह बात सच है कि इस तरह का संक्रमण, इस तरह की परिस्थितियां, अपरिहार्य परिस्थितियां प्रदेश में पहली बार हुईं और मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया। पर यह अपर्याप्त है और यह हमें एक चीज और सिखाता है कि इन परिस्थितियों के लिए अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मैनेजमेण्ट की बहुत ज्यादा कमी है, उसको हमें पूरा करना चाहिए।

अगर अब मैं कोरोना की बात को छोड़ करके आगे बढ़ती हूं तो इसमें कई योजनाओं की चर्चा की गई। गंगा एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, लिंक एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरीडोर और लगातार हर अभिभाषण में ये सारी योजनाएं लिखित दिखाई देती हैं। पर केवल अभिभाषण की पुस्तक में दिखाई देती हैं, अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सुरसा के मुंह की तरह हैं जो लगातार चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं और सरकार का पांच साल का समय समाप्त हो रहा है, पर अभी तक ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाईं। ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, इन्वेस्टर्स समिट हुई, पर धरातल पर क्या है ? आज सरकार से मेरे सिर्फ दो सवाल हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला और उत्तर प्रदेश में कितना निवेश आया ? सरकार यह बताए और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं। वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में 70 लाख रोजगार देने की बात थी और यह जवाब सरकार को देना है कि 70 लाख रोजगार में से सरकार ने कितना रोजगार दिया ? जब इनसे रोजगार पर प्रश्न किया जाता है तो कभी ये स्किल इण्डिया की बात करते हैं तो कभी ये मेक इन इण्डिया की बात करते हैं। पर सरकार ने कितना रोजगार दिया, इस पर सरकार कोई जवाब नहीं देती। आज 47 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी है और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के हैं कि आजाद भारत में 47 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर हुई है तो वह आज है और इस त्रासदी से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है। पर इस अभिभाषण में नौजवानों के रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है। जॉब टू यूथ की बात सरकार ने अपने मैनीफेस्टो में तो की थी, पर धरातल पर कहीं कुछ नहीं किया। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो बी0एच0एस0एल0 घोटाला है। सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के नाम 40 लोगों को नियुक्ति मिल रही है। मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में अपने आप में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उस पर कार्यवाही की, पर मैं यह जानना चाहती हूं कि इस तरह के घोटालों के जनक हैं कौन ? अगर मा0 मुख्य मंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये घोटाले करने वाले लोग कौन हैं ? उनको बेनकाब होना चाहिए। यह सरकार किसानों की बड़ी हितैषी बनती है लेकिन आज 12 हफ्ते से ज्यादा बीत गए हैं, इस देश का, प्रदेश का अन्नदाता आन्दोलित है, सड़कों पर बैठा है। अगर इस सरकार के अन्दर जरा भी इच्छा शक्ति होती और मुझे तो खुशी होती अगर उत्तर प्रदेश

की सरकार इसी सदन में यह प्रस्ताव लेकर आती कि ये तीनों काले कानून भारत सरकार वापस करे और हम सब इनके प्रस्ताव को समर्थन में लेते। पर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। केवल किसानों के हित की बात करना, भाषण देना, यह अपर्याप्त है। डीजल और पेट्रोल के दाम हेतु मैं आपके सामने केवल कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं। बेस प्राइस डीजल की और फ्यूल की 31.82 है। ब्रेस प्राइस वह प्राइस है जिस प्राइस पर हम फ्यूल खरीद रहे हैं। और उस पर वैट कितना है 26.80 प्रतिशत मतलब 18.74 पैसे प्रति लीटर।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई की महाराष्ट्र/मुम्बई के आंकड़े भी बता दें।)

मुम्बई भी मेरा है, महाराष्ट्र भी मेरा है मैं मुम्बई का आंकड़ा भी आपको दे दूं वहां पर वैट 26 प्रतिशत है जो कि उत्तर प्रदेश से कम है और वहां पर 10.12 प्रति लीटर की दर से वैट लिया जाता है। एक ऑकड़ा मैं और रखना चाहती हूं कि वर्ष 2014 में बेस प्राइस 47.12 थी और उस वक्त वैट 14 प्रतिशत था और अब ये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं कि बेस प्राइस अब कम होकर 31 रुपये हो गया और वैट बढ़ाकर 27.63 कर दिया। खेती में किसानों के लिए कटाई, मड़ाई और जोताई में किसानों के लिए डीजल का सबसे अधिक महत्व होता है। इसका सीधा असर यदि किसी पर पड़ता है तो किसानों पर पड़ता है। एम0एस0पी0 तो आप दे नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से खरीद नहीं हो पा रही है किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत कुछ कहने को नहीं है पर 2-3 बिन्दु जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक हैं, वह मैं जरूर इस सदन में रखना चाहूंगी। आवारा पशुओं की समस्या से तो आप भी अपने क्षेत्र में परेशान हैं और यहां बैठे सभी साथी परेशान हैं। हम सब परेशान हैं लेकिन सबसे बड़ी और बहुत अच्छी व्यवस्था रही गौशालायें बनायी गयीं। यह बड़ी अच्छी बात है हम सबने स्वागत किया, मैं उसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करती हूं, पर जब समाचार-पत्रों में, टी0वी0 चैनलों पर गौशालाओं की स्थिति देखती हूं तो मन बहुत द्रवित हो जाता है। किस तरह सैकड़ों की संख्या में बदहाली के कारण गो-वंश मर रहा है, पर इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मैं मानती हूं कि आने वाले समय में गौशालाओं के मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाया जायेगा। इससे जो किसान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वह अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है। आपने उसके बच्चे को रोजगार तो नहीं दिया, पर लाठी जरूर पकड़ा दी कि जाओ और अपने खेत की सुरक्षा करो। यूरिया खाद, डी0ए0पी0 जिसकी बोरी पहले 50 किलो की होती थी, उसका दाम तो आपने बढ़ा दिया, परन्तु 5 किलो उसकी

मात्रा कम कर दी है। मैं तो यही कहूंगी कि इसी को कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। बोरी अब 45 किलो की आ रही है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

दोनों प्रकार की बोरियां मिल रही हैं, बोरी 50 किलो की भी है और 45 किलो की भी आती है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

लेकिन रेट तो बढ़ गया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

नहीं, रेट नही बढ़ा है, जब माननीय राम गोविन्द चौधरी जी थे, तब 50 किलो की यूरिया 336 रुपये में बिका करती थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वह घटकर 299 रुपये में बिक रही है। इसी तरीके से 45 किलो की यूरिया जो उस समय 300 के करीब थी उसका योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दाम घटाकर 266.50 कर दिया है। यह तथ्य के बिल्कुल विपरीत बात यहां पर हो रही है।

श्री लालजी वर्मा-

डी0ए0पी0 और एन0पी0के0 का भी बता दीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

पहली बार धरती पुत्र आदरणीय नेता जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों पर ए0सी0टी0एल0 टैक्स 5 प्रतिशत लगाया था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद वह 5 प्रतिशत टैक्स हम लोगों ने खत्म किया है। उसका यह परिणाम है कि यूरिया आज उत्तर प्रदेश के किसानों को पिछले ढाई साल से सस्ते दरों पर प्राप्त हो रही है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैंने मा0 मंत्री जी, इसमें डी0ए0पी0 का भी बताया है। डी0ए0पी0 का दाम भी पूछा है।

श्रीमती कृष्णा पासवान-

आपकी सरकार में किसानों को डी0ए0पी0 नहीं बल्कि लाठी मिलती थी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, हमारे किसानों को उचित दामों पर खाद हमेशा मिलती रही है। किसानों का अगर किसी ने हित किया है तो वह केवल कांग्रेस की सरकार ने किया है। यह सरकार ने हमेशा किसानों का अहित किया है। मुझे आज अफसोस होता है। सरकार ने बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ का नारा दिया था। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट है, परंतु मैं उसमें नहीं जाऊंगी, सभी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसलिए मैं आंकड़ों में नहीं जाऊँगी, लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगी कि पूरे देश में जो महिलाओं के प्रति अपराध है, उसमें 14.7 प्रतिशत अपराध केवल उत्तर प्रदेश में है। इससे भी बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं के प्रति जो अपराध के

लम्बित मामले हैं, वह 92.4 प्रतिशत हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है 'जस्टिस डिलेयड इज जस्टिस डिनाइड'। अगर उन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, यदि न्याय नहीं मिलेगा तो मैं मानती हूं कि सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी, वह थी 'फास्ट ट्रैक कोर्ट'। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इसकी घोषणा की थी और लगातार दो बार अभिभाषण में इसकी चर्चा भी की लेकिन अफसोस की बात है कि इस अभिभाषण में इसकी चर्चा भी नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहे हैं, कितने बने हैं और कब तक हर जिले में बनेंगे, जिससे बेटियों को न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगी। हाथरस, उन्नाव, बदायूं, हापुड़, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर यह सारे वह जिले हैं और बहुत सारी घटनाएं हैं। उन्नाव की सब घटनाओं का तो आपको मालूम है, जहां पर महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हुआ। दलित उत्पीड़न के भी 25.8 प्रतिशत मामले केवल यू0पी0 के हैं। अध्यक्ष जी, हाथरस की घटना ने पूरे देश और दुनिया को द्रवित क्यों किया ? जब उस बेटी की मौत हो गयी तो सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जहां संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उस बेटी के साथ खड़े होना चाहिए था वहां इस प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उस मरी हुई बेटी का चरित्र हनन किया। अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अपराध की घटनाएं जिस तरह से पूरे प्रदेश में बढ़ रही हैं, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मुख्य मंत्री जी के अंदर इच्छाशक्ति हो सकती है, परंतु क्या वजह है कि अपराधी या तो जेल में हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ कर चले गये हैं तो यह हत्याएं कैसे हो रही हैं ? यह लूट कैसे हो रही है ? इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है ? कौन तय करेगा और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा ? क्या यह सरकार उन अपराध माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जो यहां पर पनप रहे हैं ? अगर नहीं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी को सख्त कदम उठाने चाहिए और जो उन्होंने जीरो टॉलरेन्स अपराध के लिए कहा था, वह होना चाहिए। अध्यक्ष जी, अन्त में इतना ही कहूंगी कि 'सच को सच कहते हैं, तो सरकार को तकलीफ होती है, झूठे जुमलों को सच कहने में हमें तकलीफ होती है'। मैं पुनः माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, उसमें जो अपने सुझाव दिये हैं, मैं चाहती हूं कि उससे सम्बद्ध करके इसको बल दिया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती लीना तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना

चाहूंगी और केन्द्र और प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि जिस समय वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, देश-विदेश में सब त्रस्त थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री जी की सूझ-बूझ और निर्णय कौशल से देश-प्रदेश को सुरक्षित रखा गया। वह कार्य बहुत ही असाधारण रहा। मैं सदन के माध्यम से अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को भी बधाई देना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की योगी सरकार को भी बधाई देना चाहती हूं, जिस प्रकार लॉकडाउन के समय गरीब मजदूरों के खाने व घर लाने का प्रबंध किया गया, जिस प्रकार कोटा से 12,000 छात्र-छात्राओं को गृह जनपद पहुंचाया गया, कानून-व्यवस्था, सफाई-व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था की गयी वह अविस्मरणीय है। मान्यवर, जब पूरा विश्व कोविड से परेशान था तब हमारी सरकार ने जनता को निराश नहीं होने दिया। उस बीच में भी भव्य दिपोत्सव हुआ व राम मन्दिर जैसे सांस्कृतिक धरोहर पर कार्य किया गया और ये बता दिया कि प्रदेश के रोम-रोम में राम हैं, इस कार्य से अवश्य ही जनता का मनोबल बढ़ा है। मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि सरकार जो रोजगार सृजन व प्रोत्साहन पर कार्य कर रही है उससे हमारे युवाओं को नई राह मिली है और उन्हें अपने कौशल पर कार्य करने का मौका मिल रहा है। मेक-इन-यू0पी0 जैसी योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन करके सरकार अपने विजन को स्पष्ट कर रही है। मान्यवर, मैं एक महिला होने के नाते अपने प्रदेश की सारी महिलाओं की तरफ से योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं, कहना चाहती हूं कि योगी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो उत्कृष्ट कदम उठाये गये, उससे निश्चित रूप से महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों में कमी आयी है। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण से जनता में सुरक्षा को लेकर विशेष संतोष देखा गया है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में भी अधिकांश जनता की जीविका का साधन कृषि ही है। सरकार द्वारा क्रियान्वित योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हमारे किसानों को समय-समय पर बुआई-जोताई में जो सहजता मिली है उसके लिए मैं मड़ियाहूं के किसानों की तरफ से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। मान्यवर, गंगा हमारे रोम-रोम में है उनकी निर्मलता को बनाये रखने के लिए और दूषित जल को रोकने के लिए सरकार द्वारा सीवरेज सम्बन्धी 44 योजनायें संचालित की गयी हैं, यह अति सराहनीय कार्य है। मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि जनता की मूलभूत जरूरतों पर, जमीनी स्तर पर कार्य किये गये, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व शहरी एवं मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 40 लाख आवासों का निर्माण कराया गया और स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत लगभग ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 2.27 करोड़ व्यक्तिगत एवं 45,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से गर्व का विषय है कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक शौचालय का निर्माण कराया गया, जो महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। अन्त में मैं अपने

सभी भारत माँ की संतानों को कुछ समर्पित करना चाहती हूं, पहचानो हमें हम वही हैं जो बाण भेदकर धरती से धारा निकाल देते थे, एक उँगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे, हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विधा सीखे बगैर गये और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गये, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी, हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाये, संगीन बनायी और जब जिन्दगी की सांस टूटने लगी तो हमने वैक्सीन बनायी और लिख दिया उस वैक्सीन पर ''सर्वे सन्तु निरामयाः''। यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर दया करे। मैं अपना दल की तरफ से राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी, 15 मिनट सभी नेताओं के लिए तय हुए हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, 15 मिनट से कम समय में मैं अपनी बात कह दूंगा। अभी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, नेता कांग्रेस, नेता अपना दल को सुन रहा था और जब मैं उधर उस गोल में था तो उधर वालों का भी सुन रहा था। अध्यक्ष जी, एक दोहा हमको याद आ गया।

अध्यक्ष जी, तमाम किसानों के सवाल पर, कोरोना के सवाल पर और तमाम बिन्दुओं पर चर्चा हुई, लेकिन मैंने यह पढ़ा ''खाता न बही, बी0जे0पी0 जौन कहय, उहे सही''। अध्यक्ष जी, ''खाता न बही, जौन बी0जे0पी0 कहय, उहे सही''। महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में एक से लेकर आठ तक निःशुल्क शिक्षा की बात आई, हम उसका स्वागत करते हैं और बराबर करते रहेंगे। लेकिन कक्षा आठ के बाद वह क्या करेगा, मजदूरी करेगा कि क्या करेगा ? जीवन भर वह टाट पर ही पढ़ेगा, क्या उसके बैठने के लिए कुर्सी और बेंच की व्यवस्था नहीं हो सकती ? क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं है ? यहां हमारे सदन में बैठे हुए माननीय लोग हैं।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

आपके घर हो सकती है। अरे, मैं प्राइमरी से हूं। मान्यवर, उससे बतियाइयेगा जो न जानता हो, आप चलो मेरे साथ। हम दिल्ली के सिसोदिया नहीं हैं कि आप बहका दोगे। यह दिमाग से निकाल दो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा की स्नातकोत्तर तक व्यवस्था होनी चाहिए, यह कानून पास होना चाहिए। गरीबों के लिए अलग शिक्षा, अमीरों के लिए अलग शिक्षा, क्या इस पर किसी का ध्यान नहीं है ? मान्यवर, इस नाते हमारी जो सोच है, जो मैंने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में पढ़ा। एक से आठ तक पढ़ा कर छोड़ देंगे, आप लोगों के वहां मजदूरी करेगा न ? इसी नाते उस पर किसी का ध्यान नहीं है। इसी से बहुत खुश नजर आते हैं। दूसरा, हमारे वन मंत्री जी हैं और

कई मंत्री हैं, हमने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को पढ़ा। 2019 में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। मान्यवर, क्या जहां-जहां पौधे लगाये गये, क्या कहीं उसकी निगरानी हुई कि 22 करोड़ में एक-आध करोड़ बचे कि सब मर गये। क्या कहीं इसकी निगरानी हुई ?

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुये)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, नहीं-नहीं, हम भी सड़क पर चलते हैं, गांव में रहते हैं। क्या कोई कमेटी इसकी निगरानी के लिए बनी ? वह तो मैं जानता हूं कि जब उधर की गोल में रहते हैं तो गीत सरकार की गाते हैं, जब इधर वाली गोल में आ जाते हैं तो सही दिखता है। भई चश्मा दो है, चश्मे में दो शीशा है। एक शीशा उधर, एक शीशा इधर।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

महोदय, मैं कभी नहीं करता था। मैं पहली बार आया हूं। यह दिमाग में रख लीजिए कि मैं पहली बार सदन में आया हूं और सच्चाई से कह रहा हूं और आप सुन लो कि आप किसी भी गिनीज बुक में लिखवा दो। आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन कामों की भी समीक्षा होनी चाहिए कि हमने 22 करोड़ 59 लाख पौधे लगवाये तो उसके रख-रखाव में हमारे पास कितने पौधे बचे, कितने जीवित हैं, कितने मर गये। इसका आंकड़ा इस बुकलेट में नहीं है। मान्यवर, हमारे पास जो बुकलेट है, उसको भी इसमें आना चाहिए, वह सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। उसको आना चाहिए था। लेकिन मैं देखता हूं कि जितने लगे हैं, मैं प्रधान के घर का हूं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर)

मान्यवर, प्रधान हैं तो सुन लीजिए कि प्रधान की हालत यह है कि वन विभाग पेड़ दे देता है। फ्री में लोग ले जा करके झुरवा देते हैं या खुरपी से खन के गाड़ देते हैं, उसके बाद वह सूख जाता है। यही इतिहास है, पढ़ लीजिएगा। अगर प्रधान हैं, तब इतिहास पढ़ लीजिएगा। मैं भी उन्हीं के घर का हूं, इस नाते कह रहा हूं। अब आगे चलिए। जब मैं उधर की गोल में था, उससे पहले इधर की सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय पिछड़ों की छात्रवृत्ति का बजट 1,068 करोड़ था, जब इधर की सरकार थी। अब उसके बाद जब हम उधर की गोल में थे 2019-20 तक सदन के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से 1610 करोड़ रुपए ले गये, जब उधर की गोल से इधर आ गये, यहां बैठ गये तो ये 12 सौ करोड़ रुपए हो गया, 410 करोड़ रुपए कम हो गया। बच्चे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है,

छात्र बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हो क्या रहा है, आप आगे देखियेगा बजट आ रहा है। जब यह बजट 1610 करोड़ रुपए था तब कोरोना नहीं था, 2020-21 में कोरोना नहीं था।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

अगर बुरा लग रहा है तो तनिक सुन लीजिये, ये ओम प्रकाश राजभर है, सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं। 1200 करोड़ रुपया हो गया 410 करोड़ रुपया कम, अगला बजट आ जाय उसको जरा पढ़ लें तब बतायें कि क्या हाल होने वाला है, हमको नहीं लगता है कि 1200 करोड़ से एक इंच भी बढ़ेगा। इस पर जरा ध्यान दीजियेगा कि पिछड़ों के साथ बजट कम क्यों हो रहा है। अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ी विषम परिस्थिति सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई है, वह यह कार्यकाल है कि अभी 69000 शिक्षकों की भर्ती हुई इसमें जिक्र है लिखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार कटऑफ अंक निम्नवत् है। अब देखिये तमाशा, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है सदन में। सामान्य वर्ग का कटऑफ 64 परसेंटे, पिछड़ा वर्ग का कटऑफ 87 परसेंट और अनुसूचित जाति का कटऑफ 87 परसेंट। वाह भाई वाह मतलब कि सबसे कमजोर पढ़ने में सामान्य वर्ग है। पिछड़ों के साथ कटऑफ 87 परसेंट, इस आधार पर धोखा, 69 हजार में 14 हजार पद लील लिया, कौन लील लिया, बी0जे0पी0 के लोगों ने नहीं दिया। खण्ड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई, 27 परसेंट रिजर्वेशन इसी कटऑफ की वजह से, हमारा हिस्सा होता है कि 27 परसेंट रिजर्वेशन से 83, नहीं मिला, खत्म कर दिया। यह धोखा हो रहा है पिछड़ों के साथ, हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, हमारे सामान्य वर्ग के साथी यहां बैठे हैं, इनको भी वोट दे करके यहां भेजा है, धोखा हो रहा है इनके साथ। इस नाते माननीय अधिष्ठाता महोदय इस पर जरा विचार कीजिये, हम लोगों के साथ धोखा न हो। हम लोग आये हैं तो हम लोग सही बात कहने के लिए आये हैं। इस नाते जब-जब लोग मिलते हैं तो बताते हैं तब हम यही कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं आप लोग तो रामराज्य लाने के लिए वोट दिये हो तो रामराज्य है न, इसमें हम क्या करें। हम तो अम्बेडकर राज के चक्कर में रहते हैं, अम्बेडकर राज आ जाये तो मिल सकता है, हम तो इसके चक्कर में रहते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें जिक्र है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का, वाह भाई वाह रे सरकार लगता है इससे पीछा नहीं छुड़ाने देंगे हम लोगों को। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में फिर वही बात, पाल भेड़ें चरायेगा, उसको सम्मान मिलेगा तुम भेड़ चराओ, विश्वकर्मा हंसिया, खुर्पी, कुदार, फर्शा चलायेगा, उसको सम्मान मिलेगा कि लो 10 हजार तुम यही काम करो, नाई को कहेंगे कि लो 10 हजार तुम बाल बनाओ, इसी तरह बढ़ई को काम, इसी तरह प्रजापति को काम कि तुम खाली माटी गूंथो और बर्तन बनाओ। अरे! उनके बेहतर शिक्षा की बात आप लोग करते तो अच्छा होता, उनके लिए कोई नई योजना ले आते तो अच्छा होता लेकिन मान्यवर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के नाम पर पिछड़ों, दलितों

के साथ धोखा हो रहा है, इससे निजात कैसे मिले, हम इस पर आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि नेता सदन इस पर कुछ हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दें कि पुराने काम से छुटकारा मिले। हमारा बाप मजदूरी किया तो हम भी मजदूरी ही करेंगे, हम अगर रुखान, बसुला चलाये हैं तो हम रुखान, बसुला ही चलाते रहेंगे। मैं तो अभी गया था इटावा, वहां मैं चार गांवों में गया था, उसमें से एक गांव है ग्राम पंचायत है कृपालपुर, विकास खण्ड बसरेहर, जनपद इटावा, आबादी है 7 हजार, वोटर हैं 4 हजार, जाति है बंजारा। राजस्व गांव नहीं है। एक गांव है ग्राम पंचायत शिखरा, विकास खण्ड-मनाशा, जनपद-कानपुर देहात, जिसकी 4000 आबादी है और 2500 वोटर हैं, लेकिन राजस्व गांव नहीं है। ग्राम पंचायत-रजपुरा, ब्लाक-जैथरा, जनपद-एटा, जिसकी 2500 आबादी है, लेकिन राजस्व गांव नहीं है। इस बंजारा गांव में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकार के विकास का केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 7000 आबादी वाले उस बंजारा गांव में जब मैं गया, तो देखा कि सरकार ने वहां पर जो शौचालय बनवाये हैं, उसमें से 95 प्रतिशत शौचालय बेकार हैं। बनवाने वाले लोगों ने उस पैसे को लूट लिया। तमाम सरकारें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आयीं, लेकिन अपने जीवन में मैंने पहली ऐसी सरकार देखी है। गांव में लोग मरते हैं तो उनको लेकर श्मशान घाट जाते हैं, लेकिन यह पहली सरकार है, जहां श्मशान घाट से लाश वापस गांव में गई है। ये लोग बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। मैंने पहले ही लाइन में कहा कि ''खाता न बही, जौन बी0जे0पी0 कहय, उहे सही''।

मान्यवर, मेरी उम्र भी धीरे-धीरे 50 साल हो गयी है। मैंने भी कभी गांव से श्मशान घाट पर लाश लेकर गया हूं, लेकिन श्मशान घाट से लाश लेकर गांव नहीं आया हूं। भ्रष्टाचार पर आपका जो नारा था कि ''न भ्रष्टाचार, न गुण्डाराज'' आपके सामने उसका एक मिशाल है। आप पता कर लीजियेगा। अगर मैं गलत कहता हं, तो सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर की जुबान है। इस कारण से कह रहा हूं कि-

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के टोका-टोकी करने पर)

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर एक चर्चा आयी 'महाराजा सुहेलदेव' की। चर्चा आयी कि देश के प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने महाराज सुहेलदेव जी की 40 फिट की मूर्ति लगाने की घोषणा की है। हम उसका स्वागत करते हैं। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्वागत इस कारण से करता हूं कि दिनांक 12-02-2017 को मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था, मा0 देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा था। उस पत्र के माध्यम से वर्ष 2017 में 125 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ। लेकिन उसको उसी तरह से पेटी में बंद करके रख दिया जाता है, क्योंकि मैं उस गोल से इस गोल में आ गया। उसके बाद 'महाराजा सुहेलदेव' की मूर्ति लगाने की घोषणा होती है, लेकिन जब गुजरात में सरदार बल्लभ की मूर्ति लगती है तो लिखा जाता है, 'सरदार बल्लभ भाई पटेल', जब पृथ्वीराज की मूर्ति लगती है तो लिखा जाता है 'पृथ्वीराज चौहान', जब

मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाता है, तब दीन दयाल के नाम के आगे लिखा जाता है 'पं0 दीन दयाल उपाध्याय'।

मान्यवर, मैंने फेसबुक पर देखा है कि हमारे कई मा0 सदस्यों/विधायकों ने भी पोस्ट लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और यह बात कम से कम 25 विधायकों ने लिखा है। मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम विधायकों को तो इस बारे में जानकारी है।

मान्यवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जब ये इस सदन में नहीं थे, सदन से बाहर थे, तब ये भी राजभर कहा करते थे। हमारे पास वीडियो है। वर्तमान में जो मा0 गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये जब भाषण देते हैं, तो कहते हैं कि 'महाराज सुहेलदेव' राजभर थे और राजभर जाति एक ऐसी है, जो लड़ाकू जाति है, जिसे अंग्रेजों ने 'क्रिमिनल कास्ट' में रखा था, ये गृह मंत्री जी का बयान आता है और आज जब मूर्ति के आगे राजभर लिखना होता है, तो बी0जे0पी0 वाले करणी सेना और हिन्दू युवा वाहिनी का बताते हैं और बताते हैं कि वह क्षत्रिय हैं। अरे! मेरा इतिहास मत मिटाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार मत दो लेकिन अगर मेरे इतिहास के साथ खिलवाड़ करोगे तो पूरा समाज तेरे साथ खिलवाड़ करेगा, मेरी इस बात को नोट कर लेना। दुनिया मान जाए लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं मानेगा। जब कोई नहीं जानता था तब मैंने 18 साल तक गांव-गांव, घर-घर घूम करके इतिहास को जगाया। जब यहां अंग्रेजों का शासन था तो उनका संविधान गजेटियर था, मुगलों का शासन था तो संविधान 'आईने अकबरी' था। उसमें लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव 'भर' शासक थे लेकिन अगर आप क्षत्रिय और वैश्य बताने का कार्य करोगे तो ओम प्रकाश राजभर भी उनको राजभर साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। इस नाते कहता हूं कि कोई कदम मत उठाना भाई। अगर आप मूर्ति लगवा रहे हो तो हम उसका स्वागत करते हैं और कहोगे तो जो आप लाख, दो लाख जुटाये हो, जितना आप जुटाये हो उसका 4 गुना आपके स्वागत में पहुंचा दूंगा। लेकिन यह नोट कर लेना कि जब तक राजभर नहीं लिखोगे पूरा समाज आपका बहिष्कार करेगा। यह मैंने समाज को टटोल करके देखा है। मैं अपने तमाम विधायकों का धन्यवाद देता हूं कि जिन साथियों ने सोशल मीडिया पर डाला तो मुझे अमित शाह जी की बात याद आयी वह राजभर कहते थे। यही लखनऊ की धरती पर लालबाग में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का उद्घाटन करते हैं और वहां शिलापट्ट पर लिखा जाता है कि **राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर**। बनारस की धरती की सारनाथ में राजभर महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का वहां उद्घाटन होता है वहां भी शिलापट्ट पर **राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर** लिखा है। आप उद्घाटन करा रहे हो और प्रधानमंत्री जी को धोखे में क्यों रख रहे हो, क्यों करणी सेना का इस्तेमाल करते हो, क्यों हिन्दू युवा वाहिनी का इस्तेमाल करके हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं उन विधायकों को जिन्होंने इतिहास को पढ़ा और इतिहास को पढ़ करके उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह-

आपको जानकारी नहीं होगी तबसे हिन्दू युवा वाहिनी वहां जाती रही है। आप गलत बोल रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

बोलने से पहले सुनने की क्षमता रखो। आप बैठ जाइये। आपसे ज्यादा बोलता हूं, बैठ जाइये। अधिष्ठाता महोदय, यह कौन सा तरीका है, या तो मुझे बोलने का मौका दीजिए या इन्हें बोलवा दीजिए। हमारा समय समाप्त होगा तो हम बैठ जायेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

माननीय राजभर जी एक सच को स्वीकार कर लीजिए कि 1950 से चित्तौरा में मेला लगता है तब आप कहीं नहीं थे।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय मंत्री जी, मैंने तो यह नहीं कहा कि मेला नहीं लगता है। मैंने तो मेले का जिक्र नहीं किया। इतने दिन याद नहीं आयी, आज क्यों याद आ गयी ? आज इसलिए याद आ गयी कि 18 प्रतिशत वोट राजभर का है। उस वोट के लिए आप काम कर रहे हैं और आपका कोई मतलब नहीं है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं सच कड़ुआ होता है।

(मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

मंत्री जी जब आपका समय आता है तब हम नहीं खड़े होते हैं।

श्रम, सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मैं आपकी ही बात कहने जा रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

चलिये, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। आप गौतमबुद्ध जी के वंशज हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे नेता राजभर जी एक टोपी लगाये हुए हैं उसमें सुहेलदेव लिखा हुआ 'राजभर' नहीं लिखा हुआ है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं) और जब आपकी टोपी में सुहेलदेव राजभर नहीं लिखा है तो आप महाराजा सुहेलदेव के लिए क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

आपने महाराज सुहेलदेव नाम लगाकर पार्टी बनाई। आज तो आपको खुशी होनी चाहिए 75 वर्ष देश को आजाद होने को आ रहा है और किसी ने कभी नाम तक नहीं लिया

होगा और पूज्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) आज धर्म के रक्षक राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव, जो पूर्व की सरकारों ने जिस महाराजा सुहेलदेव का सम्मान नहीं किया होगा, नाम नहीं लिया होगा बल्कि जो देश को लूटने आया था उसकी मजारों को तो सजाने का काम हुआ इस देश में, लेकिन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान नहीं हुआ और ओम प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं मान्यवर, यह समाज को गुमराह करने का वक्त नहीं है। आपने भी पार्टी बनाई है वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करके बनाई। सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी करके क्यों नहीं बनाई। (मेजों की थपथपाहट) यह समाज को गुमराह करने का वक्त नहीं है। आजकल सैय्यद सलार मसूद गाजी के खून-खानदान इनको प्यारे हो गये हैं, जिनके खिलाफ महाराजा सुहेलदेव का संग्राम हुआ। राजभर समाज आज पूरा उत्साहित है, इसलिये मैं भी कहना चाहता हूं कि दिल खोलकर जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे श्रद्धेय मुख्य मंत्री जी ने जो सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

इतना बड़ा झूठा तो मैंने किसी मंत्री को नहीं सुना। बसपा की गवर्नमेंट में बैठे हुए बसपाई लोग। बसपा की गवर्नमेंट में बनारस की धरती पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी हुई है। आप ही के विधान सभा क्षेत्र में।

श्री अधिष्ठाता-

ओम प्रकाश जी शांत रहिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मैं बसपा की तारीफ नहीं कर रहा हूं। इनके समय में काम हुआ वही बता रहा हूं। यही लोग मजार पर चदद्र चढ़ाने जाते हैं।

श्री अनिल राजभर-

इनका बसपा का पुराना प्रेम जाग रहा है। हमारे पिताजी ने राजकुमारी राजभर को पार्षद बनाया, जिसके प्रस्ताव पर यह भाजपा के मेयर ने सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगवायी थी। जो लोग सैय्यद सलार मसूद की मजार पर चादर चढ़ाते हैं वह लोग राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज गुमराह होने वाला नहीं है। समाज सब कुछ देख रहा है।

श्री संजय कुमार गुप्ता-

मान्यवर, एक मिनट। सुहेलदेव जी इनके नहीं हैं। हमारी सरकार ने उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है।

[03:08] माननीय राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिये मा0 अध्यक्ष द्वारा समय निर्धारण की व्यवस्था

श्री अधिष्ठाता-

नहीं बिल्कुल नहीं, आप बैठ जाइये। आपको बोलने के लिये नहीं कहा गया है। आप बैठ जाइये। अब चर्चा शुरू हो रही है। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि दो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से और एक विपक्ष की ओर से बोलेगा। पांच मिनट का समय होगा जिसमें आपको अपना भाषण समाप्त करना है। जिनका नाम सूची में है वह सब बोलेंगे। मैं नाम पुकार रहा हूं।

मा0 राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सबका सौभाग्य है कि 18 फरवरी, 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु आहूत समवेत् अधिवेशन में मातृ शक्ति की दैदिप्य मानपुंज, ऊर्जापुंज, सर्वप्रिय, बहुत ही विद्वान माननीय राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी द्वारा अभिभाषण यहां पर रखा गया है और कल उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव मा0 सदस्य मुख्य सचेतक आदरणीय श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी द्वारा रखा गया, मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ी हुई हूं। मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं। अभिभाषण सरकार के क्रिया-कलापों का आईना होता है, बिम्ब होता है, जिसमें सरकार की ठीक-ठीक सूरत अच्छी प्रकार से देखी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए शोरगुल के साथ सदन का बहिष्कार किया, उससे लगता है कि आप घर से अपना पुराना वाला आईना देखकर आये थे। अच्छा होता आप ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक माननीया का अभिभाषण सुनते और मेजें थपथपाकर अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति से गर्वित होकर उनका स्वागत करते तो शायद सभी को देखकर यहां बड़ा अच्छा लगता। वैसे मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को बधाई देती हूं कि आज उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि एक को मिला है बीजेपी कहती है तो बाकी को मिलेगा, इसलिए ठोको कमल, ठोको कमल। हमारी बात उन्होंने की है। मा0 नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत विद्वान भी हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। मैं ही क्या मेरे जैसे तमाम जनप्रतिनिधि उनकी विशिष्ट वाक्पटुता के प्रशंसक हैं और हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदैव सामने बैठकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सबको उनका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। उन्होंने कहा यह अभिभाषण ढपोरशंखी है, झुनझुना है और काठ का लोलवा है, पर मैं कहना चाहती हूं कि सरकार का काम ढपोरशंखी नहीं है, जनता के लिए चैन की बंशी है। यह केवल झुनझुना नहीं है, खुशी मनाओ यह मा0 योगी जी द्वारा दिया गया झुनझुना नहीं है, मीठा-मीठा गुलगुला है और काठ का लोला कहा है मैं कहना चाहती हूं कि

यह काठ का लोला नहीं है यह बड़ा-बड़ा खुशियों का झोला है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार लेकर आयी है। हमारे नेता बहुजन समाज पार्टी बहुत ही धीर-गम्भीर, बहुत ही विद्वान हैं और हम लोग कोई पक्षपात नहीं करते हैं, उनके लिए भी हम लोग सम्वेत् स्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसे ही हम लोगों के सामने बैठें और उनकी विद्वता से हम लोग सदैव कुछ न कुछ सीखते रहें। आदरणीय वर्मा जी ने कहा कि यह धोखा है धोखा, लेकिन जनता कह रही है अरे यह धोखा नहीं बड़ा चोखा है चोखा।

आप सब अवगत हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना ने सम्पूर्ण विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महामारी को, इस आपदा को अवसर में बदलने का ऐतिहासिक काम किया है, जिसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी की है। योगी सरकार ने और कोरोना वारियर्स ने ऐसा अद्भुत काम किया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। पूरे विश्व को यह हौसला आदरणीय योगी सरकार ने दिया कि ''हाथ बांधे क्यों खड़े हो, हादसों के सामने। हादसे कुछ भी नहीं हैं, हौसलों के सामने''। वर्तमान में कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए वृहद् स्तर पर कोरोना टीकाकरण का काम प्रगति पर है। हमारे देश ने दो स्वदेशी वैक्सीन लांच की हैं, जिन्हें बड़ी शांति से देश में युद्ध स्तर पर उपयोग के साथ-साथ अन्य मित्रों को भी दी जा रही है और जिसका अभिनन्दन देश में संजीवनी बूटी का नाम देकर किया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और अपने देश के वैज्ञानिकों का बहुत-बहुत अभिनन्दन करती हूं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े महान नेता जी कह रहे हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे कल भी यह चर्चा हुई थी अरे नेता जी वैक्सीन लगवा लो यह कोरोना है किसी को नहीं छोड़ता है हमको भी हुआ था सीधे कलेजा पकड़ता है अगर पकड़ लेगा तो नेता प्रतिपक्ष की तरह 40 दिन बाद भी छूट जाए तो बड़ी बात है। जहां तक भाजपा के वैक्सीन की बात है तो भाजपा की वैक्सीन का समय अभी नहीं आया है अभी एक साल बाकी है 2017 में लगी थी 2022 में भाजपा की वैक्सीन आदरणीय योगी जी लगाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने 40 लाख प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को उनके गृह जनपद भेजने, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं की हैं साथ ही इस ब्रह्माण्ड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण रज की भी बड़ी महिमा कही गई है। एक बार घाट के पार से तुलसीदास जी ने देखा कि घाट के दूसरे पार पर अकबर के 9 रत्नों में से एक बैरम खां के पुत्र रहीम दास जी जमीन से धूल उठा-उठा कर अपने सर पर डाल रहे थे, तुलसीदास जी को बड़ा अचम्भा हुआ और उन्होंने घाट के दूसरे पार से एक लाइन लिखकर पूछा धूरि धरत निज शीश पर कह रहीम केहि काज। रहीमदास जी मगन हो गए और उस लाइन को दूसरी लाइन से पूरा किया और कहा कि धूरि धरत निज शीश पर कह रहीम केहि काज जिन रज मुनि पत्नी तरी तेहि ढूढ़त महराज। आज ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जी चरण रज से ओत प्रोत अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री

जी के कर कमलों द्वारा पूज्य संतों और गणमान्यजनों की उपस्थिति में श्री राम जन्म भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। हम उत्तर प्रदेश वासियों को गर्व है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृति धरोहर नामक प्रदेश की भव्य झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश हर जगह प्रथम, शौचालय बनाए तो प्रथम, आवास बनाए तो प्रथम, गन्ना का भुगतान करे तो प्रथम कृषि में काम करे तो प्रथम लेकिन किसी के सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है हर जगह उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में प्रथम आ रहा है आएगा और हम इसी प्रकार काम करते रहेंगे। निवेश को आकर्षित करने की प्रतिबद्धता के साथ सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश आज ईज आफ डूइंग बिजनेश रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षिप्त करें।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

इन्होंने बहुत कुछ कहा इसलिए मन बड़ा उमड़-घुमड़ रहा है। प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से हो रहा है जो विकास की नई इबारत लिखेगा। योगी जी की सख्त कानून व्यवस्था से अपराधी स्वयं कहता है कि अपनी बरबादी अपने हाथों से मैं खुद लिख गया एक पत्थर क्या मारा मेरा तो सारा का सारा घर ही बिक गया। महिला सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है मिशन शक्ति इस बात का अप्रतिम उदाहरण है कि किस प्रकार से योगी सरकार महिलाओं की शिक्षा उनके स्वास्थ्य, उनके स्वावलम्बन और उनकी आर्थिक निर्भरता के लिए चिन्तित है और प्रयासरत है। योगी जी की कार्यशैली का सीधा सा सन्देश है उनका महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कहना है कि मत रोको उसे चलने दो मत थामो उसे गिरने दो एक दिन आसमान को छू लेगी बस थोड़ा सा तो उड़ने दो। इसी के साथ महिलाओं के सशक्तीकरण की कहानी उत्तर प्रदेश सरकार लिख रही है। योगी सरकार 2018 में नई पर्यटन नीति लेकर आई थी जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न परिपथों का निर्माण किया गया, रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, जैन परिपथ के माध्यम से साथ ही साथ वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित पावनपथ वेबसाइट का निर्माण किया गया है। बन्धुओं, अभी तक आप चुप करा रहे थे। अभी आपने केवल सजती संवरती इठलाती सैफई देखी थी बाकी प्रदेश तो मुजफ्फरनगर की तरह बिखरा-बिखरा पड़ा था। आज पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। सरकार के प्रयासों से देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन से वर्ष 2020 में आज उत्तर प्रदेश यहां भी प्रथम स्थान पर आ चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं बस समाप्त कर रही हूं। वास्तव में आप सब भी दमकते-चमकते-संवरते-घुमकते उत्तर प्रदेश को देखकर मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं बस सदन में कहते नहीं, इसीलिये योगी जी सब जगह हैं, किसी के दिल में हैं, तो किसी के दिमाग में हैं।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। अब आप बैठ जायें।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मान्यवर, चौरीचौरा स्थित शहीद स्मारक के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। अब आप बैठ जायें।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मान्यवर, हमें सुहेलदेव तक तो आने दीजिये। मेरी ही विधान सभा क्षेत्र में बना है। चौरीचौरा शहीदों के सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। उन अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ होने का सरकार ने हम सभी को जो अवसर दिया है उसके लिये मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। हमारे शहीदों ने अपना तन, अपना मन यहां तक कि अपने जीवन का एक-एक स्वप्न न्यौछावर कर दिया। शहीद भगत सिंह जी की कलम ने लिखा था- 'मेरी कलम भी वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मैं इश्क लिखता हूं वह इन्कलाब लिखती चली जाती है।' आज देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे शूरवीरों का अभिनंदन किया है। हमारी विधान सभा में चित्तौरा के पावन तट पर जहां वीर महाराजा सुहेलदेव ने ऐसी वीरता दिखायी थी और आक्रांता का सिर धड़ से अलग किया था और उसी के कारण पौने दो सौ वर्षों तक सम्पूर्ण भारत पर किसी भी आततायी को आंख तिरछी करने का साहस नहीं हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। आज ऐसे महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का लोकार्पण और उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे भूले-बिसरे शूरवीरों को जो लोगों को याद नहीं हैं और जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनको सम्मान दिलाने का जो काम किया है, उसके लिये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनकी भूरि-भूरि सराहना करती है और आपके आदेश का पालन करते हुये मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि 'कालचक्र के माथे पर हम पौरुष की गाथा लिखते हैं, कालचक्र के माथे पर हम पौरुष की गाथा लिखते हैं। घिरे विघ्न-बाधायें फिर भी तनिक नहीं घबराते हैं। मान चुनौती करें सामना, यह जीवन संग्राम है। विजय सुनिश्चित उनकी होती है, यही घोषित परिणाम है।' बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत धन्यवाद। श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, बलिया।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

सबसे पहले तो मा0 अधिष्ठाता महोदय के इस महान उदार चित्त को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पूज्य लोगों, मैं अपनी बात वहीं से चालू करूंगा कि गर्व हमें है योगी-मोदी पर। पूज्य लोगों, मैं यह इसलिये कह रहा हं, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसका जीवन केवल समाज और देश के लिये हो। केवल और केवल आज मोदी जी और योगी जी हैं। मैं यहीं से चालू करता हूं कि गर्व हमें है मोदी-योगी पर, ये नवयुग के निर्माता हैं। हमारे बड़े भाई मा0 राम गोविन्द चौधरी जी चले गये, लेकिन कहीं पर होंगे तो सुनते होंगे, सुन लीजियेगा। गर्व हमें है मोदी-योगी पर, ये नवयुग के निर्माता हैं। ऐसे साधक इस दुनिया में कभी-कभी ही आते हैं, कभी-कभी ही आते हैं। पूज्य लोगों, पक्ष और विपक्ष एक अवधारणा है। आप भी विधायक हैं और हम लोग भी विधायक हैं। व्यवस्था के क्रम में सरकारें व्यवस्था देने के लिये बनती हैं, लेकिन सुझाव देने के लिये, अपनी व्यथा सुनाने के लिये और उसका समाधान करने के लिये दोनों लोग होते हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आदरणीय नेहरू जी से लेकर के आज तक के राजनीतिक जीवन में आप लोग कोई एक भी उदाहरण बता दें जिसने परिवार की सीमा से अपने को ऊपर उठाया हो। यदि ऐसा उदाहरण कहीं है तो भाजपा के अन्दर है और दीन दयाल उपाध्याय जी की तपस्या के सानिध्य में है, दूसरा कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ संस्कार है। परिवार के बल पर संसार का भला नहीं होता है। भला तो होता है संस्कार के बल पर, जिसके ध्वजवाहक आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पूज्य लोगों अभी बात कोरोना काल की चल रही थी, मैंने नीति का श्लोक अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा था, हमारे गुरू जी ने पढ़ाया था **''उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठिति स बान्धवः।''** केवल एक उदर से पैदा हुआ व्यक्ति भाई-भाई नहीं होता है, भाई का भाई दुश्मन हो जाता है, लेकिन उत्सव में, विपत्तिकाल में और जब राष्ट्र पर संकट आ जाये तब जो सीना खोलकर उदार मन से सेवा करने के लिए खड़ा होता है वही अपना सच्चा भाई होता है और इसको हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने प्रमाणित किया है। आज की तिथि में इनका अपना कोई भाई भले न हो लेकिन मोदी जी और योगी जी का व्यवहारिक पक्ष ऐसा है कि पूरा संसार उनका हो गया है, पूरा भारत उनका हो गया है। इन्होंने अपने कर्म से अपने सेवा कार्यों से प्रमाणित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता में माताओं का, बहनों का यदि कोई सच्चा भाई है तो वह आदरणीय योगी आदित्यनाथ हैं दूसरा कोई नहीं है। दो संस्कृति इस समय चल रही है एक ऐसे लोग हैं जिनके संस्कार भारत में राजनीति करने के लिए डिजिटल बन

जाते हैं, ट्यूटर चलाते हैं और दूसरे फिजिकल करने के लिए हर हफ्ते इटली चले जाते हैं। भारत में ऐसे ही लोग हैं।

भारत में कोरोना कौन लाया है मैं तो कहता हूँ कि इटली में हर हफ्ते प्रवास करने वाला ही भारत में कोरोना लेकर आया है। सतर्कता होनी चाहिए विदेशी संस्कृति के पोषक लोगों को हमेशा यह दृष्टि रखनी चाहिए कि कोई विकार, कोई विकृति लेकर भारत भूमि पर न आने पाये, तभी भारत का भला हो सकता है। रोग में और विपत्तिकाल में जो साहस और संवेदना पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखायी है राजनीति में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखा सकता है। बोटी और वोटों की संस्कृति में रहने वाले लोग, होटल और बोतल की संस्कृति में रहने वाले लोग इस तरह का आचरण नहीं प्रस्तुत करेंगे, इस तरह का आचरण तो रोटी और लंगोटी वाला ही प्रस्तुत कर सकता है, दूसरा कोई प्रस्तुत करने वाला नहीं है। पूज्य लोगों मेरे आध्यात्मिक गुरू स्वामी हरिहरानन्द जी कहते हैं कि सुरेन्द्र जिस मुखिया का इमान पवित्र होता है उसका झण्डा स्वयं परमात्मा लेकर चलता है और यह भारत भूमि पर और उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखायी दिया है। इस विपत्तिकाल में भी अमेरिका की आबादी के बराबर जिस प्रदेश की आबादी हो और वहां पर कोरोना किसी भी प्रकार से प्रभावित न करे यह भगवान की ही कृपा है और योगी आदित्यनाथ जी की साधना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए बड़े भाइयों, छोटे भाइयों आप लोग भले दूसरे दल में हों लेकिन कम से कम एक बार मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद दे दो। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए इससे आपका कद घटने वाला नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ के पूज्य लोगों ने हमें टिकट दिलवा दिया और मैं विधायक बन गया। हम एक बार बिहार के छपरा जिले में अपने भतीजे की बारात में गये थे तो वहां पर द्वार-चार के समय वहां की औरतें खूब गालियां दे रही थीं इतनी गाली देने लगीं कि हम लोग सुन-सुन कर ऊब गये लेकिन जब हम लोग चलने लगे तो वहीं औरतें कहने लगीं कि आप लोग गाली को गाली मत समझियेगा यह मांगलिक प्रसाद है। इसी प्रकार इन लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं हम लोग अगर हवन करेंगे तो ये कहेंगे कि दुर्गंध आ रही है, पूजा करेंगे तो ये कहेंगे कि इसमें भी कोई राज है और अयोध्या में राम मन्दिर बनायेंगे तो कहेंगे कि इसमें भी कोई राज है। हम तो कहते हैं कि जब यही राज है तो सतकर्म का काज कौन सा है ? मैं कहता हूँ कि यहां पर सतकर्म का काज होता है, राज शब्द ही नहीं है। राज तो वहां पर है जहां पर राजनीति की विरासत होती है एक तरफ राजनीति की विरासत वाले लोग हैं और एक तरफ साधना के ध्वजवाहक वाले लोग हैं। दोनों में मौलिक अन्तर हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा इसमें संदेह करने की गुन्जाइश नहीं है। परिस्थिति आपके वश में है चाहे आप बड़े नेता बन जाओ हम लोग भी बड़े नेता बन जायेंगे लेकिन चरित्र का झण्डा हमेशा लहराता रहता है, आज भी लहरा रहा है, कल भी लहरायेगा कोई रोकने वाला नहीं है। आज दुनिया मोदी जी और योगी जी के चरित्र को प्रणाम कर रही है।

आप लोग थोड़ी देर के लिए मांगलिक विरोध करके गालियां देते हो, उसमें भी प्रथा है उमाशंकर भाई जानते हैं, सवेरे के समय जब विदाई होती है तो विरोध करने वालों को गाली देने वालों को गीत-गउनी का पैसा दिया जाता है। उसके लिए हमारे आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी हैं बिजली विभाग में कोई भी ऐसा विपक्षी हमारा भाई नहीं होगा जो हमारे मंत्री से कहा होगा, जिस तरह से ये चमकते हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश को बिजली से चमका दिया है। कम से कम धन्यवाद दो। मैं तो अपने उप मुख्य मंत्री आदरणीय केशव मौर्या जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा, आप जाइये तो हंसता हुआ, खिलता हुआ चेहरा कोई भी विपक्ष का भाई नहीं कह सकता है कि हमारे उप मुख्य मंत्री के पास कोई गया हो और हंसते हुए उन्होंने सम्मान न दिया हो। मैं अपने मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ही नेता होना चाहिए कि जितना सम्मान हमको उतना ही सम्मान उनको, हम इसके साक्षी हैं और विपक्षी भाई भी थे। मुझे खुशी हुई यह प्रजातंत्र का सुंदरतम रूप है जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री हृदय खोलकर आपका स्वागत करने के लिए बैठा हो तो यह मांगलिक गीत गाने की जरूरत बहुत नहीं है। हम लोग ऐसे ही आपका सम्मान करेंगे। आगे के क्षेत्र में देखिये अभी हमारी बहन बोल रही थीं, चली गयीं, क्षमा करना छोटी उम्र में हो तुम्हारा अभिवादन है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, माफिया की बात करते थे वो लोग किसी सत्ता का राजा का धर्म होता है शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को संदेश दे दिया कि राजा जब सड़को पर होगा तो प्रजा के सामने भूत भी जाने वाला नहीं है। रोग तो रोग है, भगा के छोड़ेंगे। आज दुनिया को संदेश दे दिया कि राजा कैसा होना चाहिए, मुख्य मंत्री कैसा होना चाहिए। कोरोना में रोड पर अकेले कोई मुख्य मंत्री घूमता हुआ मिला तो योगी आदित्यनाथ जी मिले कोई दूसरा देखने को नहीं मिला। लोग ट्विटर चलाते थे, ट्विटर चला सकते हो लेकिन दमदारी से अपनी प्रजा की सेवा करना योगी आदित्यनाथ जी के लंगोटी में ही बल है, दूसरा किसी में बल नहीं है और ध्यान रखना कि दुनिया की कहानी है, दुनिया वालों चाहे करोड़ों रुपये की चुनरी क्यों न हो, सपाई, बसपाई और कांग्रेस के लोगों चुनरी करोड़ों रुपये की क्यों न हो चुनरी हमेशा लंगोटी के सामने फीकी पड़ जाती है, वह टिकने वाली नहीं है। इसलिए अब आगे चलें, नेता राम गोविन्द चौधरी जी चले गये, माफियाओं की बात करते हैं, पहला ऐसा अवसर है मैं आया तो मुझे इतना दुख हुआ, हमारी बहन का शौहर लूटा गया इसी गाजीपुर की हमारी बहन बैठी है, छोटी उम्र में है, मेरे दिल के अन्दर हो गया कि जिसका शौहर लुट गया वह भी इस विधान सभा में और जिसने शौहर लूटा वह भी इस विधान सभा में। तमाम विपक्ष के झण्डे उठाने वाले बन्धुओं माफियाओं के पैर छूने वाला भी कहता है कि योगी आदित्य नाथ जी का शासन ठीक नहीं है। आज योगी आदित्य नाथ जी का ही शासन है आज वहीं शासन है, वही पुलिस है जो उस समय इन माफियाओं का मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे माफियाओं का जो प्रलय शासन चलता था और डर के मारे न्यायपालिका फेल, गवाह फेल, संविधान फेल, इन्सान फेल, धन्य हो योगी आदित्यनाथ जी आपका चरित्र और

भाजपा का शासन कि आज वहीं माफिया पंजाब में अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं। वही पुलिस है जो पहले माफियाओं को सलाम करती थी, बहुत लोग इससे भी डरते होंगे हमने देखा कि हत्यारों को, यहां पैर छूने वाले विधान सभा में कई मिले। हत्यारों को शैतानों को और कुछ नहीं कह सकते हो तो कम से कम उसको सलाम मत करो। अधिष्ठाता महोदय वही माफिया आज मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि यदि आपमें दम हो तो हमारी पुलिस आज बुला रही है पहले उनके डर से गवाह न्यायालय में नहीं जाते थे आज न्यायालय में आने में कौन डर रहा है, वहीं बात है तो यही शासन का आधार होता है, और यही योगी आदित्यनाथ जी का इकबाल है। रोजगार के क्षेत्र में चार लाख लोगों को बिना पैसे की नियुक्ति दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठिये, बहुत लम्बी सूची है बोलने वालों की सबको मौका मिले।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि इनको योगी महराज जी का स्वरूप पहचानना चाहिये कि वह जनसामान्य से जुड़े मामलों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आप सब लोग मिलकर उनको सलाह दीजिये और जो देशहित तथा समाज हित में होगा उसके अनुसार वह कदम उठायेंगे। सभी विधायकों और जिलाधिकारी के सामने मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा कि महराज जी तहसील के लेखपाल जनता को वरासत के काम में बड़ा परेशान करते हैं। महराज जी ने अभियान चलाकर वरासत कराने के तुरन्त आदेश दे दिये और एक महीने के अंदर 14 लाख लोगों की वरासत की गई हैं। अन्त में मैं महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा लाये गये अभिभाषण और श्री योगेन्द्र उपाध्याय द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का हृदय से अभिवादन और समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मजबूत नेतृत्व की संकल्पशक्ति और मार्गदर्शन में भारत विश्वगुरु बने। जय हिन्द, जय भारत।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए बिन्दुवार अपने विचार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल महोदया ने सरकार की तरफ से लिखित अभिभाषण को सदन में प्रस्तुत किया उसमें कोरोना से कुछ गणमान्य व्यक्तियों की मृत्यु का जिक्र तो है लेकिन उनकी मृत्यु इलाज में लापरवाही से हुई है यह नहीं बताया गया। कोरोना से बचाव में बिना सोचे समझे लाक डाउन किया गया जिससे लोगों को परेशानी हुई। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग पैदल अपने घरों को लौटे। वास्तव में भूखे-प्यासे रहे और परेशान हुये इसका जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। ताली-थाली पीटने और लाइट जलाने-बुझाने से कोरोना रोकने की चर्चा इस दुनिया तो क्या दूसरे ग्रहों तक मजाक के रूप में पहुंची है। मेरे विचार से कोरोना के प्रति जागरूकता से ज्यादा दहशत फैलाई

गई। जिस कारण कोरोना की बजाय उसकी दहशत से लोग ज्यादा मरे हैं। इसके इलाज को जो अस्पताल बनाये गये हैं खासकर मुरादाबाद के टीएमयू में कई मरीजों ने खुदकुशी की है इसका कारण क्या रहा इसका जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है। हकीकत में कोरोना बजट को आपदा में भी अवसर के रूप में सरकार के लोगों ने प्रयोग किया है। हर स्तर पर उसके बजट में घोटाला करके अपव्यय किया गया है। जगह-जगह कोविड-19 में सिर्फ बिलों का भुगतान हुआ है। मरीजों से ज्यादा उन अस्पतालों से जुड़े लोगों का कल्याण हुआ है। मुरादाबाद समेत कई जिलों में अधिकारियों ने उपकरण खरीदने में व्यापक रूप से घोटाले किये हैं। जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है क्योंकि उन्हें सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण रहा है।

कोरोना से भी ज्यादा मृत्यु दर वाली अन्य बीमारियों कैंसर, टीवी व हृदय रोग को रोकने या उनके इलाज के लिए कोरोना बचाव जैसा अभियान नहीं चलाया गया है। श्रमिकों को कण्टेनर तक में बंद होकर आना पड़ा, हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा लेकिन इन लोगों को घर लाने के प्रबन्ध करने का निर्णय देर से क्यों लिया गया इसकी वजह नहीं बताई गई है। लॉकडाउन से परेशान लोगों की मदद करने वालों का दलीय आधार पर उत्पीड़न किया गया है, उन पर गलत मुकदमें लिखे गये हैं। जो लोग कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए उनके प्रति असम्मान का बोलबाला रहा है। उनकी जब मृत्य हुई तो मौत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में जो परेशानियों और जिल्लत का सामना करना पड़ा उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आप गौर करें कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद किस तरह से उनकी चिता के साथ ज्यादती हुई चाहे उनका दाह संस्कार करना हो या उनको कब्रिस्तान में दफनाना हो यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोरोना से मृत्यु होने पर परिजनों को उचित मुआवजा देने का भी कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। कोरोना काल में कितने युवाओं की नौकरियां चली गई इस पर अफसोस का इजहार भी अभिभाषण में नहीं किया गया है। हमारी विधान सभा क्षेत्र बिलारी जो मुरादाबाद में पड़ती है उसमें सामाजिक संगठनों ने और हम सबने मिलकर कोरोना वारियर्स के रूप में काम किया उसमें हम लोगों को अवार्ड भी मिले और लोगों ने हम लोगों का सम्मान करने का भी काम किया। बिलारी विधान सभा क्षेत्र में कोरोना वारियर्स, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक अधिकारियों और समाजवादी लोगों ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। मान्यवर, अभिभाषण में संभावनाओं को ही उपलब्धियां मान कर उनका बखान किया गया है। एक्सप्रेस-वे कितने किलोमीटर लंबे बने, कहां-कहां बने इसका जिक्र नहीं किया गया है। कितने स्थानों पर हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ हो चुकी, मेरठ से प्रयागराज तक के एक्सप्रेस-वे को कब पूरा किया जाएगा, मुरादाबाद हवाई पट्टी पर कब से अन्तर्राज्यीय उड़ाने आरंभ की जाएंगी या दूसरे स्थानों से उड़ाने शुरू होने में देरी क्यों हो रही है इसके कारण नहीं बताए गये हैं। लाखों लोग प्रतिवर्ष बेरोजगार हो रहे हैं, व्यापारियों को अपने व्यापार बंद करने पड़े हैं, इनकी हालत में सुधार किस तरह से होगा, ऐसा जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है। लाखों लोगों को ऋण वितरित करना तो बताया गया है

मगर उनकी वर्तमान हालत क्या है, इसका किसी को पता नहीं है। आत्म निर्भरता का बखान अपने मुंह मियां मिट्ठू की तर्ज पर किया जा रहा है। विद्युत विभाग में विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई गई या कितने नए उत्पादन केंद्र बनाए गए इसका जिक्र नहीं है। रोस्टर का जिक्र है, मगर क्या रोस्टर के मुताबिक विद्युत आपूर्ति कितनी की जा रही है, इसका जिक्र भी नहीं किया गया है। विद्युत विभाग में बहुत सारी सेवाएं निजी हाथों में सौंप दी गई हैं उसके जरिए उपभोक्ताओं की जो लूट और कर्मियों का शोषण किया जा रहा है हर महीने बिल न बनाकर कई-कई महीने का बिल इकट्ठा निकालकर गलत वसूली की जा रही है, विद्युत के रेट उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सर्वाधिक हैं इसका जिक्र नहीं किया गया है।

कानून व्यवस्था में भी सरकारी स्तर पर जो ठोको नीति अपनाई गई उसने पुलिस विभाग को ही जिसका काम अपराध रोकना था उसे ही अपराधी बना दिया है। राजनीतिक बदले और सांप्रदायिक आधार पर भेदकारी तरीके से कार्रवाई कराई गई जिससे अपराधियों के हौसले बढ़े और अनेक स्थानों पर पुलिस कर्मियों को अपराधियों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी है। अपराधियों को राजनीतिक आधार पर संरक्षण तथा पीड़ित लोगों के खिलाफ पुलिस की उल्टी कार्रवाई ने पुलिस की छवि रक्षक के बजाय भक्षक जैसी बना दी हैं अपराधिक आंकड़ों में सुधार के उद्देश्य से पीड़ित लोगों को न्याय की उम्मीद से न केवल वंचित किया गया बल्कि उनके अंदर अपराधियों के विरुद्ध खड़े होने का हौसला ही समाप्त कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों की भी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं उनके निराकरण का भी कोई संकल्प इस अभिभाषण में नहीं दोहराया गया है। एक दर्जन से भी अधिक गलत एनकाउंटर इस प्रदेश में हो चुके हैं इसका भी कोई जिक्र नहीं है। इस अभिभाषण में सड़क दुर्घटनाओं में 19 प्रतिशत तथा दुर्घटना जनित मृत्यु आंकड़ों में 15 प्रतिशत कमी आना बताया गया है जो हालात के मद्देनजर यकीन करने को तो नहीं कहता परंतु यकीन करना पड़ रहा है। होमगार्ड को सम्मान ड्यूटी समान भत्ता की तर्ज पर भुगतान या सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी मृत्यु पर 5 लाख के बजाय 25 लाख की सहायता धनराशि दी जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में जेल हो, कैदी संख्या के अनुसार बैरकें हों, जेलों में दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित हों ऐसा कोई संकल्प अभिभाषण में नहीं है। अधिवक्ताओं के लिए हर स्तर के न्यायालय परिसरों में बहुमंजिला चैंबरों का निर्माण करने, चैम्बरों की बेतरतीबी समाप्त करने या हर स्तर पर बार भवनों में लाइब्रेरी स्थापित करने का संकल्प भी नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार से मिल रही किसान सम्मान निधि की तर्ज पर प्रदेश के किसानों को रकबा आधारित मुख्य मंत्री सहायता निधि के नाम से योजना आरंभ की जाए। मंडी शुल्क जिससे तमाम तरह के विकास कार्य भी होते थे उसे समाप्त कर दिया गया है परंतु उसका कोई विकल्प इस अभिभाषण में नहीं सुझाया गया है। कोरोना काल में घर वापस आए वंचित पात्रों को अन्त्योदय तो क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भी आच्छादित नहीं किया गया। गन्ना किसानों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत तो क्या एक साल के बाद भी भुगतान नहीं किया गया, भुगतान में देरी पर कोर्ट के आदेश के बावजूद ब्याज दिलाने का

काम नहीं किया गया। बीते 3 वर्षों में लगातार कोई बढ़ोत्तरी गन्ने के भाव में नहीं की गई है, भविष्य में भी गन्ना किसानों को बेहतर भाव मिल सके इस उद्देश्य से एथनॉल बनाने का संकल्प अभिभाषण में नहीं दोहराया गया है।

जो गोवंश पशुपालकों के लिए फायदे का सौदा था उसे घाटे का पेशा बना दिया गया है इस कारण लोगों ने उन्हें पालतू के बजाय अपने घरों से जंगल में छोड़ने का काम करके जंगली बना दिया, जिस कारण उनके झुंड के झुंड फसलें नष्ट करते हैं जो सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। सैकड़ों लोगों की लगभग इसमें जान चली गई है। सरकार ने जल्दी खराब होने वाली फसलों को सुरक्षित रखने, पुरानी नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने, नहरों की मरम्मत या सफाई करने की भी योजना नहीं बनाई है। केंद्र सरकार से मिल रही किसान सम्मान निधि की तर्ज पर रकबा आधारित मुख्य मंत्री किसान सहायता निधि के नाम से नई योजना आरंभ करने की मांग सरकार से कर रहा हूं। मंडी शुल्क जिससे तमाम तरह के कार्य होते थे अब उसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उसका विकल्प तैयार नहीं किया गया है। हर घर जल योजना का ऐलान भर से उसके अमल से पहले ही पुरानी योजनाएं बंद कर दी जिस कारण जल संकट दूर होने के बजाय और बढ़ गया है। वर्ष 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्य मंत्री थे तो प्रत्येक एम0एल0ए0 को दो-दो सौ हैण्डपम्प दिये जाते थे, लेकिन इसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

मान्यवर, विद्यालयों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से विद्यालयों को अच्छा दिखाने के लिए कायाकल्प योजना के अन्तर्गत काम तो करा लिये गये लेकिन अच्छी पढ़ाई के इंतजाम सरकार ने अपनी तरफ से नहीं किये हैं। विद्यालयों में काम कराने की अनिवार्यता के कारण दूसरे विकास कार्य पंचायतों में प्रभावित हुये इसका कोई स्थानापन्न सरकार ने तैयार नहीं किया। सरकार में बैठे लोगों की विभेदकारी सोच से प्रभावित होकर त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन पुनर्गठन भी विभेदकारी तरीके से किया गया है। जिला मुरादाबाद में तो 55 से अधिक ग्रामों को एक हजार से ज्यादा की आबादी होते हुये भी ग्रामीणों की मांग पर उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं देना बहुत बड़ा उदाहरण है। पौधारोपण का कार्य साल दर साल कागजी तौर पर विश्व रिकार्ड बनाने के लिए किया गया है लेकिन बेहतर था कि पौधों को पालने व उनके बचाने के प्रबंध करने जरूरी थे जो अभी तक नहीं किये गये हैं। जन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना बीमारों के इलाज के लिए होती है। सरकार ने उन्हीं सेवाओं को बीमार बना दिया है इसलिए वो बीमारों का इलाज करने में सक्षम नहीं बची हैं। पुराने अस्पतालों में डाक्टर और जरूरी स्टाफ नहीं है अनेक अस्पताल जो पिछली सरकार में बन रहे थे अभी तक अधूरे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए धनराशि जारी नहीं की गयी है। बड़े या गंभीर रोगों की दवायें तो दूर कुत्ते के काटने पर लगने वाले रैबीज के इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों पर महीनों उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। विभिन्न सामाजिक पेंशनरों की मासिक दर 500 प्रतिमाह किया जाना मजाक जैसा है। इसे

3000 रुपये प्रतिमाह किया जाये। परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर भी 30 हजार की राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता बहुत कम है उसे 05 लाख किया जाये। दशमोत्तर छात्रवृत्ति में हर वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में बंटने वाले निशुल्क ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूल, बैग, स्वेटर की तरह आंगनबाड़ी में भी ऐसा करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कायाकल्प योजना की तरह उनके सौन्दर्यीकरण या सुदृढ़ीकरण कार्य कराने का संकल्प नहीं लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, अभिभाषण में धार्मिक कार्यों के बखान से बेहतर है कि धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करने और नियंत्रित करने के लिए एक समानांतर सरकार का गठन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को संविधान संशोधन हेतु भेज दिया जाये। अवैध अतिक्रमण, अपराध नियंत्रण, खनन और प्रदूषण आदि जनहित से जुड़े मामले गंभीर तो बहुत हैं परंतु उन्हें सरकार ने केवल कमाई और उत्पीड़न के लिए हथियार स्वरूप इस्तेमाल किया है। लोगों को उसका लाभ मिले या असली स्थिति में सुधार हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि वर्तमान सरकार चार साल से पुरानी सरकार द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के फीते काटती रही है, नाम, नंबर बदलती रही है या फिर संभावनाओं और वादों का शोर मचाती रही है जिससे जनता की हालत में सुधार के बजाये लगातार गिरावट ही आती जा रही है। तो मैं अपने शेर के साथ अल्फाजों को मुकम्मल करूंगा कि-

सबके ख्वाबों को खाक कर डाला, तमने सबको हलाक कर डाला, ऐ काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर गिरा दिया है तो साहिल पे इंतिजार न कर अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा मेरे जूनून का नतीजा जरूर निकलेगा इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय सिंह गंगवार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं विधान सभा के सदस्य श्री चेतन चौहान जी, श्रीमती कमल रानी वरुण जी एवं विधान परिषद के सदस्य मा0 राम सिंह यादव जी जो हमारे बीच नहीं रहे, इनके साथ-साथ कोरोना की महामारी में जो लोग हमारे बीच नहीं रहे उन सबको मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि हम सबको अवगत है कि कोरोना की वैश्विक महामारी में जो काम उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री

परम आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और श्री नरेन्द्र मोदी जी से लेकर संगठन के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण व बूथ अध्यक्ष से लेकर सदन में सभी सम्मानित सदस्यगणों ने सड़क पर आकर जनसेवा से कोरोना के संक्रमण को रोकने का काम किया है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया और मीडिया उसका गवाह है कि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता व कोई नेता उन प्रवासी मजदूरों की मदद को सड़क पर नहीं आया लेकिन उनका मजाक उड़ाने के लिए यह लोग सड़क पर जरूर आये। मेरे अपने पीलीभीत जनपद में समाजवादी पार्टी के दो-दो मंत्री रहते हैं। कहीं कोई भी सोशल मीडिया या अखबार की कटिंग दिखा दीजिए कि वह कोरोना के टाइम पर वह अपने घरों से निकलकर आये हों। वह लोग महामारी से घबराकर अपने घरों में बैठे।

मान्यवर, यह क्या उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, इस विपदा की घड़ी में अगर हमारे विपक्ष के सभी दलों के साथी भी उत्तर प्रदेश की और देश की जनता के साथ खड़े होते तो हम निश्चित रूप से एक मैसेज पूरे विश्व को देने का काम करते। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह हर जगह राजनीति करते हैं, चाहे प्रदेश के ऊपर संकट हो, चाहे देश के ऊपर संकट हो, यह उसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि- ''जो तूफानों में पलते हैं, वहीं दुनिया बदलते हैं।'' ऐसे हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं अभी बेसिक शिक्षा की बात सुन रहा था। बेसिक शिक्षा के वर्ष 2017 के पहले के बेसिक स्कूल को देख लीजिए और वर्ष 2017 के बाद के गरीब, निर्धन एवं मजदूरों के बच्चों की बेसिक शिक्षा को देख लीजिए। हमारी सरकार ने एक-एक ब्लॉक में 5-5 मॉडल स्कूल बनाकर गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। मैं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी को पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने हर गांव में बिजली देने का काम किया है। जनपद पीलीभीत में मेरी 127-विधान सभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के एक चुने हुए सदस्य जो सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन वहां उस समय आठ गांवों में बिजली नहीं थी। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी को जनपद पीलीभीत की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि आज जनपद पीलीभीत के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश का कोई एक गांव या मजरा बता दीजिए जिस गांव में बिजली न जल रही हो। मित्रों कभी तो सच बोल लिया करो, बार-बार झूठ बोलने से कोई भी बात सच नहीं होती है। सच को सच ही कहा करो।

मित्रों इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मा0 मुख्य मंत्री जी ने जनपद पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है इससे जनपद पीलीभीत के लोगों का ही इलाज नहीं, व उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखण्ड और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जब राम मंदिर का फैसला आना था तो उस समय समाजवादी पार्टी, बसपा एवं कांग्रेस

पार्टी के लोग कहते थे कि जब फैसला राम मंदिर का आयेगा तो उत्तर प्रदेश की सड़कें खून से लाल हो जायेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कौन-सी सड़क खून से लाल हुई है, बल्कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने का फैसला किया उस दिन उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए। उसी दिन रामराज्य की शुरूआत हो गयी थी। कल वित्त मंत्री जी ने चार लाईनें बोलीं थीं कि दूसरे को दिखाने से पहले आईना खुद भी देख लिया करो। आपकी सरकार में मथुरा का काण्ड, मुजफ्फरनगर का काण्ड एवं बरेली के काण्ड हुए हैं। हमारी सरकार में इस तरह कोई भी काण्ड नहीं हुआ है। आपकी सरकार में जब सावन का महीना आता था तो कांवड़िए कांवड़ लेने जाते थे, उन पर बैन लगा दिया गया था, डी0जे0 नहीं बजते थे, घड़ियाल घण्टे नहीं बजते थे, भजन नहीं कर सकते थे। मैं सदन के सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं कि जब हम परमीशन के लिए अधिकारियों के पास जाते थे तो वह अधिकारी कहते थे कि शासन से ऐसे निर्देश हैं कि कानून-व्यवस्था बिगड़ जायेगी, दंगा हो जायेगा। लेकिन जब वर्ष 2017 में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो जब इस प्रस्ताव को पूर्व सरकार के अधिकारियों में मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने रखा तो मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यह कांवड़ यात्रा है, यह कोई शव यात्रा नहीं है। इसमें डी0जे0, घण्टा एवं घड़ियाल भी बजेगा और हम लोग हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे। इससे कहीं पर भी कोई कानून-व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। यह लोग कानून-व्यवस्था की बात करते हैं।

मेरे जनपद पीलीभीत के तमाम प्रवासी मजदूर बाहर थे और जब कोरोना काल का संकट आया था तो उ0प्र0 के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रोडवेज बसों द्वारा उनके अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। दिल्ली से लगातार रोडवेज बसें यूपी के लिए आ रही थीं, अभी हमारी बहन कह रही थीं, कोरोना के समय इन लोगों ने देश को धोखा देने का काम किया, गाड़ियां भेजने के नाम स्कूटर और मोटर साइकिलों के नंबर का काम किया, जिसे सोशल मीडिया ने बेनकाब करने का काम किया। ऐसे लोग देश की बात करेंगे, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से और हमारे विपक्ष के नेता श्री रामगोविंद चौधरी जी, जो इस समय सदन में उपस्थित हैं। ये जिस दल के हैं, उस दल के लोगों ने रामलला के मंदिर पर गोली चलवाने का काम किया था, मैं उनको भी सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति के रोम-रोम में राम है, उनके नाम के आगे भी राम है, जब हम रास्ते में मिलते हैं, सुबह उठते हैं, तो भी राम-राम करते हैं और जब इस दुनिया से जाते हैं तो राम-राम शब्द कहकर ही चले जाते हैं, उस राम का अपमान करने वाले आप लोग हमेशा ही उधर रहोगे, इधर आने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप पर प्रभु राम की कृपा ही नहीं है, गोविंद भी हमारे साथ और शिव भी हमारे साथ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमाम कार्य हमारे जनपद पीलीभीत में होना बाकी हैं। मान्यवर, मेरे जनपद में एक चीनी मिल है जो कि हमारे बसपा की सरकार

में बंद कर दी गयी थी, उस फैक्ट्री के चलने से गन्ना किसानों को भी लाभ मिलेगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उस फैक्ट्री को चलाने का काम किया जाये और मैं एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं कि ''लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना सबको, मर्द वही है जो जमाने को बदल दे।'' ऐसे हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए मा0 मुख्य मंत्री जी को, मंत्रि परिषद् के भी सम्माननीय सदस्यों को और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को पीलीभीत आने का न्यौता देता हूं और ये बताता हूं कि विकास क्या होता है, गोमती का उद्गम पीलीभीत से है लेकिन उसको जिंदा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद्। जय हिंद-जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री भूपेश चौबे-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह हमें इन बातों को महसूस कराता है कि हम किन बातों को स्वीकार किये हैं और किन बातों को लेकर, किन विचारों को लेकर आगे बढ़ें हैं, इन बातों से हम समझ सकते हैं कि विपक्ष के लोग जो कुछ बात यहां पर कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप तराजू तौल कर देखो कि पलड़ा किसका भारी है, तुम्हें झंकार प्यारी है तो हमें ललकार प्यारी है। किसानों का जो अपमान था उसको हमने ललकार के रूप में स्वीकार किया और तो और हमने सम्मान निधि प्रारंभ किया। जिन श्रम के करने वाले लोगों के घर के बच्चों के विवाह आदि में जो कठिनाई थी, उस ललकार को स्वीकार किया तो आज सामूहिक विवाह प्रारंभ हुआ। हमने ललकार स्वीकार किया उन गरीबों का, जिनका आवास नहीं बन रहा था इसलिए आज आवास बनना प्रारंभ हुआ। हमने ललकार स्वीकार किया उन टूटे-फूटे स्कूलों का, जिनमें लोग पढ़ने जरूर जाते थे लेकिन मनोभाव उनके दबे रहते थे तो हमने उन स्कूलों का कायाकल्प करने का काम किया और आज आप जाकर देखिए कि आपके गांव की जो सबसे चम चमाती बिल्डिंग होगी वह प्राथमिक स्कूल कहा जाता है। हमने उस अंधेरे की ललकार को स्वीकार किया कि हर गांव-गांव, मजरे-मजरे विद्युतीकरण करके वहां उजाला पैदा किया, हमने उस ललकार को स्वीकार किया। हमने दवाओं के अभाव, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 टूटे-फूटे थे, हमने उस ललकार को स्वीकार किया और आज आप जाकर देखिए कि किस प्रकार से हर जगह अपने पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 भी चमकते हुए दिख रहे हैं और ललकार को स्वीकार किया हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना की उस महामारी की ललकार को भी, किस प्रकार कोरोना के दौरान एक-एक चीज की चिन्ता करना, कहीं कोई प्रतियोगी छात्र

फंसा है, कोटा में तो उसको लाने के लिए, चाहे प्रवासी मजदूर है तो उसको लाने के लिए, कहीं कोई अगर पैदल चल रहा है तो हर जिले में सख्त निर्देश था कि जिले के अन्दर यदि कोई भी पैदल चलता हुआ प्रवासी दिखा तो वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक प्रत्यक्ष जिम्मेदार होंगे। लोगों का स्वागत करके घर-घर पहुंचाया जा सकता है, उस ललकार को स्वीकार करते हुए, उनकी संवेदनशीलता को आप समझ सकते हैं, उसी दौरान उनके पिता जी का निधन भी हुआ। लेकिन उनकी अन्त्येष्टि में भी वह नहीं गए, ऐसे संवेदनशील हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस कोरोना की ललकार को स्वीकार करते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम किया।

यहां पर हम ऋषि और कृषि की बात करते हैं। कृषि के सम्मान में जहां किसान के लिए फसल बीमा, हर खेत को पानी और वहीं किसानों के सम्मान के लिए, अभी विपक्ष के लोग कह रहे थे, विपक्ष के नेता आदरणीय राम गोविन्द चौधरी जी कह रहे थे कि किसान को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। अरे, सम्मान किसी वस्तु और पैसे से नहीं आंका जाता है, सम्मान में तो अगर कोई एक गिलास पानी भी देता है तो उसको भी उत्साह के साथ स्वीकार किया जाता है। हमने किसानों को सम्मान निधि दिया है। वह लोग सम्मान निधि क्या जानें, कभी शायद खेती किए हों, तब तो जानें। जब किसान को बीज बोना पड़ता है, जब बीज डालना पड़ता है तो उसके लिए वह 02 हजार रुपये जब नहीं रहता है तो किसी न किसी से उधार लेना पड़ता था और उस 02 हजार के बदले उसको 10 हजार चुकता करना पड़ता था। लेकिन वह 02 हजार रुपये तीन बार में इसीलिए दिया जाता है कि जब आपको बीज डालना हो तो 02 हजार रुपये, फिर जब आपको उसकी कटाई करवानी हो तो 02 हजार रुपये और फिर जब आपको अगला बीज डालना है तो 02 हजार रुपये वह सम्मान निधि के रूप में उसकी जरूरत के लिए है, जो उसको उधार लेना पड़ता था, उसको हमने करने का काम किया। जहां हम एक्सप्रेस-वे की बात कर रहे हैं, सभी लोगों ने बताया, जहां पर अभी मेडिकल कालेज विशेष रूप से हमारे जिले में, मैं दो बातों के लिए आज माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को कि आपने सोनभद्र, मिर्जापुर और बुन्देलखण्ड के उन परिस्थितियों को समझा कि किस प्रकार से पेयजल के लिए कितनी दूर-दूर से पानी लेकर पीते थे और आपने उनकी समस्या को समझते हुए, वहां पर पानी के अभाव की जो तड़प थी, उस तड़प की ललकार को स्वीकार करते हुए, सोनभद्र, मिर्जापुर में हर घर नल योजना को स्वीकार करके आपने जो हर घर के दरवाजे तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हं, वन विभाग को भी कि केवल वृक्षारोपण ही नहीं, वृक्ष लगाकर उसको बचाये जाने का भी पूरा प्रबन्ध किया गया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

जल संरक्षण के लिए हमारे जिले में विशेष रूप से कार्य योजना बना करके, अभी कोरोना काल में भी जिस प्रकार से मनरेगा के तहत् कार्य किए गए और विशेष कार्य योजना

तैयार करके, उसके लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर गांव में जितने भी पोखरे थे, उनकी खुदाई कराई गई और जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किया गया। केवल इतना ही नहीं, जल संरक्षण के लिए गांव में हरियाली भी हो, तो हर गांव में एक बाग भी होगा, इस प्रकार के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर स्कूलों के कायाकल्प की बात हुई, वहीं पर पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। खेलो इंडिया के तहत हर जगह स्टेडियम बनाये जायें, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे भी जनपद में तीरंदाजी, कबड्डी, खोखो आदि खेलों में आदिवासी समाज के लोग बड़ा सहभाग करते हैं। मैं यहां आपके माध्यम से जहां हर जगह खेलो इण्डिया खेलो और स्वस्थ्य रहो इण्डिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर कहीं न कहीं छोड़ा भिखनपुर चतरा ब्लाक का जो हिस्सा है, वहां पर इस प्रकार के कबड्डी, खो-खो, तीरंदाजी के खेल की एक बड़ी संभावना है, वहां पर एक स्टेडियम की आज जरूरत महसूस हो रही है। मुझे लगता है वह भी इसमें पूरा किया जाएगा। वहीं जहां पर घरौनी, खतौनी की बात सुनते आते थे, लेकिन घरौनी पहली बार सुनें आखिर वह कौन सा शब्द है, वह केवल शब्द नहीं है सम्मान का प्रतीक है। इसको मोदी जी ने हर उस व्यक्ति के पास जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह कहीं न कहीं घर बनाकर रहता था, उसका कोई मूल्यांकन नहीं था, लेकिन उसको घरौनी शब्द देकर उस गरीब का भी सम्मान बढ़ाया और वह भी बैंक से लोन ले सकता है, वह भी एक प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। इस प्रकार से सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है।

जहां पर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उस आदिवासी क्षेत्र में जहां दूर-दूर फैला हुआ गांव है वहां पर एक ब्लाक फोन ब्लाक का नवनिर्माण कर जहां विकास के रास्ते खोलने का काम किया योगी सरकार ने और एक डाला नगर पंचायत बनाकर जो सम्मान दिया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हं, और इस निवेदन के साथ कि जहां घरौनी देकर सम्मान कर रहे हैं, वहीं पर एक विषय आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो हमारा सोनभद्र नगरपालिका क्षेत्र है वहां पर आज भी जमींदारी प्रथा लागू है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उस पर विचार कर वहां के जमींदारी प्रथा से मुक्त कराए जाने का प्रयास किया जाए। मैं एक निवेदन आपके माध्यम से जहां अभी डिजिटल रूप में हम चल रहे हैं, हम सब लोगों को आईपैड मिला है। सोनभद्र जो आदिवासी एरिया है वहां कुछ जगहों पर टावर की समस्या है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के टावर की समस्या को दूर कराए जाने में आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसी निवेदन के साथ मैं योगेन्द्र उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का समर्थन करता हूं।

श्री आजाद अरिमर्दन-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय आज जो मुझे मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात को बहुजन समाजवादी पार्टी विधान मण्डल दल के नेता

श्री लाल जी वर्मा से अपनी बात को सम्बद्ध करते हुए और संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। जब प्रदेश की सरकार बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी भर्तियां सिर्फ अखबारों और विज्ञापनों तक ही सीमित रहती हैं। भारतीय संविधान में एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 इन लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके लिए प्रदेश सरकार में लाखों खाली पद पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो बैकलॉग के माध्यम से बहन जी ने एक विशेष अभियान चलाकर के एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 लोगों को जो लाखों पद दिया गया था बेरोजगार नौजवानों को उस तरह से अभियान की जरूरत है इस प्रदेश सरकार को, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सारे उपक्रम जो लाखों पद जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते थे उन विभागों को केंद्र और प्रदेश की सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का प्रयास कर रही है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि बेरोजगारी इस प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रही है।

मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के फैसले अभी हाल में आया कि एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 के आरक्षण को संविधान की अनिवार्यता न रहकर मात्र सरकार की इच्छाओं पर निर्भर रहेगा। इस फैसले से एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के लोग काफी दुखित और चिन्तित हैं। मैं मांग करता हूं कि एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आरक्षण की व्यवस्था को संविधान को 9वीं सूची में डालने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान हो सके। मेरी सरकार से मांग है कि एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 वर्गों के जो लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनको तत्काल भरा जाए। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं साथ ही साथ प्रदेश सरकार के तमाम ऐसे राज्य कर्मचारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए हर जिले में आंदोलनरत हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दे क्योंकि वही पुरानी पेंशन राज्य कर्मचारियों के रिटायरमेण्ट के बाद उनके बुढ़ापे का सहारा हुआ करती थी। मा0 अधिष्ठाता जी, अभी हाल में सत्तापक्ष और विपक्ष के मा0 ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा महाराजा सुहेलदेव जी की जयन्ती मनाई गई तो मेरा यह मानना है कि उनकी जयन्ती मनाने के साथ-साथ विमुक्त जाति समाज को, राजभर समाज को अलग से आरक्षण प्रदान किया जाए जिससे उनके समाज के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें ताकि उनका आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान हो सके।

अभी हाल में आपने देखा होगा कि प्रदेश में चारों तरफ कानून व्यवस्था के साथ-साथ राम राज्य की बात हो रही है लेकिन आज चारों तरफ जंगलराज है। चोरी, डकैती, हत्या, लूट

और बलात्कार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। वह चाहे हाथरस काण्ड हो, चाहे उन्नाव काण्ड हो। हमारे जनपद आजमगढ़ में अभी एक महीने में दर्जनों हत्याएं हो चुकी हैं। जैसे ग्राम खुन्दनपुर में बसपा नेता कलामुद्दीन खां की हत्या, ग्राम अमौरा में प्रधान मनीष राय की हत्या, थाना मेहनगर के ग्राम बांस गांव के प्रधान सत्यदेव की हत्या, थाना देवगांव के ग्राम नोनीपुर में बाप-बेटे की हत्या, ग्राम बैरीडीह में दलित युवक विजय कुमार की हत्या दिनदहाड़े हो जाती है। हत्या होने के बाद मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं और आरोपियों को अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है जिसका परिवार आज भी भयभीत है। मा0 अधिष्ठाता महादेय, अभी 02 अप्रैल को एस0सी0, एस0टी0 ऐक्ट, दलित ऐक्ट के संशोधन बिल के विरोध में पूरे देश के साथ-साथ हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जगह-जगह धरना-प्रदर्शन हुआ था और उसमें हमारे प्रदेश के बेगुनाह नौजवानों आदि को फर्जी मुकदमों में पंजीकृत कर दिया गया है। वे जेलों में बन्द हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए। जिस प्रकार मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं के मुकदमों को वापस लिया उसी तरह से इन बेगुनाह नौजवानों के मुकदमों को भी वापस लिया जाए।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जनपद आजमगढ़ के लालगंज में महिला सामुदायिक केन्द्र जो लाखों रुपये की लागत से बना हुआ है, बन्द पड़ा है लेकिन अभी उसे खोला नहीं गया है, उसे तुरन्त खोला जाए। हमारे यहां लालगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाए। हमारे यहां राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो लालगंज में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना था, उसका नाम मान्यवर कांशीराम इंजीनियरिंग कॉलेज था लेकिन उसका नाम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया है इसलिए उसका नाम मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर रखा जाए। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विकास खण्ड लालगंज के कस्बा देवगांव, विकास खण्ड ठेकमा बाजार के ब्लॉक पल्हना में पल्हना बाजार को टाउन एरिया घोषित किया जाए। साथ ही हमारे विकास खण्ड पल्हना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। साथ ही लालगंज विकास खण्ड के ग्राम चेवार पूरब में गांगी नदी के पुल से गोवर्धनपुर तक की सड़कें बहुत खराब हैं, उनको भी तुरन्त ठीक कराके निस्तारण किया जाए। अभी बिजली व्यवस्था के बारे में प्रदेश सरकार के लोगों ने, तमाम हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत गुणगान किया है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज के दिन में दर्जनों गांवों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, वे अँधेरे में हैं। हमने अधिकारियों से बात की तो उसका मूल कारण मात्र यह बताया जा रहा है कि वहां के लोगों का मात्र 1000 और 2000 रुपये बिजली का बिल बाकी है। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करुँगा कि उन गांवों में पुनः बिजली की सप्लाई की जाए जिससे उन गांवों में रोशनी आ सके। हमारे क्षेत्र के तमाम गांवों में तमाम नदियों पर पुल नहीं है जिसमें रामपुर बढौना की बेसी नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जाए। ग्राम सिरसेड़ी में बेसी नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जाए। विकास खण्ड तरवां के ग्राम खुशनानपुर एवं नई बस्ती में गांगी नदी पर पुल का निर्माण करा दिया जाए।

हमारा विधान सभा क्षेत्र मा0 प्रधानमंत्री जी के वाराणसी से सटा हुआ तथा मा0 योगी जी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ है लेकिन हमारे यहां की सड़कों की हालत बहुत खराब है, मुख्य मार्गों की हालत बहुत खराब है। विशेषकर विकास खण्ड लालगंज के मसीरपुर चौराहे से लालगंज बाजार के हाई-वे तक एवं जिवली देवगांव मोड़ से बुढउ बाबा के मंदिर तक एवं देवगांव त्रिमुहानी से ग्राम बसई रोड तक क्षतिग्रस्त सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं मैं मांग करता हूं कि इस क्षतिग्रस्त सड़क का नव निर्माण एवं दोनों तरफ नाली निर्माण करा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री करण सिंह पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, जितनी देर से यहां पर अभिभाषण पर वक्तव्य चालू हुए हैं उसमें अभिभाषण पर अच्छी बातें सभी आई हैं लेकिन उन बातों पर प्रतिपक्ष के लोगों ने अपने कमेन्ट किये हैं। एक बात यह बोली गई की चार घंटे के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया। मान्यवर, जब भी कोई आपात स्थिति आती है तो यकायक यदि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसका बहुत बड़ा परिणाम झेलना पड़ता है। उसका एक उदाहरण देख लें जमात के लोग उसके बावजूद भी माने नहीं और पूरे देश में छिपकर जाकर उन्होंने पूरे देश में कोरोना को फैलाया था। हमारे दिल्ली के मुख्य मंत्री पहले मानते नहीं थे कि कोरोना कहीं पर है लेकिन जब जमातियों के द्वारा उनको जानकारी हुई तब भी उनको रोकने में, उनको ढूढ़ने में और उनको अंदर करने में पूरा का पूरा योगदान उन्होंने दिया। इसलिए बहुत ही न्यायसंगत और बहुत ही सही निर्णय आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने लिया था कि लॉकडाउन तुरन्त लगा दिया था जिससे कि यह बीमारी और न फैले।

मान्यवर, जब भी कोई आपात स्थिति आती है मैं देख चुका हूं वर्ष 1971 और 1965 का युद्ध, वर्ष 1962 के युद्ध के बारे में भी मैंने सुना है और देखा भी है उस समय ब्लैक ऑउट कर दिया जाता था और उस ब्लैक ऑउट के लिए यह किया जाता था कि कहीं विरोधी देश का विमान आकर वहां पर हमला न कर दे, बम न डाल दे। इससे लोगों को कष्ट होता था इसमें कोई दो राय नहीं है और कष्ट सुख की प्राप्ति का एक अवसर हुआ करता है जब किसी आदमी को बीमारी होती है तो उसको जब दवा दी जाती है तो दवा कड़वी लगती है और इंजेक्शन लगाया जाता है तो चुभता है लेकिन दवा खाने के बाद और इंजेक्शन लेने के बाद वह आदमी स्वस्थ हो जाता है। यदि लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लिया गया होता तो आज भारत विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला दूसरा देश, चीन को छोड़कर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद कम कोरोना पीड़ित यहां पर हुये हैं। महोदय, मुझे एक बात की आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे आदरणीय जिनको मैं आदरणीय बोलता हूं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे कह भी चुका हूं कि आपकी भाषा बहुत अच्छी हुआ करती है। बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पीरियड में

देवियों-देवताओं के मंदिर बंद कर दिये गये थे। लोगों को पूजा-पाठ करने से मना कर दिया गया था। यह बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि वह देवी और देवताओं के प्रति तो अच्छी सोच रखते हैं क्योंकि उनके साथ रहने वाले लोग देवी और देवताओं को अपमानजनक शब्दों से अपमानित किया करते थे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, और भी बातें उन्होंने किसानों की आय दुगुनी करने के बारे में बोलीं। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए जो योजना इस सरकार ने बनायी है आदरणीय योगी जी की सरकार हर तरह से किसानों के सम्मान के लिए उनके उत्थान के लिए कार्य किया है। इतनी योजनायें आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाई हैं। आप लोग भी बैठे हुये हैं। अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि किसानों के उत्थान के लिए क्या-क्या किया गया था ? इनकी सरकार थी, तब इन्होंने क्या किया था। आज उसको पूरा-का-पूरा आगे बढ़ाकर किसानों के लिए सम्मान निधि दी गयी और किसानों के लिए जन-धन योजना का जितना भी कार्य किया गया है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए विशेषकर मोदी सरकार और योगी सरकार ने किया है और विश्व में डंका बजाने के लिए मैं यहां से थोड़ा बाहर जाना चाह रहा हूं। विश्व में या चाहे जहां कहीं भी आदरणीय मोदी जी गये हैं तो उन्होंने पहले ही वहां के राष्ट्राध्यक्ष से कहा है कि मैं आपके देश तो आउँगा लेकिन अगर मैं आपके देश आउँगा तो मैं अपने देश के लोगों से मिलूंगा, ऐसी व्यवस्था आप दीजिए, तब मैं आपके देश में आउँगा।

जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का नारा हमारे देश का रहा है, प्राचीन भारत का रहा है, उस वसुधा को पूरे एक कुटुम्ब के रूप में लाने का कार्य आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। वहीं 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का नारा जो यहां पर आदरणीय योगी जी ने दिया है, उसमें कोई भी तबका नहीं छूटा है। छोटे से लेकर बड़े तक और जन्म लेने से लेकर मृत्यु के कगार तक पहुंचने वाले व्यक्ति के लिए यहां पर व्यवस्था दी गयी है। बेटी बचाओ, बेटी-पढ़ाओ के नारे के साथ जब बेटी पैदा होती है तो 6 श्रेणियों में, 6 बार में 15 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। जो एण्टी रोमियो की बार-बार बातें आयी हैं परंतु उन बातों को बार-बार कहने का मैं औचित्य नहीं मानता हूं लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यह अभी एस0सी0 और ओ0बी0सी0 के आरक्षण की बात कर रहे थे। यह बात वर्ष 2003 से लेकर 2007 तक क्यों नहीं की गयी ? वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक क्यों नहीं की गयी ? वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक क्यों नहीं की गयी ? यदि आपको इतना दर्द था तो आपने कुछ कर के दिखाया होता। आज तो योगी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रही है और हर व्यक्ति के हित में यह कार्य कर रही है। अभी एम0एस0पी0 की बात आयी। किसानों के लिए बार-बार बोलते रहे। हमने भी एक तरफ से योजना बनायी थी जितने दिन हम विपक्ष में थे, जाकर किसानों के दरवाजे-दरवाजे पर बैठ कर पूरा रिकार्ड लेते थे और पूछते थे। हम तो जानते ही थे क्योंकि हम भी किसान हैं। गेहूं में कितना बीज लगता है, कितनी खाद लगती है, कितनी लेबर लगती है, यह सब पूरा उनसे पूछ कर एम0एस0पी0

फिक्स की गयी है। हमको बताएं कि वर्ष 2017 के पहले जो एम0एस0पी0 थी और आज जो 2021 में एम0एस0पी0 है, उसकी जरा तुलना कर लें। इन्होंने किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, यह किसानों के उत्पाद का मिनिमम दर है, इससे कम में नहीं खरीदा जाएगा और जो उद्योगों के द्वारा तैयार होता है, वह मैक्सिमम रिटेल प्राइज है। यदि उससे ज्यादा दाम पर अगर कोई बेचेगा, तो वह दण्डित किया जायेगा, यह एम0एस0पी0 और एम0आर0पी0 का अर्थ होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, समाजवादी पार्टी ने पेन्शन योजना चलायी थी जिसकी चर्चा की गयी कि हम पूरे परिवार को पेन्शन दे दिया करते थे। मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ही परिवार के 3-4 लोगों को दे दिया करते थे। आज जो पेन्शन योजना चल रही है, वह सब लोगों के लिए चल रही है, केवल एक परिवार के लिए नहीं है।

(इसी मध्य सायं 04 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मयंकेश्वर शरण सिंह पीठासीन हुए।)

इसलिए वह पेन्शन योजना केवल कुछ लोगों के लिए थी, वह पेन्शन समाप्त करके सब लोगों के लिए सबका साथ-सबका विकास के लिए यह कार्य किया गया है। महोदय, अभी यह जिन्दा भूत की बात आयी। यह जिन्दा भूत आज का नहीं है, यह जिन्दा भूत 2017 के पहले वाला था और इन्हीं लोगों के कार्यकाल में जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया गया था। वह बेचारा भटकता रहा। आज योगी जी की सरकार में उसको लगा कि मैं अपने को जीवित घोषित कर सकता हूं तो वह सामने आ गया और वह जीवित होकर अपने अधिकार को प्राप्त कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

श्री करण सिंह पटेल-

मान्यवर, मैं जल्दी ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो गरीबों की बात आयी उसमें मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से जो माता, बहनें, भाई अपनी माता का, पत्नी का, बेटे का, पति का इलाज नहीं करा पाते थे, वह लोग जब डॉक्टर मना कर दिया करता था कि बिना पैसे के इलाज नहीं होगा तो वह व्यक्ति उस मरीज को लेकर घर आते थे और भगवान से मनाया करते थे कि हे भगवान! इसका कष्ट मुझसे नहीं देखा जा रहा है, इसको उठा लीजिए। इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है ? आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने इस दर्द को समझा। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड सब लोगों को दिया, जिसमें 5 लाख रुपये तक की योजना के अन्तर्गत उनको व्यवस्था दी गयी। और मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत मेरे द्वारा मैं अभी कलकुलेट नहीं किया हूं, सैकड़ों लोगों को आदरणीय योगी जी के द्वारा सुविधा दिलायी गयी है, उनको सहयोग कराया गया है, अभी एक मैसेज आया है कि एक महीने से कम समय के अन्तर्गत उस व्यक्ति को सहयोग धनराशि अस्पताल के खाते में पहुंच गयी है ऐसा कार्य

हमारी सरकार ने किया है, आदरणीय मुख्य मंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत-से लड़के पढ़ाई-लिखाई में बड़े अच्छे हुआ करते थे लेकिन उनको योजनायें नहीं मिल पाती थीं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी। मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत जितने लोग आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0, जे0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0ए0, इतने प्रकार के जितने भी कम्पटीशन के लड़के हुआ करते थे वह खर्चा नहीं वहन कर सकते थे, उनके लिए हर मण्डल मुख्यालय में कोचिंग सेण्टर चलाया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का ख्याल रखिये। संक्षेप करें।

श्री करण सिंह पटेल-

उनके साक्षात्कार के लिए और उनकी परीक्षा में सलाह के लिए इस प्रकार की योजनायें यह सरकार दे रही है कोई भी व्यक्ति के लिए ऊँच-नीच नहीं, धर्म-जाति-सम्प्रदाय नहीं, सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास। अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं और बता देना चाहता हं, क्षमा करेंगे मैं आपके आदेशों का पालन करता हूं और करता रहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद।

श्री करण सिंह पटेल-

जब तब हम इतिहास नहीं देखेंगे तब तक वर्तमान में कार्य करके भविष्य को नहीं बना पायेंगे। अधिष्ठाता महोदय यहां पर 700 ई0 में विदेशी आक्रान्ताओं ने हमला कर लूटपाट चालू किया। 500 वर्षों बाद 1200 ई0 में यहां पर विदेशियों का साम्राज्य कायम हुआ। 500 वर्षों में जो लोग महान लोगों को बता दिये, अक्रान्ताओं को, यहां लूटेरों को, 500 वर्षों में यहां के वीरों का कोई भी इतिहास नहीं मिलता है कि कौन-से वीर थे जो 500 वर्षों तक यहां पर विदेशियों को रूकने नहीं दिये, उनको खदेड़ दिया करते थे, यहां के एक योद्धा टर्की तक दौड़ा कर ले गये थे। अधिष्ठाता महोदय जल शक्ति विभाग को 25050 पुलों का अभी परसों आदरणीय योगी जी वर्चुअल मीटिंग के द्वारा शिलन्यास किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ बाते हैं। बिन्दकी नगर में बाईपास बनवा दिया जाय काफी दिन से पेण्डिंग है, वहां बहुत दिक्कतें आती हैं। आदमपुर घाट, गंगा नदी में पैन्टून पुल की व्यवस्था करा दिया जाय। स्पोर्ट कालेज, फतेहपुर में अर्धनिर्मित है उसको पूरा करा दिया जाय और बिन्दकी तहसील में निरीक्षण भवन का निर्माण कराया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बात करने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय वर्तमान

विधान सभा के गठन के दिन से अब तक सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस नये उत्तर प्रदेश का मार्ग प्रशस्त किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है। श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की जो उपलब्धियां गिनायी हैं वह उत्तर प्रदेश के इतिहास की नयी इबारत हैं। वर्तमान सरकार राम राज्य की उस संकल्पना को मूर्त रूप दे रही है, जहां नही कोई दुखी, दरिद्र न दीना का भाव है। आज दिवंगत पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी को प्रसन्नता हो रही होगी कि आज उनके सपनों के भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय कोरोना के वैश्विक संकट से निपटने में उत्तर प्रदेश ने जो कीर्तिमान बनाया है, उसकी चतुर्दिक प्रशंसा हो रही है। लॉक डाउन की अवधि में हमारे वैरियर्स ने जिस मानवता का प्रदर्शन किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है।

कोटा के छात्र-छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपद पहुंचाना हो अथवा कोरोना संकट के दौरान कानून व्यवस्था, परिवहन और लोक स्वास्थ्य का विषय, हर मोर्चे पर सरकार ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। मैं स्वयं एक चिकित्सक होने के नाते इसकी गम्भीरता को समझता हूं, त्वरित निर्णय की क्षमता के साथ इलाज और बचाव का प्रयास जो माननीय मुख्य मंत्री जी की कार्यकुशलता है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाये, वह कम है। स्वयं प्रधानमंत्री जी और डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी इसकी प्रशंसा की है। लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी पूरी संवेदनशीलता दिखाई। इसी बीच अयोध्या में भव्य श्रीराम मन्दिर के निर्माण कार्य का शुभारम्भ हुआ तथा प्रदेश में पूरी शान्ति रही, यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं दो-तीन प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बाढ़ से लेकर भयावह जाम की समस्या रहती है। वर्षों से यह मांग की जा रही थी कि चौक के पक्का पुल से आई0आई0एम0 तक मजबूत तटबंध और वैकल्पिक मार्ग बनाया जाय। सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेकर सरकारी तंत्र में यह मांग दशकों से उलझी थी। इस विषय की गम्भीरता को माननीय मुख्य मंत्री जी ने समझा और इकाना स्टेडियम से आई0आई0एम0 बाईपास तक गोमती तट के सहारे तटबंध और मार्ग बनाने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। तकरीबन इक्कीस सौ करोड़ की यह परियोजना पूर्ण होने से न केवल लखनऊवासियों को भयंकर जाम से निजात मिलेगी बल्कि फैजुल्लागंज क्षेत्र को बाढ़ और बीमारियों के प्रकोप से सदा के लिए मुक्ति मिल जायेगी। वर्षों से चली आ रही समस्याओं के समाधान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उदारता दिखाई है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और लखनऊ उत्तर क्षेत्र की जनता की ओर से उन्हें हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस लम्बे पथ को जो लखनऊ की जीवन रेखा बनेगी, उसका नाम भारत रत्न पं0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने की कृपा करें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल महोदय ने राज्य के चतुर्दिक विकास का जो खाका अपने अभिभाषण में खींचा है, उसका जीता जागता प्रमाण मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से देना

चाहता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, बिजली, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की यह एक बानगी है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में नये आई0टी0आई0 कॉलेज की मांग चल रही थी जो सरकार शीघ्र पूरा करने जा रही है। राजधानी लखनऊ का फैजुल्लागंज क्षेत्र डेंगू, मलेरिया से प्रभावित जोन है। सरकार ने उस क्षेत्र में 100 बेड का नया अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया है, जिसका शिलान्यास शीघ्र अपेक्षित है। इसके साथ ही अलीगंज के अस्पताल के उच्चीकरण का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। जानकीपुरम क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए बनाई गई पेयजल परियोजना लम्बे समय से लटकी हुई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी की उदारता से तकरीबन 19 करोड़ की यह परियोजना जो लगभग पूरी हो चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि इसी के साथ फैजुल्लागंज की पेयजल परियोजना भी जो सरकार मे विचारधीन है, उसे भी सरकार जल्दी ही पूरा करायेगी। मान्यवर, लखनऊ की बढ़ती आबादी को देखते हुए वाटर वर्क्स की आवश्यकता है। मैंने सदन की पिछली बैठक में भी यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुर्सी रोड पर नये वाटर वर्क्स का जो उपहार देने का विचार किया है, वह लखनऊ की पेयजल व्यवस्था को बहुत बड़ा सम्बल प्रदान करेगा। इसी प्रकार सरकार ने आदि गंगा मां गोमती के तट पर गऊ घाट में एस0टी0पी0 स्थापना सुनिश्चित की है। मुझे विश्वास है कि घैला में भी एक एस0टी0पी0 का विचार सरकार कर रही है, जिसे निश्चित रूप से पूरा करेगी। इतना ही नहीं, विश्व मानचित्र पर अंकित लखनऊ के चौक क्षेत्र को सजाने-संवारने का जो काम सरकार ने किया है, वह अभूतपूर्व है।

कौण्डिल्य ऋषि के आश्रम, कुड़ियाघाट और हुसैनाबाद की ओर जाने पर यह अहसास हो जायेगा कि आप अलौकिक क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहां पर बहुत शीघ्र ही म्यूजिकल फाउण्टेन का उद्घाटन भी होने वाला है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और समूचे मंत्रि-मण्डल को आभार व्यक्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कथनी और करनी के भेद को मिटाया है। पिछले वर्षों में जो कार्य किये हैं और कार्य करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई गई है, वह अभूतपूर्व है। सबका साथ सबका विकास के नारे को अमलीजामा पहनाया है। राज्य में स्टार्टअप, युवा उद्यमिता तथा मेक-इन-यू0पी0 को बढ़ावा दिया गया है। इन्वेस्टर्स समिट के परिणाम दिखने लगे हैं, राज्य में निवेश बढ़ रहा है। पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस का मार्ग भी प्रशस्त किया जा रहा है। राज्य में नये हवाई अड्डों का निर्माण और विश्वस्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग फल-फूल रहा है। ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया अपनाने को लेकर यू0पी0 को देश में प्रथम स्थान मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। रोजगार सृजित हुए हैं,

ओ0डी0ओ0पी0 की योजना से कारीगर लाभान्वित हो रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने श्रम की महत्ता का शाश्वत अभिनन्दन किया है तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नीरज जी कृपया संक्षेप करें।

डा0 नीरज बोरा-

विद्युत व्यवस्था पटरी पर है, सौर ऊर्जा नीति से पूरा प्रदेश जगमगा रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुल मिलाकर प्रतिकूल स्थितियों में भी संतुलन बनाकर सरकार ने राज्य के समग्र विकास में जो बुनियाद रखी है वह मील का पत्थर है। मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ जोड़ना चाहता हूं कि -

खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुंआ बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं।
ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों और अपने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सहमति व्यक्त करते हुए तथा अपने विधायक माननीय योगेन्द्र उपाध्याय जी, मुख्य सचेतक के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, वन्दे मातरम्।

(सदस्या श्रीमती सुषमा पटेल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मसूद अख्तर-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी और बी0एस0पी0 की ओर से बोल चुके हैं, अब कांग्रेस का नम्बर है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मसूद जी आपको बाद में बोलने का अवसर दे देंगे, माननीय सदस्या महिला हैं और उन्हें जाना भी है इसलिए उनको पहले अवसर दे दिया है।

श्रीमती सुषमा पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों, कार्यों और उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की है और यह एक संसदीय परम्परा भी है। लेकिन

मान्यवर, वास्तव में अगर देखा जाय तो इस अभिभाषण और जमीन की हकीकत बिल्कुल अलग है। अभिभाषण के किताबी दावों के पीछे एक स्याह हकीकत है। सरकार में बैठे नौकरशाह सरकार के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और सरकार वही आंकड़े सदन में प्रस्तुत करके अपनी पीठ ठोक रही है। मान्यवर, सरकार या तो सच्चाई का सामना करना नहीं चाह रही है या फिर सच्चाई से मुंह फेर रही है। इसके लिए अदम गोण्डवी की यह लाइन बिल्कुल ठीक बैठ रही है कि-

तुम्हारी फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है।
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।।

माननीय अधिष्ठाता जी, चूंकि मैं एक महिला हूं इसलिए महिलाओं के मुद्दे से अपनी बात प्रारम्भ करूंगी। अभिभाषण में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2020 में महिला सुरक्षा के प्रयासों से बलात्कार में 18 परसेंट, शीलभंग में 20 परसेंट और अपहरण की घटनाओं में 26 परसेंट की कमी आयी है। मान्यवर, मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि क्या बलात्कार जैसी जघन्य घटना को 18 परसेंट कम बताकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई ? क्या इस प्रकार के आंकड़े सदन में प्रस्तुत करके महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार यह कहना चाह रही है कि पहले 100 महिलाओं का बलात्कार होता था, हमारी सरकार में 18 परसेंट कम हो रहा है। मान्यवर, इससे अधिक शर्म की बात हो ही नहीं सकती, इस प्रदेश में जब तक एक भी महिला का बलात्कार होता रहेगा। इस प्रदेश में जब तक एक भी बच्ची का बलात्कार होता रहेगा, तब तक सरकार कैसे अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट सकती है ? मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करती हूं कि इस प्रकार के आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये, क्योंकि महिला उत्पीड़न और बलात्कार की घटना कोई उत्सव नहीं है कि इसका सदन में ढिंढोरा पीटा जाए।

मा0 अधिष्ठाता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कानून व्यवस्था और विशेष कर महिला सुरक्षा का है। पूरे प्रदेश में महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दिन-दहाड़े बेटियों की हत्याएं हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकार आंकड़े गिनाने में व्यस्त है।

मान्यवर, हाथरस में एक दलित समाज के बेटी की हत्या कर दी गयी, जिस पर पूरा प्रदेश आक्रोशित हुआ और सरकार के जिम्मेदार अधिकारी घटना के अपराधियों को बचाने में लगे रहे। यह किसी एक जिले की घटना नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में यही हो रहा है और सरकारी तंत्र आंख पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है, बल्कि उल्टे पीड़ितों को धमकाया जा रहा है ताकि सरकार की छवि खराब न हो। सरकार यदि नौकरशाही का चश्मा उतारकर देखे तो वास्तविकता उन्हें समझ में आयेगी कि पूरा प्रदेश अपराध और महिला अपराध की आग में जल रहा है।

मान्यवर, अभिभाषण में महिलाओं से सम्बंधित एक दूसरा बिन्दु प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस बल में 20 प्रतिशत महिला कर्मियों की भर्ती की गयी है। मैं बताना चाहती हूं कि पूरे प्रदेश के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें महिलाओं से जुड़े फरियादियों की सुनवाई होती है। प्रदेश के किसी भी थाने में महिला कर्मियों और महिला फरियादियों से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं, जैसे महिला शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। मेरी अपनी विधान सभा में विभिन्न थानों की महिला कर्मियों ने मुझे अपनी समस्याएं बतायी हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अपेक्षा करती हूं कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाये, जिससे महिलाओं की गरिमा और उनके सम्मान की सुरक्षा हो सके।

मान्यवर, मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगी कि इस प्रदेश का किसान इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, तो इस प्रदेश में सबसे अधिक पीड़ित, बेहाल और बदहाल किसान ही है। गन्ने की खेती इस प्रदेश में चीनी उद्योग का आधार है, लेकिन इधर लगातार तीन सालों में सरकार ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एक भी रुपये की बढ़ोत्तरी नहीं की है, जबकि यह सभी जानते हैं कि इधर तीन वर्षों में यूरिया और फर्टीलाईजर के दाम बढ़े हैं। डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बाद भी गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। वास्तव में यह सरकार किसानों की है ही नहीं, यह सरकार पूंजीपतियों की है, बड़े-बड़े चीनी मिल मालिकों/उद्योगपतियों की है और यह सरकार उन्हीं के लिए काम करती है। मान्यवर, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी कि कक्षा-1 से 08 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

सुषमा जी, संक्षेप करिये।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पिछड़ी जाति के लगभग 50 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति और फीस का पैसा नहीं मिला है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी है। 'बालिका शिक्षा मदद योजना', 'बालिका आशीर्वाद योजना', 'पढ़े बेटिया, बढ़े बेटियां', 'कन्या विद्या धन' जैसी कितनी योजनाएं राजनीतिक कारणों से बन्द कर दी गयी हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन दर लगभग 50 प्रतिशत कम हो गया है। विशेष कर एस0सी0/एस0टी0 और ओ.बी.सी. की बच्चियां पढ़ नहीं पाती हैं, क्योंकि न तो उनको छात्रवृत्ति मिल रही है और न ही उनको फीस का पैसा मिल पा रहा है। मान्यवर, सरकार की ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' का नारा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि न तो बेटियां बच पा रही हैं और न ही पढ़ पा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता-

सुषमा जी, समाप्त करिये।

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। मान्यवर, मैं युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहती हूं। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि सरकार आंकड़े गिनाने में व्यस्त है। वास्तव में इस देश का, इस प्रदेश का युवा बेरोजगार है और निराश है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर पी0एच0डी0, एम0बी0ए0 डिग्री धारी व्यक्ति भी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी की लाइन में खड़ा हुआ है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। आयोग की भर्तियां कई-कई वर्षों तक लम्बित पड़ी हुई हैं। लोक सेवा आयोग तो नित नये नये नियम बनाकर पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को रोक दे रही है। मान्यवर, अभी हाल ही में खण्ड शिक्षा अधिकारी का अंतिम परिणाम जारी हुआ था जिसमें अभी हमारे माननीय विधायक जी बोल रहे थे जिसमें ओ0बी0सी0 के 27 परसेन्ट की जगह मात्र 15 प्रतिशत छात्र ही चयनित होकर आये हैं जबकि हमारे बहुत सारे छात्र सामान्य श्रेणी में भी चयनित हुआ करते थे। मान्यवर, पिछले साल कोरोना की आड़ में खण्ड विकास अधिकारी की भर्ती लोक सेवा आयोग से न कराकर सीधे संविदा के आधार पर कराने का विज्ञापन जारी कर दिया गया जिससे भ्रष्टाचार कर अधिकारी मनमाने ढंग से अपनी भर्तियां कर सकें। इस मामले को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संज्ञान में लाई थी। मान्यवर, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार आंकड़े गिनाने में व्यस्त हैं। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देती हूं और कहती हूं कि -

'सबको मालूम है जन्नत की हकीकत,

लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब यह ख्याल अच्छा है।'

श्री शीतल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिये आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, आज प्रदेश सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे किसान, मजदूर, गरीब और गांव में खुशहाली का रास्ता बढ़ रहा है क्योंकि यह जो सरकार है इसका एक ही मकसद है गांव, गरीब और किसान। किसी भी राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। जब गांव का विकास होगा, गांव में सड़कें अच्छी रहेंगी, गांव में शिक्षा का प्रबन्ध होगा, जब गांव में चिकित्सा का प्रबन्ध होगा तब ही गांव का विकास होगा।

(विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा टीका-टिप्पणी करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री शीतल पाण्डेय-

आज जो शहर रोशन हो रहा है हमारे गांव की ही वजह से हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

शीतल जी, आप पीठ की तरफ बोलें।

श्री शीतल पाण्डेय-

हमारी मेहनत, हमारे गांव से दूध, हमारे गांव से सब्जी, सब कुछ तो हम आपको मुहैय्या कराते हैं। आपके चेहरे की लाली गांव वालों की वजह से है। हमारे बचपन के यहां कई साथी रहे हैं। हमारे भाषण से इनके मन में गुदगुदी होती है। मैं यह कह रहा हूं कि गांव, गरीब और किसान के प्रति यह समर्पित सरकार है और गांव के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है। अब गांव में आज जो विकास चल रहा है उससे किसान खुशहाल है। किसानों को अच्छे उत्पादन के लिये आज उनको हर सुविधा मुहैय्या कराई जा रही है। सरकारी ट्यूबवेल, सरकारी नहर जितने भी हैं आज समय से चल रहे हैं। उनको सिंचाई में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। पिछली सरकारों में जब हम लोग प्रदेश के बार्डर में प्रवेश करते थे तो जहां से अँधेरा शुरू होता था वह सपा की सरकार का प्रतीक था, बसपा की सरकार का प्रतीक था। कांग्रेस तो उसकी सहयोगी पार्टी है। इस सरकार में कम से कम 18 से 22 घंटे बिजली गांव में मिल रही है और इसका नतीजा यह हुआ कि बिजली मिलने के कारण किसान ने अपने खेतों की सिंचाई की। डीजल कम लगा और बिजली मिली किसानों को। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों का उत्पादन बढ़ा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन बढ़ा है। किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है। हमारी सरकार ने क्रय केन्द्रों की स्थापना की है किन्तु अन्य सरकारों में बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण होता था। उनकी फसल को औने-पौने दाम में खरीद लिया जाता था। हमारी सरकार ने बिचौलियों को समाप्त करने के लिए क्रय केन्द्रों की स्थापना की है। आज कोई कह रहा था कि 1100-1200 रु0 में हमारे क्रय केन्द्र पर धान और गेहूं बिका है पर मैं कहता हूं कि 1868 रुपये और 1900 रु0 में धान और गेहूं बिका है। आप लोगों को किसान से कोई मतलब नहीं है न किसानी से मतलब है। आप लोगों को केवल विरोध से मतलब है। समाजवादी पार्टी केवल भाषण में विश्वास करती है, व्यावहारिक जगत में उसको विश्वास नहीं है। इनके राज में सभी स्कूल कालेज बन्द थे। स्कूल कालेजों में ताला लगा था, चिकित्सालय नहीं खुलते थे, कार्यालय में लोग मौज-मस्ती करते थे, लेकिन धन्य हो योगी जी की सरकार को, जब से योगी जी की सरकार आयी है आप किसी भी जिले में चले जाइये आप देखेंगे कि कार्यालय 10 बजे खुल जाते हैं, कर्मचारी/अधिकारी समय से पहुंच जाते हैं, यह अनुशासन है। हमारी सरकार ने अनुशासन को पैदा किया है। आपके राज में सड़कों पर निकलना दुर्लभ था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री शीतल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इनकी सरकार में मास्टर अगर स्कूल गया है तो घर आ पायेगा यह गारण्टी नहीं है। आपका बच्चा स्कूल गया है वह घर वापस आयेगा गारण्टी नहीं है, आपकी बच्ची पढ़ने गयी है, वह घर वापस आयेगी यह गारण्टी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री शीतल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे शुरू किये हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

2 मिनट नहीं 6 मिनट से बोल रहे हैं। मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री शीतल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछली सरकार में कानून व्यवस्था जंगलराज थी। आज कानून व्यवस्था की हालत में सुधार हुआ है। केवल मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करता हूं।

''रात शबनम ने कहा फूल से रोते-रोते।
तू भी मिट जायेगा धूप के होते-होते।।''

हमारे विपक्ष के भाइयों राज्यपाल महोदया पर आप लोगों ने कागज का गोला फेंका था, उनका अपमान किया था। यहां पर कुर्सियां चली थीं। मा0 अध्यक्ष श्री केसरी नाथ त्रिपाठी जी का सिर भी फटा था।

''कहां जाकर छिपाओगे यह खूनी चेहरा।
उम्र ढल जायेगी यह दाग धोते-धोते।।''
''हमी को कत्ल करते हैं, हमी से पूछते हैं वो,
शहीद-ए-नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है।।''

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि वैश्विक महामारी कोरोना ने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया है किन्तु मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं जिनके कुशल नेतृत्व और मजबूत इच्छाशक्ति के कारण 24 करोड़ आबादी

के उत्तर प्रदेश ने कोरोना को अत्यन्त प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी ने और WHO ने भी की है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगारों की व्यवस्था के साथ-साथ मुफ्त राशन व प्रति श्रमिक के खाते में एक हजार रुपये भेजने की आपने व्यवस्था की है। राजस्थान में कोटा से और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लगभग 26 हजार छात्र-छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का कार्य भी मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा किया गया है। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनन्दन करता हूं। अयोध्या में भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी का मंदिर निर्माण हो रहा है मैं कहना चाहूंगा कि जब कभी डिबेट होता था डिबेट पर जब लोग बैठते थे तो इस बात को कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे लेकिन हम लोगों ने शुरू से इस बात को कहा कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे और आज यह चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं हमारी सात-आठ पीढ़ियां इस मंदिर निर्माण के संघर्ष में जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उन सभी का हृदय से अभिनन्दन करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि आज हम सब उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चन्द्र जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसके हम सब साक्षी होंगे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चन्द्र जी का भव्य मंदिर बने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों की पूरे देश के लोगों ने प्रसंशा की और प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में मंदिर निर्माण का शिलान्यास कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुआ जिसकी पूरे देश के लोगों ने प्रसंशा की है। कानून व्यवस्था में सुधार होने के कारण आज उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश हो रहा है, अगर मैं अवैध कब्जे जो जमीनों पर हो रहे थे उसकी बात करूँ तो सार्वजनिक भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाए गए और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस अभियान में अब तक 67 लाख 79 हजार हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का भी कार्य हमारी सरकार ने किया। आज हम विकास की बात करें तो पूरे प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछ रहा है साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का भी काम प्रगति पर है और गंगा एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण कार्य भी प्रारम्भ होने की स्थिति में है। आज उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में हमारे जो हवाई अड्डे थे वह किसी से नहीं छिपा है कि कितने संचालित थे लेकिन आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पांच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और सात हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त पांच हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और सहारनपुर, झांसी, मेरठ, ललितपुर में भी कार्यवाही प्रारम्भ है तथा जेवर में विश्व स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास कराया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो

सुविधाएं दी हैं इससे कम समय में हमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आवागमन की जो सुविधा प्रदान की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करता हूं। प्रदेश में 2017 तक राजकीय मेडिकल कालेज संचालित थे जबकि वर्तमान में 30 जिलों में मेडिकल कालेज का निर्माण प्रगति पर है और गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो इन्सेफेलाइटिस बीमारी से न जाने प्रतिवर्ष कितने हजारों बच्चों की मौतें होती थीं आज उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है उसमें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज का जो आंकड़ा है वह दहाई में है। इस समय स्थिति यह है कि 79 बच्चों की ही मौत हुई है जो कभी हजारों में मौतें होती थीं इसलिए मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को जो इस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी योजना अभ्युदय योजना जो हमारे गांव के गरीब बच्चे हैं जिनके पास साधन का अभाव है वह सुविधा सम्पन्न नहीं हैं उनके लिए भी उनकी इच्छा है कि सिविल सेवा, पी0सी0एस0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, जे0ई0 की परीक्षा के चयन हेतु वह पढ़ाई कर सकें इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच इस बात को दर्शाती है कि गांव में जो हमारा गरीब किसान है उसके बच्चे को भी वही सुविधा मिले यह अभ्युदय योजना अपने आप में एक मिसाल है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक तरफ देश के कुछ हिस्से में देश के किसान कृषि कानूनों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी लगातार किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। पिछले 04 सालों में किसानों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। सत्ता में आते ही 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का जो कर्जा माफ हुआ वह अपने आप में यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति कितनी सतर्क है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 02 करोड़ 40 लाख किसानों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 27 हजार 134 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में भेजे गये। मान्यवर, यह 6000 रुपये जो उनके खाते में भेजे गये, जब किसान को अपनी खेती करने का समय आता है तो वास्तव में उसे रुपयों की बहुत जरूरत पड़ती थी। चाहे केन्द्र हो या प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की जब-जब सरकार आयी है, अगर किसान क्रेडिट कार्ड किसी ने देने का कार्य किया है तो मा0 राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड देने का कार्य किया था। यह विपक्ष में बैठे हुये लोग यह बता दें कि किसानों के हित में उन्होंने एक भी निर्णय लिया है ? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जो विश्व गुरू बनने का सपना देख रहा है, हमारे शीतल पाण्डेय जी ने कहा कि अगर देश का विकास होना है तो हमारे गांव के अंतिम पायदान पर बैठे हुये व्यक्ति के चेहरे पर जब मुस्कान आयेगी तब जा करके इस देश का विकास होगा, क्योंकि विकास का रास्ता गांव, खेत और खलिहान से होकर जाता है, जिसके बारे में हमारी सरकार ने चिंता की है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 महेन्द्र जी, अब आप समाप्त करें। मा0 मसूद अख्तर जी।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, हमारी सरकार ने कृषि निवेश पर 1222 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया है। गन्ना की अगर बात करूं तो पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन बसपा और सपा की सरकारों में चीनी मिलों को केवल बेचने का कार्य किया गया। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद चीनी मिलों का संचालन जिस तीव्र गति से हुआ, मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में चीनी उत्पादन में 50 परसेंट की हिस्सेदारी रखता है और 119 चीनी मिलों का संचालन लॉकडाउन में भी हुआ और आज हम शत-प्रतिशत गन्ना किसानों का भुगतान भी कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 महेन्द्र जी, धन्यवाद। अब आप बैठें। मा0 मसूद अख्तर जी।

श्री महेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, बस दो मिनट। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति के सिर के ऊपर छत होगी, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का वायदा है। मैं यह दावा करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वह करके दिखा रहे हैं और सबको आवास, सबको शौचालय, सबको बिजली यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार निरंतर गांव, गरीब, किसान के हितों में लगातार कार्य कर रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 मसूद अख्तर जी।

श्री मसूद अख्तर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं अपने आपको मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी, मा0 नेता कांग्रेस तथा मा0 नेता सुहेलदेव पार्टी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। कोरोना महामारी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से दूसरे देशों से यह बीमारी यहां आयी है और इससे लड़ने के लिये जिस तरह का प्रबन्धन इसके खिलाफ हमारे देश में किया गया और जिस तरह से इसको कंट्रोल किया गया मैं उसके लिये बधाई दूंगा, लेकिन अगर सर्वदलीय बैठक में इस पर राय-मशविरा करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती तो शायद इससे पहले यह कंट्रोल हो जाता। मैं इसके बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे नेता राहुल गांधी

जी ने बहुत पहले कहा था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अगर रोक दिया जाये और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारेंटाइन कर दिया जाये तो यह बीमारी आगे न फैलती। जिस तरह से यह बीमारी आगे फैलने का काम हुआ और अमीर लोगों से गरीब लोगों तक यह बीमारी फैलने का काम हुआ और जिस तरह से सड़कों पर हमारे मजदूर भाइयों ने अपनी जान गंवाई और उनके पैरों में छाले पड़ गये और 20-20, 30-30 घंटों तक लगातार पैदल चलकर वह अपने घरों तक पहुंचे, शायद वह उनके साथ न होता। मा0 अधिष्ठाता महोदय, किसानों के बारे में मैं चार साल से सुन रहा हूँ कि किस तरह से उनकी आय को दोगुना करने के बड़े-बड़े वायदे सरकार द्वारा सदन में किए जाते हैं और वह सारे वायदे खोखले साबित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है और यहां पूरे देश के मुकाबले 50 प्रतिशत रकबा गन्ने का है उत्पादन भी लगभग 50 प्रतिशत है तथा चीनी उत्पादन भी पूरे देश में लगभग 38 प्रतिशत है, लेकिन उसके अनुपात में 3 सालों से एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया है और उसके उलट खाद के दाम यूरिया, डी0ए0पी0 और डीजल के दाम जिस तरह से बेतहासा बढ़ाये गये हैं वह किस तरह से किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे ? इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर वह किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल करके दिखायें और किसान की आय को सही मायने में दोगुना करके दिखायें तब हम मानेंगे कि हां इस सरकार ने किसानों के लिए सही मायने में कुछ करने का काम किया है। बिजली के मामलों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, मेरी बात से हमारे सामने बैठे मा0 मंत्री जी इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरह से गरीब किसानों पर बिजली के बकाये के रूप में मुकदमें होने का काम हो रहा है, जिस तरह से जे0ई0 और एस0डी0ओ0 के तहत ठेकेदार छूटे हुए हैं और उनको पकड़ कर लाते हैं और जो पैसे दे देता है उसको छोड़ने का काम किया जाता है, नहीं तो उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 कर दी जाती है। जिस किसान का 5 हजार रुपया बकाया होता है उसका कनेक्शन चोरी के नाम पर काट दिया जाता है और उस पर 50-50 हजार, एक-एक लाख और दो-दो लाख रुपये तक का जुर्माना कर दिया जाता है। क्या इसी तरह से किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही जाती है ? मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल गलत है। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में अपनी ही पीठ थपथपाने का काम करती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इसके बारे में हमारी बहन सुषमा जी ने और उससे पहले भी अन्य लोगों ने बताया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश हर मामले में प्रथम स्थान पर है फिर चाहे वह क्राइम हो, अपहरण हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, बच्चों के खिलाफ अपराध हो या फिर किशोरियों का अपराध हो, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध और अत्याचार में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। इसी तरह से आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार में, साइबर क्राइम में हम दूसरे स्थान पर हैं। राज्य के

खिलाफ अपराध में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। यह कानून की स्थिति है। मान्यवर, अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने कहा था कि महिलाओं के बारे में हमने बहुत कुछ किया है। महिला अपराध को रोकने में वास्तविकता यह है कि भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ अत्याचार की जितनी घटनायें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उतनी घटनायें पूरे देश में कहीं पर भी नहीं हो रही हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार में महिला अपराधों की संख्या भी देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि दलित उत्पीड़न में भी एम0सी0आर0बी0 के आंकड़े बताते हैं कि दलित उत्पीड़न के मामलों में भी काफी वृद्धि हुई है। 2019 में पूरे देश में दलित उत्पीड़न के मामलों में अत्यधिक मामले उत्तर प्रदेश के हैं। आखिर में मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में यहां पर बोल कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की समस्याओं को इस संशोधन प्रस्ताव में जोड़ने का काम करें, मान्यवर, जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका के ग्राम पाली से ग्राम महमूदपुर तिवाई तक सड़क निर्माण, ग्राम ददरौली को नगर पंचायत बनाने का दर्जा दिया जाये। ब्लाक पुवांरका के ग्राम मथाना की पुलिया से ग्राम धनकपुर तक सड़क निर्माण किया जाये, ब्लाक पुवांरका के ग्राम बालेली से ग्राम महमूदपुर तिवाई तक पक्की सड़क बनवाई जाये। ब्लाक पुवांरका के ग्राम बटनवाला में सड़क के किनारे तालाब के दीवारों का निर्माण कराया जाये। मैं अनुरोध करता हूं कि जो इन संशोधन प्रस्ताव में मैंने विकास कार्य दिये हैं इनको पूर्ण कराने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह-

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं लोक कल्याणकारी उनकी जनप्रिय सरकार को धन्यवाद दूंगा जिसके विषय में उसकी नीतियों तथा कार्य प्रणाली और जनता के हितों के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने सदन को अवगत कराया है। महोदय मैं सदन के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय दूर-दृष्टया और कुशल प्रशासक जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को, जिनकी दूर-दर्शिता और इच्छा शक्ति से समय रहते ही वैश्विक महामारी कोरोना की विभीषिका को जानकर-समझकर रोकने हेतु उन्होंने उचित निर्णय लिया है। महोदय मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने लोकप्रिय, जनप्रिय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के समय जब लोग उसके डर से घरों के बाहर निकलते नहीं थे, आम जन की बात तो दूर अपने सगे सम्बन्धियों तक से बात नहीं करते थे, उस समय हमारे मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जनपदों का दौरा करके डाक्टरों, पुलिस वालों,

प्रशासन और कोराना वारियर्स के बीच में जाकर व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करते हुए स्वयं कोरोना के वार्डों में दौरा करके उन्हें उत्साहित किया करते थे। महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्साह और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, डाक्टर सभी जिम्मेदार कर्मचारीगण तो लगे ही थे। महोदय उस विपत्तिकाल के समय जब कोई भी विपक्ष का नेता डर के मारे उनके बीच में नहीं जाता था, सेवा करने की बात तो छोड़ दीजिए ऐसे समय में हमारी पार्टी के लोग कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किये बिना रात दिन जरूरतमंदों की सेवा में लगकर लोगों की मदद किया करते थे, जान बचाई है। महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने साहस और बहादुरी के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा यू0पी0 के लोगों को बाहर करने तथा दवा इत्यादि बन्द करने पर उन्हें सम्मान सहित उनके घर ले आने का निर्णय भी किया, उन्हें घर तक पहुंचाया, लोगों की जान बचाई और यहां आने पर उन्हें रोजगार, राशन, दवा देकर एक पुनीत कार्य किया है। मुख्य मंत्री जी ने विपत्ति के समय केवल अपने ही प्रान्त के लोगों को नहीं बाहर से ले आये बल्कि बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रदेशों के लोगों को भी उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। महोदय, इस महामारी के समय जब लोगों के कारोबार बन्द हो गये थे, कल-कारखानें फैक्ट्रियां बन्द हो गयीं थीं, गरीबों मजदूरों के पास राशन, दवा के पैसे नहीं रह गये थे उस समय हमारी केन्द्र और राज्य की सरकारों ने मुफ्त में राशन, गैस, नरेगा के मजदूरों को पैसा तथा बाहर से आये हुए प्रवासियों के खातें में नगद पैसा देकर उनके लिए मदद करने का बड़ा काम किया है। महोदय, प्रदेश में गुण्डाराज को समाप्त कर हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। हमारी सरकार प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के रास्ते पर तेजी से चल रही है। इसी का परिणाम है कि पिछली सरकारों के शासनकाल से हत्या, लूट, डकैती, अपहरण तो कम हुए ही हैं महिलाओं के साथ अत्याचार, छेड़छाड़ की घटनाओं में भी तेजी से कमी आई है। महोदय, आज अपराधी डरे और सहमें हैं, भयभीत हैं बड़ी संख्या में ऐसे लोग खुद बेल तुड़वाकर जेलों में भाग गये हैं और कुछ तो प्रदेश छोड़कर ही भाग गये हैं और यहां आने का डर के मारे नाम नहीं ले रहे हैं। महोदय, पहले नारा लगा करता था कि बिजली पानी दे न सके जो वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। महोदय, हमारी सरकार ने इस नारे को ही समाप्त कर दिया है। बिजली को 20 से 24-24 घण्टे देकर उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिचांई की समस्या को ही समाप्त कर दिया है। नये कानून और प्रोत्साहन नीति बनाकर उद्योगों को बढ़ावा दिया है।

इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में उद्योगपति परियोजनायें स्थापित करने के लिए दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत तो हो ही रही है, साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के विजन को ध्यान में रखकर समावेशी, सतत् एवं संतुलित विकास के उद्देश्य से नीतियों को लागू कर रही है। सरकार कल्याणकारी नीतियों,

योजनाओं और कार्यक्रमों से आमजन में लोकप्रिय हो चुकी है। सरकार की कार्य-प्रणाली से माननीय योगी जी के ऊपर जनता को पूरा विश्वास है। महोदय, माननीय योगी जी की सरकार ने बड़ी-बड़ी सड़कें जैसे पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर किया है, वहीं गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो चुकी है। साथ ही पूरे प्रदेश के हर जिले में सड़कों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। महोदय, इससे आमजन के साथ-साथ किसानों को भी अपने उत्पाद मण्डी तक ले जाने में परेशानी नहीं हो रही है और आसानी से वहां पहुंच रहे हैं। महोदय, माननीय योगी जी की सरकार किसानों की हितैषी और शुभचिन्तक तो है ही, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए अपने लक्ष्य पर अडिग भी है। पूर्ववर्ती सरकारों की गलत नीतियों के शिकार हुए किसानों की समस्याओं को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसानों के वास्तविक विकास और दोगुनी आय के लिए ठोस व्यवस्था की गई है। बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाने से किसानों के लिए सिंचाई की समस्या खत्म हो गई है और किसानों को खाद और बीज समय से उपलब्ध कराया गया है। मिट्टी की जांच की पूरी व्यवस्था की गई है। किसान सम्मान निधि प्रदान करके 24 लाख किसानों के खाते में सीधे 2700134 करोड़ रुपये भेजने का भी काम किया गया है। फसल बीमा योजना को समुचित ढंग से लागू करके कृषि बीज और यंत्रों पर भारी छूट दी जा रही है। लघु और सीमान्त श्रेणी के किसानों को निःशुल्क बोरिंग का काम भी हमारी सरकार करा रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा रही है। सरकार तमाम योजनाओं को लागू करके किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र रोहनियां, वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जहां पर विकास के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, किंतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम हैं जिनका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र रोहनियां, वाराणसी में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है इसलिये प्राथमिकता के आधार पर इनका निराकरण कराने की आवश्यकता है। 1-हमारे यहां रोहनियां से चांदपुर चौराहे तक जल निकासी 2-मणउली नाथूपुर, जलाली पट्टी तथा भूलनपुर की जल निकासी एवं ग्राम औढे से लाठियां नाले तक जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कराई जाये। 3-बाईपास से गड़वाघाट रमना तारापुर वेटावर होते हुए वाराणसी मिर्जापुर रोड करसड़ तक तटबन्ध का निर्माण कराया जाये ताकि लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। 4-हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नाथूपुर ग्राम में सैकड़ों साल से मकान बनाकर रहे रहे सैकड़ों मकान मालिकों को मालिकाना हक देकर जमीन को आबादी की भूमि घोषित की जाये। 5-हमारे यहां रोहनियां में हाईटेक किसानों की जमीन छोड़कर चली गई है इसलिये किसानों को उनकी जमीनें वापस कराई जाये। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। जय हिन्द-जय भारत।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपना अभिमत सम्मानित सदन के समक्ष रखने का अवसर मिला जिसके लिए मैं आपको आभार और धन्यवाद देती हूं। ऋग्वेद की ऋचा जिसका भाव है कि सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आये अर्थात् लेट दि नोबल थॉट्स कम टू दिस वर्ल्ड फ्राम इवरी साइड। मान्यवर, महामहिम जी के 45 पृष्ठों के अभिभाषण को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानव जीवन की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं को योजनाबद्ध तरीके से एक सूत्र में पिरोकर प्रदेश के आमजन के हितों को सुरक्षित रखते हुए अन्त्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आदरणीय योगी जी की यह सरकार प्रति पल कटिबद्ध है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महालक्ष्य की प्राप्ति में बाधाओं का आना स्वाभाविक है पर चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि संकट मोचक के रूप में इस प्रदेश को ''श्री योगी आदित्यनाथ जी'' जैसे कर्मठ, योग पुरुष मुख्य मंत्री के रूप में मिले हैं, जो असाध्य एवं जीर्ण रोगों का समुचित इलाज करने की प्रभुता रखते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उ0प्र0 का सम्यक् विकास तन्त्र अबाध गति से निरन्तर गतिमान है, फिर चाहे वह कोरोना जैसे महामारी को मात देना, प्रवासी श्रमिकों या छात्र-छात्राओं को गृह जनपद लाना, आई0सी0यू0 की व्यवस्था करना, राशन किट वितरित करना, टीकाकरण की बात हो, सभी कार्यों को बड़ी ही सहजता के साथ पूर्ण किया गया है। इसके लिए पूरा प्रदेश आदरणीय योगी जी की प्रशंसा कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की कार्यशैली से प्रदेश में जो बदलाव आ रहा है, जिसको प्रदेशवासी न सिर्फ महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसके प्रत्यक्षदर्शी भी हो रहे हैं। फिर चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हाई-वे बनाने की बात हो, हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, बिजली आपूर्ति योजना हो, सुदृढ़ कानून व्यवस्था हेतु जीरो-टॉलरेंस की नीति हो, किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि की बात हो, ऑपरेशन कायाकल्प हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की योजना हो, कन्या सुमंगला योजना हो, मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना हो, नई शिक्षा नीति हो, पर्यटन एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात हो, मुख्य मंत्री आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री जन-धन की बात हो या फिर महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात हो, महिला हेल्प-डेस्क के गठन की बात हो ऐसी तमाम अभिनव जन-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ उगते हुए प्रदेश की छवि दिख रही है, बल्कि उगते हुए भारत का दर्शन भी मिल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि आपने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मिर्जापुर जनपद हो हर घर जल योजना से आच्छादित किया और मेरे मझवां विधान सभा क्षेत्र में दो परियोजना (महुआरी एवं दांती) पाइप लाइन पेयजल योजना का शुभारम्भ हुआ है। साथ ही मैं उप मुख्य मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भी धन्यवाद देती हूं कि आप के द्वारा ब्लॉक पहाड़ी में बेलवन नदी पर पुल बनकर तैयार है, और जौसरा नाले पर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होना है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि मिर्जापुर में आकर पुल का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्य कर समस्त क्षेत्रवासियों को अनुग्रहीत करें। आदरणीय अध्यक्ष

जी, हमारी सरकार का आध्यात्मिक लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और महामहिम जी का यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश के विकास का एक संश्लिष्ट रोड मैप है जो विकास की नई सम्भावनाओं को गति देगा, जिस पर प्रदेश के मुखिया के सानिध्य में चल कर हम सब उत्तर प्रदेश के उत्थान की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र की दो समस्याएं भरपुरा रजवाहा एवं हर्रई माइनर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं। अन्त में आदरणीय सदन का अत्यधिक महत्वपूर्ण समय और न लेते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप लोगों का भाषण बिल्कुल टाइम से और सारगर्भित करें।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं सहृदय से आपका धन्यवाद करती हूं कि आज आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। जब महामहिम राज्यपाल महोदया, सरकार का जो प्रतिबिम्ब होता है उसमें राज्यपाल जी ने जो भाषण पढ़ा है, वह सरकार के प्रतिबिम्ब को बताता है, जिसमें यह पता चलता है कि सरकार का क्या उद्देश्य है और सरकार क्या काम कर रही है ? और किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी ? पर आज उस अभिभाषण में मैंने देखा और यह महसूस किया, मुझे अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि शायद सरकार कहीं न कहीं सिर्फ नौकरशाहों के चश्मों से आंकड़ों को देखकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जिस तरीके से उस अभिभाषण में कोरोना का जिक्र और पीठ थपथपाई जा रही थी कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। बहुत ही ज्यादा प्रशंसा न सिर्फ देश और प्रदेश में हो रही है, लेकिन मैं साथ-साथ यह कहना भी चाहूंगी कि कहीं न कहीं जमीनी हकीकत से कोसों दूर सरकार रही और उस कोरोना महामारी के समय में भी न जाने ऐसे कितने सारे हमारे श्रमिक मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे थे। वह इस महामारी के समय एक डर एक भय में अपने-अपने उन राज्यों में जहां वह काम कर रहे थे, जीविका का साधन खोजते हुए जहां रह रहे थे। एक डर के माहौल में वहां से बिना कुछ सोचे-समझे चल दिये। जो यह लाकडाउन अचानक से लगाया गया जिसके चलते सभी चीजों को चाहे वह बस थी या रेलगाड़ी थी, बंद कर दिया गया। आने-जाने में जो असुविधा हुयी उन बच्चों को जिनको उनकी मातायें अपने कंधो पर लादकर दिन-रात चलती रहीं, उन बच्चों को जिनको भूख से बिलखता हुआ उनके मां-पिता ने देखा। उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया और जिनके क्रिया संस्कार में जिनका चेहरा तक लोग नहीं देख पाये उनकी पीड़ा को महसूस कर

पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने कहा कि उस समय चाक-चौबंद व्यवस्थायें थीं, अस्पतालों में अच्छे बेड थे, अच्छा इंतजाम था, टेस्ट हो रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि मेरे ही जनपद सम्भल के अन्तर्गत हमारे कोरोना का इलाज कर रहे डाक्टरों में से दो-तीन महीने बाद जब वह खुद कोरोना से ग्रसित हो गये, उनका बेटा ग्रसित हो गया तो उसके बाद जब वह मुरादाबाद के सरकारी कोविड अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर इलाज के बाद जब उनकी छुट्टी की जाती है तो एक लाख दस हजार रुपये उनसे लिये जाते हैं। क्या यही व्यवस्था सरकार की है। क्या सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा सकती थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं और मेरे ही परिवार का एक सदस्य जो कोरोना से ग्रसित हुआ और जब उन्हें जिला अस्पताल सम्भल पहुंचाया गया तो वहां साफ-सफाई की बात करूं तो वहां यह आलम था कि वहां एक अंडरग्राउंड टेम्परेरी व्यवस्था की गयी थी। जहां पर बिजली-पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अगर मरीज को रखा जाये तो आप समझ सकते हैं कि उस मरीज के ऊपर क्या असर होगा। मुझे कहने में कहीं पर भी गुरेज नहीं है कि जहां पर लोग यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि सरकार कुछ काम करे। ईश्वर न करे कि किसी का कोई अपना इन बीमारियों में खो जाये और सरकारें फिर भी चश्मा लगाकर आंकड़े दिखाकर यह कहती हैं कि हमने व्यवस्थायें अच्छी की।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

मान्यवर, बस पांच मिनट। मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर वहां की व्यवस्थाओं को देखते तो जानवरों से भी बद्तर हालत उन क्वारंटीन में रह रहे मरीजों की थी। क्योंकि यह किसी के भी साथ हो सकता है।

फलसफा समझो न असारे सियासत समझो,
जिन्दगी सिर्फ हकीकत है हकीकत समझो,
जाने किस दिन हों हवायें भी नीलाम यहां,
आज तो सांस भी लेते हो तो गनीमत समझो।

सरकार ने किसानों के प्रति बोला कि हम आय दुगुनी करेंगे। किसानों को कहा कि किसान इस देश का दिल है। इस देश के दिल की अनदेखी करने का काम अगर किसी ने किया तो वह मौजूदा सरकार ने किया है। आज किसानों को इस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ता अगर उनकी आय को दुगुनी कर दिया जाता तो उनको उस तरीके से संघर्ष के लिए नहीं उतरना पड़ता, अगर उनकी फसलों का उचित मूल्य उन्हें मिल जाता। इस तरह से संघर्ष के लिए दिन-रात अपने परिवारों के साथ बार्डरों पर नहीं बैठना पड़ता, अगर कहीं पर उन

किसानों को सम्मान मिल जाता। जिस सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। सम्मान को पैसों से आंका नहीं जा सकता।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद पिंकी जी। समाप्त करें।

सुश्री पिंकी सिंह यादव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, सरकार ने नौजवानों के लिए कहीं पर नहीं सोचा है। मैं आखिर में एक बात इस सरकार के लिए कहना चाहूंगी कि-

''सियासत इस कदर आवाम पर, एहसान करती है।
आंखें छीन लेती है, फिर चश्में दान करती है।''

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आदरणीया राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण के समर्थन में मा0 योगेन्द्र उपाध्याय जी के प्रस्ताव के समर्थन व आदरणीय विक्रम जी के समर्थन पर अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। कोरोना वैश्विक महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को नियंत्रित किया है उसके लिए आदरणीय मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोरोना काल के दौरान ही मा0 प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा एवं आदरणीय मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में दिव्य और भव्य श्री राम जन्म भूमि मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जनपद कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना देने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यकाल के लगभग 04 वर्ष पूर्ण होने को हैं और उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है। मैं आप सभी के आशीर्वाद से उप-चुनाव में चुनकर आया हूं। इस सदन के माध्यम से घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। घाटमपुर नगर पालिका वर्ष 1979 में घोषित हुई है लेकिन उस नगर पालिका में न कोई पार्क है, न सीवर लाइन पड़ी हुई है और न ही खेल का मैदान है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान कराने की कृपा करें। घाटमपुर में वर्ष 1986 में शुगर मिल थी और उससे घाटमपुर के अतिरिक्त लगभग 12 जिलों के किसानों को गन्ना उपज बेचने में सुगमता होती थी और उनका अच्छा जीवन-यापन चलता था। यह चीनी मिल वर्ष 2008 में पूर्ववर्ती बसपा सरकार के शासनकाल में बन्द कर दी गयी है। आपसे मेरा निवेदन है कि इस चीनी मिल को पुनः चालू करवाने की कृपा करें। घाटमपुर से हमीरपुर एन0एच0-34 में प्रतिदिन भीषण जाम लगता है, किसी दिन 08 घण्टे, किसी दिन 10 घण्टे और किसी दिन 15-15 घण्टे तक जाम लगता है। उस रोड पर अधिकतम 3000 बड़े वाहन

चलने की क्षमता है, टोल प्लाजा पर उसका जो औसत निकलता है वह लगभग 25 से 30 हजार प्रतिदिन बड़े वाहन रोड पर चलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कानपुर से हमीरपुर का हाई-वे है, जो कबरई तक जाता है, इसको छः लेन कराने की कृपा करें। घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत करके उसको 200 बेड का अस्पताल और वहां ट्रामा सेण्टर बनवाने की कृपा करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र के उदईपुर गुगरा ग्राम में रिन्द नदी पर बहुत समय से, आजादी के बाद से ही ग्रामवासियों की बड़ी मांग रही है कि रिन्द नदी में एक पुल बने, रिन्द नदी में पुल न होने की वजह से उस क्षेत्र के करीब 18 गांव के लोगों को जो दूरी 10 मिनट में तय करनी होती है वह दूरी लगभग 4-5 घण्टे में तय होती है। अभी 10 से 15 दिन पहले अखबारों में भी छपा था कि वहां के ग्रामवासी अपने माध्यम से लकड़ी का एक पुल बनाकर चालू किया है, लेकिन उससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि रिंद नदी पर एक पुल बनवाने की कृपा करें। मान्यवर, घाटमपुर में एक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के लिए घाटमपुर नगर पालिका ने 7 बीघे की जमीन उपलब्ध करा दी है, मेरा आपसे निवेदन है कि उस कोर्ट की स्थापना करवाने की कृपा करें। मान्यवर, घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा भू-भाग बुंदेलखण्ड की तरह है...

(कुछ सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्यगण, कृपया आपस में बात न करें, शांति बनाये रखें।

श्री उपेंद्र नाथ पासवान-

उसका सर्वे करा लिया जाये और सर्वे कराने के बाद घाटमपुर क्षेत्र के लोगों को, जो सुविधायें बुंदेलखण्ड के लोगों को मिलती है, जो क्षेत्र उचित लगे, उस क्षेत्र के लोगों को भी बुंदेलखण्ड जैसी सुविधायें प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय जी, घाटमपुर में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि घाटमपुर में नाला बनवाकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करवाने की कृपा करें। मेरा आपसे यही निवेदन था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

उपेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद्। मान्यवर, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से आज विधान सभा में सकुशल बैठे हुए अपने साथियों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि विश्वव्यापी कोरोना के

संकटकाल में जब ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद जीवन ही न बचे, जो बहुत भाग्यशाली होंगे, वही बचेंगे, ऐसा आभास हो रहा था, ईश्वर की कृपा से हम लोग सकुशल बचकर, आज सदन में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मान्यवर, इस अवसर पर मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत जैसा देश जहां की आबादी इतनी विशाल है, साधन की इतनी बड़ी कमी है, तकनीक का अभाव भी उस समय तक था लेकिन मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति, उनके पुरुषार्थ एवं परिश्रम के बल के कारण ही सबसे कम क्षति भारत में कोरोना से हुई, ऐसा एक रिकार्ड बनाने का सौभाग्य हमारे देश को प्राप्त हुआ। मान्यवर, इसकी तुलना में अमेरिका-यूरोप जैसे देश जहां बड़ी तबाही कोरोना से हुई, जिसे ये लोग रोक नहीं पाये, इस अवसर पर मैं अपने यशस्वी राष्ट्र ऋषि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कोरोना के संकट में जिस प्रकार का प्रबंधन किया, चाहे लॉकडाउन को कामयाब बनाने का विषय रहा हो, चाहे क्वारंटीन सेंटर को चलाने की बात रही हो, चाहे प्रवासी भारतीयों को सकुशल वापस घर पहुंचाने की बात रही हो, चाहे हमारे आपके बच्चे जो कोटा सहित विभिन्न शहरों में रहकर पढ़ाई करते थे, उनको सकुशल अपने परिवार में पहुंचाने की बात रही हो, सारे विषयों पर उन्होंने बड़ी ही सूझ-बूझ और कुशलता के साथ एक अच्छे प्रबंधन का रिकॉर्ड बनाया, उनके प्रबंधन की तारीफ न केवल भारत में हुई, हमारा जो दुश्मन राष्ट्र है पाकिस्तान, वहां भी योगी मॉडल की सराहना की गयी, इससे बड़े गौरव की बात हमारे आपके लिए क्या हो सकती है। मान्यवर, इस अवसर से मैं हृदय से यह भी स्वीकार करना चाहता हूं कि उस वैश्विक संकट के समय हमारे देश की जनता, हमारे विपक्षी दल भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े थे, उनके हर आह्वाहन का सम्मान किया और मैं मानता हूं कि इनका हृदय भी स्वीकार करता होगा कि मोदी और योगी से बढ़िया कोरोना के समय प्रबंधन और कोई नहीं हो सकता, लेकिन रस्म अदायगी के लिए आप लोग विरोध करें, वह अलग बात है। मान्यवर, मैं यह भी मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जादुई व्यक्तित्व है कि उन्होंने संकट को अवसर में बदलने का हमेशा काम किया है। कोरोना संकट से पहले हमारे देश में एक भी पी0पी0ई0 किट नहीं बनती थी कोई जांच एजेंसी नहीं थी, जो कोरोना की जांच कर पाये। हमारे यही वैज्ञानिक थे, यही डाक्टर थे, लेकिन उनको सुविधा और व्यवस्था न देने के कारण कभी ऐसा सम्भव नहीं हुआ था। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चाहे पी0पी0ई0 किट बनाने की बात हो, चाहे जिले-जिले पर जांच करने की बात हो, एक बढ़िया रिकार्ड बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं यह हमारे लिए बहुत स्वर्णिम गौरव की बात है कि श्रीराम जन्म भूमि का विषय जो 500 साल से लटका हुआ था और न्यायालय के फैसले के बाद वह विषय हल हुआ और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा सम्मान करते हुए श्रीराम जन्म भूमि मंदिर का भूमि पूजन करके मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, इससे श्रीराम की और अयोध्या की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर स्थापित हुई। आज हमारे लोग जन-जन से मिल करके

श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर निर्माण के लिए सहयोग मांग रहे हैं, सारे लोग सहयोग करते हैं। हम कहेंगे, हमारे सपा के भाइयों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमने सोशल मीडिया में समाचार देखा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की सदस्य, आदरणीय अपर्णा यादव ने भी 11 लाख का योगदान श्रीराम मन्दिर के निर्माण के लिए दिया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यह स्वर्णिम अवसर आप सबको भी मिला है, इस स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम भी दर्ज कराइये, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले आपके वंशज आपको कोसेंगे कि श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर निर्माण में आपका क्या योगदान था ? यह अवसर बार-बार नहीं मिलने वाला है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल-

मान्यवर, मैं अपनी बात संक्षेप करते हुए कहना चाहूंगा कि हमारा विधान सभा क्षेत्र यद्यपि यशस्वी मुख्य मंत्री जी का गृह क्षेत्र माना जाता है लेकिन चिराग तले अंधेरा जैसी स्थिति का सामना हमको करना पड़ रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे हरिहरगंज-शिवपुरा मार्ग का चौड़ीकरण होना है, इसको मैंने पिछले बजट के कार्यकाल में भी रखा था, लेकिन हम लोगों को उसका अवसर नहीं मिल पाया है तो उसके चौड़ीकरण और उच्चीकरण का निवेदन मैं आपके माध्यम से अपनी लोकप्रिय सरकार से करना चाहता हूं। मैं अपने विद्युत मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे साथी जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं और पूरे प्रदेश में चर्चा होती होगी कि लोग जनरेटर और इन्वर्टर भूल गए कि हमारे यहां जनरेटर भी होता था, हमारे यहां इन्वर्टर भी होता था, बिजली कभी जाती ही नहीं है। लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र के हरैया सतधरवा ब्लाक में शिवपुरा विद्युत उप केन्द्र जो माननीय कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में बना था, उसके पुनः संचालन का अनुरोध मैं आपके माध्यम से अपनी लोकप्रिय सरकार से करना चाहता हूं। साथ ही देवीपाटन जो शक्तिपीठ की श्रेणी में आता है, वह बस स्टैंड की सुविधा से कवर नहीं है। मैं अपनी लोकप्रिय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री देवीपाटन तुलसीपुर में एक बस स्टैंड बनाने की कृपा करें, जिससे हम लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं योगेन्द्र उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हं, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सुभाष राय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कोरोना के सम्बन्ध में जनता को लाभ पहुंचाने की बात की गई है। मैं इस सन्दर्भ में कहना

चाहता हं, जिस तरह से दुर्व्यवस्था कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में फैली हुई थी, जिस तरह से लोग पुलिस की लाठियों का शिकार हो रहे थे। अगर कोई बाइसिकल से अपने बेटे को अस्पताल दिखाने जा रहा था, पुलिस जिस तरह से उसे थाने में बन्द कर रही थी और अवैध वसूली कर रही थी, यह सब लोग जानते हैं। इसके साथ-साथ प्रवासी श्रमिक कानपुर में 27-28 की संख्या में एक साथ मर जाते हैं, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया, न तो उनको मुआवजा दिया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक उस दौरान अपनी पूरी ताकत से, ईमानदारी से, निष्ठा से, अपनी जान जोखिम में डाल करके गरीबों की मदद कर रहे थे, राशन बांट रहे थे। मैं स्वयं गरीबों की मदद करते-करते कोरोना का शिकार हो गया और 17 दिन तक पी0जी0आई0 में भर्ती रहा। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं अम्बेडकर नगर जनपद का रहने वाला हूं। अभिभाषण में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की बात की गयी है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आज हमारे जिले के सदस्य, विधान परिषद, हीरालाल यादव जी हैं, जिन्होंने विधान परिषद में सवाल लगाया था और सतीश महाना जी का जवाब आया है और सतीश महाना जी का जवाब आया है मेरे जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे रोड जा रही है और किसानों की जमीन ले ली गई है, लगभग करोड़ों रुपयों का मुआवजा अभी नहीं मिला है और आपकी सरकार के द्वारा उसके उद्घाटन की तारीख तय की जा रही है। इस तरह से आपकी सरकार संवेदनहीन सरकार चल रही है। इसके साथ-साथ इंवेस्टर समिट की बात की गई है राज्यपाल के अभिभाषण में। मैं इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि इसमें 4.68 लाख करोड़ निवेश के सापेक्ष में तीन लाख करोड़ की योजनाएं संचालित करने की बात की गई है, लेकिन इसमें कितने लोगों को इस योजना में रोजगार मिला, इसका कहीं जिक्र नहीं है। आजमगढ़ में हवाई अड्डा के निर्माण कार्य पूर्ण होने की बात की गई है, आजमगढ़ में जहां पर हवाई अड्डा बन रहा है मन्दुरी में उसी गांव में मेरा ननिहाल है। जहां तक मेरी जानकारी है वह हवाई अड्डा अभी प्रारंभिक चरण में है और यहां पर पूर्ण होने की बात कही गई है। इसके साथ-साथ राज्यपाल के अभिभाषण में ऊर्जा क्षेत्र में शहरी, तहसीलों और जिलों में सभी जगह तय रोस्टर के हिसाब से बिजली देने की बात की गई है, लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से बिजली विभाग के लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया मीटर लगाने का। खराब मीटर के कारण बिजली का बिल किसानों और गरीबों के यहां दोगुना और तीन गुना आ रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। लखनऊ जैसी राजधानी में तीन-तीन, चार-चार दिन तक बिजली बंद रह रही है। अभी महीनों पहले कई मोहल्लों में 24 से लेकर 48 घंटों तक बिजली बंद थी और इसके साथ-साथ यहां तक कानून व्यवस्था की बात की गई है, मैं अम्बेडकरनगर जनपद का रहने वाला हूं, मेरे जिले में अभी पिछले महीने दो सगे भाई एक प्रधान पति अनिल मिश्रा

जी और दूसरे भाई का नाम था सुरेंद्र मिश्रा। तहसील से घर जा रहे थे, दिन-दहाड़े दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। उसी के दस दिन बाद महरुवा थाने में बिज्जू तिवारी नाम के नौजवान की हत्या कर दी गई। यह तो कानून व्यवस्था है। इसके साथ-साथ मैं जलालपुर विधान सभा क्षेत्र से बिलांग करता हं, मैं वहीं से विधायक हूं। मेरे जलालपुर में पुलिस जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रही है, गौ रक्षा के नाम पर अभी अधिष्ठाता महोदय शाम की बात है एक पिंटू नाम का जो काजीपूरा का रहने वाला है जाति का मुसलमान है, उसको पुलिस पकड़ कर ले आती है कि तुमको स्पेक्टर बुला रहे हैं, उसको ले आती है और उससे पचास हजार रुपये की मांग की जाती है। मैंने कप्तान साहब से बात किया कि केवल जाति के नाम पर यहां पर शोषण किया जा रहा है। कप्तान साहब ने रात में 11 बजे फोन किया तब वह जा करके छूटा, लेकिन उससे 25 हजार रुपये ले लिया गया। इसके साथ-साथ रोजगार देने की बात की गई है, इस अभिभाषण में आपके सरकार के द्वारा विज्ञापित पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, आज तक एक भी विज्ञापित पदों पर कोई भी भर्ती क्लीयर नहीं हुई है। प्रधानमंत्री आवास की बात की गई है, अभी मैं कुछ दिन पहले समाचार-पत्रों में पढ़ रहा था हमीरपुर जनपद में एक ही गांव में कई अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया और स्थानीय स्तर पर तमाम लोगों ने शिकायत किया और उसकी कोई जांच नहीं हुई। जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया तब जा करके उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। इस तरह के उदाहरण हैं, अगर सही ढंग से जांच की जाए उत्तर प्रदेश के हर जिले में तमाम अपात्रों को आवास दिया गया है, और जो सही-सही पात्र हैं उनको आवास नहीं दिया गया है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य के बेहतरी की बात की गई है, मैं अम्बेडकरनगर जनपद का रहने वाला हूं मेरे जिले में पिछली सरकार के द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, जिसमें तीन मेरे विधान सभा क्षेत्र में सम्मनपुर और रसूलपुर बाकरगंज और नेवादाकला लेकिन वह चार-चार साल बने हो गया दो-दो, तीन-तीन करोड़ की लागत से बने हैं, लेकिन आज तक वह संचालित नहीं हुए। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेडकरनगर जैसे जिले में मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कह सकता। मेरे जनपद में मेरी जहां तक जानकारी है एंटीरेबीज इंजेक्शन महीनों-महीनों नहीं रहता है, इस संदर्भ में मैंने जब डी0एम0 साहब से और सी0एम0ओ0 से बात की तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर बात करिए प्राइवेट कम्पनी को ठेका दिया गया है और वहां से हमको नहीं मिला और हम अपने पास से खरीद के लगाए। मैं अपनी क्षेत्र की कुछ समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जलालपुर में बाईपास बनाया जाए और वहां पर पुल बनाया जाए और नगर पंचायत बनाया जाए। अमोला घाट और जलाली घाट चौराहा घाट पर पुल बनाया जाए। जलालपुर में बस अड्डा बनाया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करिए।

श्री लाल बहादुर-

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर ध्यानपूर्वक जिन्हें सुनना चाहिए, सरकार की उपलब्धियों को सुनकर अनुसरण करना चाहिए, लेकिन मानसिकता विरोध की है। इसलिए ये सरकार की उपलब्धियों को पचा नहीं पा रहे थे। इसीलिए खड़े होकर हल्ला कर रहे थे, लेकिन ये हल्ला करके अपनी कथनी-करनी को जनता से छिपा नहीं सकते। महोदय, इनकी कथनी-करनी को वैश्विक महामारी कोरोना के समय जनता ने देख लिया है। जिनकी बदौलत विपक्ष में बैठे हुए ये लोग साम्राज्य हासिल करके राज करते रहे लेकिन जब जनता के बीच जाकर सेवा करने का अवसर आया तो अपने-अपने घरों में छिपकर बैठे रहे। हमारी सरकार ने, सरकार के जनप्रतिनिधियों ने जनता के विश्वास को हासिल किया। उनके बीच जाकर उनके विश्वास को जीतने का काम किया। अपने दायित्वों का सही ढंग से निवर्हन करने काम काम किया। हमने जो बचपन में पाठ पढ़ा था, उसे चरितार्थ करने का काम किया। बचपन में हम लोग प्रार्थना करते थे कि -

वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं,
पर-सेवा, पर-उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं,
हम दीन-दुःखी, निबलों, विकलों के सेवक बन सन्ताप हरें,
जो हैं अटके, भूले-भटके उनको तारें खुद तर जाएं।

लेकिन महोदय ये जो विपक्ष में बैठे हैं, ये लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं, इनका यह सोचना है कि -

वह शक्ति हमें दो दयानिधे, बहुमत की शक्ति हमें मिल जाए,
परिवार का उपकार करें खुद लूट-घसोट में जुट जाएं।
हम दीन-दुःखी, निबलों, विकलों के सेवक बन शोषण करते रहें।

आज वही कारण है कि ये विपक्ष में बैठे हैं, इन्होंने लोगों का शोषण किया तो आज जनता ने इनको भटका दिया है, आज ये भटक गए हैं। महोदय जी, हमारी सरकार ने बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश के यशस्वी प्रधानमन्त्री मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इस आह्वान से बेटियों का सम्मान बढ़ा है। आज महिला-पुरुष के अनुपात में काफी सुधार हुआ है। बेटा-बेटी सृष्टि की अनमोल रचनाएं हैं और इनका संतुलन बना रहे, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए शक्ति मिशन, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना ऐसी योजनाओं को सरकार ने लाकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सामूहिक विवाह योजना में पहले 35 हजार रुपये मिलता था, आज उसको 51 हजार रुपया कर दिया गया है। आज उनके खाते में सीधे 35 हजार रुपये जा रहा है। पहले गरीब के घर में बेटी जन्म लेती थी तो वह परिवार मायूसी में आ जाता था और

बेटे के जन्म के समय उनको उत्साह होता था। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज जिस घर में बेटी जन्म लेती है तो वहां भी उत्सव मनाया जाता है। आज किसी गरीब परिवार को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज लाखों शादियां सामूहिक विवाह के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हुई हैं। मान्यवर, देश और प्रदेश में आज भूतपूर्व सैनिकों के लिए काम किया गया है क्योंकि मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं। हम जब सेना की सेवा में थे तो कहते थे कि -

सेना कोर के जवान सदा चलें सीना तान,
हमें रोकने न पाए आंधी और तूफान,
पर्वत फांदे, नदियां चीरें, जंगल डालें छान
मुश्किल से मुश्किल मंजिल को हम कर दें आसान,
सेना कोर के जवान सदा चलें सीना तान।

महोदय, आपको पता होगा कि लेह-लद्दाख की सीमा पर जब माइनस डिग्री के तापमान में जवान सेवा देते हैं, देश की रक्षा करते हैं तो उनके परिवार के लोग कितना चिन्तित रहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे सैनिकों के हाथ खोल दिए हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए सम्मान का कार्य किया है आज 03 लाख 80 हजार भूतपूर्व सैनिकों और 64 हजार दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की समस्याओं को दूर किया गया है। हमारी सरकार उनके लिए कृत संकल्प है और सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी तथा 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ शहीद सैनिकों के नाम पर सड़कों का नामकरण एवं स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में 05 प्रतिशत आरक्षण भी अनुमन्य किया है। वन रैंक वन पेंशन जिसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने इस कार्य को करके सैनिकों का दिल जीतने का काम किया है। अधिष्ठाता महोदय, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है, किसी ने कहा है कि -

''वह काम करें कि पहचान बन जायें, कदम यूं रखें कि निशान बन जायें!
जिन्दगी तो सब यूं ही जी लेते हैं, जिन्दगी यूं जियें कि मिसाल बन जायें!!''

आज मोदी जी और योगी जी वही मिसाल बन गये हैं। मैं गौतम बुद्ध की उस गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर वाले स्थान से आता हूं जहां पर गौतम बुद्ध चौमासा बिताया करते थे। महाकवि तुलसीदास जी की प्रेरणा स्थली है जिसे पूर्व काल की सरकारों ने विकास से क्षीण रखा उनकी उदासीनता के कारण वह धरती अपने गौरवशाली अतीत पर आंसू बहा रही थी लेकिन हमारी सरकार के आते ही मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहली ही बार में

उस स्थल पर गये और ऐसी 8 योजनाओं की शुरुआत उन्होंने वहां पर की, एयरपोर्ट प्रयागराज से फोर लेन कौशाम्बी को जोड़ने का काम किया गया। यमुना नदी में पुल बनाने का काम किया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

श्री लाल बहादुर-

अधिष्ठाता महोदय, कौशाम्बी जबसे जनपद हुआ है उसे बने 20 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन पूर्व काल की सरकारों में वहां पर विकास के कार्य नहीं हो पाये हैं। मैं अपने क्षेत्र चम्पहा बाजार में एक 33 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग करता हूं और साथ ही साथ पी0एच0सी0 पश्चिम को सी0एच0सी0 बनाने की मांग रखता हूं मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस सदन को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि मुझे पहली बार सदन में आने का अवसर मिला है और मैं अभी हाल में हुए उप चुनाव में देवरिया सदर से निर्वाचित होकर यहां आया हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं इस सदन के माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर की जनता को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। महोदय आज मेरे लिए यह ऐतिहासिक क्षण है कि इतने बड़े विद्वानों के बीच में मुझे बैठने का और बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत उम्मीदें लेकर यहां आया था। बहुत सारी बातें सोचता था कि सदन में जाऊंगा वहां पर महामहिम राज्यपाल का भाषण होगा। सभी सदस्य एक साथ मिलकर उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और फिर उसके बाद पक्ष-विपक्ष में जिसको जो बोलना होगा बोलेगा लेकिन मुझे काफी पीड़ा हुई क्योंकि जैसे ही राज्यपाल महोदया यहां आईं, तुरन्त ही विपक्ष खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद विरोध करके सदन का बहिष्कार उनके द्वारा कर दिया गया। यहां आकर मुझे लगा कि यह तो लोकतंत्र की परिपाटी नहीं है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना नितान्त आवश्यक है क्योंकि बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती लेकिन लोकतंत्र में मर्यादित विपक्ष की उम्मीद की जाती है। जिस तरह से घटना भले थोड़ी देर के लिए ही हुई लेकिन उससे मुझे शुरुआत में ही काफी कष्ट का अनुभव हुआ। लोकतंत्र में जो सरकार काम करती है वह एक कल्याणकारी सरकार का काम करती है। यह वेलफेयर स्टेट है। भारतवर्ष और उसमें उत्तर प्रदेश राज्य जो उसमें स्थित है वह वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर काम करता है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर काम करता है और निश्चित रूप से हमारी सरकार का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मा0 योगी जी के नेतृत्व में

काम कर रही है उसका उद्देश्य राज्य की जनता का कल्याण करना है और जनता इस बात को अच्छी तरह स्वीकार करती है कि योगी जी की सरकार कल्याण करने वाली सरकार है, क्योंकि हाल में जो उप चुनाव हुए, 7 सीटों पर उप चुनाव हुआ जिसमें से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और पर अन्य आये। हमारे सुशासन को जनता के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, उससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। कोरोना की चर्चा मैं दो दिन से सदन में सुन रहा हूं अभी उसी पर चर्चा भी हो रही है। कोरोना के काल में हम लोग भी कोरोना संकट को अनुभव कर रहे थे, पूरे विश्व में देख रहे थे। जितनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है और जितना कम कोरोना का प्रभाव उत्तर प्रदेश में इस सरकार के कार्यों के कारण हुआ, उतना अन्य कहीं दिखायी नहीं देता है। कोरोना के कारण सबसे कम निधन अगर कहीं हुए हैं तो वह हमारे प्रदेश में हुए हैं। हमारे प्रदेश में जितनी व्यवस्था की जा सकती थी, जनता के हित में, बाहर से आए हुए मजदूरों के हित में, उतनी व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी। मैं लोगों का भाषण सुन रहा था कि बसें कहां लगी थीं ? हजार बसें कैसे खड़ी हो जाएंगी ? समाजवादी पार्टी के नेता जी ने कांग्रेस वालों से नहीं पूछा जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हम हजार बस दे रहे हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय उमाशंकर जी, कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य की यह पहली स्पीच है, उन्हें बोल लेने दीजिए।

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

मान्यवर, कांग्रेस ने कहा था कि एक हजार बसें हरियाणा बार्डर पर खड़ी हैं। उस समय एक हजार बसें कहां खड़ी थीं ? अगर हमारी सरकार कहती है कि हजारों बसें हमने यहां लगा रखी हैं तो उस पर प्रश्नचिह्न लगाना, यह मुझे कोई समझदारी की बात नहीं लगती। कोरोनाकाल में मजदूरों के लिए परिवहन की व्यवस्था की गयी। गांव में आने पर उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था की गयी, उनके परिवारों के लिए व्यवस्था की गयी, फ्री राशन बांटा गया। हमने नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कोरोनाकाल में भूख से मरा है या उपवास करके मरा है, इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बार-बार बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, कोरोनाकाल में कोटा से बच्चे लाए गये। बार-बार चर्चा हो रही है कि किसानों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे ? लोग पढ़ाते हैं, कौन-से अभिभावक हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा नालायक हो। हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया पढ़े और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, वह करता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के बच्चे कोटा में पढ़ने गये थे। कोई जरूरी नहीं है कि वह पूंजीपतियों के

बच्चे थे, वह सामान्य लोगों के बच्चे थे। बहुत से बच्चों के पास वापस लौटने का किराया नहीं था। जब हमारे मुख्य मंत्री जी को यह बात पता चली तो उन्होंने राजस्थान सरकार से बात की और उन बच्चों को लाने का इंतजाम किया। उनको अंदर से इतनी पीड़ा महसूस हुई क्योंकि बहुत सामान्य से घरों के बच्चे वहां पढ़ने गये थे, जिनके गार्जियन ने उन्हें वहां बहुत मुश्किल से भेजा था। उन्हें बच्चों को पढ़ाने में कितनी दिक्कत होती है, इसका अनुभव हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया और यहां पर एक 'अभ्युदय योजना' की शुरुआत की। कोचिंग के लिए किसी को अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। इसमें इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि जो भी कोचिंग करने के लिए परफेक्ट लोग हैं, जो कॉम्पटिशन पास करके आएं हैं, आई0ए0एस0 हैं, पी0सी0एस0 हैं, टीचर्स हैं या अन्य सर्विसेज के लोग हैं, यह लोग वहां लोकल कोचिंग में पढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनको पढ़ाया जायेगा। यह सामान्य बात नहीं है कि अपने घर के पास ही हमें अच्छी कोचिंग की व्यवस्था मिल जाये। इसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है कि उसमें केवल अमीर के बच्चे रहेंगे और गरीब के बच्चे नहीं रहेंगे, यह सबके लिए है। जैसी सरकार की मंशा है कि सबका साथ और सबका विकास तो सबके विकास की कल्पना लेकर योगी जी ने अभ्युदय योजना चलायी है। महोदय, मैं समय की कीमत जानता हूं चूंकि मैं एक अध्यापक भी हूं और समय से कक्षा में पहुंचने की कोशिश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह आपकी पहली स्पीच है, इसलिए आपको दो मिनट और दिये जाते हैं।

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

मान्यवर, धन्यवाद। कोरोना पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और सब लोग सुन चुके हैं। मैं इंसेफ्लाइटिस की चर्चा करना चाहूंगा। वर्ष 2017 के पहले हजारों बच्चे पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस से मर जाते थे। इसके पहले कई सरकारें रहीं, बसपा सरकार रही, सपा की सरकार रही परंतु कई बार कहने के बावजूद और डिमाण्ड करने के बाद भी इंसेफ्लाइटिस पर न कोई चर्चा करता था और न उसको खत्म करने के लिए कोई उपाय करता था लेकिन जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री योगी जी की सरकार बनी तो उन्होंने पहला काम किया कि इंसेफ्लाइटिस के लिए टेस्ट लैब खुलवाये। इंसेफ्लाइटिस कैसे रुके, इसकी व्यवस्था की। वर्ष 2016 में इंसेफ्लाइटिस के लगभग 4 हजार पेशेण्ट हुआ करते थे परंतु अब सैकड़ों में उनकी संख्या गिनने पर भी नहीं मिलेगी। वर्ष 2020 में सबसे कम निधन हुए जिसमें लगभग 40 से 50 पेशेण्ट होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डॉ0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

महोदय, यह सरकार एक संवेदनशील सरकार है। यह सरकार जनता का हित करना चाहती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यह विकासवादी सरकार है, विकास के लिए काम करती है। चाहे सड़कों की बात हो रही हो, बिजली की बात हो रही हो, कायाकल्प की बात हो रही हो। महोदय हमारे शहर देवरिया में जाम की भयंकर समस्या है, क्योंकि देवरिया ही ऐसा शहर है, जहां कोई बाईपास नहीं है। मैं इसके माध्यम से शहर के लिये बाईपास सड़क की मांग भी प्रस्तुत कर रहा हूं। विश्वास है सरकार इस मांग को पूर्ण करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समर्थन कर दें और बैठ जायें।

डा0 सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू-

मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं, धन्यवाद। आपने मुझे दो मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नेता विरोधी दल की बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदया का अभिभाषण एक झूठ का पुलिन्दा है। कोरोना काल में मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगातार गरीबों की मदद करने का काम किया। सड़क मार्ग से जो मजदूर आ रहे थे उनको खाना-पानी से लेकर सब-कुछ व्यवस्थायें समाजवादी दल और कतार के लोगों ने करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, निश्चित रूप से वह इसमें फेल है। मैं कहना चाहता हूं एक तरफ जहां कोरोना काल में 700 किलोमीटर दूरी की यात्रा करके जिस बेटी ने अपने बाप को बिहार के उस राज्य में ले जाने का काम किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उसको पुरस्कृत करने का काम किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है कि कोरोना काल में इतने लोगों की मदद करने का काम किया लेकिन सही बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी कार्यकर्ताओं ने रोडों पर उतरकर खाना-पानी से ले करके सब कुछ देने का काम किया और वहीं जो सरकार के नुमांइदे हैं वो उनसे ये कह रहे थे कि आपके पास जो है वह आप न दें, आप उसे हमें दे दें हम उसको पैकेट बनाकर बांटने का काम करेंगे। यह कहीं-न-कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे गाजीपुर जनपद में भी इस प्रकार की बातें सामने आयी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी समाजवादियों ने घर-घर और गांव-गांव जा करके उनको राशन-पानी पहुंचाने का काम किया है। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भी कोरोना काल में अपने विधायक निधि से मास्क, सैनेटाइजर के लिए

रु0 10.00 लाख देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 10.00 लाख रुपये का जो मास्क और सेनेटाइजर है, वह निश्चित रूप से जनता के बीच में नहीं गया, कहीं-न-कहीं उस पैसे का बंदरबांट प्रशासन के लोगों ने करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कहीं-न-कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए। अधिकांश लोगों की जीविका का साधन कृषि है और खाद्यान्न के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें कहीं-न-कहीं आत्म निर्भरता थी, समाजवादी पार्टी ने सरप्लस काम उत्तर प्रदेश के अन्दर करने का काम किया। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने कहीं-न-कहीं किसानों का भला करने का काम किया। आज के वर्तमान परिवेश में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से छुट्टा जानवर और आवारा पशु आज खेत-खलिहानों को चरते जा रहे हैं। मैं पूंछना चाहता हूं कि आखिरकार कैसे किसानों का भला होगा, कैसे किसानों की आमदनी दुगुनी होगी जब उनके खेत पशु चरे जा रहे हैं, आखिरकार सरकार उस पर कौन-सी व्यवस्था करने का काम कर रही है। साथ-ही मैं कहना चाहता हूं कि गाय और गंगा के नाम पर उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी आयी है। गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों का घोटाला होने का काम किया है और आज भी गंगा जस-की-तस है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि पशुओं का रोडों पर एक्सीडेन्ट होने से वो मर जाते हैं और उनसे बदबू आती है, कहीं-न-कहीं उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर भी आप संज्ञान लेने का काम करें। एक तरफ किसान जो हमारे अन्नदाता हैं लगातार सड़कों पर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं और लगातार आंदोलन करने के साथ अपनी बातों को मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर आज तक जूं रेंगने का काम नहीं हुआ। एक तरफ जो हमारे धान वाले किसान थे, जो सरकार ने उसका लागत मूल्य निर्धारित किया है, 1868 रुपये, उस 1868 रुपये में सरकार धान को क्रय नहीं कर पा रही है और बिचौलियों के माध्यम से 900, 1000, 1100 में किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। कहीं न कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विरेन्द्र जी, कृपया संक्षेप करिये।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूं। एक तरफ गाजीपुर की सड़कें काफी जर्जर हो गई हैं। इस पर भी आपका संज्ञान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 'झूठे वादों से फुसलाकर यह जनता को फूल बनाते हैं और उनके दिल जीत लेने के बाद अपने वादों को भूल जाते हैं'। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ हमारी विधान सभा क्षेत्र की मांगे हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। इन्हें माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में जोड़ दिया जाए।

कालूपुर से युवराजपुर तक की सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराने का कार्य किया जाये, भड़षड़ से जयरामपुर होते हुए इनोवा मोड़ तक मरम्मत का कार्य कराया जाए, मदारपुर पुल से मानपुर तक मरम्मत कार्य कराया जाए, कहोतरी चक्की से मानपुर तक मरम्मत का कार्य कराया जाए, जंगीपुर लावा मोड़ से लावा होते हुए रायपुर तक लगभग 8 कि0मी0 सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाए। बौरी मुख्य मार्ग से सरवन डीह तक तथा ग्राम उचौर में नहर की पटरी सराय मुबारक तक लेपन का कार्य कराया जाए। ग्राम पलहीपुर चौहान बस्ती से भुभई तक शून्य से 01 कि0मी0 लेपन का कार्य कराया जाए। ग्राम पृथ्वीपुर पावर हाउस से नसीरुद्दीनपुर काली जी के स्थान तक तथा जंगीपुर पावर हाउस से सोहबतिया ग्राम तक शून्य से 02 कि0मी0 तक लेपन का कार्य कराया जाए। ग्राम महमूदपुर सरकारी ट्यूबवेल से शंकर जी के मन्दिर तक शून्य से 02 कि0मी0 तक लेपन का कार्य कराया जाए, सुगौवलिया से मूरतपुरा मार्ग शून्य से 02 कि0मी0 तक का कार्य, बरही बोगना पिच रोड से नसीपुर राजभर बस्ती वाया डिल्ला गांव होते हुए धनेसपुर रोड का मरम्मत कार्य, मरेडी प्राइमरी विद्यालय से मौर्या बस्ती होते हुए 3 कि0मी0 का कार्य तथा बैदोली माफी पिच रोड से नहर की पटरी कुन्दनपुर तक का कार्य, गोविन्दपुर मडिया हरिजन बस्ती से हालपुर तक शून्य से 2 कि0मी0 का कार्य, ब्लाक मरदह ढढनी नगसर मार्ग से ब्रह्म बाबा के स्थान से बेमुई गांव तक सम्पर्क मार्ग शून्य से 2 कि0मी0 तक, ब्लाक रेवतीपुर तथा सोहवल नगसर पिच रोड पोखरा से बेमुबा गांव तक शून्य से 02 कि0मी0 लेपन का कार्य-ब्लाक रेवतीपुर।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

"कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है,
अंधी सत्ता के हाथों में किसानों को जान गंवानी है।"

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री काली प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उपाध्याय जी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, मैं उसका समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं। साथ ही साथ अधिष्ठाता महोदय, हमारे तमाम विपक्ष के साथी, तमाम बातों पर चर्चा कर रहे थे। मैं भी अपनी तरफ से एक बात याद

दिलाना चाहता हूं कि एक बार इस देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हुआ करते थे। उन्होंने बड़े ही खेद और दुःख के साथ इस बात को कहा था कि जब मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूं तो वह पैसा धरती पर जाते-जाते 10 से 15 रुपये बचता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि अभी कांग्रेस की नेता तमाम अनाप-शनाप बातें कर रही थीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोनाकाल में पांच सौ से लेकर एक हजार रुपये भेजा तो मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं थी कि एक रुपया भी कम कर दे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्य मंत्री योगी जी की सरकार में अन्तर आया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हमारे जैसे गरीब तमाम साथी, किसान-मजदूर साथी के बच्चे सपना देखते थे कि हम भी अधिकारी बनेंगे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बाहर जाकर कोचिंग कर सकें। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने अभ्युदय योजना चालू करके उन गरीबों के सपनों को साकार ही नहीं किया, बल्कि उन गरीबों के सपनों को पंख लगाने का काम किया है। ऐसे माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, तमाम विपक्ष के साथी किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे। मान्यवर, मैं अपने गांव की एक घटना की चर्चा करता हूं। मेरे गांव में तीन भाई थे, एक भाई की मृत्यु हो गई, उसके पास कुल मिलाकर 9 से 10 गट्ठा खेत था। जब उसके बड़े भाई की विधवा मेरे पास आती है, कहती है कि भाई साहब, हमको तो आपने प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलवा दिया, 30 हजार रुपये, लेकिन क्या हमको भी किसान सम्मान निधि का पैसा मोदी जी वाला मिल सकता है ? मुझे भी शंका हुई, मैंने कहा कि इन्तखाब लाओ, वह इन्तखाब लाई तो प्रसन्नता के साथ और बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि उसकी पांच बच्चियां थीं और वह स्वयं थी। तीन बिस्वा खेत में 6 लोगों का नाम था और जब मैंने फोन से डी0डी0, देवरिया से पूछा कि क्या इन लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकता है तो उन्होंने कहा कि सारे किसान इस लाभ को पाने के हकदार हैं। तीन बिस्वा खेत का मालिक और उसमें 6 हिस्सेदार सबको 36 हजार रुपया मिला। प्रधानमंत्री जी की योजना का यह लाभ उस गरीब को मिला जो साल भर में 50 किलो से 1 कुन्तल अनाज नहीं पैदा कर सकता था अपने खेत में, उसको 36 हजार रुपए सालाना किसान सम्मान निधि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे तमाम साथी यूरिया की बात कर रहे थे, मैं भी 1995 में ब्लॉक प्रमुख था, मैं देखता था कि क्या यूरिया की हालत थी, जिला पंचायत सदस्य था तब भी मैं देखता था जब एक ट्रक यूरिया आती थी, सुबह से मेरे जैसे किसान जाकर लाइन लगाते थे और पांच सौ, चार सौ बोरी यूरिया पांच सौ, चार सौ किसानों को मिलने के बाद समाप्त हो जाती थी जब कि एक हजार से डेढ़ हजार किसान लाइन लगाते थे। पता चलता था कि शेष किसान पुलिस की लाठी खा करके चले जाते थे, यूरिया मिली या न मिली लेकिन उनको पुलिस की लाठी जरूर मिलती थी। मैं अपने कृषि मंत्री जी को और अपने मुख्य मंत्री जी को इस सदन

के माध्यम से बधाई देता हूं कि ऐसी व्यवस्था लागू की कि आज किसी भी किसान को यूरिया के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ता है, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे तमाम साथी कोरोना काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं भी कोरोना काल के बारे में अपने जनपद देवरिया के बारे में बताना चाहता हूं कि देवरिया में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया था कि सेवा ही संगठन है। हमारे एक-एक बूथ अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि हर एक बूथ अध्यक्ष अपने बगल के पांच घरों की चिन्ता करेगा और मैं बधाई देता हूं अपने प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष साथियों को, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगायी। विपक्ष आज चाहे जितना हाउस से लेकर सड़क तक गाल बजा लें लेकिन किसी की औकात नहीं थी कि कोरोनाकाल में बाहर निकले। मैं देवरिया जनपद की बात कर रहा हूं वहां कोई बाहर नहीं निकल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा करके उन गरीब लोगों की सहायता करते थे। जो लोग बाहर से आकर पहुंचते थे, अभी तमाम साथी कह रहे थे, मैं भी बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने चाय, पानी, पूड़ी-सब्जी, भूजा, बिस्कुट सभी कुछ देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समर्पण का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप करें।

श्री काली प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल दो मिनट का समय लूंगा, मैं संक्षेप कर दूंगा। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम डेढ़ सौ, दो सौ गांव ऐसे हैं जहां 40-45 वर्ष पहले विद्युतीकरण हुआ था, वहां सारे तार जर्जर हो गये हैं और उन्होंने मेरे एक निवेदन पर मेरे क्षेत्र के 146 गांवों के जर्जर तारों को बदलने की स्वीकृति प्रदान की। मैं माननीय मोदी जी, योगी जी और ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि सौभाग्य योजना के तहत ऐसे कामों को करके जनता की सेवा करने का काम किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन नगर पंचायतें हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि एक मझौलीराज ऐसी नगर पंचायत है जहां 36 सौ प्रधानमंत्री आवास बने। आपको भी जाने का अवसर मिले तो आपको भी देखकर प्रसन्नता होगी कि जो गरीब आदमी झोपड़ी में रहता था, प्लास्टिक टांग करके रहता था उसका आज दो मंजिला प्रधानमंत्री आवास बना है। उसके घर में सौभाग्य योजना से मुफ्त में बिजली लगी है, उज्ज्वला योजना के तहत् घर में गैस कनेक्शन आ गया। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की दो छोटी-छोटी समस्याओं को रखना चाहता हूं। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर नगर पंचायत बहुत पुरानी नगर पंचायत है, मैं सदन से आग्रह करता हूं कि उसे नगरपालिका बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और आज

वह दोनों तरफ से छोटी गंडक और घाघरा नदी का दोआब है, वहां पर पानी का बहुत संकट उत्पन्न हो जाता है, वहां नहरें नहीं हैं अगर वहां कुछ नलकूप लग जाएं तो किसानों की समस्या दूर हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री काली प्रसाद-

मान्यवर, एक समस्या और रह गई है, हमारे यहां नगर पंचायत लार है, यह क्षेत्र दो साल से बरसात के कारण जलमग्न हो जा रहा है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात के पानी की जल निकासी का प्रबन्ध करने की कृपा करें। नेता प्रतिपक्ष जानते हैं, हमारे यहां 10 हजार एकड़ ऐसी भूमि है महाल मंझरिया, जिसको घाघरा नदी घेरे हुए है। जब वहां पर किसान अपने गेहूं की कटाई करने के लिए जाता है, तो वह पानी में भीगकर जाता है, इसलिए हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पर एक पीपे का पुल बनवाने का कष्ट करें। आपने मुझे अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राम फेरन पाण्डेय जी।

श्री राम फेरन पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपकी कृतज्ञता जाहिर करता हूं। मैं पिछले दो दिन से सुन रहा हूं कि हमारे बहुत से साथी कोरोना काल में कोरोना की बात कर रहे हैं। हमारी समझ में केवल और केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे थे, जो अपने घर से निकल करके बिना किसी भेदभाव के दलित मजदूरों, मजलूमों और असहायों की बिना किसी भेदभाव के सहायता की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न कोई धर्म देखा, न कोई जाति देखी और न कोई पार्टी देखी, बिना भेदभाव के सबको राशन देने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों को बचाये हैं, वह सराहनीय है। अभी हमारे बहुत वरिष्ठ सहयोगी, विपक्ष के नेता कह रहे थे कि 42 दिन मैं हास्पिटल में भर्ती था और हमको बचाया, यह इसका साफ-साफ प्रमाण है। मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिना किसी भेद भाव के ''सबका साथ और सबका विकास'' का नारा बुलन्द करते हुए विपक्ष के लोगों को भी कोरोना काल से बचाने का कार्य किया है। इनके मन में अंदर से भाव है, लेकिन विपक्ष के होने के नाते ऊपर से कहीं न कहीं ये अपना उद्गार व्यक्त करते रहते हैं। अभी हमारे बहुत से साथी मौत की

बात कह रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं वर्ष 1991 का स्वयं सेवक हूं। कहां गये थे सब लोग, जो राम भक्तों पर गोली चलवाये थे। बहुत-सी बहनों के सिंदूर उजाड़े गये थे, वो कहां थे। उस राम मंदिर का निर्माण करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर जा करके किया है। उन्होंने 'गागर में सागर' भरने का काम किया है।

मान्यवर, जो लोग किसानों की बात करते हैं, इसके लिए मैं अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा। 25 मार्च, 2020 को जब कोरोना काल का संकट इस देश और प्रदेश पर आया, तब देश लॉकडाउन से जूझ रहा था। उस वक्त हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों की चिन्ता करते हुए किसानों का मिल तक गन्ना ले जाने का काम किया। तो कहां है यह सरकार किसान विरोधी ? मान्यवर, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हमारे जनपद श्रावस्ती में एक गांव ''रामपुर पैड़ा'' है। इस गांव में एक ''राम जी'' पंडित जी हैं, उनका एक लड़का पिछली सरकार में एक नम्बर से पिछड़ गया था, उसके साथ भेदभाव किया गया था। उनका लड़का पिछली साल पूरी पारदर्शिता के साथ पी0सी0एस0 में चयनित हुआ और आज वह गोण्डा में सिटी मजिस्ट्रेट है। सरकार की इस पारदर्शिता को देखकर खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। चाहे शिक्षक की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, हमारी सरकार ने पूरी इमानदारी के साथ काम करके दिखाया है।

मान्यवर, रही बात सिंचाई की, तो बताना चाहता हूं कि वर्ष 2010 से सिंचाई विभाग में ताले लटक रहे थे, नहरें सारी बन्द पड़ी थीं, जिस दिन से कर्मयोगी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आयी, तो नहरों में पानी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी 20 दिन पहले हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री और डा0 महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 2550 पुलियों का पुनर्निर्माण/पुनरोद्धार करके समस्त किसानों को एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। मित्रों यह सरकार पूरी तरीके से गरीब, दलितों, वंचितों और मजलूमों के लिए समर्पित है।

मान्यवर, मैं आपसे आखिरी एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी विधान सभा क्षेत्र में 4 समस्याएं जटिल हैं। पहला हमारा जनपद श्रावस्ती नेशनल हाई-वे पर है और वहां पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर वहां पर एक मेडिकल कॉलेज मिल जाये, तो उससे वहां की जनता/जन मानस को काफी लाभ मिलेगा। दूसरा नदी के कछार में 'सिसवारा' के पास एक 'सी.एच.सी.' की स्थापना हो जाए, तो वहां की जनता/जनमानस को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां पर 35 कि0मी0 की रेंज में कोई अस्पताल नहीं है और तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी है गिलौला से सिसवारा घाट के पुल की कई बार मांग कर चुका हूं, अगर मा0 अधिष्ठाता जी यह पुल बन जाए तो 70-80 गांव जुड़ जायेंगे और जिला मुख्यालय जाने के लिए जो 40 कि0मी0 की दूरी तय करते हैं उसकी दूरी

कम हो करके 12 कि0मी0 हो जायेगी। मान्यवर, चौथा हमारे श्रावस्ती में कोई औद्योगिक केन्द्र नहीं है और हमारे यहां केवल किसान ही हैं, इसलिए अगर एक चीनी मिल मिल जाए तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। अन्त में मैं अपने विपक्ष के साथियों से एक आग्रह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि मित्रों अगर इस देश के आप सच्चे निर्माता हैं, देश के हित में अगर आप काम कर रहे हैं, देश भक्त हैं तो मित्रों! वह भाव कीजिए जो हमारे आदरणीय मोदी जी और योगी जी के अंदर है कि-

न तन चाहिए, न मन चाहिए, बस अमन के लिए एक वतन चाहिए।

जियो तो जिन्दगी भर शान से जियो, और मरो तो तिरंगा कफन चाहिए।।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

मित्रों! यह भाव होना चाहिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक अंसारी-

मान्यवर,

कोई कह दो इन उजालों से कि ज्यादा न इतरायें,

हर शाम के बाद अंधेरा होता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल महोदया सरकार के मन की बात कह रही थी। वह कोरोना का बहुत उल्लेख कर रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना जिसने देखा है वह मौत के मुंह से वापस आया है। इतनी नजदीक से मैंने कोरोना देखा है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर यह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। मैंने वो दिन देखा है मेरठ में एकदम शुरुआत के समय कोई डॉक्टर तक नसीब नहीं हो रहा था और दहशत व खौफ का माहौल पूरे मेरठ के अंदर बना दिया गया था। यकीन मानिये बहुत सारे मरीज दहशत से मर गये और जिनको कोरोना हो गया वह बेड को तरस रहा था। कोई डॉक्टर मरीज के नजदीक नहीं जा रहा था, कोई पूछने व दवाई देने भी नहीं पहुंच रहा था। मेरे एक रिश्तेदार थे उन्होंने तड़प-तड़प कर जान दे दी, ऐसे हालात बना दिये गये थे कि कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं था लोगों में खौफ था कि अगर जो छू लेगा वह भी मर जायेगा। डॉक्टर दूर से देख रहे थे कि यह तड़प रहा है और मरने वाला है, चंद मिनटों के अंदर उसे भी लग रहा था कि मेरी मौत आ रही है। जो बराबर बेड वाले मरीज थे वो भी यह कह रहे थे कि यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। इस सरकार ने डॉक्टरों के सारे क्लीनिक बंद करा दिये, सारे अस्पताल बंद करा दिये, कोई मरीज देखने वाला इस मेरठ शहर के अंदर नहीं था। ऐसे हालात, मैंने कयामत के दिन के बारे में सुना था, ऐसा लग रहा था कि कयामत आने वाली है। कयामत जैसे हालात इस सरकार ने बना दिये। कितने लोग बेजान मर गये उनको दवाई नहीं

मिली। उसके साथ-साथ कोरोना का प्रोपेगण्डा बना दिया कि जमाती कोरोना ले करके आये। कोरोना जमाती तो नहीं लाये, मिस्टर ट्रम्प 5000 लोगों को अमेरिका से लेकर आये थे, वो कोरोना को लेकर के आये। आप हमें बताओ कि किसी जमाती को कोरोना हुआ है या कोरोना से उसकी जान गयी हो। ऐसा माहौल बनाने का काम इस सरकार ने पूरे देश और प्रदेश के अंदर करने का काम किया है। कहां हैं मौलाना शाद, कितनी जांच हो गयी ? पता नहीं लगा। जांच थी ही नहीं, कोरोना को लेकर प्रोपेगण्डा बनाने का काम किया। कोरोना को लेकर भी हिन्दू-मुस्लिम को नहीं छोड़ा ? यह कैसी सरकार है ? कैसी बात करते हैं जमाती तो केवल अल्लाह की बात करते हैं न हिन्दू की करते हैं न मुसलमान की करते हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तीन महीने तक इन्होंने उन्हें स्कूल व कॉलेज के अंदर कैद करके रखने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों कैद कर रखा था। कई-कई बार उनकी सैम्पलिंग हो गयी, कोई पॉजिटिव नहीं था, सब निगेटिव थे। मैंने कहा कि डी0एम0 साहब इनको क्यों कैद कर रखा है ये बंगाल के, मुम्बई के, आन्ध्र-प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी महिलायें आंचल फैलाकर दुआयें कर रही थीं कि उन्हें हमारे बच्चों के पास भेज दो।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप करिये।

श्री रफीक अंसारी-

लेकिन इस गूंगी-बहरी सरकार पर कोई असर होने वाला नहीं था। उनकी तीन-तीन बार सैम्पलिंग हो गयी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर यह सरकार मजबूर हो गयी और उसके बाद उनको रिहा करने का काम किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि-हमारा सब्र ही इनको खाक में मिला देगा।

हमारे सब्र का इनको असर नहीं मालूम।।
सितम करोगे, सितम करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे।
हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वह हम करेंगे।।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

श्री अधिष्ठाता-

अंसारी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रफीक अंसारी-

अधिष्ठाता जी, मेरे सामने लोग 15-15 मिनट तक बोले हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मेरे सामने 15 मिनट कोई नहीं बोला। आपका 5 मिनट का समय समाप्त हुआ, अब आप बैठिये।

श्री रफीक अंसारी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय पूरा हुआ। अब आप बैठिये, जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री रफीक अंसारी-

मैं कहना चाहता हूं कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कि टोटल गुण्डाराज, जंगलराज कायम है। मेरे क्षेत्र में कई सड़कें बहुत जर्जर स्थिति में हैं जैसे आजाद रोड की सड़क, गोलकुंआ से इस्लामाबाद कांच के पुल तक की सड़क, सद्दीक नगर की सड़क तथा लिसाड़ी गेट से पुराने कमेले तक की जर्जर सड़कों का निर्माण कराया जाये। इसी के साथ आपका शुक्रिया।

श्री ज्ञानेन्द्र-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 18 फरवरी को आदरणीया माननीया राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में जो माननीय उपाध्याय जी द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं बल देता हूं। मान्यवर, एम0एल0ए0 व एम0पी0 को अगर 3 मिनट व 5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जायेगा तो वह उतने समय में भूमिका बनाने में ही रह जायेगा। कोरोना वैश्विक महामारी पर चर्चा हो रही है। अभी हमारे मा0 सदस्य बोल रहे थे मैं स्वयं इससे पीड़ित था। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जो व्यवस्था बनी उसी का परिणाम है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जो कैजुअल्टी की संख्या आयी है, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस जो विकसित राष्ट्र हैं जब आप तुलना करेंगे तो शून्य में आयेगा। लेकिन सामने के लोगों को विरोध करना है तो वह विरोध करेंगे लेकिन डब्ल्यू0एच0ओ0 ने उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी की सराहना की है और मजबूर हो करके सराहना किया है, डब्ल्यू0एच0ओ0 ने क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का प्रबन्धन, जो टीम-11 थी वह प्रतिदिन एक घण्टा मॉनीटरिंग करती थी उसी का परिणाम आया कि संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में कैजुअल्टी बहुत कम हुई है। मान्यवर, प्रवासियों को लाने की बात आयी तो परिवहन निगम की बसों से 40 लाख प्रवासियों को उत्तर प्रदेश लाया गया। राजस्थान के कोटा में जो 12 हजार छात्र-छात्रायें पढ़ रही थीं उनके माता-पिता घर पर परेशान और बच्चे वहां परेशान थे उनको भी लाने का काम हमारी सरकार ने किया। 14 हजार छात्र/छात्रायें प्रयागराज में रह रहे थे, यह सरकार की व्यवस्था का परिणाम ही रहा कि उनको सकुशल घर पहुंचाया गया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा साधु-संतों की उपस्थिति में अयोध्या में भूमि पूजन हुआ है, यह अपने-आप

में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक धरोहर है मान्यवर। हम लोगों ने देखा है माननीय मुख्य मंत्री जी की जो व्यवस्था थी। दीपोत्सव जो अयोध्या में हुआ, प्रयागराज में हुआ वह ऐतिहासिक कार्य है मान्यवर। ऐसा किसी देश या प्रदेश में सुनने को नहीं मिला होगा। सबका साथ, सबका विकास हमारी सरकार की मान्यता है। पारदर्शिता से काम होता है, पात्रता के आधार पर हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास लेकर काम कराती है। कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी मान्यवर। मान्यवर, हमें कई बार इस सदन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1991 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी थे उस समय भी हम लोगों ने कानून व्यवस्था को देखा था। पहली प्रेस कांफ्रेंस में माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो हत्यारे, बदमाश, डकैत, लुटेरे या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले जायं या अपराध करना बन्द कर दें और जो दोनों काम नहीं करेगा उसके लिये ऊपर एक तीसरा स्थान है। ठीक माननीय योगी जी ने भी इसी तर्ज पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि बदमाश उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर चले जायं अन्यथा अपनी आदत में सुधार लायें वरना उनके लिये तीसरा कोई स्थान नहीं ऊपर का ही स्थान है। कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री ज्ञानेन्द्र -

मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि एम0एल0ए0 और एम0पी0 को जब दो मिनट-तीन मिनट बोलने के लिये दिया जायेगा तो वह भूमिका बनाता ही रह जायेगा तब तक आपकी घंटी बज जायेगी। मेरे पास कई बिन्दु हैं लेकिन हम बोल ही नहीं पायेंगें तो क्या फायदा है। मैं हृदय की गहराई से योगेन्द्र उपाध्याय जी द्वारा जो राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देता हूं और आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री राहुल प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश सरकार जो हमारे यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में चल रही है कहीं न कहीं वास्तव में यह सरकार पंडित दीनदयाल जी के, सरदार पटेल जी के, डा0 बाबा साहब जी के विचारों को लेकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान को लेकर आगे बढ़ रही है। सरकार ने ऐसी अनेक योजनाएं जो उन्होंने अंतिम पायदान पर बसे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिये प्रयास किया है मैं उसी के सम्बन्ध में एक कहावत के माध्यम से कहना चाहता हूं -

हमें दीपक वहां जलाना है जहां सदियों-सदियों से अंधेरा है,

हमें उनके चेहरे पर मुस्कान लानी है जो सदियों सदियों से मुरझाये पड़े हुए हैं।

साथियों उसी क्रम में माननीय मुख्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेश की जो पारदर्शी छवि की सरकार है उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर घर नल योजना हो, किसान सम्मान निधि हो और कहीं न कहीं यह जो विषम परिस्थिति में सरकारें पूरी तरह से परास्त हो जाती हैं लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्य मंत्री जी के एक अटूट निर्णय को देखते हुए इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश इस समय कोरोना काल में जो महावैश्विक बीमारी के समय में भी लोगों के साथ ग्राम-ग्राम, मजदूर सभी के साथ लगे रहे, उनके भोजन की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया है। मैं जो किसान के विरोध की बात यहॉ कही जा रही है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है कहीं न कहीं आज किसानों के लिये चाहे बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों पर छूट, चाहे बड़े पैमाने पर बीजों में सब्सीडी और उचित मूल्य पर उपज की खरीद और उनको मिलना और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि यह देश कृषि प्रधान देश है और यह सरकार मानती है कि जब गांव खुशहाल रहेगा, गरीब खुशहाल रहेगा, किसान खुशहाल रहेगा तब ही प्रदेश और देश खुशहाल रहेगा। इसी क्रम में केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी अत्यन्त पिछड़ी हुई विधान सभा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। कहीं न कहीं मेरी विधान सभा 30 से 40 प्रतिशत जंगल से आच्छादित है। वहां हमारे 30 से 40 गांव ऐसे हैं, जहां जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। मेरी विधान सभा में तीन प्रमुख मार्ग मतवार सम्पर्क मार्ग, बरुआ सम्पर्क मार्ग और मटिहरा सम्पर्क मार्ग है, जिन पर वन विभाग की अनापत्ति न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर आपकी कृपा हो जाए और आपके माध्यम से सरकार को दिशा-निर्देश भी मिले साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम कोल जाति से आते हैं, हम आदिवासी, गृहवासी, मूल निवासी समाज से आते हैं। आज मेरे पिताजी श्री पकौड़ी लाल कोल जी सोनभद्र से सांसद हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहली बार सदन में आने का अवसर मिला है। हर व्यक्ति अपने समाज की बात को रखता है। मैं चाहूंगा कि इस देश में एक कानून व्यवस्था हो। चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे झारखण्ड में हो, इन्हीं कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि कोल जाति को इन तीन प्रदेशों के तर्ज पर दोहरा मापदण्ड न अपनाते हुए एकरूपता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की कोल जाति को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आपके माध्यम से आग्रह करता हूं। मैं क्षमापूर्वक कहना चाहूंगा कि 28 फरवरी को धान खरीद बन्द होनी थी, लेकिन हमारे मिर्जापुर में अभी कल ही कई किसानों का फोन आया कि वहां पर खरीद बन्द कर दी गयी है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर पोर्टल को खोला जाए और कुछ दिन

जो भी प्रक्रिया हो, वहां वे किसान जो आज भी परेशान हैं, पीड़ित हैं उनके धान की खरीद की जाए, जिससे जो हम किसानों की खुशहाली की सरकार है, मजदूरों और बेरोजगारों की सरकार है, उसमें कहीं से आक्षेप न लगने पाये। भगवान श्रीराम जी के नाम पर इस समय पूरा देश अपने आप में लालायित है कि ऐसे मन्दिर का निर्माण हो जाने से इस देश का, इस प्रदेश का एक धार्मिक पौराणिकता से जुड़ने का सौभाग्य होगा। यह अनेकानेक संस्कृतियों का देश रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि ''बिना कुछ किये जयजयकार नहीं होती। बिना जनता की सरकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।।'' इसी क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी का निर्णय है जो आज भव्य राम मन्दिर बनने जा रहा है, यह अपने क्रिया-कलापों और सत्कर्मों का काम है। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। मा0 राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बल देते हुए और भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए अपना दल की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 संग्राम सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मा0 नेता विरोधी दल के रखे हुए संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदया जब अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं, हद तो तब हो गयी जब सरकार अपनी तारीफ की पराकाष्ठा को छूने का काम कर रही थी। सरकार लगातार यह बताने का काम कर रही थी कि हमने कोरोना काल में बहुत बेहतर तरीके से इंतजाम किये हैं। हम मानते हैं, पहली बार आंखों ने ऐसा मंजर भी देखा है कि पूरे देश और दुनिया में मानवता का क्या कहा जाए, पशु-पक्षी से लेकर सारे के सारे लोग परेशान थे। हम किसी का दोष ठहराने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से प्रबन्धन होना चाहिए था, विपक्ष को कहीं विश्वास में लिया गया है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कोई बैठक नहीं हुई। यह सही है कि बैठक से दूर रहे, लेकिन कोई वर्चुअल बैठक होनी चाहिए थी। मा0 मुख्य मंत्री जी लगातार टीम-11 के साथ बात करते रहे, मंत्रि-परिषद् के साथ भी उनकी कोई बात नहीं हुई। टीम-11 के द्वारा राज्यों में चाहे वह पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, जिन-जिन राज्यों में नोडल अफसर नियुक्त किये गये थे, उन नोडल अफसर के जो फोन नम्बर उपलब्ध कराये गये थे, हम सब लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनसे सम्पर्क हो कभी एक आध कोई फोन उठ भी गया तो जिस तरह से सार्थक बात होनी चाहिए थी उस तरह से बात भी नहीं हो पा रही थी। किस हालात से देश के लोग सहमे थे कितना भय का माहौल था कि परिवार का बेटा भी अगर दिल्ली से, कलकत्ता से और मुम्बई से घर आता था तो गांव के लोगों ने बाहर ले जाकर उसको ऐसे छोड़ दिया कि देखकर बहुत आश्चर्य होता था। डब्लू0एच0ओ0 ने कहा था कि एक हजार की आबादी पर एक डाक्टर

हो हम मानते हैं कि वह मानक नहीं पूरा हो पा रहा है लेकिन जो गम्भीर बीमारियों से लोग ग्रसित थे ऐसा माहौल बना कि दहशत में किडनी से लेकर, कैंसर से लेकर, हार्ट के कितने मरीज दवा के अभाव में अपना दम तोड़ दिए अनिश्चितता के वातावरण में कितने लोग पैदल चल दिए पैदल चलते चलते फैजाबाद की तस्वीर मुझे याद है वहां पर एक मां ने सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दिया। किस हालात में लोग थे कि सड़क की पटरी पर चलते चलते भूखे नंगे थक कर सो गए। औरैया के अन्दर कितना बड़ा हादसा हुआ हम सरकार की आलोचना नहीं करते हैं लेकिन जिस बेहतरी के साथ जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर, कैबिनेट को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए था लेकिन केवल टीम-11 को साथ लेकर काम किया गया। ऐसा लगता था कि केवल टीम-11 काम कर रही है बाकी कोई तंत्र काम नहीं कर रहा है। जहां सरकार कोरोना काल में बेहतर प्रबन्धन नहीं दे पाई वहीं पर हम आपसे कहना चाहते हैं भारत किसानों का देश है चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। हमारे समाजवादी नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश तरक्की करेगा देश खुशहाल होगा बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन ने कहा था कि कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था ही देश के अन्दर खुशहाली ला सकती है। लेकिन आज हालात क्या हैं आज हालात बद से बदतर होता जा रहा है। लगातार किसान ठंड में पड़ा है प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बातें करते हैं, मुख्य मंत्री जी भी बहुत सक्रिय हैं लेकिन जो सार्थक परिणाम आने चाहिए थे किसान आन्दोलन के वह अभी तक नहीं आ पाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जिस तरह का माहौल है जिस तरह से बिचौलिए किसानों के अनाज को औने-पौने दामों में जिस तरह से खरीद करते हैं, तीन साल हो गए आप भी किसान परिवार से हैं एक भी पैसा गन्ना किसानों का नहीं गया है। कहते हैं कि खाद महंगी, बिजली महंगी डीजल महंगा डाई महंगी यूरिया महंगी न जाने कौन सा फार्मूला आपके पास है कि इतनी महंगाई के बाद कहते हैं कि मैं किसान की आय को दोगुना कर दूंगा। कहां से किसान की आय दोगुनी होगी। डाक्टर लोहिया ने कहा था **जो जमीन को जोतते हैं वह जमीन के मालिक हैं, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर अड़ना सीखो।**

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 संग्राम सिंह यादव-

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात की। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल से लगा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे है वह हमारे क्षेत्र से होकर निकलता हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हमारे क्षेत्र से सटा हुआ है। अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर सबसे छोटी जोत का किसान ने बूढ़नपुर तहसील पर हम सभी ने धरना दिया। हमने कहा कि किसान को ज्यादा मुआवजा दिया जाए वहां पर जब किसान ने अपनी फसल बो दिया, गेहूं की और सरसों की फसल

लगभग तैयार थी तो दो दिन, तीन दिन पहले अधिकारी आते हैं और किसानों से कहते हैं कि आप अपना खेत खाली कर दें, किसानों के खेतों पर जे0सी0बी0 चलाकर जो किसान अपनी फसल को रोक रहा था गगनपुर तिराहे पर दौड़ा-दौड़ा कर उनको मारा गया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। किसान अपनी बात कह रहा था लेकिन पुलिस ने जो तांडव किया आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में हम उसकी निन्दा करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 संग्राम सिंह यादव-

मैं मांग करता हूं कि इसकी आप जांच करा लें और जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। आपने इस अहम मौके पर बोलने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी मांग है कि गगनपुर तिराहे पर जो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है आप उसका संज्ञान लें और इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सौरभ श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा जन्म एक सामाजिक-राजनैतिक परिवार में हुआ। मैंने बचपन से ही अपने पूज्य पिता जी को जनसेवी राजनेता के रूप में कार्य करते हुये देखा है। उनके दरवाजे सभी के लिये खुले रहते थे, जो उनका साथ दे उनके लिये भी और जो उनका विरोध करे उनके लिये भी, लेकिन उनके बाद की सरकारों में एक बड़ा विकृत रूप देखने को मिला। मैं इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी भी है। निश्चित रूप से हर सरकार को काशी का सम्मान करना चाहिये था, लेकिन काशी में सांसद कहिये तो, विधायक कहिये तो, मेयर कहिये तो, पार्षद कहिये तो सब भाजपा से चुनकर आते थे और प्रदेश में सरकार सपा या बसपा की और केंद्र में कांग्रेस की होती थी। काशी का विकास तो जाने दीजिये पूरी तरह से विनाश कर दिया गया। यह तो भला हो बाबा भोलेनाथ की कृपा हुयी कि 2014 में काशी की जनता ने सांसद के स्थान पर सीधे प्रधानमंत्री चुना और आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी आए और 2017 में प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। मान्यवर, इस भाजपा की सरकार ने निरन्तर जनता के लिये कार्य करना शुरू किया और प्रदेश की विकास की गाड़ी जो पटरी से उतर गयी थी वह वापस पटरी पर ले आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये सूत्र वाक्य 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' पर अक्षरशः आधारित हमारे प्रदेश सरकार की नीति भी सतत् संतुलित और सर्वस्पर्शी विकास की है, जिसके अनुसार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिये कल्याणकारी योजनाएं बनायी जा रही हैं। विश्वव्यापी कोरोना संकट में हमारी सरकार ने

सबसे पहले समय पर लॉकडाउन लगाकर हमारे प्राणों की रक्षा की। लॉकडाउन के दौरान कोई गरीब भूखा न सोये, इसके लिये सरकार, राजनैतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रात-दिन मेहनत करके एक-एक गरीब के घर राशन पहुंचाया और कोरोना काल समाप्त होने और लॉकडाउन के बाद वह लोग जिनकी पूंजी टूट गयी थी, बिना शर्त के उनको ऋण देकर उनकी पूंजी वापस देकर उनको पुनः उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया गया और आज कोरोना का टीकाकरण भी प्रगति पर है। मान्यवर, कोरोनाकाल में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की आस्था और स्वाभिमान के केंद्र अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मन्दिर के निर्माण की नींव भी रखी गयी। प्रदेश के विकास हेतु निवेश को सफलतापूर्वक आकर्षित करने की योजना, अवस्थापना विकास हेतु कई एक्सप्रेस-वे का निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्योगों का विकास, प्रदेश को मुख्य निर्यातक राज्य बनाने की ओर कदम बढ़ाना, ऊर्जा क्षेत्र का विकास उत्तर प्रदेश को न केवल विकसित करायेगा वरन् रोजगार के प्रसार पर पूरा ध्यान देकर जनता की गरीबी को भी दूर करेगा। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ माफियाओं पर अंकुश लगाना भी प्रशंसनीय कदम है। हमारा प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य में किसान ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण का बोझ अपने बच्चों को विरासत में देकर चला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अति मानवीय संवेदना के साथ लिये गये निर्णयों को उत्तर प्रदेश की योगी जी की भाजपा सरकार ने बड़ी कुशलता से लागू किया है जिससे किसानों की आय में वृद्धि भी हुयी है और एक खुशहाल जीवन उन्हें प्राप्त हो रहा है। मान्यवर, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के विकास का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग होते हैं कृषि, उद्योग, परिवहन जिनका समन्वय कर राज्य के सतत् विकास का लक्ष्य प्राप्त होता है। किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है जनता के रहन-सहन का उन्नयन। आज हमारा उत्तर प्रदेश इसी लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है। माननीया राज्यपाल महोदया ने हमारी सरकार के उन सभी प्रयत्नों का अत्यन्त ही सुन्दर वर्णन किया है ''उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश'' बनाने का नारा तो पुरान है लेकिन आज उत्तर प्रदेश वास्तविक रूप में उत्तम प्रदेश बन चुका है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र वाराणसी कैंट के रामनगर जो यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक स्थान है उनके नाम पर मां गंगा के तट पर एक पक्का घाट बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, विनायका से कमच्छा व बिरदोपुर से रथयात्रा के लिए वर्षों पूर्व स्वीकृत गहरी सीवर लाइन परियोजना पर ध्यान नहीं दिया गया है, रेवड़ी तालाब वार्ड में स्थित तिलभांडेश्वर मन्दिर व बजरडीहा वार्ड में स्थित देवपोखरी सौंदर्यीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इन विषयों पर भी अवश्य ध्यान दिया जाये। मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर उपस्थित धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री रमेश दिवाकर जी उपस्थित नहीं हैं। मा0 सदस्य डा0 हरेन्द्र प्रताप सिंह जी।

डा0 हरेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, जिस तरह का दृश्य विगत तीन-चार वर्षों के अभिभाषणों के बाद मैं देखता आया हूँ, उसमें इस बार थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। लग रहा है कि साथ बैठने और चलने का असर पड़ रहा है। पहले कागज के गोले फेंकने का जो क्रम था, हो-हल्ला और वेल में आने का जो क्रम था वह अब कम हो रहा है। इस बार जब विकास पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के लोग खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, जिनको विकास से कोई लेना-देना नहीं है और जब भी अवसर मिला उत्तर प्रदेश में जो भी इन्होंने किया है वह सब जनता जानती है। महामहिम राज्यपाल महोदया जब अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं तब ये लोग पीठ दिखाकर सदन से बाहर चले गये थे। मुझे लगता है कि यही आचरण इनका रहा है, इसलिए वर्ष 2022 में भी जनता इन्हें पुनः पीठ दिखाने जा रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पहली बार उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मुख्य मंत्री मिले हैं जिनका हृदय की गहराई से हम बहुत आदर करते हैं। सिर्फ आदर ही नहीं करते हैं बल्कि उनकी वन्दना करने का भी मन करता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महराज जी का जीवन एक-एक पल, एक-एक क्षण पीड़ित मानवता की सेवा करने में समर्पित है। मैं एक चिकित्सक हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पीडियॉट्रिक्स में डाक्टर था। दो-तीन चीजें मुझे टच करती हैं। पीडियॉट्रिक्स वार्ड में मैं बरसात के मौसम में देखता था कि चौबीस घन्टे की इमरजेन्सी में हम लोग पचास-पचास इन्सेफेलाइटिस के मरीज भर्ती करते थे और 70 से 80 प्रतिशत मरीजों की मृत्यु हो जाती थी और जो मरीज बच जाते थे, उनमें से बड़ी संख्या में बच्चों को मेन्टल रिटार्डेशन, पैराफ्लेसिया व अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता था और उनका जीवन बेकार हो जाता था। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर और इतने कम समय में, यहां पर सपा और बसपा के लोग भी बैठे हैं वह कल्पना करें कि कितना बड़ा कार्य हैं। मैं पीडियॉट्रीशियन हूँ और इस ओर मेरा ध्यान नहीं गया, इतने कम समय में मात्र चार वर्षों के समय में इतनी बड़ी पैरामेडिकल, मेडिकल की टीम को ट्रेन्ड करना, इन्सेफलॉइटिस पीड़ित क्षेत्र में पीडियाट्रिक्स इन्टेन्सिव केयर यूनिट (PICU) की स्थापना करना, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को मॉस लेवल पे इन्सेफलाइटिस के टीके लगवाना इन्हीं सबका परिणाम यह है कि इस वर्ष मात्र 6 मृत्यु हुई हैं और मात्र 90-95 बच्चे ही संक्रमित हुए हैं। यह सरकार का विजन है, सरकार का दृष्टिकोण है पूज्य महाराज जी की देन है। दूसरा विषय मैं बताता हूँ हम सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे इस पार बैठे

हों या उस पार बैठे हों, कोई भी विपक्ष का सदस्य आज मेरे सामने अपने दिल पर हाथ रखकर कह दे कि समाज का वह तबका जिनका न कोई घर था न कोई ठिकाना था, विपक्ष के मित्रों से पूछता हूं वे मुसहर समाज के लोग, वे वनटांगिया समाज के लोग जिनका कोई नहीं पता जिनके पास अपना मकान नहीं था, साल भर के अन्दर पूरे उत्तर प्रदेश में मुसहर और वनटांगिया समाज को पक्का छत दे देना कितना बड़ा काम है। आज तक किसी मुख्य मंत्री ने नहीं सोचा था। वाकई में वन्दनीय है महाराज जी, उनकी पूजा करनी चाहिए। जब मुसहर बस्तियों में मैं जाता हूं, पक्के मकान दिखते हैं, कालोनी दिखती हैं, बिजली दिखती है, आज तक क्यों नहीं ध्यान गया। 10 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भी अवसर दिया था। बसपा के लोगों को अवसर दिया, दलित के नाम पर राजनीति करने वालों का ध्यान उन मुसहर और वनटांगिया समाज पर नहीं गया। तीसरा विषय अभी एक लेटेस्ट मुद्दा है वह किसान इनके लिए फैशन का मुद्दा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों का लम्बरदार होने का किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का और किसान पुत्र होने का जो लोग दम भरते हैं, विगत 3-4 दिन से 18/2 से लेकर आज तक लगातार किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसानों ने दिया है, आपने क्या किया ? एक कोई योजना इस सदन में कोई नेता बता दे जिसकी वजह से किसानों के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान सरकार ऐसी सैकड़ों योजनायें अधिष्ठाता महोदय मैं बता दूं कि जिससे प्रदेश के किसानों में खुशहाली आती है। जब रात में हम लोग बाहर आते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी रात में चौक-चौराहों पर, गोदामों पर लाठी लेकर सैकड़ों लोग खड़े थे तो पूछते थे कि क्या भइया क्या है ? भइया आज खाद आने वाली है। सैकड़ों की संख्या में जाड़े की रात में लोग खड़े होते थे। खाद नहीं मिलती थी, लाठियां अवश्य मिलती थीं। आज 4 साल की सरकार में कोई एक घटना बता दें जहां खाद व बीज के लिए किसानों पर लाठियां चली हों। ऐसे ढेर सारे काम बाकी चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। इनकी 10 साल की सपा बसपा को जोड़ दें उससे ज्यादा खरीद हमने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक विषय जो मुझे बहुत टच करता है, किसानों का विषय हो गया, वनटांगियां का, इन्सेफेलाटिस का इसके अलावा ऐसे ढेर सारे क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूज्य योगी जी महाराज जी की सरकार ने बहुत संवेदनशीलता से काम किया है और अद्भुत है। हम लोग हास्पिटल रन करते थे 12-12 और 14-14 घण्टे जेनरेटर चलाने पड़ते थे, हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं आज शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली मिल रही है, शायद ही कभी महीने-दो महीने में जेनरेटर चलाने की आवश्यकता पड़ती हो, ऐसी है उत्तर प्रदेश की सरकार और एक विषय जो बेसिक विषय है ईज आफ डूईंग के अलावा रोजगार के अलावा ईज आफ लिविंग का जो विषय हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है यह अद्भुत है। गांव को स्वच्छ पेयजल, गांव को बिजली, गांव को अच्छे सम्पर्क मार्ग और गांव में बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था, गरीब परिवार के बच्चों के लिए अभ्युदय योजना में निःशुल्क कोचिंग देने का जो विषय है माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह

अद्भुत है और विपक्ष के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इन लोगों को अच्छी बातों की प्रशंसा करनी चाहिए, इसको सहजता से लेना चाहिए, आप नहीं कर पाये, प्रार्थना करिये कि आगे कभी जीवन में अवसर मिले तो आपको यह काम करने चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए और कुछ विषय अपनी विधान सभा क्षेत्र से अगर आपकी अनुमति हो तो सुना दूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत समय हो गया है, एक आखिरी सेन्टेन्स बोल दीजिए।

डा0 हरेन्द्र प्रताप सिंह-

एक प्रमुख विषय है, हमारे विकास खण्ड जलालपुर, एक ओडियार है जिसका चौड़ीकरण, उच्चीकरण का विषय है, विकास खण्ड सपोली में रामेश्वर महादेव एक धर्म स्थल है उसके बचे हुए भाग का चौड़ीकरण, उच्चीकरण और माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैंने व्यक्तिगत भी उनसे चर्चा की मेरी विधान सभा क्षेत्र में तीन सब स्टेशन हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पारस-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश, हमारा प्रदेश नहीं पूरा विश्व एक बहुत बड़ी दैविक आपदा से जूझ रहा है और जूझा है। उसी दैविक आपदा के तहत मान्यवर कोरोना संक्रमण के रोक-थाम के प्रयासों का भाजपा सरकार ने अभिभाषण में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, जबकि हकीकत बहुत अलग है। मुझे बहुत खेद के साथ सदन के सामने कहना पड़ रहा है कि सरकार ने न तो इस महामारी काल को जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गयीं हमारे देश में लगभग एक लाख साठ हजार लोग मौत के मुंह में चले गये, हमारे प्रदेश में भी लगभग 8700 लोग मौत का ग्राहक बने। (इसी मध्य 07 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।) ऐसे महामारी काल को भी सरकार ने लोगों की परेशानी दूर करने के बजाये उनके कष्टों से निजात दिलाने के बजाये उन उपायों को इमानदारी से लागू करने के बजाय अपनी भूमिका न निभा कर उसे मात्र राजनीति के अवसर की तरह इस्तेमाल किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना ने दिसम्बर, 2019 और जनवरी, 2020 में चीन से शुरू होकर विश्व के कई देशों में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिये थे। दिनांक 14 मार्च, 2020 तक दुनिया में कोरोना से 5800 मौतें हो चुकी थीं और 09 फरवरी तक 88000 से ज्यादा लोगों में कोरोना होने की पुष्टि हो चुकी थी। दिनांक 20 मार्च, 2020 तक थाईलैण्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताईवान, मकाऊ, हांगकांग, संयुक्त

राज्य अमरीका, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, ईरान, इटली, कतर, कुवैत सहित 107 देशों में कई मामले सामने आ चुके थे, उसके बावजूद जब रोकथाम करनी चाहिये थी तो हमारी भारत सरकार ने न तो कहीं पर इण्टरनेशनल फ्लाइट्स पर कोई रोक लगाई और न ही उनकी जांच की कोई व्यवस्था की जिससे दूसरे देशों से आने वाले संक्रमण को रोका जा सके। दिनांक 23 जनवरी, 2020 को इन सबके बावजूद डब्ल्यू0एच0ओ0 ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए चिंता व्यक्त की और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का निर्णय ले लिया, लेकिन इन सबके बावजूद भी हमारे देश में अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प जी के कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 24 जनवरी, 2020 को अहमदाबाद में कराया गया। जबकि सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। धीरे-धीरे सारे देशों में यह संक्रमण फैल रहा था लेकिन हमारी सरकार उन देशों के राष्ट्रपतियों के स्वागत में लगी थी। हजारों लोग यहां पर हमारे देश में आये जिसकी वजह से संक्रमण फैला। अगर संक्रमण ना फैला होता तो जहां-जहां ट्रम्प साहब का प्रोग्राम हुआ था, वहीं-वहीं पर सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ जैसे अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली। उसके बावजूद हमारे प्रदेश और देश की सरकारों की आंखें नहीं खुलीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार एक निश्चित साजिश के तहत गिराई जाती है और उसके बाद हजारों लोगों के बीच में वहां पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप गंभीर नहीं थे। अचानक दिनांक 23 मार्च, 2020 को एक दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया जाता है और 25 मार्च, 2020 को एक महीने का लॉक डाउन बिना किसी तैयारी के घोषित कर दिया जाता है। जो गरीब साइकिल रिक्शा चलाकर अपनी रोजी-रोटी कमाता था, वह कैसे अपना पेट भरेगा जब होटल बंद हो जायेंगे, वह कहां से रोजी-रोटी कमायेगा और खायेगा इसकी कोई तैयारी नहीं की गई और अचानक पूरे देश को लॉकडाउन में झोंक दिया गया। सबसे बड़े कष्ट की बात यह है कि सरकार ने अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे देशों से आये जमातियों के नाम पर सारा ठीकरा फोड़ दिया, जबकि सरकार ने ही उनको वीजा दिया था। जब सरकार को पता था कि दूसरे देशों से संक्रमण आ रहा है तो सरकार ने आखिर वीजा क्यों दिया और अगर वीजा दिया था तो उनकी जांच की व्यवस्था क्यों नहीं कराई, लेकिन सरकार को उस समय भी वोट की राजनीति दिखाई दे रही थी इसलिये सारा ठीकरा जमातियों पर फोड़कर उन पर ब्लेम कर दिया गया। हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे का माहौल खराब कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि गांव-देहात में यह स्थिति हो गई कि अगर कोई बेचारा मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति सब्जी बेचने भी गांव में जा रहा था तो उसको घुसने नहीं दिया जा रहा था और उसकी पिटाई करने की नौबत आ जाती थी। इस देश की अखण्डता और एकता को तोड़ने की कोशिश की गई। उन लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उन्हें ऐसा लगता था कि हमने इस देश में रहकर कहीं कोई बहुत बड़ी भूल न कर दी हो।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी शायर ने कहा है कि-

"ना ही फर्क एक तिनके का भी, ना ही खून का रंग कुछ और है,
बस फर्क यह है कि आप जैसे लोग किसी को हिन्दू तो किसी को मुसलमान कहते हैं।
कोई पूजे पत्थर तो कोई सजदे में अपना सर झुकाते हैं,
वह बस एक ही है, कुछ उसे पूजा तो कुछ उसे अपना ईमान कहते हैं।
वह एक ही हस्ती और एक ही वजूद है जिसने सारा जहां बनाया,
फर्क इतना है कि कुछ उसे खुदा तो कुछ उसे भगवान कहते हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, जमातियों पर ठीकरा फोड़ने के बावजूद भी कोई शर्म नहीं आई। लॉकडाउन में रोजी-रोटी से परेशान लोग जब पैदल ही अपने घरों को चल दिये, उनके पैरों में छाले पड़ गये फिर वह पत्थर पर सड़कों के किनारे सो गये तो मालवाहक ट्रक उनके ऊपर से गुजर गये, पता नहीं कितने लोगों की जानें चली गईं।

मान्यवर, सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब पुलिस ने सड़कों पर नहीं चलने दिया तो रेल की पटरी पर किनारे-किनारे लोगों ने चलना शुरू किया जहां पर थक गये, सोचा कि ट्रेन तो लॉकडाउन में बंद है और उन्हीं पटरियों पर सो गये उसके बाद उनके ऊपर कितनी ट्रेनें गुजर गईं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गयी। न खाने का इंतजाम था, न सोने का इंतजाम था। गांव देहात के रास्तों पर लोगों ने जैसे-तैसे खिला दिया। ऐसे-ऐसे हादसे आप लोगों ने देखे होंगे कि बेचारी एक महिला ने ब्रीफकेस पर अपने बच्चे को ले करके साढ़े सात सौ किलोमीटर का सफर तय किया। हमारी एक बहन ने दिल्ली से अपने बाप को लेकर बिहार पहुंचाने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बस करिए हो गया।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। इन सबके बावजूद भी हमारा आप सबसे कहना है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन कम से कम ऐसी महामारी के नाम पर हमारे बीच से जो लोग चले गये हैं जिनका लोग मुँह तक नहीं देख पाये उस समय कम से कम राजनीति न करके एक व्यापक प्रबंध करना चाहिए था, जिससे लोगों की जानें बच सकती थीं। मान्यवर, आज अभिभाषण में किसानों का बहुत जिक्र किया गया। किसान की आय दोगुनी, पता नहीं कौन सा फार्मूला सरकार के पास है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी ? आज किसान जो अपना धान 2400 रुपये कुन्तल बेचा करता था, उससे गांव देहात में लोग 1100, 1200 में खरीदने को तैयार नहीं हैं। कितनी बड़ी मजबूरी है कि जब किसान अपना धान 1100, 1200 में बेचेगा और उसके बाद उसी का चावल जब बाजार में खरीदने जाता है तो वह चावल 50 से 60 रुपये किलो बेचता है। जब आलू किसान बोता है तो 50 रुपये किलो

मिलेगा और जब फसल तैयार होकर बाजार में बेचने जायेगा तो 6 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये में कोई लेने को तैयार नहीं होगा ? कितना डीजल, कितनी महंगाई, किस तरह से किसानों को आज 90 दिन से ऊपर हो गये हैं और वहां पर किसान, वह अन्नदाता जो हम सबका नहीं, एक जानवर, चींटी, कीड़े-मकोड़े से लेकर सबका पेट भरने का काम करता है। उसके घर में गांव पर अगर कोई मांगने जाता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। आज वह मांगने के लिए 90 दिन से दिल्ली के बार्डर पर पड़ा है। उन किसानों की तरफ से एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। वह किसान जिसने आपको इतनी बड़ी राजनैतिक हैसियत बनाई। आपको समर्थन दिया। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाईं। आज वह किसान आपसे कहना चाहता है कि ज्यादा घमंड मत करना क्योंकि अगर वह सत्ता देना जानता है तो कहीं इधर से उधर, हम उधर चले जाएं और आप इधर न आ जाएं-

जहां आतिश फिशा हर गांव पर लावा उगलते हैं,
हम ऐसे रास्तों पर रोज नंगे पांव चलते हैं
हमें आदत नहीं है हार कर मायूस होने की,
नतीजे खुद बदल जाते हैं, जब हम चाल चलते हैं,
उन्हें मालूम हो तो, नहीं हो तो तुम बता देना,
कजा आने से पहले चींटियों के पर निकलते हैं।

श्री अध्यक्ष-

और लोगों को भी बोलना है, बस करिए।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, नौजवान परेशान, मजदूर परेशान और तो और जो व्यापारी हैं वह नोटबंदी से परेशान हैं। मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं दलित समाज से आता हूं। मैं परम पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी एवं परम श्रद्धेय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि भा0ज0पा0 की सरकार में दलितों पर कितने जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। इतनी सरकारें आईं मगर दलितों ने इतना जुल्म नहीं सहा। मर्डर, रेप, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। संविधान से खिलवाड़ हो रहा है और तो और आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। सारे विभाग बेच दिये जा रहे हैं। उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं और तो और हमारे महापुरुषों के नाम पर जो छुट्टियां थीं वह भी खत्म कर दी गयी हैं, जिससे हमारे लोग महापुरुषों का इतिहास भूल जाएं। अभी धारा-144 लगा करके रविदास जयन्ती 27 तारीख को आ रही है, जिसे मनाने की छूट नहीं दी जा रही है। शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 27 तारीख को आने वाली रविदास जयंती पर छुट्टी दी जाये और उसके

बाद उनकी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने का कष्ट करें। श्रीमन्, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर हमारे मा0 सदस्य श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

मान्यवर, क्रम संख्या-27 तक हो गया है। क्रम संख्या-28 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट आप रुक जायें। यह सूची 27 तक हो गयी है।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी।

श्री अध्यक्ष-

बोल रहे हैं आनन्द जी।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जी।

श्री अध्यक्ष-

मैं एजेण्डा के कुछ सरकारी कामकाज पहले निपटाना चाहता हूं। उसके बाद बहस चलती रहेगी। मद संख्या-51 पर एक संकल्प है। नागरिक उड्डयन मंत्री जी के नाम से है। जिसे उत्तर देना है वह तैयार रहें। अब हम क्रम से चलते हैं।

[07:15] उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2018-19†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन-2018-19 (01-04-2018 से 31-03-2019) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (इक्यावनवां संशोधन) नियमवाली 2020††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1120/86- 2020-57(सा0)-2017, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवां संशोधन) नियमवली 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1824/86- 2020-57(सा0)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (तिरपनवां संशोधन) नियमावली 2021†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2219/86- 2020-153(सा0)-2017, दिनांक 27 जनवरी, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (तिरपनवां संशोधन) नियमावली, 2021 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पचासवां संशोधन) नियमावली 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-746/86-2020- 14(सा0)-2020, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (पचासवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश खजिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1090/86-2020- 183-2011, दिनांक 04 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ की तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ की तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) की उपधारा-बी को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ की इक्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ की इकत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) की उपधारा-बी को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-446/ग्यारह- 9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (103)-2020, दिनांक 29 अप्रैल, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-क0नि0-2-446/ग्यारह- 9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (103)-2020, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-426/ग्यारह-2(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (104)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-426/ ग्यारह-2(47)/ 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (104)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2(47)/17- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-661/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (128)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-661/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (128)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-839/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (129)-2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-839/ग्यारह-2-20-9(42) 17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (129)-2020, दिनांक 20 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-869/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (130)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-869/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (130)-2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश

---

† छापी नहीं गयी।

अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-790/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (131)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-790/ग्यारह-2-20-9 (42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (131)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-793/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (132)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-793/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (132)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-794/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (133)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-794/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (133)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-795/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (134)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 202†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-795/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (134)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1

† छापी नहीं गयी।

सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-840/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (135)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-840/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (135)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-841/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (136)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-841/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (136)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-842/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (137)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-842/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (137)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-882/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (138)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-882/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (138)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1

---

† छापी नहीं गयी।

सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-883/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (139)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-883/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (139)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9 (46)-20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (140)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9 (46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (140)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-4 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2018-2019 तथा विनियोग लेखे 2018-2019††

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारत के महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2, वर्ष 2018-2019 तथा विनियोग लेखे 2018-2019, उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-29 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-30।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

[7:30] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन††

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन जो सहकारिता विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन††

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का पंचम् प्रतिवेदन††

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का पंचम् प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज की कार्य-सूची में जितनी भी याचिकाएं हैं, वह उपस्थित हुई मान ली गयीं।

(मद सं0-33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47 की याचिकाएं उपस्थित हुई मानी गईं)

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

1. जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर में भगवन्त नगर की पनई बुजुर्ग से ग्राम काशीखेड़ा तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2. जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के ग्राम कन्दर में होम्योपैथिक अस्पताल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयीं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के पंचायती राज विभाग से इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2. जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बरहाकला तथा पीखी रोड पर विद्युत के जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री राहुल जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3. जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत माथर से गौरियाकला तक लगभग तीन कि0 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

4. जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के ग्राम सभा माँखी में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य भवन पर स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम फरीदापुर जागीर में बद्री प्रसाद के घर से नरदेव के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बद्री प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2. जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम दौली रघुवर दयाल में मठिया चौराहे से बलरउ आजमपुर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3. जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम खानपुर में खानपुर बाजार से पक्की सड़क तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खरक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

4. जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम पहाड़गंज मन्दिर से खूबचन्द्र पटेल के घर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†

जनपद महोबा के अन्तर्गत कस्बा कुलपहाड़ में संचालित राजकीय बालिका इण्टर कालेज में शिक्षकों की तैनाती के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

1. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ एवं ऊँचाहार के ज्योतियामऊ से करोली दमा होते हुए छदम्बा तक सड़कों का नवनिर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज यादव व निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के नगर पंचायत के वार्ड नं0-5 में मोहल्ला सराय में शिय मस्जिद से मुस्ताक किराना स्टोर (खरौली रोड) तक मार्ग एवं नाली के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सलीम कुरैशी व निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के वार्ड नं0-7 में डा0 राजकुमार मिश्रा के मकान से लेकर लल्लन प्रसाद सिंह के मकान तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री ममता पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के वार्ड नं0-10 में प्रयागराज-लखनऊ मार्ग में गन्दा नाला पुल से अजहर के मकान तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्सूर फात्मा निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के वार्ड नं0-5 मोहल्ला सरांय में स्थित लल्लन की गढ़िई का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सलीम कुरैशी व निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार में जल निगम द्वारा पानी न दिये जाने के बाद भी पानी का बिल लगातार आने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय व निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

7. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड वार्ड नं0-4 में सौर ऊर्जा एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र त्रिदेवा व निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के वार्ड नं0-2 में कादिर सल्मानी के मकान के पास लगा समरसेबुल की खराब मोटर को बनवाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अन्सार व निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

9. जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के वार्ड नं0-2 में खरौली रोड में नवाब के घर से हाजी शाकिर के मकान तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अन्सार निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्ध नगर से सम्बन्धित याचिका†

जनपद गौतमबुद्ध नगर के सुरजपुर ग्रेटर नोएडा में स्काई लिंक कान्ट्रेक्शन प्रा0 लि0 से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आपसी सामन्जस्य न होने के कारण अनुबन्ध के अनुसार भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष मल्हन व निवासी जनपद गौतमबुद्ध नगर की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका†

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भोगनीपुर सागर तालाब लगभग 50 एकड़ के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री राम कुमार सचान निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर के अन्तर्गत प्राथमिकता पर ग्राम रामनगर में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2. जनपद जौनपुर के विकास खण्ड महराजगंज के अन्तर्गत प्राथमिकता पर ग्राम सरायदुर्गादास में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3. जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के अन्तर्गत ग्राम अगरौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

4. जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा के अन्तर्गत ग्राम सभा अगरौरा में सहकारी समिति की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएं तथा जनपद बस्ती से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों के अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों के बाजारों पर हॉटपैठ की निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमोल शुक्ला निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

2. जनपद बस्ती की तहसील बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड-कुदरहा में कुआनों नदी पर स्थित गोनार कछुआरे घाट पर सेतु पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3. जनपद बस्ती की तहसील बस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड बनकटी में फायर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4. जनपद बस्ती की तहसील के अन्तर्गत नवीन विद्युत उप केन्द्रों के स्थापना कराये जाने में सम्बन्ध में श्री कपिन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

5. जनपद बस्ती की तहसील बस्ती के अन्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत नगर बाजार का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद राजा उदय प्रताप सिंह जी का नाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन्ती दूबे व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

6. जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर कर्ण के ग्राम बालाई घाट के गन्दे नाले पर आर0सी0सी0 व लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

7. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के जगवा उपकेन्द्र के बीच में एक नया विद्युत गृह बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री रितिक गुप्ता निवासी जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 03 याचिकाएं, जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 03 याचिकाएं, जनपद संतकबीर नगर से सम्बन्धित 01 याचिका, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका तथा जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 01 याचिका†

1. जनपद झांसी में मुख्य बेतवा नहर एवं कुठौंद व हमीरपुर व शाखा के जर्जर दोनों किनारों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री के0पी0 बुन्देला व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2. जनपद झांसी में मोठ से भरोसा, छपाक पुलगाना, शाहजहांपुर बजेरा खजूरी होते हुए बरचोली देवरा तक इण्टर स्टेट सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3. जनपद झांसी में गुरसराय से मोंठ तक सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू उपाध्याय व अन्य निवासीकरण जनपद झांसी की याचिका,

4. जनपद हमीरपुर के रामनरायण यादव नगर में बृजेन्द्र यादव के मकान से रज्जन सिंह के मकान तक सीसी/सड़क सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरेन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा में आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की ब्लाक-पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के अन्तर्गत ग्राम रम्माखेड़ा में जरूरतमन्द परिवारों को शौचालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7. जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के गरीब एवं बेघर लोंगों को निःशुल्क आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री बन्दना विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8. जनपद संतकबीर नगर स्थित विश्वनाथपुर से हरिहरपुर होते हुए महुली तक मार्ग का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीर नगर की याचिका,

9. जनपद लखनऊ के विकास नगर अपार्टमेंट (विकास नगर) की बाउण्ड्री की दीवार से सटे वेंडिग जोन हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन सिंह निवासी जनपद लखनऊ की याचिका तथा

10. जनपद कानपुर नगर में हमीरपुर रोड नौबस्ता में अर्रा रोड स्थित कामद्गिरि इण्टर कालेज एवं ओम बेंकट हाल के मध्य मार्ग पर हुए अतिक्रमण को मुक्त/हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार तिवारी निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 04 याचिका†

1. जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में अति गरीब, अति पिछड़े, भूमिहीन मुसहर समाज के लोगों को उनके पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2. जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में अति, गरीब पिछड़े, भूमिहीन मुसहर समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3. जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में राजकीय माडर्न डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

4. जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में चकबन्दी से वंचित ग्राम पंचायतों हरिहरपुर, नरायनपुर, मरचहवाँ, नरकहवा, रामपुर गोहना की चकबन्दी कराने के उपरान्त जमीन का स्थानान्तरण राजस्व विभाग को कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निजामुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 04 याचिका†

1. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बरगढ़ मजरा ओसरी, विकास खण्ड मऊ में चन्द्रभान के डेरा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परदवां, विकास खण्ड मऊ के बुन्देला नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवबोध द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत तुरगवां मजरा मड़हा, विकास खण्ड मऊ के मड़हा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

4. जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत-गोईया कलां, विकास खण्ड मऊ में गोईया नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम दुबे व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ†

1. जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहींपुरवा, ग्राम सभा वस्थानवा में ताहिर के घर से सोहनी बार्डर गाँव तक 5 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2. जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा फकीरपुरी में माधुरी के खेत से वसीम के खेत तक 2 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3. जनपद बहराइच के विकास खण्ड बलहा के गुलहारिया जगतापुर में चिरैया मुहान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश पोखाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

4. जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहींपुरवा, ग्राम सभा गायघाट पुल से लालापुरवा गाँव तक 5 कि0मी0 सडक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 03 याचिकाएं तथा जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

1. जनपद आगरा की तहसील बाह में ब्लॉक बाह के अन्तर्गत ग्राम गुढ़ा में सिमराही से गुढ़ा तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में श्री डिप्टी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2. जनपद आगरा की तहसील बाह में ब्लॉक बाह के अन्तर्गत ग्राम सुंसारपुरा में मंसूरपुरा से सुंसारपुरा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जोधाराम व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3. जनपद आगरा की तहसील बाह में ब्लॉक बाह के अन्तर्गत ग्राम भूपालपुरा में चमरऊआ से भूपालपुरा तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ब्रहमजीत व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4. जनपद फिरोजाबाद की तहसील टूण्डला में टूण्डला रेलवे लाइन से गार्डन के पुल तक ऊबड़-खाबड़ सड़क की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवकरन दिवाकर मझवार निवासीगण जनपद फिरोजाबाद का याचिका तथा

5. जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम बरगदपुर में तुलाराम वाली ठार से लेके मान सिंह की ठार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

1. जनपद लखनऊ के मनकामेश्वर वार्ड स्थित गोकरननाथ मिश्रा पार्क के पास बिजली के खम्भे लगवाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2. जनपद लखनऊ के अलीगंज में इंडियन आयल मोड़ से रैदास मंदिर रेलवे क्रासिंग तक की सड़क बनवाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3. जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया चौराहा से पक्का पुल तक के बन्धा मार्ग की मरम्मत व चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

4. जनपद लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से जानकीपुरम थाना तक की सड़क बनवाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-48 में कुछ नहीं है।

अब मद सं0-50 (क) ले लेते हैं।

[07:35] उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021†

वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021†

वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 16-03-2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम 'मर्यादा पुरुषोतम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या' किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सरयू नदी तट पर बसा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है।

एक मा0 सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एअरपोर्ट का नाम 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या' कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, 01 मार्च, 2021 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार, 03 मार्च, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3	नामों की वापसी की तिथि तथा समय	गुरुवार, 04 मार्च, 2021 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान (क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	सोमवार, 08 मार्च, 2021
	(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10:30 बजे से 4:00 बजे तक होगा। उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए विधान सभा सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 23 फरवरी 2021 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2021-2022 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए सम्बंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलंबित करते हुए जहां तक वह उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2021-22 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता हूं कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2021-2022 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिए सम्बंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलंबित करते हुए जहां तक वह उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2021-22 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता हूं कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।

जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने समितियों के सम्बन्ध में रखा है उससे क्या सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कल भी चर्चा जारी रहे और परसों तक जारी रहे। अगर परसों तक चर्चा जारी हो तो उसी हिसाब से आज खत्म करा लीजिए और कल भी चले।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आज कितनी देर तक चलेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मद संख्या-52, नियम-51 की सूचनाएँ ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है लेकिन अगर मा0 सदस्यगण की हाजिरी ली जाएगी तो काफी सूचनाएँ खारिज हो जाएँगी। पहले हम सबकी सूचनाएँ पढ़कर सुना देते हैं जिसका रह जाए और उसे लगे कि वह दिनभर से बैठा है तो अलग से पर्ची दे देगा।

[7:39] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23.02.2021 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 89 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1वीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं के वि0स0 क्षेत्र दातागंज में जिला पंचायत की सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में है, 2वीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3वीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनउ के ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की जांच पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 4वीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच करते हुये पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 5वीं सूचना श्री विनोद सरोज जनपद गाजियाबाद के न्याय खण्ड प्रथम इन्दिरापुरम में हुये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1वीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है। 2वीं सूचना श्री श्यामधनी की बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में की गई भर्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 3वीं सूचना मोहम्मद असलम 'राइनी' की जनपद श्रावस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

1वीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा शून्य काल नीति में आवंटियों के साथ किये जा रहे अन्याय के सम्बन्ध में है, 2वीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर वि0 स0 क्षेत्र बदलापुर में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के

सम्बन्ध में है, 3वीं सूचना श्री बिमला सिंह सोलंकी की जनपद गौतमबुद्धनगर में रा0 राजमार्ग संख्या 34 पर टोल लेन बढ़ाने तथा फास्ट टैग प्रणाली को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 4वीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र के वि0स0 क्षेत्र राबर्टगंज में लोड़ी टोल प्लाजा पर जाम लगने की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है, 5वीं सूचना डॉ0 अरूण कुमार की जनपद बरेली में एम्स के निर्माण का प्रस्ताव भेजे जाने के सम्बन्ध में है, 6वीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में रा0 महाविद्यालय के निर्माण की जांच कराये जाने की के सम्बन्ध में है, 7वीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहाँपुर के गोदाम प्रभारी को निलम्बित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 8वीं सूचना उमा शंकर सिंह की जनपद बलिया में जल शक्ति विभाग द्वारा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध की में है, 9वीं सूचना श्री ओमकार सिंह की जनपद बदायूँ में हुयी आत्महत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, 10वीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 11वीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर में अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 12वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में कार्यरत रसोईयों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, 13वीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर में ड्रेन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, 14वीं सूचना श्री श्रीराम सोनकर की जनपद लखनऊ में पारा अन्तर्गत पारा चौराहे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 15वीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 16वीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद बाराबंकी में मतदाता सूची सत्यापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 17वीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की उप जिलाधिकारी श्री निरंकार द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है, 18वीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद आजमगढ़ में सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, 19वीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 20वीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों (मनरेगा) की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 21वीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर किसान सहकारी समिति में किसानों के बकाया का भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, 22वीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद कानपुर के जाना गांव में गौ आश्रय केन्द्र में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 23वीं सूचना श्री संजय सिंह गंगवार की जनपद पीलीभीत में नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, 24वीं सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की महाराजगंज के कांशीराम योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, 25वीं सूचना डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के वि0क्षे0 सदर गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा ढेलवा की चौखडियाँ में कुबेर बिन्द के घर से होते हुए रामचरन बिन्द के मशीन के पास मुडवल सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने

के सम्बन्ध में है, 26वीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ वि0स0 क्षेत्र किठौरा के ब्लाक में कोटा हरनाथपुर मार्ग की किमी0-14 में पड़ने वाले छोइया नाले के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 27वीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के नगरीय क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए पानी की पाइप लाइन के सम्बन्ध में है, 28वीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा वि0स0 क्षेत्र धनौरा के अर्न्तगत कुमराला, चकनवाला बछरायूं मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 29वीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद सोनभद्र में धारा-20 का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में है, 30वीं सूचना इं0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, 31वीं सूचना श्री संजय गर्ग की पूर्वांचल जनपदों में लोक निर्माण विभाग के सड़क निर्माण में मडिहान खदान का पत्थर प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में है, 32वीं सूचना श्री लालजी वर्मा की शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है, 33वीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जिला गोरखपुर नगर पंचायत बड़हलगंज को नगर पालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 34वीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के सदर में सीवर लाईन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, 35वीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में हैं, 36वीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की प्रदेश के कपितय विभागों में विकास दर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, 37वीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर में मुसहर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जानें सम्बन्ध मे है, 38वीं सूचना श्री राम कृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिष विकास परिषद का गठन किये जाने के सम्बन्ध में तथा 39वीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में फसलों की बुआई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्रमांक	नाम	क्रमांक	नाम
1.	श्री प्रमोद उटवाल,	2.	श्री बैजनाथ रावत,
3.	श्री पूरन प्रकाश,	4.	श्री आजाद अरिमर्दन
5.	डॉ0 श्याम बिहारी लाल	6.	श्री दुर्गा प्रसाद यादव
7.	श्री महेश कुमार गोयल,	8.	श्री लकी यादव,
9.	श्री प्रेम नारायण पाण्डेय	10.	श्री सोबरन सिंह यादव,
11.	श्री अवस्थी बाला प्रसाद,	12.	श्री महेश कुमार गोयल
13.	श्रीमती राजबाला सिंह,	14.	श्री गंगा,
15.	श्री काली प्रसाद	16.	श्री हरीराम

क्रमांक	नाम	क्रमांक	नाम
17.	श्री शीतल पाण्डेय	18.	श्रीमती लीना तिवारी
19.	श्री अनिल पाराशर	20.	श्री संजय प्रताप जायसवाल,
21.	श्री अनीता,	22.	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया
23.	प्रो0 अनिल कुमार मौर्य,	24.	श्रीमती जयदेवी
25.	श्री उपेन्द्र नाथ पासवान,	26.	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा
27.	श्री आशीष कुमार सिंह पटेल 'आशू'	28.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य 'पप्पू भइया',
29.	श्री विजेन्द्र सिंह,	30.	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',
31.	श्री राम नरेश रावत,	32.	मो0 फईम इरफान
33.	श्री अभिजीत सिंह सांगा,	34.	श्री नवाब जान
35.	श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर एडवोकेट,	36.	श्री विरेन्द्र कुमार यादव
37.	श्री असलम अली,	38.	श्री नरेश सैनी,
39.	श्री मसूद अख्तर,	40.	श्री ममतेश शाक्य,
41.	श्री रामवीर उपाध्याय,	42.	डॉ0 हरगोविन्द भार्गव,

(कतिपय सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है कि कुछ मा0 सदस्यगण पूरा दिन बैठे रहते हैं लेकिन कुछ मा0 सदस्यगण केवल नोटिस लगाकर चले जाते हैं, उनकी वजह से जो लोग यहां आखिरी तक बैठते हैं उनकी नोटिसें रह जाती हैं। इसलिए आप इसमें हाजिरी ले लीजिए, उसके बाद क्रम से आपको जितनी सूचनाएँ लेनी हैं या जो लोग यहां उपस्थित हैं, उनकी सूचनाएँ ले ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा जो लोग बैठे हैं, आप लोग अभी नाम बता दीजिए।

(तत्पश्चात् सदस्यगण श्री राकेश प्रताप सिंह, प्रभु नारायण सिंह यादव, संजय गर्ग, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, डा0 संगीता बलवंत आदि ने अपने नाम लिए)

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आप लोगों के नाम सूची में होने चाहिए। जिन मा0 सदस्य का नाम हमारी सूची में होगा, हम उन्हीं की सूचना को लेंगे, उनकी सूचना को स्वीकार करा देंगे। अच्छा अब अभिभाषण पर चर्चा पुनः शुरू करा देते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले नियम-51 की सूचनाओं वाले वक्तव्यों को ले लें फिर अभिभाषण पर चर्चा शुरू करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मद संख्या-53 ले लेते हैं। इसमें श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का विषय है।

आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ की कार्यकारिणी का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19.02.2021 को दी गई सूचना पर...

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

[आयुष मंत्री का वक्तव्य आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।]

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

वक्तव्य :-

[उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-वि0स0-06/96-आयुष-2-2021-05 (ए0क्यू0)/2021 दिनांक-19 फरवरी, 2021 द्वारा निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ से सुस्पष्ट आख्या मांगी गयी। निदेशक, होम्योपैथी द्वारा पत्र संख्या-नि0हो0/157/टी0सी0/687 दिनांक 19 फरवरी, 2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 यथासंशोधित-2001 के प्राविधानानुसार संघ अपने पदाधिकारियों का निर्वाचन अपनी उपविधियों में विहित अवधि के भीतर या 02 वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, कराने की व्यवस्था है। प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ के संविधान में संघ का कार्यकाल 02 वर्ष होने की व्यवस्था है। प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ का कार्यकाल (02 वर्ष) दिनांक 23.11.2020 को समाप्त हो चुका है। अतः संघ का चुनाव कराये जाने हेतु शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसका जवाब तो आ गया और उसके अन्त में कहा गया है कि संघ का चुनाव कराए जाने हेतु शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी लेकिन हम इसमें केवल इतना चाहते हैं कि आप इसको समयबद्ध कर दें क्योंकि संघ का कार्यकाल दिनांक 23-11-2020 को खत्म हुआ है और आज उसको चार महीने हो गए हैं। इसलिए आप इसे समयबद्ध कर दें, कोई हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में घोषणा कर दें।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मुझे आपकी आवाज नहीं आई इसलिए आप दोबारा बता दें, सम्भवतः मेरा हेड फोन बन्द है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

अरे, मा0 मंत्री जी का हेड फोन चलवाया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

हमारा कहना है कि आपने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि चुनाव शीघ्र करवाए जाएँगे। इसके लिए आपका धन्यवाद लेकिन मेरा कहना है कि चुनाव की कार्यवाही समयबद्ध की जाए।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ ने खुद ही प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अभी कोरोना काल के प्रोटोकाल में ड्यूटी ....

(मा0 सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात रखने के प्रयास पर)

मैं अपनी बात को पूरी तो कर दूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

आपकी बात को हमने सुन लिया। इसमें दो चीजें हैं जिसका कार्यकाल खत्म हो चुका है अगर वह खुद आपसे याचना कर रहा है कि कोरोना प्रोटोकाल चल रहा है। आप पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, आप परीक्षा कराने जा रहे हैं। कोरोना तो अब खत्म हो रहा है अब उसका प्रभाव नहीं है। जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है वह आपसे रिकवेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव को टाल दिया जाए वह भी कोरोना के चक्कर में। वहीं तो रिकवेस्ट कर रहे हैं शेष जो डॉक्टर लोग उसमें है वह तो अनुरोध नहीं कर रहे हैं। केवल जिनका कार्यकाल मा0 मंत्री जी अभी खत्म हो रहा है वही आपसे रिकवेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना के चक्कर में यह चुनाव टाल दिया जाए। जिनका कार्यकाल खत्म हो गया अब वह पदाधिकारी नहीं हैं। आप इस सम्बन्ध

में हमारा अनुरोध सुन लें, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है वही तो रिकवेस्ट कर रहे है कि चुनाव को कोरोना के चक्कर में टाल दिया जाए क्योंकि मान्यवर, वह चुनाव नहीं चाहते हैं और खुद पद पर बने रहना चाहते हैं। यदि समयबद्ध सीमा में चुनाव हो जाये तो ठीक है। अभी जब आप पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं, परीक्षा करवाने जा रहे हैं। इसमें हजार पाँच सौ डाक्टर वोटर के रूप में होंगे उससे ज्यादा तो नहीं होंगे।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, 23 तारीख को समय समाप्त हो रहा था उससे पहले उन्होंने पत्र लिखा। हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है। संघ द्वारा निवेदन किया गया है कि 1250 इस सम्वर्ग में मेम्बर हैं और अधिकतर लोगों की कोरोना प्रोटोकाल में ड्यूटी लगी है। उन्होंने समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा है कि हमें रेगुलर किया जाए या हमारा समय आगे बढ़ाया जाए। उनका निवेदन केवल यह है कि जब तक केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना प्रोटोकाल समाप्त नहीं किया जाता तब तक चूँकि हमारे सभी सम्वर्गों के ज्यादातर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है उनको यहाँ लखनऊ में आकर वोटिंग करने में असुविधा होगी, इसलिए तब तक इसको स्थगित रखा जाए। इसलिए यह स्थगित रखा गया है वह आवेदन दें। जब वह आवेदन देंगे तो हम इस पर विचार करके चुनाव करा देंगे, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय में कर्मचारियों को लैपटाप/आईपैड उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेंद्र सिंह वर्मा का व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

ठीक है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें, केवल एक मिनट का समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

आपके आदेश से विधायकगण को और एम0एल0सी0 गण को लैपटॉप, टेबलेट मिला है लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारा जो पटल कार्यालय का स्टॉफ है उनके पास लैपटॉप/आईपैड नहीं है जिसकी वजह से हम अपने विधायी कार्य उनसे सम्पादित नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि आपका छोटा स्टाफ है। आपसे अनुरोध है कि उनको भी 12-15 आईपैड उपलब्ध करवा दें, क्योंकि इससे विधायी कार्य जुड़ा हुआ है।

मा0 सदस्यों को उपलब्ध कराये गये आईपैड के उपयोगार्थ एक सी0 यू0 जी0 सिम उपलब्ध कराये जाने पर श्री मनोज कुमार पारस का व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा-सा व्यवस्था का प्रश्न है। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों को आपने जो आईपैड मुहैया कराया, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी विधायकों को केवल एक सिम दिया गया है जिस सिम को हम मोबाइल नम्बर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो वाई-फाई से काम चल जायेगा, लेकिन क्षेत्र में आईपैड कैसे चलेगा तो इसके लिए एक सिम भी उपलब्ध कराया जाये। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर एक सिम भी हमें उपलब्ध कराया जाय जिससे कि हम लोग उसे अपने क्षेत्र में भी इस्तेमाल कर सकें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, हम जवाब दें मा0 सदस्य ने एक बात उठायी है उसके सम्बन्ध में एक जानकारी भी दे दें मान्यवर, कि 6 हजार रुपये महीना टेलीफोन का मिलता है और कोई भी विधायक यहाँ पर ऐसा नहीं है जो 6 हजार रुपये महीना मोबाइल पर खर्च कर सके। अब सवाल यह है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

इनका सिम से आशय सरकारी सी0यू0जी0 से है। सिम तो 100-50 रुपये में मिल जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप कोई भी सिम ले सकते हैं उसमें नम्बर जो चाहें ले सकते हैं। उसी का तो जवाब दे रहे हैं कि जब 6 हजार रुपया मिलता है, तो उसको आप खर्च नहीं कर पाते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मंत्री जी, सिम तो 100-50 रुपये का होगा, लेकिन हम तो सी0यू0जी0 चाहते हैं।

श्री संजय गर्ग-

इनके कहने का अभिप्राय है कि अभी 6 हजार में केवल एक मोबाइल की प्रतिपूर्ति होती है। यदि एक सिम मोबाइल में है, तो दूसरे सिम के लिए भी प्रतिपूर्ति 6 हजार रुपये के अंदर ही हो जायेगी। अभी भी केवल तीन सौ/चार सौ का बिल आ रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अपने आप में यह भरपूर पैसा इसके लिए मिलता है और उसके बाद फिर इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हमें सरकार जो 6 हजार रुपया देती है, जितने विधायकगण यहां बैठे है, हम वह खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आपने जो टैबलेट दिया है, उसमें सरकारी सी0यू0जी0 दे दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा है कि इसके लिए फिलहाल व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने आपकी बात का संज्ञान ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-54 लेते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, पटल कार्यालय के जो सहायक लोग हैं, उनके पास टैबलेट नहीं है तो हम लोग उनसे कोई विधायी काम नहीं करवा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सब बातें आ गयी हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, उनके पास डिवाइस नहीं है तो आनलाइन काम नहीं हो पा रहा है। 10-11 लोग हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका विषय आ गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, सरकार इसमें कुछ कह तो दे। सिर्फ 8 या 10 लैपटाप होंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री नगर विकास।

जनपद रायबरेली की नगर पंचायत ऊंचाहार को आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में भी मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा.....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

[नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रदेश के प्रत्येक जनपद से प्रति वर्ष 01 नगर पंचायत का चयन कर उसमें अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत विगत 03 वित्तीय वर्षों में निकायों का चयन किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शासनादेश संख्या : 777/9-8-2018-53ज/2017 टी0सी0, दिनांक 21-03-2018 के प्रस्तर-4 में उक्त योजना अन्तर्गत नगर निकायों के चयन हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :-

क-प्रत्येक जनपद की ऐसी नगर पंचायत का चयन किया जायेगा जहाँ विगत तीन वर्षों में गृहकर, जलकर व अन्य कर की औसत कुल माँग का 50 प्रति0 वसूली की गयी हो, जिस जनपद में ऐसी नगर पंचायत न हो उस जनपद में योजनान्तर्गत जनपद की सबसे छोटी नगर पालिका परिषद का चयन किया जायेगा।

ख-इस योजना के अन्तर्गत सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निकायों की भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निकाय, जनपद के मा0 जनप्रतिनिधियों (सांसद विधायक) के परामर्श/सहमति से चयनित करके संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी। जनपद की नगर पंचायतों में से सबसे कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों को इस योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी। निकाय का चयन शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

3-उल्लेख किया जाना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलाधिकारी रायबरेली के पत्र दिनांक 01.02.2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा नगर पंचायत सलोन, लालगंज व ऊँचाहार से आख्या प्राप्त की गयी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सलोन की जनसंख्या-14757, ऊँचाहार-11032 तथा लालगंज-23124 है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी नगर पंचायत ऊँचाहार है परन्तु कर वसूली में नगर पंचायत सलोन की कर वसूली वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः 92.11, 85.18 व 65.33 प्रतिशत है। नगर पंचायत ऊँचाहार की कर वसूली वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 में क्रमशः 36.61, 55.60 व 73.52 तथा नगर पंचायत लालगंज की कर वसूली क्रमशः 59.17, 60.29 व 47.89 है। इस प्रकार कर वसूली की दृष्टि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से सबसे अधिक वसूली प्रतिशत नगर पंचायत सलोन का है। भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व तथा पर्यटन के दृष्टि से नगर पंचायत सलोन महत्वपूर्ण निकाय है, इसके समीप ही समसपुर पक्षी विहार स्थित है। उक्त के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनातर्गत नगर पंचायत सलोन का चयन किये जाने की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है। जिलाधिकारी की संस्तुति एवं शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2018 में उल्लिखित प्रस्तर-4 में निहित व्यवस्था के आलोक में सम्यक् विचार कर प्रकरण में यथोचित निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

श्री मनोज कुमार पाण्डे-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना चलायी गयी है, इसका शासनादेश संख्या-777/18 जारी किया गया है। इसमें केवल मेरे तीन-चार निवेदन हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और इस विभाग को भी उन्होंने चलाया है। इस शासनादेश में तीन चीजें प्रमुख रूप से दी गयी थीं। एक तो यह दी गयी थी कि तीन वर्षों में उसकी वसूली जलकर, गृहकर अगर उसकी 50 प्रतिशत से नीचे है तो नहीं दी जाएगी, 50 प्रतिशत से ऊपर होना इस शासनादेश में अनिवार्यता की गयी है। दूसरा, इसमें जो सबसे ज्यादा आवश्यक किया गया कि वह नगर पंचायत पॉप्यूलेशन में सबसे छोटी नगर पंचायत हो। हम जिस ऊँचाहार नगर पंचायत के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, आपने उत्तर में लिखा है, वह 50 प्रतिशत से ऊपर वसूली है जिसमें आपने अनिवार्यता की है कि उसको अनिवार्यता दी जाएगी और विशेष महत्व उसको दिया जायेगा जो आबादी में सबसे कम होगी। जिले में डी0एम0 ने भी यह लिखा है और आपकी रिपोर्ट में भी यह है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप दोहरा रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डे-

माननीय अध्यक्ष जी, तीसरा उसमें यह प्राविधान दिया गया है, उसका पौराणिक और भौगोलिक महत्व। ऊँचाहार नगर पंचायत, जहां गोकर्ण ऋषि रहे, एन0टी0पी0सी0 है, नेशनल हाई-वे से वह जाती है तो सबसे ज्यादा पौराणिक और भौगोलिक महत्व पूरे जिले में ऊँचाहार का है। आपका शासनादेश ही इससे अलग हो रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि विशेष महत्व उस नगर पंचायत को दिया जायेगा जो कि सबसे कम पॉप्यूलेशन की होगी। इसमें मेरा आपसे केवल इतना आग्रह है कि पिछली बार भी यह किन्हीं कारणों से रह गयी है। यह आपके 50 प्रतिशत को क्वालिफाई कर रही है, भौगोलिक और पौराणिक भी है और सबसे कम पॉप्यूलेशन की है। इस आधार पर मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लिया जाय। इस शासनादेश के यह अनुसार है। आपसे शासनादेश के बिंदु संख्या-3 में लिखा है कि इसमें अनिवार्यता होगी और उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जायेगा जो पॉप्यूलेशन में सबसे कम है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में जो नगर पंचायत चयन की जाती है उसके लिए कुछ अहर्ताएँ दी हैं, वह मा0 पाण्डे जी ने दोहरा दी है, इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे जो माननीय पाण्डे जी ने कहा है। यह क्रायटेरिया है, इसलिए उसी के अनुसार होगा।

जनपद अयोध्या को पर्यटन नगरी घोषित करने के उपरान्त वहाँ की जमीनों के खरीद में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार कश्यप)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या .....

श्री मनोज कुमार पाण्डे-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

[मुख्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया]

श्री विजय कश्यप-

[से प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि जनपद अयोध्या में अयोध्या को पर्यटन नगरी घोषित किये जाने के बाद भी खरीद फरोख्त निर्धारित सर्किल रेट व बाजार भाव के आधार पर ही की जा रही है। तहसील सदर अन्तर्गत गांव सभा/सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत 195 प्रकरणों में 17.086 हे0 भूमि से अवैध कब्जा हटवाया गया, 22 लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी तथा 97 व्यक्तियों के विरुद्ध तहसीलदार न्यायालय में बेदखली का वाद योजित किया गया है। जहां तक तहसील सदर अन्तर्गत लेखपाल श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के पैसा लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कराये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में जांच कराये जाने पर किसी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई तथा श्री अंजनी कुमार पाण्डेय द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं करवाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय कि ग्राम राजेपुर में कुल 157 व्यक्तियों को भूमि प्रबन्धक समिति राजेपुर के प्रस्ताव पर आवास हेतु गरीब एवं पात्र लोगों को गांव सभा भूमि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवंटित की गयी है, जिस पर आवंटी आबाद हैं। ग्राम राजेपुर में हाल-फिलहाल में गांव सभा भूमि पर अतिक्रमण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी यह अवगत कराना है कि राजेपुर सहित तहसील सदर अयोध्या के अन्तर्गत किसी भी राजस्व ग्राम में गांव सभा/सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत प्राप्त होने पर तहसील प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जा रोकवाने व बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अगर सरकार की लुटिया डुबाने पर आ जायेंगे तो कोई भी सरकार को बचा नहीं सकता है। हमने पूछा था कि अयोध्या पर्यटन नगर और धार्मिक नगरी होने पर वहां अधिकारी और लेखपाल तक भूमि पर कब्जा कराने में लिप्त हैं, अतिक्रमण करवाने में लिप्त हैं और कार्रवाई में हर जगह संलिप्त हैं। मैंनें इसमें एक गांव का उदाहरण भी दिया था। मैंनें इसमें कतई ये नहीं पूंछा था कि उस गांव में कितने लोगों को पट्टा किया गया है और कितनों को कब्जा मिला है या नहीं मिला है, लेकिन जवाब आ गया कि गांव राजेपुर में 157 व्यक्तियों को भूमि प्रबंधन समिति, राजेपुर के प्रस्ताव पर आवास हेतु गरीब एवं पात्र लोगों को गांव सभा की भूमि आवंटित की गयी, जिस पर आवंटी आबाद हैं। राजेपुर में गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि गाटा सं0-395, 0.5310 तालाब का नम्बर है, पक्का निर्माण इस पर हुआ है, छप्पर पड़ा है, रज्जो फराब अली का इस पर कब्जा है। नम्बर-2, गाटा संख्या-501 ग, 0.7840 तालाब का नम्बर है, छप्पर है, कच्ची सरिया, जानवर बांधने का स्थान है, चेन लगाकर पूरी तरह से अतिक्रमण किया गया है। इसी तरह से कई बंजर की जमीनों का है, मैं सुरक्षित जमीनों का केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा उदाहरण देकर कि खेल के मैदान पर पक्का निर्माण कर लिया गया है। दूसरे खेल के मैदान पर पक्का निर्माण कर लिया गया है, जिसमें एक का गाटा संख्या-0.1260 और दूसरे का गाटा संख्या-0.0250, ये दोनों खेल मैदान हैं, जिस पर पक्का निर्माण है। गाटा संख्या-345 और 348 है, माननीय अध्यक्ष जी ये तो रकबा हमनें बता दिया। फिर गाटा संख्या-344 है जिस पर पंचायत घर की जमीन है उस पर अतिक्रमण हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी डिमाण्ड क्या है ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

पशुचर की 2 जमीने हैं, माननीय अध्यक्ष जी, गाटा संख्या-22, गाटा संख्या-20 जिस पर गन्ना लगाकर कब्जा किया गया है, गन्ने की खेती करवाई जा रही है, राजस्व के

अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा और जवाब आ रहा है कि इस तरह से राजेपुर गांव में कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जो सरकार को तथ्यहीन जवाब देते हैं, सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं और सदन को ये गलत जवाब देते हैं, उनके खिलाफ क्या जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे और जिन गाटा संख्याओं का मैंने उल्लेख किया है, उस पर जो अतिक्रमण है, उसको हटवाया भी जायेगा ?

श्री विजय कुमार कश्यप-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या से प्राप्त आख्या से अवगत कराया गया है कि जनपद-आयोध्या को पर्यटन नगरी घोषित किये जाने के बाद भी खरीद-फरोख्त निर्धारित मानकों और भौतिक आधार पर ही की जा रही है। तहसील, सदर, अन्त्योदय गांव, सभा/सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत 193 प्रकरणों में 17.086 हेक्टयर भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह समय जाया कर रहे हैं, यह जो जवाब आया है उसी को दुबारा पढ़ रहे हैं, मैंने कुछ गाटा संख्याओं का रकबा सहित उदाहरण दिया है, सदर तहसील में राजेपुर गांव का मैंने उदाहरण दिया है, जिस पर कम-से-कम 15 गाटा संख्या का, रकबा का मैंने उदाहरण दिया है, खेल के मैदान का, तालाब के नम्बर का, पंचायत घर के भवन का, बंजर भूमि का, पशुचर की जमीन का, मैं उस पर जवाब मांग रहा हूं आप इसी जवाब को पढ़ रहे हैं। आप जवाब पढ़ेंगे तो जवाब तो आया हुआ है। जिलाधिकारी तो आपको गुमराह कर ही रहा है, इसमें जिलाधिकारी का भी इसमें संरक्षण हो सकता है।

श्री विजय कुमार कश्यप-

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी पुनः जांच करा लेंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही करायेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

इसमें आप एक समय निश्चित कर दें कि 15 दिन या 1 महीने में जांच करवाकर कार्यवाही कर देंगे।

श्री विजय कुमार कश्यप-

ठीक है, हम इसकी जांच करवा देंगे।

ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर के द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के प्रतिष्ठान मेसर्स ई0ई0एस0एल0 द्वारा 40 लाख स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट की स्थापना का कार्य ओपेक्स मॉडल पर किया जा रहा है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी कह रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ मान लिया है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, संजय जी फिर इसमें सवाल पूछेंगे तो एक बार यह मेरा आंसर सुन लें। उसके बाद इनके जो सवाल होंगे, उनका जवाब दे देंगे।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं वह पढ़ चुका हूं। खैर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें। स्मार्ट मीटर की शिकायतें उपभोक्ताओं की आ रही हैं। आप पढ़ लें, अच्छा है, सबको जानकारी हो जायेगी।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, इसीलिए मैं इसको पढ़ देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह डेढ़ पेज का है।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

मान्यवर, मैं इसको पढ़ देता हूं। वर्तमान प्रक्रिया में स्मार्ट मीटर मुख्यतः आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्रों में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर हाई लॉसेज वाले फीडर, जिन पर बहुत ज्यादा नुकसान है, उन पर लगाये जा रहे हैं। सौभाग्य योजना में कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है। बनारस में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर लगे हैं, लेकिन वह सौभाग्य योजना के तहत् नहीं हैं। मेसर्स ई0ई0एस0एल0 द्वारा स्मार्ट मीटर आपूर्ति से पूर्व भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार मीटरों का प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें यादृच्छिक आधार पर चयनित मीटर के नमूनों की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1138213 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं, जिनमें से 330 स्मार्ट मीटरों में

अधिक लोड रिकार्डिंग के प्रकरण पाये गये। जो कि कुल लगाये गये मीटर का मात्र 0.03 प्रतिशत है। इस प्रकार के मीटर सैम्पल टेस्टिंग हेतु सी0पी0आर0आई0 को प्रेषित किये गये। जिसकी रिपोर्ट में यह संज्ञानित हुआ कि मीटरों में अधिक लोड रिकार्डिंग की समस्या सॉफ्टवेयर में त्रुटि के कारण हुई है, जबकि इनमें ऊर्जा खपत सही रिकार्ड हो रही है। इस समस्या के समाधान हेतु स्मार्ट मीटरों के सॉफ्टवेयर सम्बन्धित त्रुटि को दूर करते हुए अपग्रेड किया जा रहा है एवं उपभोक्ताओं से फीडबैक भी प्राप्त किया जा रहा है। सहारनपुर नगर में कुल 49547 स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं में से 169 उपभोक्ताओं ने मीटर तेज चलने की शिकायत की थी। उपरोक्त सभी शिकायतों पर चेक मीटर द्वारा जांच की गई जिसमें सभी उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर की गति सही पाई गई। मेसर्स ई0ई0एस0एल0 द्वारा आपूर्तित मीटरों में से यादृच्छिक आधार पर चयनित मीटर के नमूनें लेकर भारत सरकार की संस्था केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से 100 से अधिक मीटरों की जांच कराई गई है, जिसमें समस्त मीटर मानकों के अनुरूप पाये गये। भविष्य में भी आपूर्तित मीटरों में से यादृच्छिक आधार पर चयनित मीटर के नमूनों की केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से जांच कराये जाने की योजना है। यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर संदेह होता है और उपभोक्ता द्वारा जांच हेतु अनुरोध किया जाता है तो स्थापित स्मार्ट मीटर के समानांतर चेक मीटर लगाकर जांच की जाती है। यदि जांच में तकनीकी कारणों से स्मार्ट मीटर तेज/मंद पाया जाता है, तो मीटर को नये मीटर से बदलते हुए विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पूर्व तीन माह का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार समायोजित कर दिया जाता है। स्मार्ट मीटर के जिस उपभोक्ता को अपने मीटर द्वारा दर्ज खपत पर सन्देह हो अथवा बिल त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रहा हो, वह क्षेत्रीय उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता के समक्ष आवेदन कर चेक मीटर स्थापना/बिल संशोधन की कार्यवाही करा सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर सामान्य मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाये जाने के कार्य को 20 अगस्त 2020 से तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया गया है। सरकार उपभोक्ताओं के हित के लिए कटिबद्ध है।

(सम्बन्धित वक्तव्य संलग्न)

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। हमारे जितने भी शहरी प्रतिनिधि साथी, विधायक हैं, मैं समझता हूं कि सभी के पास रोज स्मार्ट मीटर को ले करके उपभोक्ताओं की शिकायत आ रही है। मेरा स्वयं शहरी क्षेत्र है और उसमें भी लगातार शिकायतें आ रही हैं और स्वयं माननीय मंत्री जी ने इस बात को कबूल किया है कि मीटरों के सैम्पिल टेस्टिंग में सी0पी0आर0आई0 की रिपोर्ट में यह संज्ञानित हुआ कि मीटरों में अधिक लोड रिकार्डिंग की समस्या साफ्टवेयर में त्रुटि के कारण हुई है और सम्बन्धित त्रुटि को दूर करते हुए अपग्रेड

किया जा रहा है। बहुत ज्यादा टेक्निकल बात को तो साधारण उपभोक्ता नहीं जानता परन्तु निश्चित रूप से इस समय पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के प्रति लोगों के दिमागों में एक शंका है और शंका के साथ-साथ रोष भी है और उसी के साथ-साथ जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वह किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि 11 लाख 38 हजार 213 स्मार्ट मीटर बदले गये। जब स्मार्ट मीटर बदले गये और पुराने मीटर उतारे गये उसमें कितने हजार मीटर खराब निकले और कितने हजार मीटर फर्जी तौर पर खराब करके मीटर रीडर और मीटर टेस्ट वालों ने उल्टे सीधे पैसे वसूलने का काम उपभोक्ता से किया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस सब के बावजूद आपने खुद इस बात को कबूल किया, विद्युत उपभोक्ता परिषद्, उत्तर प्रदेश ने आपसे शिकायत की, वह अभी अदालत में गये हुए हैं, अदालत से फैसला आना है और शिकायत के आधार पर अगस्त, 2020 से आपने तात्कालिक प्रभाव से रोक लगा दी है। जब मीटर सही हैं तो रोक क्यों लगा रखी है और जो अभी सहारनपुर में बताया कि 49 हजार 547 में से केवल 159 उपभोक्ताओं ने मीटर तेज चलने की शिकायत की। यह बात बिल्कुल निराधार है, इसका मतलब कि विभाग में इस बात के लिए इन्स्ट्रक्शन हैं कि कोई भी उपभोक्ता चाहे कितना भी चक्कर काटता रहे, बहुत ही कम उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज हो रही हैं, नहीं तो शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं और लोगों ने स्मार्ट मीटर का नाम खून चूसक यन्त्र रख दिया है। लोग ओवरलोड और जम्पिंग से परेशान हैं और लोग इसलिए भी परेशान हैं उनसे नाजायज बिल लिया जा रहा है। बिना बिजली के इंसान रह नहीं सकता है, शिकायत आपका विभाग लेगा नहीं इसलिए उपभोक्ता ज्यादा बिल दबाव में दे रहा है और उसका शोषण हो रहा है। मेरी केवल दो बातें आपसे हैं, पहली यह कि स्मार्ट मीटर की शिकायत के लिए कोई टोल-फ्री का पटल बनाने का काम क्या सरकार करेगी, जिससे कि अधिकारियों की पकड़ से बाहर आपको वास्तविकता मालूम हो सके कि स्मार्ट मीटर को लेकर कितनी शिकायतें हैं। दूसरा यह कि आपने 11 लाख 38 हजार 213 स्मार्ट मीटर बदले हैं और आगे आपने प्रतिबन्ध लगाया है तो क्या जो ऑलरेडी स्मार्ट मीटर अभी लगे हैं क्या उनको बदलने की सरकार की कोई मंशा है अथवा नहीं है। सौर ऊर्जा/वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा आज के मौजूदा दौर में वर्तमान सरकार भी दे रही है तो जिन लोगों ने सौर ऊर्जा के इक्यूपमेंट लगाये हैं तो उनका बिल के साथ एडजस्टमेंट जो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए, उसकी इजाजत आप स्मार्ट मीटर के साथ देंगे या नहीं देंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार उपभोक्ताओं की है और सरकार उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील है और इसीलिए माननीय सदस्य की जो शंका है सहारनपुर को लेकर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 82 हजार से ऊपर स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं। यह इसीलिए कि उपभोक्ताओं के पास जो लगातार त्रुटिपूर्ण बिल आते थे उससे उपभोक्ताओं को निजात दी जाय। यह अभियान ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र में इसीलिए किया गया कि जिससे सतत मुझे जानकारी मिलती रहे और मैं

चीजों को सुधारता हुआ आगे चलूं। उपभोक्ताओं के प्रति सरकार संवेदनशील है, इसीलिए जैसे त्रुटियां बढ़ीं वैसे ही तुरन्त इस पर रोक भी लगा दी गई और टेक्निकल खामियों के लिए सम्बन्धित एजेंसी को कड़ाई से दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं कि ये टेक्निकल खामियां हैं इनको आप दुरुस्त करें जिससे कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय क्योंकि यह उपभोक्ताओं के हित के लिए है। किसी भी स्तर पर उपभोक्ताओं का शोषण यह सरकार स्वीकार नहीं करेगी। जहां तक आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ये जो नये मीटर आ रहे हैं, इसमें वह टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि अब सरकार के दिशा-निर्देश यू0पी0पी0सी0एल0 को दिये गये हैं कि आगे भविष्य में जो भी आप मीटर परचेज करेंगे उनमें वह सारी व्यवस्था हो। अगर कोई सौर ऊर्जा लगा रहा है तो नेट-माटरिंग की व्यवस्था भी आसानी से उस मीटर के माध्यम से हो सकेगी। यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा मीटर बदलने का जो बार-बार उपक्रम चलता रहता था, इस पर पूर्ण विराम लगाने की भी सरकार की कार्य योजना है। मा0 अध्यक्ष जी, जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, उन उपभोक्ताओं के 'डोर नॉक' भी किये जा रहे हैं और 1912 एक टोल फ्री नम्बर है, उस पर भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यू0पी0पी0सी0एल0 के माध्यम से सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कॉल भी कराया जा रहा है और उनके जो त्रुटिपूर्ण बिल आये हैं, उनमें भी संशोधन किया जा रहा है। इस तरह से उपभोक्ता का किसी तरह का उत्पीड़न सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी विभाग के अधिकारियों से हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी इसके इंस्टालेशन पर कोई रोक नहीं है और अभी हमारे पास यह स्टॉक में है। जो स्टॉक में हैं, उसमें कितने डिफेक्टिव होंगे, कितने नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना तो विस्तृत है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं नम्बर नहीं पूछ रहा हूं। सरकार की मंशा बहुत साफ है कि वह उपभोक्ताओं के हित में है, लेकिन उपभोक्ता इस समय इससे पीड़ित हैं। मेरा कहना है कि जब तक टेक्निकली सही मीटर नहीं बन जाते हैं, तब तक इन पुराने मीटर को बदल दिया जाये और जब टेक्निकली सही मीटर आ जाये, तो इंस्टालेशन करा दिया जाए। विद्युत संस्थान इस बात के लिए सहमति दे रहा है, लोड जंपिंग मान रही है, आप खुद मान रहे हैं। इसीलिए 20 अगस्त से इस पर तात्कालिक रोक भी लगा दिये गये। जितने मीटर पहले ले लिये गये थे उनमें अभी सौर ऊर्जा की नेट मीटरिंग की भी व्यवस्था नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब तक फाइनल मीटर न आ जाए, तब तक क्या सरकार इन पुराने मीटर को बदलने का कार्य करेगी ?

श्री श्रीकांत शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि 1912 के माध्यम से, डोर नॉक करने के माध्यम से इसमें सुधार किया जा रहा है। मैं स्वयं डोर नॉक कर रहा हूं। मैं उपभोक्ता के घर तक जा रहा हूं। बहुत जगह उपभोक्ता संतुष्ट भी हैं, लेकिन जैसा मा0 सदस्य कह रहे हैं, उनके लिए भी टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था है। चेक मीटर लगाया जा रहा है। बिल अगर खराब है, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी, यह स्मार्ट मीटर कहीं-कहीं ओवर स्मार्ट हैं। जो उसकी क्रेडिट लिमिट है या जो टाइम पीरियड है, उसके पहले ही वह मीटर कनेक्शन काट देता है और जब उपभोक्ता रि-कनेक्शन के लिए जाता है तो उसको रु0 756/- रि-कनेक्शन के चार्ज के रूप में देना पड़ता है। उसका कोई उपाय अधिकारियों के पास भी नहीं है। आप मेरा सुझाव मानिये या सूचना मानिये, ग्राहकों को जो रि-कनेक्शन का चार्ज देना पड़ रहा है, जो मीटर की गलती से है, जिसमें उसके पास पैसे की लिमिट भी है और समय भी है, तो उसका कोई ऐसा सार्थक उपाय करिये, निर्देश करिये जिससे ग्राहक इस अर्थदण्ड से बच सकें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको दिखवा लेंगे।

जनपद फिरोजाबाद में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाये जाने एवं कतिपय सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्रम मंत्री का वक्तव्य सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत)

जनपद कुशीनगर के कसया नगर में कच्चे नाले के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी जी। आपका नियम-51 में केवल वक्तव्य है।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कसया जनपद-कुशीनगर में गांधी चौक से डा0 सी0पी0 गुप्ता के घर के तरफ नगर पालिका ..

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जनपद-कुशीनगर द्वारा लगभग एक किलोमीटर कच्चे नाले का पक्का निर्माण कराया जा रहा है। पुराने गहरे कच्चे नाले के ऊपर जो पक्का निर्माण कराया जा रहा है, वह सड़क की चौड़ीकरण व उंचाई से नीचे है। जिस वजह से उस रास्ते से वाहनों का आवागमन प्रभावित रहता है तथा उक्त स्थल पर जाम की समस्या बनी रहती है। जिससे जनमानस को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस नाले का निर्माण नगर पालिका (कसया), जनपद कुशीनगर से कराया जा रहा है, धनाभाव के कारण निर्माण रुका हुआ है। जिससे वहां के निवासियों को जल रिसाव के कारण जान-माल का हमेशा खतरा बना रहता है।

आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व के प्रश्न को उठाते हुये अनुरोध है कि आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने हेतु धन अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि गांधी चौक से डा0 सी0सी0 गुप्ता के मकान के आगे तक लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क काफी नीचा होने के कारण वर्षा ऋतु के दिनों में जल जमाव हो जाता था, ऐसी स्थिति में लोक निर्माण विभाग, कसया (कुशीनगर) द्वारा कसया-सपहा मार्ग का केवल सड़क उच्चीकरण का कार्य कराया गया है, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ की पटरी तथा पूर्व से निर्मित नाली भी सड़क की उंचाई की तुलना में लगभग 3 फिट नीची हो गयी है।

उक्त समस्या के समाधान हेतु सड़क के ऊंचाई के अनुरूप पटरी एवं नाले का निर्माण आवश्यक है, जिसके लिये नगर पालिका परिषद्, कुशीनगर द्वारा आगणन तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद शाहजहांपुर में खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम प्रभारी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स''। आपका नियम-51 में केवल वक्तव्य है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ने अपने पत्र दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया ..

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[है कि सम्बन्धित प्रकरण पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर के उ0प्र0 विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के समक्ष 10.02.2021 को नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत शिकायत सम्बन्धी पत्र सं0-1634/आ0लु0-जि0अधि0-शाह/2021, दिनांक 15-02-2021 पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय आदेश सं0-3050/अधि0/2020-21, दिनांक 19-02-2021 द्वारा श्री भारत भूषण सिंह, तत्कालीन गोदाम प्रभारी जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आदेश दिनांक 19-02-2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुये श्री पवन किशोर चतुर्वेदी, जिला शाहजहांपुर को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है।]

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स''-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं भ्रष्टाचार से सम्बंधित एक मामला उठाना चाहता हूं। प्रतिनिहित विधायन कमेटी द्वारा जनपद शाहजहांपुर का एक स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जिसमें 21 राशन विक्रेताओं ने शपथ-पत्र के साथ शिकायत की थी कि जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस कृत्य को छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रार्थना-पत्र बनाकर अपने कागज मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दीजियेगा।

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स''-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मैं चाह रहा हूं कि मंडलीय कमेटी गठित हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप जो चाहोगे, वह मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कर देंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वीर विक्रम सिंह ''प्रिन्स''-

मा0 अध्यक्ष जी, ठीक है।

[08:14] मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आनन्द शुक्ला जी।

श्री आनन्द शुक्ला-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण तथा मा0 सदस्य आदरणीय श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन देने के लिए अनुमति दी है।..

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पिता जी कहते हैं कि 'अभावों में ही प्रतिभाओं का सृजन होता है', तो सुनकर बहुत अजीब लगता था कि अभावों में कैसे प्रतिभाओं का सृजन हो सकता है, परन्तु इस कोरोनाकाल ने यह दिखा दिया कि सीमित संसाधनों में अगर हम लोग ठान लें तो किसी भी स्थिति से मुकाबला कर सकते हैं। यह सच है कि इस कोरोना ने हमारे माननीय मंत्री आदरणीय चेतन चौहान जी, माननीया कमल रानी वरूण जी, श्री राम सिंह जी को काल के गाल ने निगलने का काम किया, लेकिन इसके साथ ही इस 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश तथा 24 करोड़ की आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी द्वारा कुशल प्रबन्धन के माध्यम से न सिर्फ यहां पर जान की रक्षा हुई है बल्कि जो हमारे प्रवासी साथी लौटे थे उनको रोजगार भी उपलब्ध कराने का काम किया गया। हम लोग लगातार नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आज जब अभिभाषण के सम्बन्ध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा वक्तव्य दिया जा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी-कभी लग रहा था कि वह प्रशंसा करना चाहते हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। उन्होंने एक विषय का उल्लेख किया कि महामारी बहुत आयी है, प्लेग आया लाखों-लाख लोग मर गये, चेचक आया था उसमें लाखों-लाख लोग मर गये, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोलेंगे। मुझे लग रहा था कि वह तारीफ करेंगे कि इस बार कोरोना आया और माननीय मुख्य मंत्री जी व मा0 प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रबन्धन की वजह से उत्तर प्रदेश में मात्र 8500 लोगों का निधन इस कोरोना काल में हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि यह प्रशंसा का विषय है। यह क्या चाहते हैं। लॉकडाउन पर प्रश्न उठा रहे थे। क्या कोरोनाकाल में भी लाखों-लाख मौतें देखने की जरूरत थी क्या लाखों-लाख मौतों से अच्छा यह लॉकडाउन नहीं था। मुझे तो अपने आप इन विषयों पर हैरानी हो रही थी। कोरोनाकाल में लोगों को दिक्कत हुई, यह सच है बहुत संकट आया, लेकिन अचानक लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो इससे बड़ा संकट होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 'जान है तो

जहान है'। लेकिन कुशल प्रबन्धन की वजह से जान भी रहा और जहान भी रहा। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

(इसी मध्य सायं 08 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठता श्री मयंकेश्वर शरण सिंह पीठासीन हुये।)

प्रवासी मजदूरों को लाना, उनको राशन किट उपलब्ध कराना, एक हजार रुपये प्रति परिवार को देना, हर हाथ को काम, 6 माह तक मुफ्त में राशन, जहां सरकार एक तरफ लगातार अपने कार्यों को कर रही थी, वहीं मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ, सेक्टर से लेकर समस्त कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना चाहूंगा कि इस कोरोनाकाल में बढ़-चढ़कर सेवा का काम किया और अधिष्ठाता जी, खाली भा0ज0पा0 ही नहीं, हमने समाज के ऐसे-ऐसे लोगों को देखा, हमारे यहां श्री एस0सी0 गर्ग नाम के व्यक्ति, जिनको गुरूजी कहते हैं वह दिल्ली में प्रोफेसर थे उन्होंने अपनी सम्पत्ति को बेच करके वह पैसा लाकर यहां पर गरीबों की मदद करके एक अनूठा उदाहरण पेश करने का काम किया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री, बेसिक शिक्षा के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरित होकर हमारे शिक्षक संघ ने 1000 से ऊपर राशन किटें पूरे जनपद में बांटकर एक उदाहरण पेश किया। लेकिन इस सब कामों में लोगों को लाने व ले जाने में कष्ट जरूर हुआ लेकिन क्या कष्ट की बात कांग्रेस कर सकती है। राजस्थान में जो बसों की संख्या बतायी गयी। हमारे छात्र/छात्रायें कोटा से लाये जाने थे तो माननीय मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री जी ने बसों को उपलब्ध कराया और उस समय पता चला कि वहां पर छात्रों की संख्या बढ़ गयी है, तो हमारे माननीय मंत्री जी ने वहां के माननीय मंत्री से बात की तो उन्होंने यह शर्त लगा दी कि पहले बसों का भुगतान करिये तब बसें उपलब्ध करायी जायेंगी। आज यहां ढोंग कर रहे थे कि वहां पर हमने ये-ये दिया था। साक्ष्य बताते हैं कि किन-किन गाड़ियों के नम्बर, आटो व स्कूटरों के नम्बर उस सूची में आये हैं।....

[08:20] सदन में कोरम के अभाव में श्री राकेश प्रताप सिंह का व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन की कार्यवाही चल रही है और सदन का कोरम पूरा नहीं है और माननीय सदस्य बोल रहे हैं। यह उचित नहीं है कि कोरम पूरा न हो और सदन की कार्यवाही चले और कार्यवाही का भाग बने। मेरी समझ से जब तक सदन का कोरम पूरा न हो जाय तब तक सदन की कार्यवाही रोक दी जाय। मैंने गिन लिया 38 लोग हैं। आप गिन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

हमने गिन लिया है। सदस्यों की संख्या 42 है। माननीय सदस्य आप बोलें।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, देखिये एक सदस्य अभी अभी आये हैं। सदन की कार्यवाही रोक लीजिये। मैं भी गिन लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

राकेश जी, आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। हमने गिन लिया है, कोरम पूरा है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

सदन के नियमों का कोई उल्लंघन न हो, मैं तो इस मत का हूं। सदन का कोरम पूरा करा दिया जाय फिर सदन चलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

आप संख्या देख लीजिये राकेश जी, कोरम पूरा है।

श्री आनन्द शुक्ला-

मान्यवर, हमारे तारतम्य को तोड़ने के लिये एक सोच के तहत यह किया गया। मान्यवर, हमारे समय को पुनः प्रारम्भ किया जाय क्योंकि तारतम्य भी टूट गया और वह समय भी गया। एक तारतम्य को भटकाने के लिये ऐसा किया गया। मैं बताना चाहता हूं कि व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाया गया कि कैसी व्यवस्था, कैसा प्रबन्धन। हमारे विपक्ष के साथी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक देश बहुत पसन्द है यू0के0। उसका उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पौने सात करोड़ की आबादी है और लगभग सवा लाख लोग वहां मौत के मुंह में चले गये। हमारे कांग्रेस के लोग बड़े प्रसन्न होते अगर होते यहां पर। इटली की बात करूंगा, 6 करोड़ की आबादी है, एक लाख के ऊपर लोग मौत के गाल में समा गये। वहीं पर यू0एस0 की बात करूं वहां पर 32 करोड़ की आबादी है और 5 लाख लोग मौत के घाट उतर गये। अब आप वहीं भारत की बात करिये 132 करोड़ की आबादी और सिर्फ डेढ़ लाख मौत। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी और साढ़े सात हजार लोग मरे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

आनन्द जी, एक मिनट रुक जाइये। आप हमारे पुराने परिचित हैं। कोई अंदर नहीं जायेगा और कोई बाहर नहीं जायेगा। सदन के सदस्यों की संख्या गिन ली जाय। यह मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं आपको भटकाना चाहता हूं। अभी भी गिन लीजिये। दो लोग अभी आ रहे हैं, अधिष्ठाता जी, इनको रोक दिया जाय। मनोज भाई और वर्मा जी। अभी भी 39 की संख्या सदन के अंदर है।

श्री अधिष्ठाता-

यह आपकी परेशानी है कि मनोज जी उधर बैठ रहे हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, या तो उधर गिनती नहीं आती या फिर गिनकर पूरा कन्फर्म किया जाय। एक सदस्य के आने के बाद भी अभी गिनती 40 है। 41 पर हमारा कोरम पूरा होता है।

श्री आनन्द शुक्ला-

आप रोकते रहिये। मेरा समय बढ़ जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कोरम प्रोटोकॉल के लिये जब तक कोरोना है मान्यवर, लॉबी में बैठे हुए सदस्य भी कोरम में हैं, वह भी हाउस का ही पार्ट है। नौ बजे तक सदन चलने दें क्यों बीच में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अगर भूख लगी हो तो चलिये खाना खिलवा दें। माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त करिये। अधिष्ठाता जी, महिला सदस्य बैठी हैं, पहले अब इनको बुलवा लें।

[08:27] मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री आनन्द शुक्ला-

मान्यवर, अभी मैंने शुरू ही किया था। मेरा तारतम्य तोड़ा है इन्होंने। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी और मौतें सिर्फ साढ़े सात हजार लोगों की मौत तो क्या जिस तरह की बातें की जा रही थीं कि बाकी विकसित देशों की तुलना कर लें तो बीस लाख के ऊपर मौतें होतीं तो क्या यह अच्छा मैनेजमेंट माना जाता।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बाकी विकसित देशों की तुलना कर लें अगर 20 लाख के ऊपर मौतें होतीं तो क्या यह अच्छा प्रबन्धन माना जाता ? प्रबन्धन की बातें विपक्ष के साथी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने 2017 के पहले 15 साल उत्तर प्रदेश में शासन किया है। यह लोग क्या दशा छोड़कर गये थे ? मैं तो बुन्देलखण्ड के छोटे से जनपद चित्रकूट से आता हूं। आपको बताने में कष्ट हो रहा है। इस कोरोनाकाल में समझ में आया है कि हमारे जिले में एक भी आई0सी0यू0 नहीं था। हमारे जिले में दो पोर्टेबेल छोटे वाले वेन्टीलेटर थे, लेकिन यह प्रबन्धन की कुशलता है कि लॉकडाउन की वजह से उस कालखण्ड में जहां लोगों को घर में सीमित किया गया, जो जहां हैं, वहां सीमित किया गया, उस कालखण्ड में हमने व्यवस्थायें बनायीं और आज 18 वेन्टीलेटर, 5 आई0सी0यू0 की व्यवस्था छोटे से जनपद चित्रकूट में हो गयी है। इस प्रबन्धन की वजह से आज कोरोना से चित्रकूट पूर्ण रूप से मुक्त भी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में इन लोगों ने शोषण करने का काम किया है। संख्या बताती है कि हमारे विपक्ष में एक भी व्यक्ति बुन्देलखण्ड से उपस्थित नहीं है। यह बताता है कि इन्होंने बुन्देलखण्ड में क्या काम किया था। हमारे इस अभिभाषण में बताया गया है कि राजकीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया है। मैं गर्व के साथ और दावे के साथ बता रहा हूं कि जिस तरह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से चित्रकूट जनपद में वर्ष 2017 तक मात्र 1500 समूह बनाये गये थे, वहीं मा0 योगी जी की सरकार की

देन है कि 5000 के ऊपर समूह बनाने का कार्य किया गया है और जहां उनको क्रेडिट लिंकिंग करने का 800 का लक्ष्य था, वह 900 को क्रॉस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। अभिभाषण में ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' की बात कही गयी है। ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' खासकर बुन्देलखण्ड में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जनपद चित्रकूट जो अति पिछड़े में आता है, वहां पर मा0 योगी जी की देन है कि दो-दो सोलर पावर प्लान्ट की कमीशनिंग हो गयी है। 75 मेगावाट की एक और सौभाग्य से दोनों मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में इसी एक वर्ष के कार्यकाल के अन्दर बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही निवेश के नाम पर जो बुन्देलखण्ड बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, मा0 योगी जी की देन है कि के0डी0 मोरी कम्पनी 400 करोड़ रु0 का निवेश करने जा रही है। के0डी0 मोरी कम्पनी यीस्ट बनाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो हमारे किसान साथी किसान बिल के बारे में चर्चा करते हैं, यही निवेश साबित करता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य कृपया आप समाप्त करें।

श्री आनन्द शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको सुन लीजिए। यह यीस्ट बनाने का काम करेगी। यही यीस्ट इसमें गेहूं लगेगा, गन्ना लगेगा। गेहूं हमारे चित्रकूट के किसान साथियों से लिया जायेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर अगर वह चाहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैंने मा0 सदस्या गरिमा सिंह जी को बुला लिया है।

श्रीमती गरिमा सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने इस सम्मानित सदन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। माननीया राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का मैं समर्थन करती हूं। कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में जकड़ लिया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे मुख्य मंत्री श्री योगी जी ने इस महामारी को नियंत्रित करने और कई जगहों पर समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस वन्दनीय कार्य के लिए मैं उन्हें प्रणाम करती हूं। इस महामारी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है परन्तु यह भी सिखाया कि हमें भविष्य की चिन्ता कर इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। इसी के दृष्टिगत कोरोनाकाल में जब प्रवासी नागरिक बड़ी मात्रा में वापस लौटे तो संक्रमण को रोकने तथा प्रवासियों की सुविधा के लिए बसें और ट्रेनें चलायी गयीं। मेरी विधान सभा क्षेत्र स्थित अमेठी स्टेशन पर भी ऐसी कई ट्रेनें आयीं, जिनके यात्रियों को दूसरे जनपदों में जाना था। मुझे खुशी है कि सरकार की रूपरेखा व निर्देशों का पालन करते हुए जिला और तहसील के अधिकारियों ने संवेदनशीलता और कुशलता से सभी यात्रियों को उनके गन्तव्य तक पहुंचा दिया

था। इस कठिन समय में सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में सहयोगी, चिकित्सा विभाग के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को जिन्होंने इस अभियान में अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं, उनको मैं नमन करती हूं और जिन कोरोना योद्धाओं ने इस महामारी से लड़ते समय अपने प्राणों की आहूति दे दी है, उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

अपने प्रधानमंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी का वंदन अभिनन्दन करती हूं कि उन्होंने इतनी कुशलता से श्रीराम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। और निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। उत्तर प्रदेश की अयोध्या झांकी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रथम स्थान देकर आपने हम सबको हर्षित और गौरवान्वित किया है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेस-वे की तरह मेरी विधान सभा क्षेत्र अमेठी में भी विकास की गंगा बही है। चाहे वह अमेठी बाईपास हो या अमेठी ओवरब्रिज चाहे मालती नदी का पुल हो या भीमराव अम्बेडकर मैदान का उच्चीकरण चारों तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का आशीर्वाद नजर आ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सारे नागरिकों को स्वावलम्बी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 37 लाख लोगों को ऋण वितरित करके रोजगार के अवसर दिए गए। तमसो मा ज्योतिगर्मय हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री योगी जी की अध्यक्षता में माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा जी ने पूरे प्रदेश को जगमग किया है मेरी विधान सभा अमेठी में भी तीन नए उपकेन्द्रों के साथ साथ कई नए परिवर्ततक, पुराने परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कई गांवों का विद्युतीकरण कई कि0मी0 लम्बी केबिल तथा हजारों की संख्या में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसी क्रम में माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अमेठी के अन्तर्गत विकास खण्ड भदुआ के ग्राम सभा गौरीपुर में गांव पंजोली में 63 के0वी0ए0 के परिवर्तक की क्षमता वृद्धि होनी है। कई स्थानों पर क्षमता वृद्धि हो चुकी है परन्तु किन्हीं कारणों से यह काम कई महीनों से लम्बित है कृपया इस गांव को भी प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था की नीतियों के कारण आम नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र अमेठी में भी एक माडल थाना बनना सुनिश्चित हुआ है महिला होने के नाते मुझे अपनी सरकार पर गर्व है सरकार ने हमारे सम्मान को महत्व देते हुए मिशन शक्ति के अन्तर्गत हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की है साथ ही साथ पुलिस बल में हो रही भर्तियों में भी 20 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है। इसी बिन्दु पर मेरी विधान सभा क्षेत्र अमेठी में एक माडल थाना बनना सुनिश्चित हुआ है आपसे निवेदन है कि इस माडल थाने को भादर विकास खण्ड मुख्यालय के बगल में जो जमीन पूर्व में प्राथमिक चिकित्सालय के लिए चिन्हित की गई थी लेकिन चिकित्सालय कहीं और बन गया है अतः इसी जमीन पर माडल थाना बनाने की कृपा करें। हमारे अन्नदाता किसानों की आय को दो गुना करने के लिए मण्डी के बाहर के व्यापार को लाइसेंस व मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी को भी बेच सकते हैं। लघु एवं सीमान्त किसानों के स्वावलम्बन हेतु माननीय

प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई हमारे अन्नदाताओं को किसी भी तरह का नुकसान न हो इसलिए हमारी सरकार ने तब तक क्रय केन्द्रों को संचालित करने का निर्णय लिया है जब तक कोई भी किसान अपना अनाज केन्द्र पर लाना चाहता हो। इसी विषय पर मैं आपकी अनुमति से अपनी विधान सभा क्षेत्र अमेठी में क्रय केन्द्रों के भण्डारण की व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग करती हूं। मैं अपनी सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्य मंत्री जी को तथा उनके अति महत्वपूर्ण जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री माननीय महेन्द्र जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। जिनके मार्गदर्शन में छोटी नहरों की भी सफाई हुई जिनकी तरफ पिछली सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब हर किसान के खेत पर पानी पहुंच रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्रीमती गरिमा सिंह-

हर घर जल योजना के अन्तर्गत 2024 तक पाइप पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। मैं इस योजना का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं माननीय अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा अमेठी में कई गांव में खारा पानी आता है वहां आज भी पानी के लिए लोगों को लम्बा सफर तय करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस योजना का क्रियान्वयन इन गांवों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इन ग्राम सभाओं की सूची मेरे पास है यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे पढ़ूं न आपके पास प्रेषित कर दूं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। आप हमें दे दीजियेगा।

श्रीमती गरिमा सिंह-

मान्यवर, मैं बस थोड़ी देर और बोलूंगी। हमारी सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने हेतु तथा ग्रामीण अंचल में चिकित्सा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त बजट दिया है, इसके लिये मैं अपने प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र अमेठी में भी एक आयुष अस्पताल, एक ओ0पी0डी0 लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नवीनीकरण हो चुका है। इसके साथ ही साथ कई वेलनेस सेन्टर की स्थापना भी की गयी है। प्रत्येक रविवार को आयोजित मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों से क्षेत्र के कई रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी कार्यों के लिये मैं मुख्य मंत्री मा0 योगी का आभार व्यक्त करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्या, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती गरिमा सिंह-

मान्यवर, हमें केवल दो मिनट का समय और दे दें। हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री मा0 योगी जी ने नौजवानों के प्रोत्साहन के लिये कदम उठाये हैं। उनमें से एक मेरे विधान सभा क्षेत्र

अमेठी के विकास खण्ड अमेठी में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम का नवीनीकरण कराया जा रहा है। नौजवानों के भविष्य को सही दिशा देने के लिये हमारी सरकार ने कई स्थानों पर कौशल विकास की ट्रेनिंग देने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। हम अमेठी वासियों की ऊर्जा का केन्द्र पौराणिक शक्ति पीठ च्यवन ऋषि की तपोस्थली, विख्यात मां कालिकन धाम है। मन्दिर परिसर को पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित करने के लिये मैं अपने समस्त अमेठीवासियों की ओर से अपने मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं और नमन करती हूं। इस दिशा में मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि दूर-दूर से लोग यहां पर आते हैं और इस स्थान को कालिकन धाम के नाम से जानते हैं। इसलिये मन्दिर के सामने संग्रामपुर थाने का नाम परिवर्तित करके कालिकन धाम रखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आदरणीय संगीता बलवन्त जी।

श्रीमती गरिमा सिंह-

मान्यवर, बस दो मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

जो बातें आप कहना चाहती हैं वह आप हमें लिखित रूप में दे दें, हम उसे कार्यवाही में शामिल करा देंगे।

(इसी मध्य सदस्य श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट एवं श्री अमिताभ बाजपेयी के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप लोग कृपया बैठ जाइये। बहुत लम्बी लिस्ट है। हम पार्टी की सदस्य संख्या के आधार पर मा0 सदस्यों को अवसर दे रहे हैं। हम 3:1 के आधार पर मा0 सदस्यों को अवसर दे रहे हैं।

श्रीमती गरिमा सिंह-

मान्यवर, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 गरिमा जी, आप हमें लिखित में दे दें, इसे कार्यवाही में शामिल कर लिया जायेगा। मा0 संगीता बलवन्त जी।

श्रीमती गरिमा सिंह-

मान्यवर, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।

डा0 संगीता बलवन्त-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और अपना वक्तव्य

प्रारम्भ करने से पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देती हूं कि इस बार का बजट सत्र पेपरलेस किया गया और इस पेपरलेस बजट के कारण हमारी विधान सभा का जो पैसा कागजों पर खर्च होता था उसमें तो बचत हो ही रही है साथ ही समय की भी बचत हो रही है। मैं यह कहना चाहूंगी कि पेपरलेस विधान सभा होने के कारण जो पूर्व में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष कागज के गोले फेंका करता था इस बार मैं उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देती हूं कि पेपरलेस विधान सभा होने के कारण इस बार विपक्ष राज्यपाल महोदया के ऊपर कागज के गोले फेंकने से वंचित रह गया और आईपैड फेंकने से तो रहा। इसके लिये मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देती हूं और कहना चाहूंगी कि आज हर व्यक्ति को मकान, आजीविका एवं रोटी की गारण्टी केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही है। कोरोनाकाल में पूरी दुनिया पस्त है। सबसे बड़ी आर्थिक एवं सामरिक ताकत अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी में 4 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुयीं और लाखों संक्रमित हैं। इसके ठीक विपरीत पी0एम0 मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कोरोना से लड़ने में सफलता पायी और उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ने में सफलता पायी। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में केवल साढ़े आठ हजार लोगों ने जान गंवायी। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिये टीकाकरण प्रगति पर है। देश में 02 स्वदेशी वैक्सीन लांच की गयी हैं जिसका उपयोग सिर्फ मेरा देश ही नहीं कर रहा है बल्कि मित्र देश भी कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने गरीबों का जनधन खाता खोला। कोरोनाकाल में 40 करोड़ लोगों का खाता खुला, जिसमें 22 करोड़ बहने थीं और 31 हजार करोड़ रुपये मां-बहनों के खातों में गया। मैं कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने ढाई लाख से ज्यादा मुकदमे वापस लेकर उन लोगों को बड़ी राहत दी है। जो कोरोना प्रोटोकाल और कोविड-19 एक्ट का उल्लंघन करने के कारण कानूनी जंजाल में फंसे हुए थे। दरअसल बीते वर्ष मार्च में कोरोना जिस रफ्तार से पांव पसार रहा था उसे थामने के लिए सरकार को सख्ती दिखानी पड़ी थी क्योंकि तब न तो कोरोना का इलाज था और न बचाव की कोई दवा थी, कोरोना से जुड़े केस वापस लेने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया है। मैं कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान मिला है। इस झांकी में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मन्दिर का मॉडल और महर्षी बाल्मीकी जी की प्रतिमा विभिन्न देशों से अयोध्या व प्रभु राम से सम्बन्धों का चित्रण, भगवान राम द्वारा निषादराज को गले लगाना एवं सबरी के जूठे बेर खाने का दृश्य मनोहारी ही नहीं सर्वोत्तम था। जिस तरह से हमारा देश और हमारा प्रदेश राष्ट्र भक्ति की भावना को आगे प्रदर्शित कर रहा है, नागरिकों में जोश भर रहा है उसे मैं दो पंक्तियों के माध्यम से, जो मेरी स्वरचित है कहना चाहूँगी कि **''जब कोई भारत को आंख दिखाता है खून ये क्यों खौलता है, यकीनन मिट्टी का प्रेम धमनियों में बोलता है''** मैं आगे कहना चाहूँगी कि श्रमिक राष्ट्र निर्माता है, लेकिन मजबूरीवश अपने परिवार को ही बना नहीं पाता है। अब ऐसा नहीं होगा, जो राष्ट्र निर्माण

करेगा उसके बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी उनके बच्चे खानाबदोश न जिए इसके लिए 18 मण्डल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहे हैं जहां पर श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क सी0बी0एस0सी0 बोर्ड की पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश सरकार पूरी तरह से **सबका साथ, सबका विकास** का कार्य कर रही है और लोग बड़ी तेजी के साथ प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण उससे जुड़ रहे हैं और केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण उसके साथ जुड़ रहे हैं। मैं कहूँगी कि आज चारों तरफ जो कमल का प्रचार-प्रसार हो रहा है जिस तरह से कमल मजबूती से खिल रहा है उस पर मैं कहना चाहूँगी कि **''अच्छी नीयत अच्छी नीति यूँ ही नहीं कमल खिला करते हैं, जनता जुड़ी आप भी जुड़िये बड़े भाग्य से मोदी और योगी मिला करते हैं''** अब मैं सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें रख रही हूँ। ग्राम सभा सुनहरिया उर्फ बकुलियापुर चक जीवधर लक्ष्मीराम बिन्द के खेत से हृदय तिवारी के खेत तक सड़क निर्माण और धरम्मरपुर गंगा नदी में स्थित पक्के पुल का नाम उस क्षेत्र के बहुचर्चित श्री संत नागा बाबा के नाम से किया जाय और कुछ शेष जो समस्यायें हैं मैं यहां पे आपको अवगत करा दूँगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको सादर आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आपको, अपने मा0 नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा दिए गये सम्बोधन से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण दिलाया गया है वह जबरन दिलाया गया है और पूर्णतः सरकार का मिथ्या बखान करवाया गया है। महामहिम उक्त अभिभाषण को पढ़ना नहीं चाहती थीं इसलिए उनके द्वारा 7 मिनट विलम्ब से अभिभाषण शुरू किया गया। आज प्रदेश की हालत हर क्षेत्र में बहुत खराब है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश व प्रदेश में हर वर्ग परेशान होने के साथ-साथ सभी लोग अपनी-अपनी रोटी-रोजगार के लिए परेशान हैं। पर सरकार वहां पर भी ऐसी स्थिति में भी कोरोना जैसे विपरीत परिस्थित में भी अपनी जिम्मेदारी पूर्णतया न निभाते हुए धर्म के आधार पर आपस में लोगों को विभाजित करने का प्रयास किया तथा निर्दोष जमातियों को भी कोरोना के लिए जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया। जबकि बाद में सभी जमाती जांच में निर्दोष पाये गये। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, केन्द्र सरकार ने कोरोनाकाल में देश के किसानों के साथ धोखा करके तीन किसान विरोधी काला कानून संसद में पास किये। सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात कर रही है वहीं राजकीय सरकारें किसानों को एम0एस0पी0 का पूरा लाभ दिये जाने की बात करती हैं, परन्तु वास्तविक स्थिति दूसरी रही। हमारी विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में किसानों का धान क्रय केन्द्रों पर नहीं खरीदा गया। धान केवल बड़े व्यापारियों का कमीशन के माध्यम से खरीद होती रही और तो और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी मेरे स्वयं का धान जो करीब 50 क्विंटल था,

मैनें धान क्रय केन्द्र समैसी में अक्टूबर-नवम्बर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया और जिसके एवज में मुझे टोकन भी मिला, परन्तु आज तक मेरे स्वयं का धान व अन्य किसान जिसकी संख्या सैकड़ों में है उसके मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूं, रघुनाथ, मो0 उजेर फारूकी, अहमद अली, आदिल फारूकी, राम स्वरूप, श्रवण कुमार, रियाज, राम चन्द्र सहित कई सैकड़ों किसान ऐसे रहे जिनका धान क्रय केन्द्र समैसी, गोसाइगंज, करोरा और उप मण्डी स्थलों पर किसानों ने पंजीकरण कराया, टोकन नम्बर भी मिला लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय जिम्मेदार अधिकारियों से फरियाद लगाने के बाद भी किसी अधिकारी ने आज तक धान नहीं खरीदा। उन्हीं केन्द्रों पर बिचौलियों व व्यापारियों का खुलेआम धान खरीदकर सरकारी बोरों में धान भरा गया है।

मान्यवर, जब एक किसान विधायक का धान नहीं खरीदा जाता है, तो आम किसानों की क्या हालत होगी ? यह सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है, आज किसानों के लिए डीजल, खाद और बिजली के बिल में लगातार बढ़ोत्तरी करके किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, तो यह किसानों की आय दुगुनी कहां से करेगी और जहां तक किसानों के लिए समितियों में खाद नहीं है, तो दूसरी तरफ किसानों के निजी नलकूपों का विद्युत बिल मीटर लगाकर पांच-दस हजार रुपये वसूला जा रहा है, जबकि पूर्व की समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में फिक्स बिल लिया जाता था। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से सरकार के निजी नलकूपों पर रियायती फिक्स बिल लिये जाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण नगराम-गंगागंज मार्ग जो जर्जर और पूर्णतया खराब हो चुका है, जिसको अधिकारियों से कई बार फरियाद लगाने के बाद भी आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। हमारे क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण समस्या जो हमारे नहर की सड़क है जो पुरसैनी से सलेमपुरा अचाका तक निर्माण के लिए याचिका के माध्यम से स्वीकृत है, लेकिन आज तक उस मार्ग के लिए इस सरकार द्वारा कोई भी बजट का आवंटन नहीं किया गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में पूर्वांन्चल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आस-पास की सड़कें पूर्णतया जर्जर हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र की विकास खण्ड गोसाईगंज की जर्जर सड़कों का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाये। माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुनीता-

मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। अधिष्ठाता महोदय, जब हम लोग इस विधान सभा में आये तो हर साल की तरह हम लोगों ने सोचा कि महामहिम के भाषण पर कुछ वैसा ही होने वाला

है, लेकिन जब हम लोग यहां आये तो दृश्य बदला हुआ था, हमने सोचा कि इस बार विपक्ष है, कुछ अच्छा करेगा और कुछ अपना विरोध जताने का तरीका बदलेगा, लेकिन फिर वही चले, गोला नहीं चला, लेकिन विपक्ष वाक-आउट कर गया। यह संशोधन के लिए देते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए तो बैठकर सुनना चाहिए कि क्या संशोधन होना चाहिए। जब अभिभाषण पर सुनेंगे ही नहीं और संशोधन पढ़कर देंगे तो यह ठीक नहीं है। तो मैं कहूंगी कि यह परम्परा डेवलप होनी चाहिये कि हम पहले बातों को सुनें फिर अपनी बातों को रखें। यहां पर विपक्ष द्वारा यह भी कहा गया कि महामहिम जी को दोबारा सदन में बुलाया जाये तो यह परम्परा कहां की है। महामहिम राज्यपाल का पद किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख का पद होता है और उनके विषय में इस तरह की जो बात कही गई वह हम लोगों को अच्छी नहीं लगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष ने अपनी आदत के अनुसार बातों को तोड़-मरोड़ कर रखा है। कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वह काबिले तारीफ था क्योंकि देश की चिंता करके वह निर्णय सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए लिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे हमें कितना नुकसान होगा लेकिन उन्होंने देश की जनता की चिंता करते हुए लॉकडाउन घोषित किया। हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था जब लॉकडाउन में ट्रेन और आवागमन के सारे साधन बंद हुये हों, इससे नुकसान तो सरकार का ही था, लेकिन जब उन्होंने हमारे लिये यह निर्णय लिया तो हमको इसका स्वागत करना चाहिये। हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया कि किस तरह से अपने उत्तर प्रदेश को संभालना है, जबकि लोग बातें कर रहे थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या का यह राज्य है और इसमें तो इतनी महामारी फैलेगी कि लाशों की गिनती नहीं बनेगी। महराज जी ने इस राज्य को इस तरह संभाला कि किसी ने ऊंगली नहीं उठाई और देश ही नहीं विदेशों में इस बात की चर्चा हुई कि किस तरह से इतने बड़े राज्य को संभाला गया। विपक्ष को इससे सीख लेना चाहिये क्योंकि इससे सबकी रक्षा और सुरक्षा हुई है। हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि हमारी भी कोरोना महामारी में चिंता की गई। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर प्रदेश की जनता के हित में काम किया है। गांव में अब कुछ ही लोग रह गये हैं जो इसकी निन्दा करते हैं जबकि गांव में घर-घर में इसकी चर्चा हो रही है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने किस तरह से दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए गये हमारे प्रदेश के श्रमिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। यदि पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के अंदर उद्योग-धन्धे लगाये होते तो यह श्रमिक प्रदेश से बाहर रोजगार की खोज में नहीं जाते। हमारे श्रमिक अपनी रोजी-रोटी के लिए बाहर गये हैं, लेकिन उनको कुशलतापूर्वक प्रदेश में लाने का काम हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलता था और हमारे अधिकारी तहसील पर बैठकर जनता की सेवा करते थे। मैं खुद वहां पर गई थी और देखा कि वह प्रवासियों की चिंता किस प्रकार से करते थे। कोरोनाकाल में जब अपने सगे-सम्बन्धी साथ छोड़

रहे थे तब इन अधिकारियों ने गरीबों की चिंता की और उनके गाड़ी से उतरते ही उनकी दवाई की चिंता, उनकी जांच की चिंता, उनके खाने की चिंता की थी, उनको 14 दिन की राशन सामग्री देते थे और उनको घरों तक सुरक्षित भिजवाते थे। जब वह गाड़ी से उतरकर अपने घर पहुंचते थे तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती थी। इस तरह से कोरोनाकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ। यदि पिछली सरकारों ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े-बड़े अस्पताल बनाये होते तो यह दिन हमको नहीं देखने पड़ते फिर भी हमारी सरकार ने इतनी तैयारी के साथ काम किया कि कम संसाधनों के बावजूद हमने बेहतरीन व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त की। वेन्टीलेटर और फेस मास्क भी विदेशों से मंगाने की जरूरत नहीं समझी, सब कुछ यहीं पर तैयार कर लिया गया।

मान्यवर, सामूहिक विवाह योजना महिलाओं से जुड़ी योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने लोगों की खुशी देखी है। हमारे यहां अभी 153-54 लोगों की शादियां हुईं, जिस तरीके से 51 हजार रुपये देकर उनकी शादी कराई गई उनकी खुशी को देखते बनता था और एक बटन दबाकर उनके खाते में कोई भ्रष्टाचार नहीं सीधे उनके खाते में देने का काम किया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त कर दीजिए।

श्रीमती सुनीता-

मान्यवर, मैं आवास योजना की बात कहना चाहूंगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये। आप लिखकर दे दीजिएगा सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्रीमती सुनीता-

अधिष्ठाता महोदय, बस एक सेकेण्ड।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्रीमती सुनीता-

अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूं जहां पर हमको लोग फोन करके बोलते थे कि विधायक जी आपके क्षेत्र से जा रहे हैं। किस रोड से हम जाएं क्योंकि इतनी दुर्दशा की गयी थी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका कुछ नहीं लिखा जाएगा। आप बैठ जाइये। मा0 सुनीता जी अब आपका कुछ लिखा नहीं जा रहा है।

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना महामारी की बात हो रही थी। मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन और सरकार ने मिलकर बाहर से जो प्रवासी मजदूर आये थे उनके खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, उनके चप्पल की व्यवस्था और उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वह देश की जनता के लिए लिया है कि 130 करोड़ हमारी जनता सुरक्षित कैसे रहे ? विकास तो हमारा बाद में हो जाएगा जब हम पहले जनता को सुरक्षित कर लेंगे तो विकास तो हो जाएगा। इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हमारी गरीब महिलाएं जब गीली लकड़ी से खाना बनाती थीं तो उनको तरह-तरह की बीमारियां हो जाती थीं। कहीं आंख खराब हो जाती थी, कहीं किडनी खराब हो जाती थी। इसीलिए हमने उज्ज्वला योजना में लाइन लगाकर सेलेंडर बांटे। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विकास लेकर चले हैं। जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि समाजवाद का नारा था, खाली प्लॉट हमारा था। इन्होंने विकास में यह किया है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास लेकर चली है। इसी तरह से पंडित दीन दयाल उपाध्याय, ग्राम ज्योति योजना जो अभी तक 18 हजार 883 गांव ऐसे थे, जिनमें विद्युतीकरण नहीं था। जो अंधेरे में बैठे हुए थे। उनको हमारी सरकार ने हमारे माननीय मंत्री जी ने उनको उजाले में बैठाने का काम किया है। उनका भी अधिकार था उजाले में रहने का। इसी तरह हमारी सरकार ने जो विकास की गंगा बहाई है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब ने कभी सोचा भी नहीं था, जब बारिश होती थी तो वह कहते थे, कितने समय पर सुबह होगी जब हम अपनी छाया का इंतजाम करेंगे। आज गरीब के ऊपर पक्की छत है। 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसके सर पर पक्की छत न हो। आज आप शहरी आवासों में देखिए, नगर पालिका/पंचायत में देखिए, ग्राम पंचायते हैं, नगर पालिका हैं उनमें बहुत खुशियां आ गई हैं क्योंकि यह सरकार गरीबों की है। यह सरकार किसानों की है। यह सरकार दलित और पिछड़ों की है। पंडित दीनदयाल जो कहते थे उनके सपनों को आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत हमारे जो गांव थे और जो नगरीय क्षेत्र थे वह इस तरह से पड़े थे वहां पर कोई सफाई नहीं होती थी। हमारी सरकार जबसे आई यह पता नहीं चल रहा था कि सड़कें हैं या गड्ढा है या सड़के हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों से चमक रहा है और यह लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार तुम लोग फैलाते थे, आज भ्रष्टाचारी कहां हैं, प्रदेश में तो कहीं दिखायी नहीं दे रहे हैं आपको तो खुद ही पता है कि वह भ्रष्टाचारी कहां रह रहे हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर वृक्षारोपण करके उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास बनाया है। इसी तरह से मा0 मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना है। बेटी बढ़े, बेटी पढ़े और आगे बढ़े। हमें तो लगता है कि आज बेटियां बेटों की तुलना में बहुत आगे हैं। मा0 मुख्य मंत्री सामूहिक

विवाह योजना के अन्तर्गत आज ब्लाक में रजिस्ट्रेशन कराकर एक लाख शादियां हो चुकी हैं। गरीब सोचते थे कि हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे। आज सारी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ लड़का देखो शादी की चिंता सरकार करेगी। सरकार ने अनुदान 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपया कर दिया है। इसी तरह से कुछ अपने क्षेत्र की समस्यायें कहना चाहूंगी।

श्री अधिष्ठाता-

आप क्षेत्र की समस्या लिखकर दे दीजिएगा उसको शामिल कर लिया जायेगा।

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत जो बेचारे गरीब थे, तड़पते थे, जिनका इलाज नहीं हो पाता था वह 05 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा से अच्छे अस्पताल में अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहां ब्लाक चकरनगर में संडोस में एक स्टेडियम बनाया जाये, 2018 में उसे दे चुके थे तो दो जगह बनना है, विधान सभा क्षेत्र भरथना में ब्लाक चकरनगर में और एक ब्लाक भरथना में। दो जगह यह बनेगा। इसी तरह से हमारे यहां पचनदा पड़ता है। पचनदा में एक क्वारी नदी है जो हमेशा सूखी रहती है। अगर उसमें 3-4 चेकडैम बन जायेंगे तो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी और पशु-पक्षियों के लिए भी पानी रहेगा। इसी तरह से ब्लाक महेवा है। यह एशिया में सबसे बड़ा ब्लाक है। मेरा निवेदन है कि ब्लाक महेवा को नगर पंचायत के नाम से उसे स्वीकृत कर दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री सुभाष त्रिपाठी जी (अनुपस्थित रहने पर), माननीय श्री पल्टूराम जी।

श्री पल्टूराम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर मा0 मुख्य सचेतक श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आज सुबह से ही इस समय तक सदन की चर्चा में मौजूद हूं और लगभग अपने पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुनने का काम किया है। इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही और न राकेश प्रताप सिंह जी भईया के सीने में सही है कहीं आग तो जलनी चाहिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं उस आग की बात नहीं करता हूं जो आग विपक्षी पार्टी के लोग जो कल्पना करते थे कि इस भीषण त्रासदी के बाद भी दशकों पूर्व उड़ीसा

के कालाहांडी में घटित हुयी एक घटना की कल्पना करते थे। इस भीषण त्रासदी के बाद भारत में और उत्तर प्रदेश में वही तबाही आयेगी यह उनकी कल्पना थी। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, इस देश की बागडोर श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी के अनुयायी नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में थी। इस प्रदेश की बागडोर वह महान संत परमपूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है जो बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर, पं0 दीन दयाल उपाध्याय और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर आगे चल रहे हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह कल्पना इनकी थी, लेकिन उस कल्पना ने इनके मनसूबों को नाकाम कर दिया है तभी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं। आज यह रोना रो रहे हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैं अपने दिल की गहराई से बात कर रहा हूं और कहीं-कहीं कुछ सदस्यों को छोड़कर विपक्ष के लोग कोरोना महामारी में अपने समर्थन की बात करते हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब यह अपने मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का नाम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जोड़ देते हैं तो मेरा कहीं-न-कहीं भगवान से कुछ क्षण के लिए विश्वास उठ जाता है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं ने किया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर कोरोना से पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। (विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) यह मेरी बात इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। मैंने इनकी बात को बखूबी सुना है, इसलिए मेरे मित्र मेरी बात को सुनिए। श्री मनोज कुमार पारस जी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। मैं इनका उल्लेख समाचार-पत्रों के माध्यम से देखता था और इनको सदन में आने के बाद भी सुना है। मुझे गर्व होता है कि इनके मुंह से भी डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान की बात आई है। मेरे पास उस समाचार-पत्र की कटिंग है जो जनपद लखनऊ से छपी थी। डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर पूर्व सरकार ने जो पार्कों और स्मारकों को बनाने का काम किया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार वर्ष 2012 में आती है तो उन पार्कों व स्मारकों के कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, वहां की बिजली को काट दिया जाता है। जब वर्ष 2017 में मा0 योगी जी की सरकार आती है, तो वहां के कर्मचारी बहाल किये जाते हैं और वहां पर विद्युत की व्यवस्था को देकर योगी सरकार डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम करती है। यही नहीं इस देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के महू छावनी नामक स्थान पर जहां पर डॉ0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जन्म लिया था, उनके जन्म से लेकर, उन पांच स्थानों पर, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। यही नहीं अभी 04 फरवरी को चौरी-चौरा में शहीद हुए उन शहीदों के सम्मान में उत्तर प्रदेश के सभी .... जनपदों में

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप समाप्त करें।

श्री पल्टूराम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, कार्यक्रम आयोजित करके सरकार ने यह कहने का काम किया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे, हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों के यही बाकी निशां होंगे। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिखकर दे दूंगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां तक विकास की बात है तो श्री राकेश प्रताप सिंह जी भी गवाह हैं कि अभी आप एक समिति के माध्यम से देवीपाटन मण्डल के दौरे पर थे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जाइये।

श्री पल्टूराम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं इनके साथ जाकर उस चमचमाती सड़क से एक घण्टे में दर्शन करके वापस आ गया। हमने कहा कि राकेश भैय्या योगी सरकार द्वारा बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण कराया गया। अपनी मीटिंग में समय से पहुंचने का काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो नेता प्रतिपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव रखा है, उससे मैं अपने आपको जोड़ता हूं। अभिभाषण में कोरोना महामारी के बारे में शुरुआत की गयी। साथ ही मैं उन सभी विधान सभा के मा0 सदस्य, मंत्री, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व एम0एल0सी0 और साथ ही तमाम ऐसे लोग जो कोरोना महामारी में लड़ते हुए अपनी जान गंवा बैठे, उन तमाम लोगों को खैराज-ए-अकीदत पेश करता हूं। साथ ही अभिभाषण में सरकारी अमले को तो बधाई दी गयी, सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन मुझे फक्र की उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस कोरोनाकाल में अपने पेट को काटकर, जब मजदूर, गरीब, किसान भूखा रह रहा था तो अपने घरों से निकलकर मदद करने का काम किया, इसीलिए इस महामारी से उत्तर प्रदेश की जनता ने लड़ने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम साथियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही अभी हमारे विधान सभा के सदस्य बोल रहे थे कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस महामारी के दौर में केवल प्रदेश ही नहीं, बल्कि जहां-जहां हमारा संगठन है, वहां के तमाम लोगों से आग्रह किया कि आप निकलकर गरीब एवं बेसहारा लोगों की मदद करने का काम करें। अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इतने मेडिकल कॉलेज,

पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 आदि न बनवाये होते या आदरणीय नेता जी ने नहीं बनाया होता, तो आज आप जिसका दम भरते हो कि डब्लू0एच0ओ0 उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपा रहा है, तो आपकी पीठ नहीं थपथपाई गयी होती। 22 महीने के अंदर अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस-वे बनाकर दे दिया, लेकिन आप 22 महीने क्या, 4 साल में एक एक्सप्रेस-वे नहीं बना सके, तो आप बतायें कि कोरोना महामारी जो एक भय बनने का काम की, तो उस कोरोना महामारी में अगर पिछली सरकारों ने मेडिकल पर काम न किया होता तो आप बताइए कि प्रदेश का क्या हाल हुआ होता। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में सभी ने आगे बढ़कर काम किया, जिससे आज हम उस महामारी को नाकाम कर पाये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबका धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा-

''चमन पे जो गुजरी सो गुजरी, मगर ये क्या कम है कि फाश हो गये,
झूठी बहार के आईन, वही जफाएं, वही मुश्किलें,
वहीं आफत, तुम्हीं बताओ कि बदले कहां मेरे दिन और रात''

मान्यवर, हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सिर्फ झूठें वादे किये जा रहे हैं। जब सरकार का अपना बजट पेश होता है, अभिभाषण में कहा जाता है, हर बार एक नया सलोगन दे दिया जाता है, लेकिन वह सलोगन केवल किताबों और कागजों में रह जाता है, जमीन पर उतारने का काम नहीं होता। उत्तर प्रदेश किसान प्रदेश है, आज किसान हमारे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसमें सबसे ज्यादा गन्ना किसान है, आज हमारे गन्ना किसानों का, आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल में, पिछला भुगतान 2019-20 का नहीं हुआ है। आज किसान जब अपने भुगतान के लिए जाते हैं तो उनको फर्जी मुकदमें में फंसाने का काम होता है। वहीं पर मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई, बाढ़ के बाद लगातार बारिश हुई, निचले इलाके में भी पानी भर गया, लेकिन बाढ़ आपदा एवं निचले इलाके की जो फसलें बर्बाद हुईं, अभी तक उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है।

''जो झूठ बोलकर करते हैं मुतमइन सबको।
वो झूठ बोलकर खुद मुतमइन नहीं होते।।''

कहीं-न-कहीं इनको भी एहसास है कि जो यह कृषि कानून आया है उससे सिर्फ किसानों का दोहन होगा, उन पर अत्याचार होगा, उनकी दिक्कत बढ़ेगी, उनका भला नहीं होने वाला है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, आज आप देख लीजिए, हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गये तो आप बतायें कौन हैं जो लखनऊ के अंदर, प्रदेश के अंदर आये दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार कर रहे हैं। आज आप बता दीजिए, हमारी बहन-बेटियां अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हाथरस से आजमगढ़, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक हमारी बहन-बेटियों के साथ अत्याचार और जुल्म होते जा रहे हैं और

कहीं-न-कहीं सत्ता के लोग उनका संरक्षण करने का काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है, जब हमारे भट्ठा उद्योग के लोग छोटे-छोटे कारोबार के लोग जब मिट्टी खनन करते हैं तो खनन अधिकारी उनका उत्पीड़न करते हैं, थाने की पुलिस जाकर उनका उत्पीड़न करती है। लेकिन एक्सप्रेस-वे पर मिट्टी डालने के नाम पर बड़े-बड़े डम्परों से गांव के क्षेत्रों से मिट्टी निकालने का काम हो रहा है। सारी दफायें, सारे कानून को ताख पर रखकर काम हो रहा है।

मान्यवर, आज हालात यह हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर की तमाम सड़कें, महराजगंज और बिलरियागंज ब्लाक की तमाम सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ती हैं, वह पूरी तरह से ध्वस्त होकर खत्म हो गयी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हं, सरकार से निवेदन करता हूं कि उन सड़कों को बनाने का काम किया जाए। वहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगातार जबसे मैं चुनकर आया हं, मैं बात करता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक तहसील बना दी जाए। वहां से रिपोर्ट आ चुकी है कि तहसील बननी चाहिए, क्योंकि गरीब किसान लोगों को इन्साफ के लिए 60 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, लेकिन अभी तक सारी रिपोर्ट आने के बाद भी यहां से उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में तहसील का सृजन हो जाए। मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा इलाका है, वहां पर हमारी बहन-बेटियों को दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। मेरी तमाम गुजारिश रहती है कि वहां पर एक गवर्नमेण्ट गर्ल्स कालेज बना दिया जाए तो हमारे पास चिट्ठी आ जाती है कि वहां पर प्राइवेट कालेज हैं। आप बताइये कि गरीब की बेटी, बेसहारा किसान की बेटी प्राइवेट कालेज में कैसे पढ़ेगी ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसको भी जोड़ दिया जाए। मेरे यहां एक सड़क है, बिलरियागंज-रौनापार जो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, डेली उस पर पचासों हजार लोग वहां से गुजरते हैं। उस सड़क का चौड़ीकरण कराकर मेरी विधान सभा क्षेत्र के उन लोगों को, किसानों को राहत देने का काम किया जाए। मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम रतन कुशवाहा जी, नहीं हैं।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी बोलें।

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

अधिष्ठाता जी, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल जी के ओजस्वी भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके साथ-साथ अपने यशस्वी वित्त मंत्री और उनकी टीम को भी आभार व्यक्त करूंगा। अधिष्ठाता जी, मुझे 05 मिनट में समाप्त करने की सूचना अभी मिलेगी, लेकिन मैं तकलीफ के साथ निवेदन करूंगा, वैसे भी सुनने वाले कम हैं और बोलने वाले भी अब कम रह गए हैं। इसलिए मुझे थोड़ा

अधिक समय मिलना चाहिए। अधिष्ठाता जी, मैं कोरोनाकाल के उस पीरियड की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब हम 'दिया' जलाने की बात करते थे। कितनी सारी बातें 9 अप्रैल की, 9 बजे की, 9 मिनट की जो बातें थीं, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा थी कि यह क्या होने जा रहा है ? उसके बाद थोड़ी सी चर्चा हुई थी, थाली बजाने की। उसके थोड़े से पीछे, उसके बैकग्राउण्ड में जाना चाहेंगे कि बहुत पहले जब अमेरिका में कुछ ऐसे कानून, हालांकि यहां जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन जब वहां वैसे कानून बने थे और उन कानूनों पर जब लोगों में उस जागरूकता को नहीं फैलाया गया था तो दुनिया भर की दिक्कतें हुई थीं और दुनिया भर की मौतें हुई थीं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने मात्र 9 मिनट दे करके 130 करोड़ लोगों को कोरोना के बारे में जिस शालीनता से जागरूक कर दिया, निश्चित तौर पर यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ही वश में था और उन्हीं के द्वारा यह काम किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से उन लोगों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब चारों तरफ आर्थिक पहिया की गति रुकी हुई थी। हमारे गांव के अन्तिम व्यक्ति के लिए, एक किसान जिसके पास अनाज होता था। एक किसान जिनके पास हमारे अनाज होते थे। अपने मजदूर भाइयों के लिए रोटी की व्यवस्था करने के लिए, हमारे किसान लोगों ने एडवांस में मजदूरी के तौर पर अनाज और दो एडवांस में मजदूरी के तौर पर रुपया उन तक पहुंचाया और अगर कहीं से थोड़ी गति मिली 95 परसेण्ट से ले करके 98 परसेण्ट की विधान सभा क्षेत्रों में किसान रहते थे उनकी वजह से आर्थिक पहिया आगे बढ़ा। सदन के माध्यम से प्रदेश के उन सभी किसानों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं ज्यादातर पर कोशिश कर रहा था कि 24, 22 और 18 क्या है शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। या जो सुना होगा तो वह शायद समझ रहे होंगे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। जब आज से तीन साल पहले जब सरकार बनी थी तो प्रदेश में 24 घण्टा और तहसील में 22 घण्टा और गांव में 18 घण्टा बिजली देने की बात कही गई थी। शायद मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने साथियों का कि अभी बजट में एक लाइन है एक जगह ई-गवर्नेस का और ई-गवर्नेंस की लाइन में यह अद्भुत रिकॉर्ड है कि अपने डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी के लिए चार करोड़ रुपया ई-गवर्नेंस के लिए, बजट के लिए तय किया गया है। मुझे लगता है कि इसके बाद तो दूसरा सबसे बड़ा सबके साथ सबके विकास का जो माडल है उस माडल में सबसे अच्छी चर्चा की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए लगभग 11 हजार करोड़ की छात्रवृत्ति लगभग-लगभग दोनों बजटों में इसका प्राविधान है अब अगर हम एक एक एक्सप्रेस की बात करें कि एक एक्सप्रेस अगर हमारी सरकार में बना था और हम पांच एक्सप्रेस पर चल रहे हैं और पांच एक्सप्रेस पर चलते-चलते संस्कृति के उन विद्यालयों में उन बच्चों की निगरानी की बातचीत करते हैं और टूरिज्म के माध्यम से दुनिया भर के जो काम अलग-अलग मन्दिरों के माध्यम से हो रहे हैं। वहां साधु से ले करके और साधु के अलावा जो वहां पर उनसे जुड़े हुए दैनिक क्रिया में भिक्षावृत्ति से ले करके काम करते हैं उनके भी इकोनॉमिक्स चर्चे भी इसके अन्दर समाहित किए गए हैं। अगर आप कैंसर से जुड़े चीजों पर

आप ध्यान दें, मैं स्वास्थ्य के बजट में डायग्नोसिस की प्रक्रिया को अलग-अलग ब्लाकों पर एक नया मॉडल देने की जो बात की गई है शायद मुझे लगता है कि 15 साल पहले मेडिकल कालेज स्टैबलिश कर लिए होते तो आज सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर या कोरोनाकाल में वह डाक्टर्स की कमी हमें देखने को मिली जो शायद कमी हमें न मिलती।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों के लिखित भाषण अंशों को कार्यवाही में सम्मिलित करने का निर्देश

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अधिष्ठाता जी, मैं समझता हूं कि समय भी काफी हो गया है। साढ़े नौ तक बुलवा दें और जो लोग रह जाएं उनका लिखित रूप से ले लें और कार्यवाही का अंग बना दें और एक-एक मिनट सभी का जिसका नाम पुकार देंगे आपकी तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी और उनका कम से कम फोटो आ जाए नाम कहीं पर आ जाए और बाकी लोग लिख कर दे देंगे। बात तो एक ही है जो लोग लिखकर देंगे वह भी कार्यवाही का अंग बन जाएगा।

श्री अधिष्ठाता-

जो सदस्य रह गए हैं मैं उनके नाम पढ़ दूं।

श्री इरफान सोलंकी जी, श्री अमिताभ बाजपेई जी, नईम उल हसन जी, प्रभु नारायण सिंह यादव जी और ब्रजेश कठेरिया जी इस पक्ष के श्री डी0सी0 वर्मा जी, रोशन लाल वर्मा जी, श्री विमलेश पासवान जी, श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी जी, श्री मूलचन्द्र निरंजन जी, श्री सहेन्द्र सिंह जी, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री संजय कुमार जी, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बिसवां, श्री राजीव तरारा जी, श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह जी, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री रमेश चन्द्र मिश्रा जी, श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी जी, श्री राजीव सिंह पारीक्षा जी इन सबका भाषण इसमें जोड़ दिया जाएगा।

इसके अलावा ये 04 नाम और हैं श्री विनोद कटियार जी, श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल जी, श्री ओम कुमार जी, श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी। अब श्री बैजनाथ रावत जी, आप अपनी बात रख दें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

श्री बैजनाथ रावत-

मा0 अधिष्ठाता जी, हमें महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया, हम आपके आभारी हैं। महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की कार्यशैली का एक आईना होता है और उसमें जो महामहिम

राज्यपाल महोदया ने कानून-व्यवस्था के बारे में तारीफ की है, उसमें मुझे यह कहना है कि अपराध हर सरकार में होते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में जब अपराध होते थे तो अपराधी छोड़ दिए जाते थे, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन आज जब अपराधी अपराध करते हैं तो हमारी योगी सरकार उन पर कठोर कार्रवाई करती है और उनको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। चूंकि इस समय हमारे पास समय कम है इसलिए हम अपने विधान सभा क्षेत्र की एक-दो बातें कहेंगे। हमारे विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ में एक त्रिवेदीगंज ब्लॉक है, वहां एक जगह सोनिकपुर है और वहां पर एक सैनिक स्कूल की आवश्यकता है। दूसरा हैदरगढ़ कस्बे में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है और हैदरगढ़ कस्बे में ही एक राजकीय कन्या पॉलीटेक्निक स्कूल की आवश्यकता है। इसके अलावा शरीफाबाद जो हैदरगढ़ में सुबेहा के पास है, वहां पर आई0टी0आई0 स्कूल की आवश्यकता है। मान्यवर, हैदरगढ़ में तीन रेलवे क्रासिंग हैं, उसमें एक सुबेहा रोड वाली क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता है। ऐसे ही भिटरिया रोड पर जाने वाली क्रॉसिंग पर एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है तथा औसानेश्वर मन्दिर को जाने वाली रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर भी एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है। साथ ही नगर पंचायत हैदरगढ़ को आदर्श नगर पंचायत बना दिया जाए। इसके अलावा हमारे यहां कोटी और भिलवल दो ग्राम पंचायतें हैं, उनको टाउन एरिया का दर्जा दे दिया जाए। साथ ही त्रिवेदीगंज ब्लॉक में एक लोनी नाला है वहां पर एक पुल और सड़क की आवश्यकता है जिसके धन आवंटन की आवश्यकता है। इसके अलावा गोमती नदी के बाबा टीकाराम घाट पर एक पक्के पुल और गोमती नदी के ही बाबा पहाड़पुर घाट पर एक पक्के पुल की आवश्यकता है। साथ ही सुबेहा नगर पंचायत में एक बाईपास सड़क की आवश्यकता है, क्योंकि गोमती नदी में दो बड़े पुल बन चुके हैं और आने-जाने के लिए वहां एक बाईपास की आवश्यकता है। इसी के साथ हम इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और मा0 सदस्य उपाध्याय जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए हम धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जय हिन्द।

श्री अधिष्ठाता-

इसके बाद कुछ नाम और हैं। श्री कैलाश नाथ सोनकर जी, श्री जवाहर लाल राजपूत जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री सत्यवीर त्यागी जी। इन मा0 सदस्यों की बात भी कार्यवाही में जोड़ दी जाएगी।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अब मैं मा0 नेता विरोधी दल द्वारा पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि वर्तमान वर्ष का जो अभिभाषण है, उसको सुनते समय मुझे एक बाल कविता याद आ गई।

नानी का संदूक निराला है, हुआ धुएं से काला है,
पीछे से तो खुल जाता है, आगे से लटका रहता ताला है।

आज कोरोना की बात बहुत हो रही है और हमारे सत्ता पक्ष के बहुत सारे साथी बोलने को लालायित हैं। लेकिन मैंने यह महसूस किया है कि अभिभाषण पर बोलने के बजाए वे सारे विपक्ष के ऊपर बोलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे यह अभिभाषण विपक्ष ने पेश किया हो और राज्यपाल जी के पेश किए गए अभिभाषण पर बोलने के बजाए आप सब विपक्ष के ऊपर ज्यादा बोलते हैं। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कम बोलते हैं। आपका यह अभिभाषण अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा है। इसकी पूरी शुरुआत कोरोना से हुई है, मैं कोरोना शब्द को केवल दो बार कहूंगा। करो ना का रोना, करा कुछ नहीं केवल रोया गया है। अपने ऊपर सारा ले रहे हैं। मान्यवर, जो प्रवासी मजदूरों की हालत हुई है कि पी0डी0एस0 से चावल आपने पहली बार 15 अप्रैल को बांटा है और गेहूं 01 मई को बांटा है। उससे पहले उनको कौन खिला रहा था, हम सब लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, पैसा खर्च किया है। अपने स्वयं सेवकों को लगाया है, साथियों को लगाया है। मान्यवर, हमने भी 60 दिन किचेन चलाया है, सूखे राशन की व्यवस्था की है, हजारों लन्च पैकेट हम लोगों ने भी बांटे हैं और आप सारा श्रेय अकेले ले जा रहे हैं। हम लोगों ने भी विधायक निधि की कुर्बानी दी है, हम लोगों ने वेतन, भत्तों की भी कुर्बानी दी है और सारा श्रेय आप अकेले लेकर चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोरोना का मतलब करो ना का रोना। मान्यवर, आज सरकार द्वारा महिला संरक्षण की बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बाढ़ आई हुई है। उन्नाव में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की राजधानी हो गया है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा समय कम है। मैं अपने मुद्दों पर आता हूं मेरा शहर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी की बहुत बात की जाती है, लेकिन मान्यवर, वहां कूड़े के ढ़ेर लगे हैं, नालियां भरी हैं। सड़कों पर आवारा जानवर घूम रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम का दस्ता निकलता तो आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए है, लेकिन चट्टों के अंदर से भैंस पकड़ कर ले जाता है। मैं कहता हूं कि भैंस की लूट करता है, क्योंकि आधे रास्ते में पैसा लेकर छोड़ देता है, उन्हीं को 25 हजार रुपये में एक लाख की भैंस नीलाम करके पैसा लूटने का काम करता है। नगर निगम गब्बर सिंह की सेना की तरह काम कर रहा है। आज मार्ग प्रकाश के लिए लाइटें उपलब्ध नहीं हैं। आपने 23 करोड़ रुपये का भुगतान एयरसेल कम्पनी को नहीं किया है, इसलिए एक भी लाइट लगवाने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। पेयजल के लिए बात करते हैं तो जल निगम के पम्प आपरेटरों को आपने 11 महीने से वेतन नहीं दिया। मैंने चीफ इंजीनियर से बात की तो पता चला कि उसे 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्या व्यवस्था आप पेयजल की कर रहे हैं ? कहां फर्जी भाषण कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की भर्ती किये जाने की मैं मांग करता हूं, नगर निगम ने अपने दुकानदारों का किराया 50 गुना बढ़ा दिया है। हाउस टैक्स के बिल अनाप-शनाप बढ़कर आ रहे हैं। अस्पतालों में कुत्ते के काटने पर लगने वाले इंजेक्शन नहीं हैं। आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। गौशालायें जो आपने बनवायी हैं, जो कान्हा गौशाला बनाई है उसमें भ्रष्टाचार है, लूट हो रही है। चारे के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा

है। मैं आपसे समाचार वितरकों की समस्याओं पर भी ध्यान देने की मांग करता हूं, मण्डी शुल्क आपने जो मण्डियों के बाहर खत्म कर दिया है, लेकिन मण्डियों के अंदर मण्डी शुल्क लगा रखा है, उससे जो दोहरी नीति बनी है, इस पर भी एकरूपता लाने की मैं मांग करता हूं। मैं आपसे बेरोजगारी की समस्या पर सही नियंत्रण करने की मांग करता हूं। मैं यह कहकर कि इन वर्षों ने मानव त्रासदी के रूप में देखा है कि-

''मोती जैसे जगमग करते पत्थर जैसे भारी लोग,
राहों में कंकण की तरह इन हालातों से बिखरे हैं।
हिम्मत हो तो झांक के देखो सत्ता के मेहराबों से,
हमारे यहां दामन-दामन दर्द के रोजन बिखरे हैं।।''

मैं इस अभिभाषण में एक भी जन उपयोगी नीति नहीं देख पाया और मुझे लगता है कि इन चार सालों में प्रदेश इतना पीछे पहुंच गया है कि हमें कक्षा-1 से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कक्षा-1 की बाल कविता को फिर से पढ़ दे रहा हूं- ''कमल चल घर चल, हठ मत कर, झोला उठा चल घर चल।'' मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत, धन्यवाद देता हूं। मैं नेता विरोधी दल के संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं, कल सुबह 11:00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 09 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 23 फरवरी, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।